भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय-सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		vii
	विहंगावलोकन		ix - xiii
	अध्याय-I		
	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	1
	प्रस्तावना	1.1	1
	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.2 – 1.14	2 - 8
	ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.15 – 1.17	8 - 9
	अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1.18 – 1.23	9 - 11
	सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.24	11 - 12
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना	1.25	12 - 13
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम	1.26 – 1.32	13 - 16
	लेखा परीक्षा के आधार पर वसूलियाँ	1.33	16
	आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक नियंत्रण	1.34	16
	पीएसयू की बन्दी के लिए संस्तुति	1.35	16
	सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.36	17
	619-बी कम्पनियाँ	1.37	17
	अध्याय-II		
	सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें	2	19
	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा औद्योगिक आधरभूत संरचना के विकास पर समीक्षा	2-1	19 - 45
	मुख्य अंश	--	19 - 20
	प्रस्तावना	2.1.1	20
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.1.2	20
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.1.3	21
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.1.4	21
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2-1-5	21 - 22
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.1.6-2.1.41	22 - 45
	राजकीय औद्योगिक नीति	2.1.7	22
	भूमि अधिग्रहण	2.1.8-2.1.16	22 - 26
	आधारभूत संरचना का विकास	2.1.17 - 2.1.26	26 - 35
	औद्योगिक क्षेत्र का संचालन	2.1.27-2.1.38	35 - 43
	आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा	2.1.39-2.1.41	43 - 45
	निष्कर्ष	--	45
	संस्तुतियाँ	--	45
	समाज कल्याण क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के उत्थान पर समीक्षा	2.2	46 - 71
	मुख्य अंश	--	46 - 47
	प्रस्तावना	2.2.1	47 - 48
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.2.2	48
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.2.3	48
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.2.4	48
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.2.5	49

	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.2.6-2.2.44	49 - 70
	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2.2.8-2.2.20	51 - 59
	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2.2.21-2.2.41	59 - 68
	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2.2.42-2.2.44	68 - 70
	निष्कर्ष	--	70 - 71
	संस्तुतियाँ	--	71
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अति उच्च तनाव वाली लाइनों तथा संयोजित उप-केन्द्रों पर समीक्षा	2.3	72 - 95
	मुख्य अंश	--	72
	प्रस्तावना	2.3.1	73 - 74
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.3.2	74
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.3.3	74
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.3.4	74
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.3.5	74 - 75
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.3.6-2.3.34	75 - 95
	वित्तीय व्यय	2.3.6	75 - 76
	पारेषण तन्त्र	2.3.7	76 - 77
	लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ	2.3.8	77
	पारेषण योजनाओं का कार्यान्वयन	2.3.9	77 - 78
	उपकेन्द्रो का निर्माण एवं आवर्धन	2.3.10	78 - 79
	पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा वित्त पोषित योजनायें	2.3.11-2.3.16	79 - 83
	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजनायें	2.3.17-2.3.25	83 - 88
	उपकेन्द्रो तथा लाइनों का अनुरक्षण	2.3.26	88 - 89
	दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंक	2.3.27	90 - 91
	सामग्री की अधिप्राप्ति	2.3.28-2.3.33	91 -94
	विद्युत फैब्रिकेशन इकाई, इलाहाबाद की परफारमेन्स	2.3.34	94 - 95
	निष्कर्ष	--	95
	संस्तुतियाँ	--	95
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ईंधन प्रबन्धन पर समीक्षा	2.4	96 - 116
	मुख्य अंश	--	96
	प्रस्तावना	2.4.1	96 -98
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	2.4.2	98
	लेखा परीक्षा के उद्देश्य	2.4.3	98
	लेखा परीक्षा की कसौटी	2.4.4	98 - 99
	लेखा परीक्षा प्रक्रिया	2.4.5	99
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.4.6-2.4.31	99 - 115
	कोयला	2.4.6-2.4.17	99 -108
	ईंधन तेल	2.4.18-2.4.23	108 - 110
	तापीय दक्षता	2.4.24-2.4.25	111 - 112
	ईंधन का स्कन्ध	2.4.26-2.4.27	112 - 113
	ईंधन की लागत	2.4.28	113
	दावों का निपटारा	2.4.29-2.4.30	114
	आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा	2.4.31	115
	निष्कर्ष	--	115 - 116
	संस्तुतियाँ	--	116

	अध्याय-III		
	व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण	3	117 - 159
	सरकारी कम्पनियाँ		117 - 129
	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड		117 - 118
	परिहार्य भुगतान	3.1	117 - 118
	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड		118
	परिहार्य लागत अधिव्यय	3.2	118
	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड		119 - 122
	उपभोक्ता को अनियमित सहायता	3.3	119 - 120
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.4	120 - 121
	देयों की वसूली न होना	3.5	121 -122
	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		122 - 124
	देयकों का संशोधन न करना	3.6	122
	गलत देयक निर्गत करना	3.7	122 - 123
	भण्डार का अनियमित निर्गमन	3.8	123 - 124
	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		124 - 126
	प्रारम्भिक प्रतिभूति की वसूली न होना	3.9	124
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.10	124 - 125
	बाह्य स्थानों के चेक स्वीकार करने के कारण हानि	3.11	125 - 126
	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		126 - 127
	उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.12	126 - 127
	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		127
	शीर्ष समय उल्लंघन के लिये दण्ड की वसूली न होने से हानि	3.13	127
	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		128 - 129
	प्रवर्तकों क क्रय पर परिहार्य व्यय	3.14	128 - 129
	सांविधिक निगम		129 - 140
	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम		129 - 134
	देयों की वसूली न होना	3.15	129 - 130
	विफल इकाई के अधिग्रहण में हुई देरी के कारण हानि	3.16	130 - 131
	ऋणी को अनुचित लाभ	3.17	132 - 133
	इकाई के अधिग्रहण में हुई देरी के कारण हानि	3.18	133 - 134
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		134 - 139
	ऋण का अविवेकपूर्ण आहरण	3.19	134 - 135
	चेकर्ड प्लाईवुड के क्रय पर अतिरिक्त व्यय	3.20	135 - 136
	दण्ड का परिहार्य भुगतान	3.21	137
	सामग्री क्रय में अतिरिक्त व्यय	3.22	138 - 139
	उत्तर प्रदेश जल निगम		139 - 140
	निधि की अवरुद्धता	3.23	139 - 140
	कार्य के निष्पादन में हानि	3.24	140
	सामान्य		141
	परिहार्य प्रशासनिक एवं कर्मचारी व्यय	3.25	141
	राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में पर्यावरण प्रबन्ध व्यवस्था	3.26	142 -152
	राज्य सरकार की कम्पनियों में कारपोरेट गवर्नेन्स (अधिशासन)	3.27	152 - 157
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही	3.28	157 - 158
	निरीक्षण प्रतिवेदनों ड्राफ्ट प्रस्तरों और समीक्षाओं के बारे में प्रतिक्रिया	3.29	158 - 159

परिशिष्ट		सन्दर्भ	
क्रम	विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
1	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2005 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1.4, 1.5, 1.6 एवं 1.20	161 - 168
2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.22 एवं 1.23	169 - 179
3	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवं मार्च 2005 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी	1.6 एवं 1.20	180 - 182
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.8	183 - 186
5	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.8	187 - 189
6	सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी	1.13	190 - 192
7	आन्तरिक लेखा परीक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी	1.34	193
8	कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत पाँच वर्षों के दौरान पाँच करोड़ रूपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित किये गये, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी	1.35	194
9	कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	1.35	195
10	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी	1.37	196
11	भूमि अधिग्रहण में हुए विलम्ब को दर्शाती विवरणी	2.1.10	197
12	औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण, जहाँ भूखण्डों का आबंटन 50 प्रतिशत से नीचे रहा, दर्शाती विवरणी	2.1.28	198
13	आबंटियों द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटियों द्वारा 31 मार्च 2005 तक पाँच वर्षों की अवधि में उपयोग न किये गये भूखण्ड को दर्शाती विवरणी	2.1.28	199
14	औद्योगिक क्षेत्र जहाँ अतितीव्रगामी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत, तीव्रगामी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत तथा मन्दगामी क्षेत्रों में 5 प्रतिशत से कम भूखण्डों का उपयोग कम था, दर्शाती विवरणी	2.1.28	200
15	पाँच वर्षों से अधिक अवधि से विवाद में/विशेष उद्देश्य/बहाली में रहे भूखण्ड का विवरण	2.1.28	201
16	भूमि के मूल्य-दरों के लिए पुर्ननिर्धारण को दर्शाती विवरणी	2.1.29	202 - 203
17	विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों द्वारा कब्जा की गई भूमि को दर्शाती विवरणी	2.1.31	204
18	उपयोग न किये गये भूखण्डों का अनिरस्तीकरण दर्शाती विवरणी	2.1.34	205
19	2002-03 से 2004-05 तक तीन वर्षों के दौरान स्वत: रोजगार योजना (बैंकेबुल योजना) के अन्तर्गत कुल वित्त-पोषित परियोजनाओं तथा अलाभकारी परियोजनओं की संख्या दर्शाती विवरणी	2.2.11	206 - 207
20	2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल वित्त-पोषित परियोजनाओं तथा उनके भौतिक सत्यापन की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.2.13	208
21	वर्ष 2002-03 से 2004-05 (दिसम्बर 2004 तक) के दौरान स्वत: रोजगार योजना (बैंकेबुल) के अन्तर्गत बैंको को प्रेषित धनराशि तथा 'लेखा विवरण' की प्राप्ति की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.2.14	209 - 210
22	2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त ऋण ,निधि, वितरण, लाभार्थियों से की गई वसूली, एनएसएफडीसी तथा आरएसकेवीवीएन को किये गये पुनर्भुगतान को दर्शाती विवरणी	2.2.17	211
23	एनएसएफडीसी तथा आरएसकेवीवीएन द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा लेखा परीक्षा प्रेक्षण के विवरण	2.2.18	212 - 214
24	नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण की योजनाओं तथा कौशल वृद्धि योजना - कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.2.19	215 - 216

25	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में विशिष्ट पारेषण एवं वितरण तन्त्र की प्रवाह सारणी	2.3.7	217
26	2004-05 तक के पाँच वर्षो के दौरान उपकेन्द्रो के निर्माण, संवर्धन एवं लाइनों के निर्माण के लिए भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी	2.3.8 एवं 2.3.9	218
27	उपकेन्द्रो के सम्बन्ध में समय एवं लागत अधिव्यय को दर्शाती विवरणी	2.3.9	219
28	ईएचटी लाइनों के सम्बन्ध में समय एवं लागत अधिव्यय को दर्शाती विवरणी	2.3.9	220 - 221
29	लाइनों के निर्माण में उच्च दरों पर प्राक्कलनों की तैयारी दर्शाती विवरणी	2.3.24	222
30	2000-01 से 2004-05 के दौरान प्रत्येक टीपीएस में कोयले की औसत खपत को दर्शाती विवरणी	2.4.17	223
31	ओबरा टीपीएस में वर्ष 200-01 से 2004-05 के दौरान प्राप्त कोयले की ऊष्मांक एवं प्रतीयापित ताप दर के आधार पर कोयले की खपत को दर्शाती विवरणी	2.4.17	224
32	2000-01 से 2004-05 के दौरान कोयले की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी	2.4.17	225
33	2000-01 से 2004-05 के दौरान प्रति इकाई ईंधन तेल की औसत खपत को दर्शाती विवरणी	2.4.22	226
34	2000-01 से 2004-05 के दौरान ईंधन तेल की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी	2.4.23	227
35	2000-01 से 2004-05 के दौरान ताप की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी	2.4.25	228 - 229
36	तेल और कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन की हानि को दर्शाती विवरणी	2.4.27	230 -231
37	2000-01 से 2004-05 के दौरान कम्पनी की ईधन लागत एवं उत्पादन लागत को दर्शाती विवरणी	2.4.28	232
38	समान उद्देश्यों वाली कम्पनियों का विवरण दर्शाती विवरणी	3.25	233
39	राज्य सरकार की कार्यरत कम्पनियों को दर्शाती विवरणी	3.27.4	234
40	दो बैठकों के मध्य रिक्तता दर्शाती विवरणी	3.27.6	235
41	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों/मुख्य अधिशासियों का लगातार परिवर्तन दर्शाती विवरणी	3.27.9	236 - 238
42	सम्प्रेक्षण समिति के निर्माण में विलम्ब तथा बैठक बुलाने में कमी को दर्शाती विवरणी	3.27.12 एवं 3.27.15	239 - 240
43	प्रस्तर/समीक्षा जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे, को दर्शाती विवरणी	3.28	241
44	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी	3.28.2	242 - 244
45	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी	3.28.2	245 - 246
46	विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	3.29	247
47	विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी	3.29	248

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान, जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसे समय-समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। आठ विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश जल निगम, जो सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सीएजी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में सीएजी को, उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ-साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सम्बन्ध में भी सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है। इन समस्त निगमों/आयोग के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रसारित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2004-2005 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2004-2005 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2005 को राज्य में 87 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों सहित 94 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे जबकि 31 मार्च 2004 को 89 सरकारी कम्पनियां व सात सांविधिक निगम थे। केन्द्र सरकार की कम्पनी की एक सहायक कम्पनी, राज्य सरकार की कम्पनी बन गयी जैसा कि अशंपूँजी राज्य सरकार द्वारा ली गई। दो सहायक कम्पनियाँ (89 मे से) का अपनी धारक कम्पनी में संविलयन हो गया एवम् एक परिसमापनाधीन कम्पनी पूर्णत: बन्द हो गई तथा एक कार्यरत सरकारी कम्पनी, अकार्यरत कम्पनी हो गई। सभी सात सांविधिक निगम कार्यरत निगम थे। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2005 को कम्पनी अधिनियम की धारा 619-बी के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ (एक कार्यरत एवं तीन अकार्यरत) थी।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.37)

- कार्यरत पीएसयू में कुल निवेश 31 मार्च 2004 के 21,778.65 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2005 को 25,699.28 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यरत पीएसयू में कुल निवेश उसी अवधि के दौरान 868.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 873.50 करोड़ रुपये हो गया।

(प्रस्तर 1.2 एवं 1.18)

- कार्यरत पीएसयू को वितरित की गई पूँजी, ऋण तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में बजट सहायता, 2003-04 के 3,455.73 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 7,410.86 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार ने 2004-05 के दौरान कार्यरत पीएसयू को कुल 1,634.28 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। कार्यरत पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत बकाया ऋणों की कुल राशि 31 मार्च 2005 को 1,464.88 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 1.6)

- मात्र पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2004-05 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दिया। 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2005 को, एक वर्ष से 16 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे। 39 अकार्यरत कम्पनियों में से 10 कम्पनियाँ परिसमापनाधीन थी। शेष सभी 29 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के लेखे, 30 सितम्बर 2005 को, एक वर्ष से 28 वर्षों तक विस्तारित अवधियों से बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.7, 1.18 एवं 1.22)

- अद्यतन लेखों के अनुसार, 22 कार्यरत पीएसयू (18 सरकारी कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगम) ने कुल 83.11 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसके विरुद्ध, 27 कार्यरत पीएसयू (24 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) ने अद्यतन लेखों के अनुसार कुल 1,723.49 करोड़ रुपये की हानि उठाई। 24 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से 17 कम्पनियों की कुल

संचित हानियाँ 6,453.34 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 4,834.72 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं। इसी प्रकार, हानि उठाने वाले तीन सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों की संचित हानियाँ कुल 1,557.81 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 491.41 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं।

(प्रस्तर 1.8, 1.10 एवं 1.12)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

2.1 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा मूलभूत औद्योगिक संरचना के विकास पर समीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना राज्य की औद्योगिक नीति के अनुरूप राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए मार्च 1961 में की गई। कम्पनी आवश्यक आधारभूत औद्योगिक संरचना का विकास करने तथा समय से औद्योगिक गलियारों, विकास केन्द्रों, आईआईडीसी, एसईजेड, ईपीआईपी तथा वस्त्र एवम् होजरी पार्क की स्थापना को सुनिश्चित करने में असफल रही, फलस्वरूप राज्य में आर्थिक विकास एवम् रोजगार सृजन का वांछित सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त नही किया जा सका। संज्ञान में आए महत्वपूर्ण बिन्दुओ में से कुछ निम्नवत् है:-

- कम्पनी, हर्जाने के भुगतान में विलम्ब, भूमि के गलत वर्गीकरण व अनुपयुक्त भूमि के क्रय आदि के कारण 75.59 करोड़ रुपये के विनियोग के बावजूद भी 5,557.656 एकड़ भूमि का विकास नही कर सकी जिसके परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की गति मन्द रही।

(प्रस्तर 2.1.9)

- कम्पनी ने 31.41 करोड़ रुपये मूल्य के 1,14,926.25 वर्ग मीटर अतिक्रमित औद्योगिक भूखण्ड को खाली कराने के सार्थक प्रयास नही किया।

(प्रस्तर 2.1.31)

- कम्पनी ने अपने दो अति द्रुतगामी व तीन द्रुतगामी औद्योगिक क्षेत्रों मे 64 प्लाटों का आबंटन, आबन्टियों द्वारा पाँच से 30 वर्षो से अधिक की अवधि तक उपयोग न किये जाने के बावजूद, निरस्त नही किया जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में औद्योगिक वृद्धि के संवर्धन में देरी हुई।

(2.1.34)

2.2 समाज कल्याण क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यक एवम् महिलाओं के उत्थान पर समीक्षा

उत्तर प्रदेश में समाज के सामान्य, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के स्तर एवं अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के सामान्य स्तर के मध्य सामाजिक-आर्थिक अन्तराल को कम करने के मुख्य उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार

ने तीन कम्पनियाँ नामश: उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड बनाई। ये कम्पनियाँ इन उद्देश्यों को पूर्णत: प्राप्त करने में असमर्थ रही जैसा कि, इन कम्पनियों ने परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मार्ग निर्देशकों का पालन नही किया। संज्ञान मे आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं में कुछ निम्नवत् है:-

- 25,000 रुपये या अधिक की, औसत लागत की परियोजना के सापेक्ष यूपीएसएफडीसी ने 5,11,744 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 21,923 रुपये की औसत लागत की आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनाए प्रदान की।

(प्रस्तर 2.2.9)

- यूपीएसएफडीसी ने 2004-05 तक पाँच वर्षो के दौरान लाभार्थियों से ऋण वसूली की धनराशि से अधिक 29.64 करोड़ रुपये का भुगतान एनएसएफडीसी (24.34 करोड़ रुपये) एवं आरएसकेवीवीएन (5.30 करोड़ रुपये) को किया।

(प्रस्तर 2.2.17)

- यूपीएवीवीएन द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई उपलब्धि (भौतिक एवं वित्तीय) की सूचना में 1,312 लाभार्थियों के सम्बन्ध में 6.76 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया।

(प्रस्तर 2.2.24)

- प्रशिक्षण के उपरान्त सतत् रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या एवं प्रति महिला प्रति माह अर्जन सुनिश्चित करने हेतु, यूपीएमकेएन ने प्रशिक्षणोत्तर मूल्याकंन के लिए कोई भी पद्धति प्रकल्पित नही की।

(प्रस्तर 2.2.43)

2.3 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अति उच्च तनाव वाली लाइनों तथा संयोजित उपकेन्द्रो पर समीक्षा

कम्पनी का प्रमुख कार्य पारेषण तन्त्र के माध्यम से वितरण कम्पनियों को विद्युत आपूर्ति करें जिससे कि तन्त्र से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विश्वसनीय ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। कम्पनी प्रर्वतन क्षमता में वृद्धि एवम् पारेषण लाइनो के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। उत्पन्न की गई प्रर्वतन क्षमता एवम् पारेषण लाइनों के निर्माण में भिन्नता थी। संज्ञान में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं मे से कुछ निम्नवत् है:-

- 17 उपकेन्द्रो के निर्माण मे चार से 232 माह की देरी हुई जिसके फलस्वरूप 55.48 करोड़ रुपये का अधिव्यय हुआ; 32 ईएचटी लाइनों (2017.824 सर्किट किमी0) के निर्माण में 5 से लेकर 152 माह तक की देरी हुई जिसके फलस्वरूप 461.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा।

(प्रस्तर 2.3.9)

- 15.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष 34.81 करोड़ रुपये का व्यय किये जाने के पश्चात भी 400 केवी उपकेन्द्र गोरखपुर का निर्माण 10 वर्षों मे पूरा नही किया जा सका, परिणामस्वरूप 1996 मे 24.66 करोड़ रुपये की लागत से आजमगढ़ से गोरखपुर तक संस्थापित की गई 400 केवी लाइन अप्रयुक्त रही।

(प्रस्तर 2.3.11)

- 409 सर्किट किमी0 की 800 केवी एकल परिपथ अनपरा-उन्नाव लाइन की संस्थापना 472.64 करोड़ रुपये की लागत से की गयी, एवम् 400 केवी पर ऊर्जीकृत रही क्योंकि 800 केवी उपकेन्द्र का निर्माण नहीं हो सका।

(प्रस्तर 2.3.21)

2.4 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ईंधन प्रबन्धन पर समीक्षा

कम्पनी की स्थापना एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में की गई थी तथा इसे उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन के नियोजन, अधिप्राप्ति, ढुलाई, भण्डारण एवं उपभोग के एकीकरण का कुशल प्रबंधन करना था। कम्पनी द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नही किया जा सका। इस कम्पनी मे कोयला एवम् ईंधन-तेल की अधिक खपत हुई। संज्ञान में आये महत्वपूर्ण बिन्दुओं में कुछ का विवरण निम्नवत् है:

- ओबरा, अनपरा एवम् हरदुआगंज टीपीएस ने 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान, मानक से 29.36 मी.टन अधिक कोयले का उपभोग किया जिसका मूल्य 297.65 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.4.17)

- ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज टीपीएस ने 2004-05 तक पाचँ वर्षों में यूपीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट मानक से 37,271 कि.ली. ईंधन तेल का अधिक उपभोग किया जिसका मूल्य 49.13 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.4.23)

- यूपीईआरसी द्वारा अंगीकृत प्रतीयापित ताप दर की तुलना में 2004-05 तक पाँच वर्षों की समायावधि में ओबरा, अनपरा एवं हरदुआगंज टीपीएस द्वारा कम तापीय दक्षता के कारण 394.62 करोड़ रुपये ताप की खपत अधिक हुई।

(प्रस्तर 2.4.25)

3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा सम्प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित लेखा परीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियों को दर्शाती है। दर्शायी गई अनियमितताएँ वृहद रूप से निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- अनियमित छूट, देयों, शीर्ष समय प्रतिबन्ध के उल्लंघन हेतु दण्ड को कम करने/माफ करने, के परिणामस्वरूप 171.70 करोड़ रुपये की हानि।

(प्रस्तर 3.3, 3.10 एवं 3.13)

- अवशेष बकाये की वसूली न करने, देयकों का पुनरीक्षण न करने, गलत देयक निर्गत करने, के कारण 4.21 करोड़ रुपये की हानि।

(प्रस्तर 3.5, 3.6, 3.7, एवं 3.9)

- मुख्य प्रतिभूति (भूमि एवं भवन) के बन्धक रखने की शर्तो में शिथिलता एवं चूक करने वाली इकाइयों के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण 30.84 रुपये करोड़ के अवशेषों की वसूली नही हुई।

(प्रस्तर 3.15, 3.16 एवु 3.18)

महत्वपूर्ण प्रस्तरों में से कुछ के सारांश निम्नवत् हैं:

- **उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड** ने शेयरों को बेचने का प्रयास नही किया, यद्यपि शेयरो की पुनर्खरीद दिसम्बर 2002 में देय थी। परिणामस्वरूप, ऋणों के पुर्नभुगतान हेतु 2.71 करोड़ रुपये के ब्याज के भार से बचा नहीं जा सका।

(प्रस्तर 3.1)

- **कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड** ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अनुमति प्राप्त किये बिना डंकन इन्ड्स्ट्रीज लिमिटेड को 171.15 करोड़ रुपये की अनियमित सहायता प्रदान की।

(प्रस्तर 3.3)

- ऋणी के उत्पादों के आदेशों की स्थिति सुनिश्चित किये बिना, अतिरिक्त ऋण अवमुक्त करने,एवं इकाई के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण, **उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम** को 5.65 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.16)

- **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम** ने अपनी आवश्यकता से पहले ऋण लिया जिसके परिणामस्वरूप 1.19 करोड़ रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 3.19)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2005 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 87 सरकारी कम्पनियाँ (48 कार्यरत कम्पनियाँ तथा 39 अकार्यरत कम्पनियाँ[1]) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 2004 को 89 सरकारी कम्पनियाँ (48 कार्यरत तथा 41 अकार्यरत कम्पनियाँ) तथा सात कार्यरत सांविधिक निगम थे। वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की एक सहायक कम्पनी[2] राज्य सरकार की कम्पनी (कार्यरत) बन गई जैसा कि अंश पूँजी राज्य सरकार द्वारा ली गई, दो सहायक कम्पनियाँ[3] (अकार्यरत) का अपनी धारक कम्पनियों में संविलयन हो गया एवम् एक कम्पनी[4] (अकार्यरत) जोकि परिसमापन मे थी, पूर्णत: बन्द हो गई तथा एक कार्यरत सरकारी कम्पनी[5] इस वर्ष अकार्यरत हो गई। सरकारी कम्पनियों के लेखों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी अधीन है। सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थायें नीचे प्रदर्शित की गयी है:

क्र. सं.	निगम का नाम	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	शासपत्रित लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	सीएजी द्वारा एकमात्र लेखा परीक्षा
6.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा[6]
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[7]	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	शासपत्रित लेखाकारों तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया तथा इसकी लेखा परीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003[8] की धारा 104(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है।

1 अकार्यरत कम्पनियाँ वह है जो कि परिसमापन/बन्दी/संविलय की प्रकिया के अन्तर्गत है।
2 उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड।
3 दि टर्पेन्टाइन सबसिडयरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवम् हैन्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड।
4 इन्डियन वाविन कम्पनी लिमिटेड।
5 उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड) तराई गन्ना बीज विकास निगम लिमिटेड
6 वन निगम अधिनियम संशोधन की प्रतीक्षा में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है।
7 वर्ष 1998-99 के लेखों का लेखा परीक्षण प्रगति पर है। भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, निगम के नियमों में कोई विशेष प्रावधान न होने के कारण विधायिका में प्रस्तुत नहीं की जाती है क्योंकि निगम का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हुआ है।
8 विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की पूर्ववर्ती धारा 34(4) को विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा बदला गया।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

कार्यरत पीएसयू में निवेश

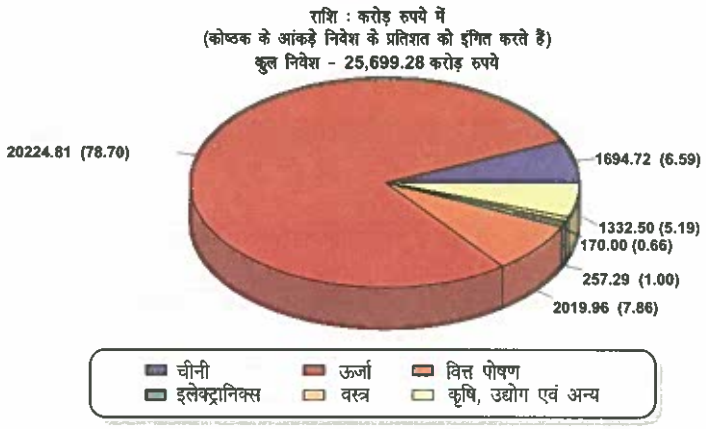
1.2 31 मार्च 2004 को कुल 55 कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) में निवेश 21,778.65 करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 10,054.58 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 2,384.40 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 9,339.67 करोड़ रुपये) के विरूद्ध, 31 मार्च 2005 के अन्त में 55 कार्यरत पीएसयू (48 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगमों) में निवेश 25,699.28 करोड़ रुपये[1] (अंश: 10,427.54 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 7,571.06 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण:[2] 7,700.68 करोड़ रुपये) था। कुल निवेश में बढ़ोत्तरी का कारण मुख्यत: इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास में, ऊर्जा एवम् विविध क्षेत्रों में अंशपूँजी तथा ऋण में बढ़ोत्तरी का था। कार्यरत पीएसयू में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

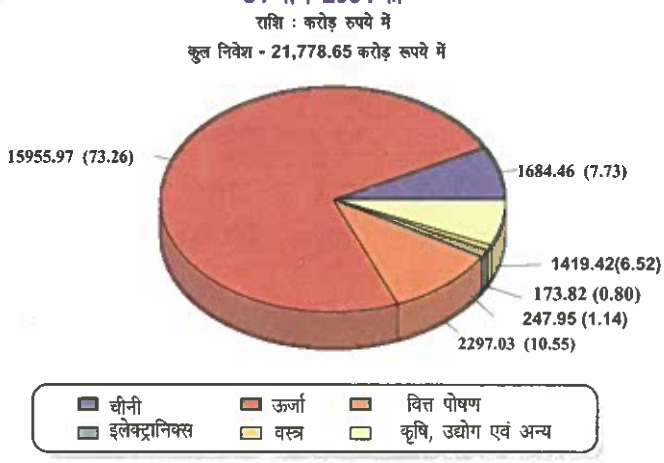
1.3 31 मार्च 2005 तथा 31 मार्च 2004 को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) तथा उनके प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिये गये हैं:

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2005 को



31 मार्च 2004 को



1 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 18,889.13 करोड़ रुपये (अन्य: 6,810.15 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखा 2004-05 के अनुसार यह 13,644.61 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

2 प्रस्तर 1.2, 1.4, 1.5 तथा 1.18 में वर्णित दीर्घ कालीन ऋणों में ऐसे ऋणों पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.4 मार्च 2004 तथा मार्च 2005 के अन्त में सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्न था:

(करोड़ रुपये में)

		कार्यरत पीएसयू में निवेश			
वर्ष	कार्यरत पीएसयू की संख्या	अंशपूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2003-04	48	9,542.76	2,382.19	7,735.59	19,660.54
2004-05	48	9,924.96	7,568.85	6,247.12	23,740.93

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यत: इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास में, ऊर्जा एवं विविध क्षेत्रो में ऋण एवं अंशपूँजी में वृद्धि के कारण बढ़ गया है।

31 मार्च 2005 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंश पूँजी और ऋण 31 मार्च 2004 के 60.65 प्रतिशत एवम् 39.35 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 73.69 प्रतिशत एवम् 26.31 प्रतिशत था।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

कार्यरत सांविधिक निगम

1.5 सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2004 तथा मार्च 2005[1] के अन्त में निम्नवत् था:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2003-04		2004-05	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उ.प्र.रा. सड़क परिवहन निगम	321.37	227.27	312.27[2]	184.24
उ.प्र. वित्तीय निगम	179.28	1,117.28	179.28	1,035.89
उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	11.17 (2.21)	110.63	11.17 (2.21)	102.03
उ.प्र. वन निगम	-	17.50	-	-
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-
उ.प्र. जल निगम	-	129.75	-[3]	129.75
उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	1.65	-	1.65
योग	**511.82** **(2.21)**	**1,604.08**	**502-58** **(2.21)**	**1,453.56**

(कोष्ठक के आंकड़े अंश आवेदन राशि को इंगित करते है)

31 मार्च 2005 को कार्यरत सांविधिक निगमों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण 31 मार्च 2004 के 24.27 प्रतिशत तथा 75.73 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 25.78 प्रतिशत तथा 74.22 प्रतिशत था।

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है।

1 वर्ष 2004-05 के आँकड़े अनन्तिम है।

2 भारत सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 1233 (ई.) दिनांक 27.10.2003 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का विभाजन उत्तर प्रदेश एवम् उत्तरांचल राज्य में 30.10.2003 (अपराह्न) को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे 30.10.2003 की अवधि के वर्ष 2004-05 में पूर्ण किये गये।

3 उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्राविधान के अन्तर्गत उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवम् निर्माण निगम का गठन उत्तरांचल सरकार की अधिसूचना संख्या 2231/9/12/अधिनियम/2000 दिनांक 07.11.2002 को हुआ। उक्त अधिसूचना के अनुपालन में, उत्तरांचल राज्य से सम्बन्धित समस्त परिसम्पत्तियाँ एवम् दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम की सी एण्ड डी एस विंग को छोड़कर, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवम् निर्माण निगम को 31.03.2002 को स्थानान्तरित कर दी गई। उत्तर प्रदेश जल निगम के वर्ष 2002-03 के लेखें 2004-05 की अवधि में पूर्ण किय गयें।

बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.6 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, देयों की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट-1 एवं 3** में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को 2004-05 तक के तीन वर्षों में राज्य सरकार से बजट बहिर्गमन (अंशपूँजी और ऋण के रूप में) तथा अनुदान/उपदान नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2002-03				2003-04				2004-05			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि	सं0	राशि
अ (i) बजट से अंशपूँजी बहिर्गमन	4	264.23	-	-	7	1,512.91	-	-	7	5,575.04	-	-
(ii) बजट से दिये गये ऋण	9	582.35	-	-	13	433.40	1	2.00	9	453.40	1	3.02
योग अ (i)+(ii)		**846.58**		-	**14**	**1,946.31**	**1**	**2.00**	**13**	**6,028.44**	**1**	**3.02**
ब. अनुदान/उपदान (i) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए	6	445.93[1]	1	2.07	5	1,289.1[3]	1	213.21	7	1,297.26[5]	1	76.91
(ii) अन्य उपदान	3	695.63[2]			3	2.91[4]	1	2.11	3	5.23[6]	-	-
योग (ब) (i)+(ii)		**1,141.56**		**2.07**	**-**	**1,292.10**	**-**	**215.32**		**1,302.49**	**-**	**76.91**
कुल बहिर्गमन (अ+ब)	**16[7]**	**1,988.14**	**1[7]**	**2.07**	**19[7]**	**3,238.41**	**2[7]**	**217.32**	**17[7]**	**7,330.93**	**1[7]**	**79.93**

वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार ने आठ कार्यरत कम्पनियों (1,475.78 करोड़ रुपये) तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगमों (158.50 करोड़ रुपये) द्वारा लिये गये कुल 1,634.28 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्ष के अन्त में नौ कार्यरत सरकारी कम्पनियों (846.61 करोड़ रुपये) तथा चार कार्यरत सांविधिक निगम (618.27 करोड़ रुपये) के विरुद्ध 1,464.88 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति अवशेष थी। दो सरकारी कम्पनियों[8] तथा दो सांविधिक निगमों[8] द्वारा 2004-05 के दौरान सरकार को चुकाये गये, देय प्रत्याभूति कमीशन क्रमशः 21.28 करोड़ रुपये तथा 98.17 लाख रुपये

1 314.15 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

2 80.75 लाख रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

3 137.97 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

4 59.19 लाख रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

5 129.69 करोड़ रूपये का अनुदान सम्मिलित है।

6 1.11 करोड़ रूपये का अनुदान सम्मिलित है।

7 ये सभी वास्तविक संख्या में कम्पनियों/निगम है जिन्होंने सरकार से सम्बन्धित वर्षों में अंशपूँजी, ऋण, अनुदान तथा उपदान के रूप में बजट का सहयोग प्राप्त हुआ।

8 नौ कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ तथा चार कायरत सरकारी निगमों जिनके विरूद्ध प्रत्याभूति अवशेष थी, केवल दो सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट-3 का क्रम संख्या अ-13 तथा 15) तथा दो सांविधिक निगमों (परिशिष्ट-3 का क्रम संख्या ब-1 तथा ब-3) द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

था। सरकार ने श्रीट्रान इन्डिया लिमिटेड से बकाया 3.07 करोड़ रुपये के ऋण को अशंपूँजी में परिवर्तित किया।

कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

1.7 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619बी सपठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति होने से छः माह के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 माह के अन्दर विधायिका के समक्ष भी प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण, लेखापरीक्षित तथा विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

जैसा कि **परिशिष्ट-2** से देखा जा सकता है, 48 कार्यरत कम्पनियों में केवल पाँच* कार्यरत कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से किसी भी निगम ने वर्ष 2004-05 के अपने लेखों को संकल्पित अवधि के अन्दर अन्तिम रूप नहीं दिया। अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2005 तक की अवधि के दौरान 34 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्ष के 44 लेखों को अन्तिम रूप दिया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान चार कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के पाँच लेखों को अन्तिम रूप दिया।

30 सितम्बर 2005 को, 43 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 16 वर्षों तक की अवधि से निम्न विवरण के अनुसार बकाये में थे:

क्र. सं.	कार्यरत कम्पनियों/निगमों की संख्या		वर्ष जबसे लेखे बकाया है	वर्षों की संख्या जबसे लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 के कमांक का संकेत	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1	1	-	1989-90 से 2004-05	16	अ-24	-
2	2	-	1992-93 से 2004-05	13	अ -10, 17	-
3	1	-	1993-94 से 2004-05	12	अ –43	-
4	1	-	1996-97 से 2004-05	9	अ -14	-
5	2	-	1997-98 से 2004-05	8	अ -6,46	-
6	2	-	1998-99 से 2004-05	7	अ -8,21	-
7	1	3	1999-2000 से 2004-05	6	अ -23	ब-4, 5,7
8	1	-	2000-01 से 2004-05	5	अ -44	-
9	2	-	2001-02 से 2004-05	4	अ -9, 47	-
10	6	-	2002-03 से 2004-05	3	अ -5, 27,28,29,34,48	-
11	13	-	2003-04 से 2004-05	2	अ-1,7,18,25,26,30, 33,36,37,38,39,41, 45	-
12	11	4	2004-05	1	अ-3,4,11,15,19,20,22,31,32, 40,42	ब-1,2,3,6

* परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या ए-2, 12, 13, 16 तथा 35

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पीएसयू द्वारा लेखे निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण और अंगीकृत कर लिये गये हैं। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों और सरकारी अधिकारियों को लेखा परीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गयी थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पीएसयू के शुद्ध मूल्य का निर्धारण लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

कार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थितियाँ और कार्य संचालन परिणाम

1.8 अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू (सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षों के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाती हुई विवरणी क्रमश: **परिशिष्ट-4 व 5** में दी गयी है।

42[1] कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार 24 कम्पनियों और 3 निगमों ने क्रमश: 1,555.49 करोड़ रुपये तथा 168 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई, 18 कम्पनियों और 4 निगमों ने क्रमश: 25.77 करोड़ रुपये तथा 57.34 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया।

कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

लाभार्जन करने वाली कार्यरत कम्पनियाँ और लाभांश

1.9 34 कार्यरत कम्पनियों में से जिन्होंने सितम्बर 2005 तक पूर्व वर्षों के लेखे को अन्तिम रूप दिया, 15 कम्पनियों ने कुल 25.27 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया तथा उनमें से नौ[2] कम्पनियों ने दो अथवा अधिक लगातार वर्षों तक लाभ अर्जित किया। सरकार ने न्यूनतम लाभांश भुगतान के लिये लाभांश नीति तैयार की (अक्टूबर 2002) तथा सरकार द्वारा निवेशित पूँजी पर वित्तीय वर्ष 2002-03 से 5 प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश अदायगी का आदेश पीएसयू को दिया। केवल दो[3] कम्पनियों ने 63.15 लाख रूपये का लाभांश घोषित किया।

हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.10 24 हानि उठाने वाली सरकारी कम्पनियों में से 17 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 6,453.34 करोड़ रुपये थी, जो उनकी 4,834.72 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी थी (**परिशिष्ट-2**)।

खराब उपलब्धियों और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद राज्य सरकार इन कम्पनियों को उपदान, अनुदान तथा ऋण लगातार प्रदान करती रहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से 17 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से छ: कम्पनियों को राज्य सरकार का अंशपूँजी ऋण, उपदान तथा अनुदान के रूप में वर्ष 2004-05 के दौरान 6,936.11 करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग था।

1 छ: कम्पनियों (परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या अ-29,36,37,38,39 और 40) ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये।

2 परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या अ-19,20,21,22,41,45 और 46।

3 परिशिष्ट-2 का क्रम संख्या अ-19 तथा 21।

कार्यरत सांविधिक निगम

लाभार्जन करने वाले सांविधिक निगम और लाभांश

1.11 चार कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों (**परिशिष्ट-2** का क्रम सं0 ब-3 एवं ब-5) जिन्होंने सितम्बर 2005 तक अपने पिछले वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दिया, कुल 27.02 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इन दो सांविधिक निगमों में से एक (**परिशिष्ट-2** का क्रम सं0 ब-3) ने दो या अधिक वर्षों तक लगातार लाभार्जन किया तथा 1.20 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

हानि उठाने वाली सांविधिक निगम

1.12 तीन हानि उठाने वाले कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों (**परिशिष्ट-2** का क्रम सं0 ब-1 तथा ब-2) जिसने सितम्बर 2005 तक अपने पिछले वर्षों लेखों को अंतिम रूप दिया, की कुल संचित हानियाँ 1,557.81 करोड़ रुपये थी जो उनकी 491.41 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गयी।

कार्यरत सांविधिक निगमों की कार्यचालन उपलब्धियाँ

1.13 कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन उपलब्धियाँ **परिशिष्ट-6** में दिया गया है।

सांविधिक निगमों के कार्यचालन सम्पादन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षण, नीचे दिये गये हैं:

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

- प्रति किमी. कार्यचालन राजस्व में 1068 पैसे (2001-02 मे) से 1097 पैसे (1 नवम्बर 2003 से 31 मार्च 2004 की अवधि में) की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप प्रति किमी हानि 2001-02 के दौरान 179 पैसे से घटकर 1 नवम्बर 2003 से 31 मार्च 2004 की अवधि के दौरान 67 पैसे हो गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम

- कुल बकाया ऋण से अतिदेय का प्रतिशत 2001-02 में 127.31 से बढ़कर 2003-04 में 237.31 हो गया जो कि दयनीय वसूली की स्थिति को दर्शाता है।

नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

1.14 अद्यतन पूर्ण किये लेखों के अनुसार (सितम्बर 2005 तक), 42 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी* की गणना 11,824.18 करोड़ रुपये की गयी तथा उस पर कुल प्रतिलाभ** पूर्व वर्ष के (-)94.15 करोड़ रुपये की तुलना में (-)460.92 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार पूर्व वर्ष के 151.45 करोड़ रुपये (2.06 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ के तुलना में सात कार्यरत सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अद्यतन पूर्ण किये लेखों के अनुसार नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, क्रमशः 5684.39 करोड़ रुपये तथा 71.58 करोड़ रुपये (1.26 प्रतिशत) आगणित किया गया। कार्यरत सरकारी

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पतियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी के योग को प्रदर्शित करती है सिवाय वित्त पोषण कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह कुल प्रदत्त पूँजी के पूर्व एवं अंतिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड जमा तथा ऋण (पुनर्वित्त पोषण सहित) प्रदर्शित करती है।

** नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के आगणन हेतु, ऋण ली गयी निधियों के ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि से घटाया जाता है, जैसा कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित किया गया।

कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में नियोजित पूँजी और नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण **परिशिष्ट-2** में दिये गये है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुए एमओयू के कार्यान्वयन की स्थिति:

1.15 राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुये (फरवरी 2000)।

एमओयू में लिये गए प्रत्येक प्रतिज्ञा पर सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र.सं.	एमओयू समझौते के अनुसार सुधार कार्यक्रम	लक्ष्य प्राप्ति की अनुसूची	वर्तमान स्थिति सितम्बर-2004
I	**राज्य सरकार द्वारा**	--	
(i)	सभी 11 के.वी. फीडरों पर मीटर का लगाया जाना	30 सितम्बर 2000	सभी 11 केवी फीडर (7,059) पर मीटर लगा दिया गया (दिसम्बर 2003)।
(ii)	शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटर द्वारा आपूर्ति	31 दिसम्बर 2001	केवल 83 प्रतिशत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जा सका (मार्च 2005)।
(iii)	20 चुने गये नगरों की आन लाइन बिलिंग	31 मार्च 2001	केवल एक नगर, लखनऊ, में लागू किया गया (सितम्बर 2004)।
(iv)	वितरण प्रणाली को उन्नत करना	शून्य	विभिन्न कार्य जैसे कि- सर्विस लाइन का पुर्नवियोजन, कैपेसीटर बैंक का संयोजन, लाइन का निर्माण, प्रवर्तकों को लगााना और वितरण प्रणाल्ली को सुदृढ कराना, पूर्ण होने के लिए विभिन्न स्तरों पर है (सितम्बर 2005)।
(v)	विभिन्न वितरण लाभ केन्द्रों का निर्माण	शून्य	चार वितरण कम्पनियाँ मई 2003 में निगमित की गयी।
(vi)	वितरण क्षेत्रों का निजीकरण जिसकी वाणिज्यिक रूप से सक्षमता स्थापित न हो।	शून्य	अभी तक कोई भी निजीकरण नहीं हुआ (सितम्बर 2005)।
II	**केन्द्र सरकार द्वारा**		
(i)	चालू तापीय तथा हाइड्रो ऊर्जा स्टेशनों को भारत सरकार से वित्तीय सहायता	शून्य	मार्च 2005 में पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 463.98 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।
(ii)	महत्वपूर्ण पारेषण कार्यों के निर्माण के लिए भारत सरकार से सहयोग	शून्य	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने 35 परियोजनाओं हेतु पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से मार्च 2005 में 380.64 करोड़ रुपये प्राप्त किये।

विखण्डन और निगमीकरण

1.16 ऊर्जा क्षेत्र को वाणिज्यिक रूप से सक्षमता प्रदान करने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व के उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यूपीएसईबी) को पुर्नढाचाँकृत (जनवरी

2000) किया। तापीय तथा जल विद्युत उत्पादन के कार्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को स्थानान्तरित कर दिया गया। यूपीएसईबी के पारेषण तथा वितरण कार्य, नयी बनायी गयी कम्पनियों, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) को हस्तान्तरित कर दिये गये। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने पारेषण कार्य अपने पास बनाये रखा था तथा वितरण कार्य पुन: चार वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) को हस्तान्तरित कर दिये गये जो मई 2003 में निगमित हुई थी।

राज्य विद्युत नियामक आयोग

1.17 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 10 सितम्बर 1998 को विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998[1] की धारा 17 के अधीन किया गया। आयोग एक निगमित निकाय है जिसमें सभापति को लेकर तीन सदस्य होते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा का दायित्व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। आयोग ने सितम्बर 2005 तक पाँच टैरिफ आदेश जारी किये है।

अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

अकार्यरत पीएसयू में निवेश

1.18 31 मार्च 2005 के अन्त तक 39 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश 873.50[2] करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 391.88 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि: 49.06 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण: 432.56 करोड़ रुपये के सापेक्ष 31 मार्च 2004 के अन्त तक 41 अकार्यरत पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश 868.52 करोड़ रुपये (अंशपूँजी 391.37 करोड़ रुपये, अंश आवेदन राशि 49.06 करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋण 428.09 करोड़ रुपये) था।

मार्च 2005 के अन्त तक अकार्यरत सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपये में)	
		अंशपूँजी[3]	दीर्घावधि ऋण
परिसमापन/बन्दी के अन्तर्गत	10	59.09	150.77
संविलय के अन्तर्गत	1	0.42	--
निष्क्रिय/अकार्यरत कम्पनियाँ	28	381.43	281.79
योग	**39**	**440.94**	**432.56**

उपरोक्त अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 10 सरकारी कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 2 से 30 वर्षों से परिसमापनाधीन/बन्दी के अन्तर्गत थी और इन कम्पनियों में 209.86 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण धन सन्निहित था। उनके त्वरित परिसमापन अथवा पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82(1) से बदल दिया गया।

2 राज्य सरकार का निवेश 650.14 करोड़ रूपये (अन्य - 223.36 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखे 2004-05 के अनुसार 587.70 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

3 निष्क्रिय व अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में 49.06 करोड़ रुपये की अंश आवेदन राशि मिलाकर ।

अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

1.19 31 मार्च 2005 और 2004 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋण) और उनके प्रतिशत को निम्न पाई चार्टों में इंगित किया गया है:

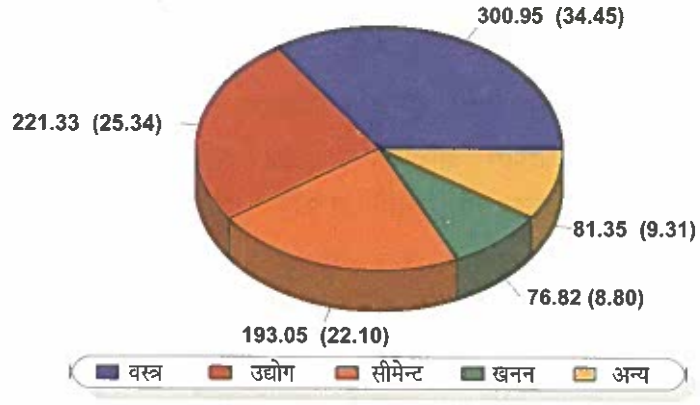
अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2005 को

राशि : करोड़ रुपये में

(कोष्ठक के आंकड़े निवेश के प्रतिशत को इंगित करते हैं)

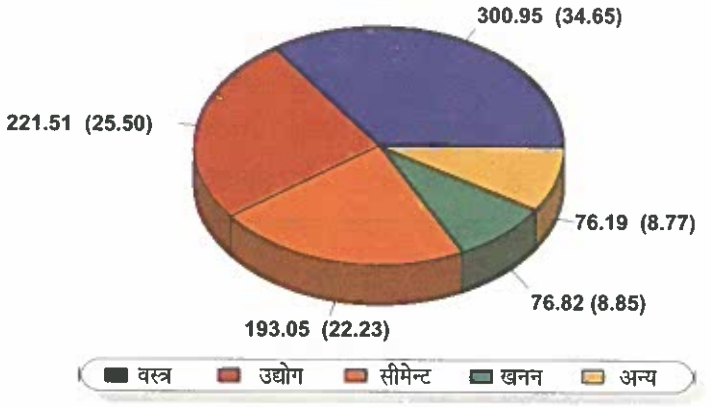
कुल निवेश - 873.50 करोड़ रुपये



31 मार्च 2004 को

राशि : करोड़ रुपये में

कुल निवेश - 868.52 करोड़ रुपये



बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

1.20 राज्य सरकार द्वारा अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकायों की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण **परिशिष्ट-1 व 3** में दिये गये हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान अंशपूँजी/ऋण/उपदान/अनुदान के रूप में कोई बजट बहिर्गमन नहीं था।

मार्च 2005 के अन्त में पाँच अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में 36.07 करोड़ रुपये अवशेष थे।

अकार्यरत पीएसयू पर कुल स्थापना खर्च

1.21 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के 2004-05 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्थापना व्यय तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	कुल स्थापना खर्च	वित्त पोषण				
			निवेश/ परिसम्पत्तियों का निस्तारण	निजी पार्टियों से ऋण	सरकार द्वारा		अन्य
					ऋण	अनुदान	
2002-03	5	0.61	0.02	-	-	-	0.59
2003-04	5	0.85	-	-	-	-	0.85
2004-05	5[1]	1.13	-	-	-	-	1.13

अकार्यरत पीएसयू द्वारा लेखे का अन्तिमीकरण

1.22 39 अकार्यरत कम्पनियों में 10 कम्पनियाँ परिसमापन के अन्तर्गत थे। 30 सितम्बर 2005 को 29 अकार्यरत कम्पनियों के लेखे 1 से 28 वर्षों तक की अवधि से बकाये में थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2** से देखा जा सकता है।

अकार्यरत पीएसयू की वित्तीय स्थिति व कार्यचालन परिणाम

1.23 अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट-2** में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार अकार्यरत सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, शुद्ध मूल्य, नकद हानि तथा संचित हानि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(करोड रुपये में)

विवरण	प्रदत्त पूँजी	शुद्ध मूल्य[2]	नकद हानि[3]	संचित हानि
अकार्यरत कम्पनियाँ	386.01	(-) 734.67	154.22	1,115.72

सांविधिक निगमों की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.24 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थित को इंगित करती है:

क्रमांक	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में नहीं रखी गयी		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने कर तिथि	विधायिका में रखने में देरी के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1999-2000	2000-01 2001-02 2002-03	09.09.2003 26.12.2003 27.10.2004	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए

[1] 39 अकार्यरत कम्पनियों में से केवल 5 कम्पनियों (परिशिष्ट-1 की कम संख्या सी-1,5,9,19 तथा सी-39) ने स्थापना खर्च का विवरण दिया।

[2] शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित निधि के योग से संचित हानि को घटाकर प्रदर्शित होती है।

[3] नकद हानि, वर्ष की हानि एवं वर्ष के मूल्य ह्रास के योग को प्रदर्शित करती है।

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 20001-02	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000 20.10.2001 25.07.2002 20.02.2004 28.01.2005	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	1997-98	1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04	27.07.2000 29.05.2001 29.04.2002 13.08.2003 16.09.2004 10.08.2005	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम*	--	1997-98 1998-99	17.08.2000 23.05.2002	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	1989-90	1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1995-96 1996-97	23.02.1998 23.02.1998 27.02.1998 19.08.1999 10.02.2003 29.01.2004	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	1994-95	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000 19.09.2001 07.02.2002 13.02.2003 27.03.2004	विभाग/निगम द्वारा कारण नहीं बताये गए

राज्य सरकार ने 9 वर्षों के अन्तराल के बावजूद भी एसएआर को विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम)। यद्यपि राज्य सरकार को सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यता है, किन्तु इसका पालन नहीं किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना**

1.25 सरकार द्वारा बनायी गयी (जून 1994) पीएसयू के निजीकरण/विनिवेश की नीति में सभी उपक्रमों (सार्वजनिक एवं जनकल्याण की गतिविधियों तथा सार्वजनिक उपादेयता के कार्य में लगे उपक्रमों को छोड़कर) जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिन्होंने अपने शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण कर लिया था, की समीक्षा का प्रावधान था।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि को संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ईसी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। ईसी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन किया गया था (नवम्बर 1998) किन्तु यह भंग कर दी गई

* लेखा परीक्षण 1997-98 से सौपा गया।

** पुनर्संरचना में पीएसयू का सम्मिलन और बन्दी सम्मिलित है।

(जनवरी 2000) और एक विनिवेश कमीशन (डीसी) का गठन किया गया (जनवरी 2000)।

विनिवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक केन्द्रीय कमेटी (सीसी) का भी गठन किया गया (जनवरी 2000)। पीएसयू के कार्य प्रणाली में सुधार, संविलयन, पुनर्संरचना निजीकरण अथवा बन्दी में सुधार के मामलों को डीसी को सन्दर्भित करने के लिए सीसी को अधिकृत किया गया। यह विचारित था कि डीसी अपनी संस्तुतियाँ सीसी को सौंपेगा।

डीसी को 27 पीएसयू का संदर्भ प्रस्तुत किया गया तथा डीसी ने इन सभी मामलों पर अपनी संस्तुतियों को दिया। सीसी ने 25 पीएसयू के मामलों पर विचार कर अपनी संस्तुतियों को सौपा। इन सभी संस्तुतियाँ को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

पुन: एक उच्च स्तरीय विनिवेश कमेटी (एचपीडीसी) का गठन किया गया (अप्रैल 2003) तथा विनिवेश का कार्य, योजना विभाग को सौपा गया।

सरकार ने सूचित (सितम्बर 2003) किया कि:

- प्रथम चरण में, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 11 चीनी मिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की 8 बीमार तथा 5 बन्द चीनी मिलों के लिये विनिवेश प्रकिया शुरू हुई।
- 27 पीएसयू, जो कि डीसी को सन्दर्भित किये गये थे, के सम्बन्ध में डीसी की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जायेगी।
- विभागों/पीएसयू से विनिवेश की सम्भावना के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही थी तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विनिवेश के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) को विनिवेश के लिये सलाहकार चुना गया है। नीतिगत मामलों के निर्णय तथा व्यवहारिक संस्तुतियाँ करने के लिये एचपीडीसी पिकप से सलाह ले रही थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम

1.26 अक्टूबर 2004 से सितम्बर 2005 की अवधि के दौरान 31 सरकारी कम्पनियों (27 कार्यरत तथा चार अकार्यरत) तथा चार सांविधिक निगमों के लेखे समीक्षा हेतु चयन किये गये। पीएसयू की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का कुल प्रभाव निम्न प्रकार रहा:

विवरण	लेखों की संख्या			लाख रुपये में		
	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत
1	2	3	4	5	6	7
(i) लाभ में कमी	5	-	1	250.71	-	25.17
(ii) हानि में वृद्धि	11	-	2	51,053.97	-	4,167.36

1	2	3	4	5	6	7
(iii) हानि में कमी	4	-	-	9,603.18	-	-
(iv) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	4	-	1	285.36	-	529.48
(v) वर्गीकरण की कमियाँ	10	2	2	19,956.03	1,171.00	1,338.75

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गयी कुछ मुख्य त्रुटियों और चूकों की चर्चा नीचे की गयी है।

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित पाई त्रुटियाँ एवं चूकें

1.27 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2003-04)

- पूँजीगत कार्य के लिए स्वीकृत ऋण पर ब्याज का पूँजीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप हानि को अधिक एवम् अचल सम्पत्ति को 9.80 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।
- 18 वर्ष से अधिक अप्राप्त, पूर्तिकर्ता/ठेकेदार को दिये गये अग्रिमों का प्राविधान न किये जाने के परिणामस्वरूप 'कैपिटल-वर्क इन प्रोग्रेस' को अधिक एवम् हानि को 94.75 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।

1.28 उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (2002-03)

- यूपीपीसीएल द्वारा 31 मार्च 2003 तक न भुगतान की गई धनराशि पर 65.91 करोड़ रुपये की धनराशि का देरी से भुगतान का अधिभार लेखों में निगम द्वारा नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदार को 65.91 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया एवं हानि को उसी सीमा तक अधिक दिखाया गया।

1.29 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2002-03)

- रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन से प्राप्त ऋण पर ब्याज का दायित्व 105.16 करोड़ रुपये का प्राविधान न किये जाने के परिणामस्वरूप हानि साथ ही साथ चालू दायित्व को 105.16 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।

1.30 कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (2001-02)

- कम्पनी द्वारा ऊर्जा क्रय करने हेतु 348.52 करोड़ रुपये के स्थान पर 291.72 करोड़ रुपये का प्राविधान, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत आपूर्तिकर्ता) के विरुद्ध किया गया। कम प्राविधान किये जाने के परिणामस्वरूप दायित्वों एवम् साथ ही साथ वर्ष हेतु हानि 56.80 करोड़ रुपये से कम दर्शायी गयी।

सांविधिक निगमों से संबंधित पाई गई त्रुटियाँ तथा चूकें

1.31 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (2002-03)

- विविध आय (62.18 करोड़ रुपये) को लाभ व हानि खाते के आय पक्ष में दिखाया गया है जिसमें (अ) यात्री सुविधा कोष (25.79 करोड़ रुपये) और (ब) बीमा रिजर्व कोष (25.79 करोड़ रुपये) के मद में प्राप्त सरचार्ज के 51.58 करोड़ रुपये सम्मिलित है। इसको आय पक्ष में दिखाने के बजाय

आर्थिक चिट्टे में 'रिजर्व एवम् फन्ड' में अलग से क्रेडिट किया जाना चाहिए था। पुनश्च: वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं के दावों के मद में 11.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जिसको कि राजस्व लेखा (लाभ व हानि खाते) में भारित किया गया जिसको कि 'बीमा रिजर्व फन्ड', जोकि इस कार्य हेतु है, मे भारित किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप हानि को 39.81 करोड़ रुपये से कम, यात्री सुविधा फन्ड को रूपये 25.79 करोड़ से कम और बीमा रिजर्व फन्ड को 14.02 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया।

पीएसयू के वित्तीय मामलों में सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली दोष

1.32 पीएसयू के वित्तीय मामलों में निम्नलिखित सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली दोषों को, लेखों के लेखा परीक्षण के समय बार-बार इंगित किया गया किन्तु अभी तक इन पीएसयू ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की:

क.सं.	सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों के नाम	अनियमितताओं के प्रकार
(1)	(2)	(3)
सरकारी कम्पनियाँ		
1.	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	(i) नकद और बैंक अवशेषों में समय समाप्त हुये चेकों का लिया जाना। (ii) उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जारी देयको के देरी से भुगतान पर अधिभार का प्राविधान न किया जाना।
2.	कानपुर इलेक्ट्रिीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड	बैंक विवरण में दर्शाये गये बैंक अवशेषों को कम्पनी द्वारा रखी गई कैश/बैंक बुक से समाधान न करना।
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	(i) हैण्डपम्प लगाने पर पर्यवेक्षक शुल्क और अदेय गुंजाइश को भारित करना। (ii) बेसिक शिक्षा परिषद एवम् अन्य एजेन्सी पर अदेय सेन्टेज को भारित करना।
4.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लिमिटेड	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड से ऋण को सुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया जा रहा है। यद्यपि यह किसी सम्पत्ति के सापेक्ष पूर्णत: या अंशत: सुरक्षित नही है।
5.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	(i) पूर्ण किये गये कार्यो की कुल कीमत में अदेय सेन्टेज का लिया जाना। (ii) पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन न करना।
6.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में सिविल कार्यो के व्यय को समाहित किया जाना जबकि प्रोजेक्ट छोड़े जा चुके थे।
7.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	क्रय शुल्क को अलग से दर्शाये जाने की बजाय विविध लेनदारो में सम्मिलित किया जाना।
8.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	(i) अप्राप्त एवम् संदेहात्मक ऋण का प्राविधान न किया जाना। (ii) ह्रास लागू किये जाने की विधि को उजागर नही करना। (iii) पूर्णकालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति न किया जाना, यद्यपि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383 ए के अन्तर्गत अपेक्षित है।

(1)	(2)	(3)
9.	दि प्रदेशीय इण्ड्स्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश	कम्पनी के 'ग्रास ब्लाक' में गायब सम्पत्ति को शामिल करना।
सांविधिक निगम		
10.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	विवादित व्यापार कर को अलग से उजागर करने की बजाय वसूली योग्य खर्चों मे सम्मिलित करना।

लेखा परीक्षा के आधार पर वसूलियाँ

1.33 2004-05 के दौरान पावर सेक्टर कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 245 मामलों में कुल 156.44 करोड़ रुपये की टैरिफ का गलत निर्धारण/निर्धारण न किया जाना/कम निर्धारण किया जाना/कम राजस्व वसूली करने में, परिलक्षित हुई। कम्पनी ने लेखा परीक्षा में दिखाये गये 130 मामलों कुल मूल्य रूपये 61.92 करोड़ की आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमें से चार लेखा परीक्षा आपत्तियों के सम्बन्ध में 1.20 करोड़ रुपये वसूला गया।

आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण

1.34 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षको (शासपत्रित लेखाकार) को उनके द्वारा लेखा परीक्षा किये गये कम्पनियों में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना, जहाँ सुधार की आवश्यकता है। तद्नुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 11 कम्पनियों के मामलों में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में खामियों को अवलोकित किया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में संभावित सुधार पर महत्वपूर्ण संस्तुतियों/टिप्पणियों की सारांश **परिशिष्ट-7** में दिया गया है। **परिशिष्ट** से यह प्रकट होता है कि मुख्य टिप्पणियाँ निम्नलिखित प्रकृति के थे:

- आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति अधिकतर सरकारी कम्पनियों के व्यापार के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं था।
- आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति विद्यमान नहीं थी।
- लेखा परीक्षा क्षेत्र एवम् प्रतिवेदन की समयावधि पर्याप्त नहीं थी।

पीएसयू की बन्दी के लिये संस्तुति

1.35 अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्षों के बाद भी 10 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ के कुल टर्नओवर (बिक्री एंव अन्य आय) अद्यतन अन्तिमकृत लेखों के अनुसार पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम रही है (**परिशिष्ट-8**)। इसी प्रकार सात कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (**परिशिष्ट-9**) लगातार पाँच वर्षों से हानि उठाती रही थी (अद्यतन अन्तिमकृत लेखों के अनुसार) जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया। क्षीण टर्नओवर और लगातार हानियों की दृष्टि से, सरकार को उपरोक्त सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में या तो सुधार करना चाहिये या उनके बन्दीकरण पर विचार करना चाहिये।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.36 30 सितम्बर 2005 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) में विचार-विमर्श हेतु लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नलिखित है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित कुल समीक्षाये एवं प्रतिवेदन		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं प्रस्तर	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1982-83	5	50	1	1
1983-84	4	60	2	-
1984-85	2	14	1	-
1985-86	6	22	1	-
1986-87	3	28	1	3
1987-88	8	23	2	5
1988-89	5	22	3	8
1989-90	6	14	-	5
1990-91	6	21	4	18
1991-92	4	38	4	33
1992-93	5	33	2	25
1993-94	5	31	4	14
1994-95	5	41	4	9
1995-96	7	39	2	20
1996-97	8	40	6	12
1997-98	5	67	3	54
1998-99	5	26	2	12
1999-2000	4	41	1	18
2000-01	5	34	2	16
2001-02	4	34	4	34
2002-03	4	38	3	37
2003-04	4	26	4	26
योग	**110**	**742**	**56**	**350**

एक अक्टूबर 2004 से 30 सितम्बर 2005 की अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने 24 बैठकें की तथा 1976-77 से 2002-03 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में उल्लिखित 22 समीक्षाओं तथा 123 प्रस्तरों पर विचार-विमर्श किया। पुनश्च: कोपू ने 13 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के आठ समीक्षा एवम् 46 प्रस्तरों पर विचार विमर्श न करने का निर्णय लिया।

619-ब कम्पनियाँ

1.37 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ब के अन्तर्गत चार कम्पनियाँ आती थी जिसमें एक कम्पनी कार्यरत थी। **परिशिष्ट-10**, इन कम्पनियों के उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी, अंशपूँजी, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

अध्याय-II

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएं

2.1 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास पर समीक्षा

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना राज्य की औद्योगिक नीति के अनुरूप राज्य में औद्योगिक संरचना के विकास को बढ़ाने के लिये मार्च 1961 में की गई। कम्पनी आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास करने एवं औद्योगिक गलियारों, विकास केन्द्रों, आईआईडीसी, एसईजेड, ईपीआईपी एवं वस्त्र व होजरी पार्क की स्थापना को सुनिश्चित करने में असफल रही; फलस्वरूप राज्य में आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.1.1, 2.1.7, 2.1.17 से 2.1.25)

लेखा परीक्षा ने यह भी देखा कि:

कम्पनी, हजीने के भुगतान में विलम्ब, भूमि के गलत वर्गीकरण व अनुपयुक्त भूमि के क्रय आदि के कारण 75.59 करोड़ रुपये के विनियोग के बावजूद भी 5,557.656 एकड़ भूमि का विकास नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की गति मन्द रही।

(प्रस्तर 2.1.9)

कम्पनी ने एक्सपोर्ट प्रोमोशन इण्डस्ट्रियल पार्क, कासना, के आधारभूत संरचना के निर्माण पर स्वीकृत लागत से 8.60 करोड रुपये का अधिक व्यय किया जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया, यद्यपि योजना बन्द हो गयी।

(प्रस्तर 2.1.24)

कम्पनी अपने कैप्टिव पावर प्लांट को चालू नहीं कर सकी जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के वायदे को 25.28 करोड़ रुपये व्यय के उपरान्त भी पूर्ण नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 2.1.26)

कम्पनी ने 31.41 करोड़ रुपये मूल्य के 1,14,926.25 वर्गमीटर अतिक्रमित भूखण्डों को मुक्त कराने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया।

(प्रस्तर 2.1.31)

कम्पनी ने, दो अति द्रुतगामी व तीन द्रुतगामी औद्योगिक क्षेत्रों में, 64 भूखण्डों को आबंटियों द्वारा पांच से 30 वर्षों से अधिक की अवधि तक उपयोग न किये जाने के बावजूद निरस्त नहीं किया गया, फलस्वरूप क्षेत्र में औद्योगिक वृद्धि के संवर्धन में देरी हुई इसके अतिरिक्त 5.33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व का अर्जन नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 2.1.34)

कम्पनी आबंटियों से 1.57 करोड़ रुपये की धनराशि का स्थानान्तरण शुल्क वसूल नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 2.1.35)

प्रस्तावना

2.1.1 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का निगमन 25 मार्च 1961 को पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में राज्य में औद्योगिक विकास वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी, राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों व आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के विकास के लिये स्तरवार अधोलिखित कार्यकलाप निष्पादित करती है:

- भूमि का अधिग्रहण
- आधारभूत संरचना का विकास
- औद्योगिक क्षेत्रों का संचालन

कम्पनी का प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रबंध निदेशक एवं एक अंशकालिक अध्यक्ष सहित 14 निदेशकों के निदेशक मंडल में निहित है। प्रबंध निदेशक कम्पनी का मुख्य अधिशाषी है व कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख मुख्यालय पर एक संयुक्त प्रबंध निदेशक, एक सामान्य प्रबंधक, एक वित्त नियंत्रक, एक मुख्य अभियंता (परियोजना) व एक मुख्य अभियंता (औद्योगिक क्षेत्र) की सहायता से करता है।

वर्ष 2004-05 तक विगत पांच वर्षों में, सरकारी दिशा निर्देशों (1979) के अनुसार न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के विरुद्ध दो से 38 माह की अवधि तक पाँच अधिकारी प्रबंध निदेशक के पद पर रहे। प्रबंध निदेशकों के बार-बार परिवर्तन होने से कम्पनी के क्रियाकलापों के नियोजन, कार्यान्वयन एवं अनुसरण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका।

कम्पनी के क्रियाकलापों का निष्पादन पर विगत समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक के 31 मार्च 1999 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल किया गया था जिस पर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा अद्यतन चर्चा नहीं की गई है (सितम्बर 2005)।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.2 दिसम्बर 2004 से अप्रैल 2005 की अवधि में सम्पादित वर्तमान समीक्षा में, 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों एवं आधारभूत औद्योगिक संरचनाओं के विकास के सम्बन्ध में कम्पनी का निष्पादन आच्छादित है।

कम्पनी में एक डिजाइन एवं नियोजन, नौ[1] निर्माण खण्ड, दो[2] विद्युत खण्ड एवं 11[3] क्षेत्रीय कार्यालय है।

लेखा परीक्षा ने मुख्यालय एवं सात[4] निर्माण खंड, दो[5] विद्युत खंड एवं छः[6] क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों का परीक्षण किया।

[1] लखनऊ (2 खंड), कानपुर (2 खंड) गाजियाबाद (2 खंड), ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद), मुरादाबाद आगरा।
[2] कानपुर एवं ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद)।
[3] कानपुर, लखनऊ, ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद), गाजियाबाद, सूरजपुर, मेरठ, बरेली, अलीगढ, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा।
[4] लखनऊ (2 खंड), कानपुर, गाजियाबाद (दो) ट्रोनिका सिटी एवं मुरादाबाद।
[5] कानपुर एवं ट्रोनिका सिटी।
[6] गाजियाबाद, ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद), सूरजपुर (गौतमबुद्ध नगर), कानपुर, गोरखपुर एवं इलाहाबाद।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.1.3 लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य उस सीमा का आंकलन करना है जहाँ तक कि कम्पनी राज्य के विभिन्न भागों में औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास की गति को बढ़ाने में सक्षम रही। इस उद्देश्य हेतु, लेखा परीक्षा ने विश्लेषण किया कि क्या:

- कम्पनी ने भूमि का अधिग्रहण, आधारभूत संरचना का विकास दक्षतापूर्वक, मितव्ययिता पूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से किया;
- भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 एवं भूमि अध्याप्ति (करार नियमावली), 1997 के भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन किया गया;
- आधारभूत संरचना के विकास में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया गया;
- आधारभूत संरचना की परियोजनाएं कम्पनी द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किए गये;
- सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.1.4 लेखा परीक्षा कसौटी में कम्पनी द्वारा राज्य में आधारभूत संरचना के विकास हेतु बनायी गयी निम्नलिखित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का परीक्षण एवं विश्लेषण शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण, विकास के लक्ष्य का निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति;
- औद्योगिक क्षेत्रों में आन्तरिक एवं बाह्य आधारभूत संरचना सुविधाओं का विकास;
- औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं का विकास;
- औद्योगिकीकरण की गति के संदर्भ में विकसित भूखण्डों के विपणन का मूल्यांकन।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.1.5 लेखा परीक्षा निष्कर्ष के लिए निम्न कार्यविधि अपनायी गया:

- राज्य की औद्योगिक नीति, निदेशक मंडल के एजेंडा एवं कार्यवृत्तियाँ, वार्षिक प्रतिवेदनों, निर्माण एवं आबंटन नियमावलियों, परियोजना प्रतिवेदनों एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्याओं का अध्ययन;
- भूमि अधिग्रहण के अभिलेखों, औद्योगिक क्षेत्रों के लेआउट, प्राक्कलनों, निविदाओं, अनुबन्धों एवं सिविल एवं विद्युत निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए माप पुस्तिकाओं का परीक्षण एवं विश्लेषण;
- कम्पनी के मुख्यालय व बाह्य कार्यालयों में भूखण्डवार पंजिकाओं, आबंटन पंजिकाओं, भूखण्डों के बहाली एवं हस्तान्तरण का परीक्षण;

- प्रक्रियाओं का विश्लेषण यह आंकलित करने के लिए कि कम्पनी ने कहाँ तक राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं उससे रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को पूर्ण किया।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.1.6 कम्पनी द्वारा औद्योगिक आधारभूत संरचनाओं पर समीक्षा के फलस्वरूप प्रकाश में आयी लेखा परीक्षा आपत्तियों को प्रबन्धन/सरकार को मई 2005 में प्रेषित किया गया था एवं 25 जुलाई 2005 को आहूत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई। राज्य सरकार के अनुसचिव व कम्पनी के वित्त नियंत्रक बैठक में उपस्थित रहे। कम्पनी ने विस्तृत उत्तर भी दिये जिसे समीक्षा को अन्तिम रूप दिये जाते समय विचार किया गया था।।

क्रियाकलाप वार लेखा परीक्षा परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

राजकीय औद्योगिक नीति

2.1.7 आधारभूत संरचना के विकास हेतु राजकीय औद्योगिक नीति, 1998 में तीन तरह की योजना पर किया गया है:

- निजी क्षेत्र की सहभागिता के द्वारा आधारभूत संरचना का विकास;
- चयनित भौगोलिक गलियारों का उच्च कोटि की आधारभूत संरचना सुविधाओं से युक्त, समग्र एवं तीव्र विकास;
- वर्तमान आधारभूत संरचना सुविधाओं का उच्चीकरण।
- लेखा परीक्षा विश्लेषण से यह उद्घटित हुआ कि कम्पनी, आधारभूत संरचना के विकास की नोडल एजेंसी होते हुए भी पूर्वोक्त नीतियों के अनुपालन में असफल रही जैसा क्योंकि:
- कम्पनी ने आधारभूत संरचना के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता नहीं समाहित की; एवं
- मार्च 2005 तक औद्योगिक गलियारे स्थापित नहीं हुए।

भूमि अधिग्रहण

2.1.8 कम्पनी, भूमि का अधिग्रहण ग्राम समाज एवं निजी कास्तकारों से, भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 (एलएए) एवं भूमि अधिग्रहण (करार नियमावली), 1997 (एलएकेएन) के प्रावधानों के अन्तर्गत करती है।

कम्पनी ने 31 मार्च 2005 तक 48,733 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जिसके विरुद्ध 42,529 एकड़ भूमि का विकास किया।

निम्न तालिका में 2004-05 तक के पाँच वर्षों में, वर्ष के प्रारम्भ में विकास के लिए उपलब्ध भूमि, वर्ष के दौरान अधिगृहीत एवं विकसित भूमि एवं वर्ष के अन्त में विकास के लिए उपलब्ध भूमि दर्शित है:

(भूमि एकड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1	वर्ष के प्रारम्भ में विकास के लिए उपलब्ध भूमि	3638	4037	4826	6011	6227	24739
2.	कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित लक्ष्य	800	1000	1000	1000	1100	4900
3	वर्ष के दौरान अधिग्रहीत भूमि	928	1474	2038	1086	1002	6528
4	कुल उपलब्ध भूमि (1+3)	4566	5511	6864	7097	7229	31267
5	वर्ष के दौरान विकसित भूमि	529	685	853	870	1025	3962
6	वर्ष के अन्त में विकास के लिए उपलब्ध भूमि (4-5)	4037	4826	6011	6227	6204	27305
7.	भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य पर प्रतिशत (3/2)	116	147	204	109	91	133
8.	विकसित भूमि का विकास के लिए उपलब्ध भूमि पर प्रतिशत (5/4)	12	12	12	12	14	13

लेखा परीक्षा विश्लेषण से निम्न परिलक्षित हुये:

- कम्पनी ने 2004-05 तक पाँच वर्षों में, इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में उसके पास 3,638 से 6,227 एकड़ तक पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी, 98 से 2038 एकड भूमि का अर्जन किया। आवश्कता से अधिक भूमि के अर्जन से न केवल कम्पनी का धन अवरुद्ध रहा वरन् इससे राज्य में औद्योगीकरण की गति भी प्रभावित हुई।
- 2004-05 तक पाँच वर्षों में, निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण की प्रतिशतता 91 से 204 प्रतिशत रही जबकि विकास के लिए कुल उपलब्ध भूमि से विकसित भूमि की प्रतिशतता 12 से 14 प्रतिशत रही। यह इंगित करता है कि लक्ष्य का निर्धारण मांग व आवश्यकता के अनुरूप नहीं थे एवं औद्योगीकरण की गति भूमि अधिग्रहण के अनुरूप नहीं थी।
- कम्पनी ने भूमि अधिग्रहण पंजिकाओं को, औद्योगिक क्षेत्रवार भू-अधिग्रहण, हरजाने का भुगतान, भूमि के कब्जे का दिनांक, जिलाधीश द्वारा अन्तिम निर्णय का दिनांक उस पर भूमि विकास दर्शाते हुए, अद्यतन नहीं किया।

अवरुद्ध निधि

2.1.9 कम्पनी 75.59 करोड़ रुपये के विनियोजन के बावजूद 5,557.656 एकड़ भूमि (अधिग्रहीत भूमि: 852.15 एकड़ एवं अधिग्रहण न की हुई परन्तु जिसके लिए भुगतान कर दिया गया: 4,705.501 एकड़) का विकास नहीं कर सकी। विकास न कर सकने के प्रमुख कारण थे एलएए के अन्तर्गत वांछित पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध न करा पाना, एलएकेएन के अन्तर्गत भू-स्वामियों से भूमि दर का सौदा न कर पाना, हरजाने के भुगतान में विलम्ब, भूमि का गलत वर्गीकरण एवं अनुपयुक्त भूमि का क्रय आदि। इसके फलस्वरूप, राज्य में औद्योगीकरण की गति धीमी रही जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

अपूर्ण प्रस्ताव जमा करना

11 जिलों में, 3,800.971 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। फलस्वरूप 27.24 करोड़ रुपये अवरूद्ध रहा।

2.1.10 राज्य के 11 जिलों में, कम्पनी ने 3,800.971 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए एलएए की धारा 4 के अन्तर्गत वांछित सम्बन्धित जिलाधीशों (डीसी) को पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया तथा औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट-11** में विवरण दिया गया है। फलस्वरूप, एलएए की धारा 4/17 के अधीन भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारम्भिक नोटिफिकेशन भी निर्गत नहीं किए जा सके। भूमि का अधिग्रहण मार्च 2005 तक नहीं हो सका और भुगतान करने के एक वर्ष बाद तीन से 120 माह का विलम्ब हुआ। फलस्वरूप, कम्पनी द्वारा अधिग्रहण के लिए मार्च 1994 से दिसम्बर 2003 तक भुगतान की गई 27.24 करोड़ रुपये की धनराशि अवरूद्ध रही।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2005) कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए लगभग एक वर्ष का समय आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देरी की गणना एक वर्ष का समय निकाल कर किया गया था।

2.1.11 कम्पनी, बुलन्दशहर जिला के बोधा गाँव में चोला औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु 384.57 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए डीसी को सही सूचना उपलब्ध नहीं करा सकी एवं धारा 4/17 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना तीन वर्ष बिलम्ब (जुलाई 2002) से निर्गत हो सकी। कम्पनी ने, पुन: 3.01 करोड़ रुपया सितम्बर 2003 में जमा किया परन्तु अधिनियम की धारा 6/17 के अन्तर्गत अधिसूचना अप्रैल 2005 में निर्गत हो सकी। इससे भूमि अधिग्रहण में विलम्ब हुआ और औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी नहीं किया सका।

भू-स्वामियों से सौदा

519.96 एकड़ भूमि का कब्जा नही प्राप्त हो सका फलस्वरूप 9.60 करोड़ रुपये का विनियोग निष्क्रिय रहा

2.1.12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड), भदोही की स्थापना हेतु 519.96 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए कम्पनी ने आंकलित हर्जाने के सापेक्ष में 9.60 करोड़ रुपया जमा किया (जुलाई व अक्टूबर 2002)। कम्पनी, तथापि, एलएकेएन की धारा 2 के अन्तर्गत भूस्वामियों से सौदे बाजी करके भूमि की दर का निर्धारण नहीं कर सकी एवं अन्तिम निर्णय के लिए डीसी को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकी। फलस्वरूप, मार्च 2005 तक 519.96 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप 9.60 करोड़ रुपये का विनियोग निष्क्रिय एवं एसईजेड अनस्थापित रहा।

हर्जाना जमा करनें में विलम्ब

2.1.13 शाहबाजपुर, बुलन्दशहर एवं चंदौली जिलों में, कम्पनी ने क्रमश: 170.125 एकड़ एवं 144.92 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु सम्बन्धित डीसी को हर्जाने की पूर्ण धनराशि का भुगतान कब्जे के दिनांक (मार्च/जुलाइ 2002) तक नहीं किया फलत:, एलएए की धारा 34 के अन्तर्गत 71.93 लाख रुपये की ब्याज का दायित्व हो गया।

भूमि अधिग्रहण हेतु डीसी द्वारा अन्तिम निर्णय भी नहीं दिया गया जिससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हुआ एवं कम्पनी द्वारा हर्जाने के रूप में भुगतान की गई 4.75 करोड़ रुपये की धनराशि भी अवरूद्ध रही।

भूमि का गलत वर्गीकरण

21.68 करोड़ रुपये विनियोजन के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सका।

2.1.14 कम्पनी ने, गौतमबुद्ध नगर जिले के गुलिस्तॉपुर में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 199.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण करने के लिए, अक्टूबर 1996 से अप्रैल 2002 के मध्य 21.68 करोड़ रुपया डीसी के पास जमा किया। कम्पनी ने, पुस्तैनी एवं गैर पुस्तैनी में वर्गीकरण किये बिना, सम्पूर्ण भूमि को पुस्तैनी मानते हुए भूस्वामियों से अनुबन्ध कर लिया (अप्रैल 2001) एवं 203.55 रुपये प्रति गज की दर से भुगतान कर दिया। परिणामस्वरूप, भूस्वामियों को हुए अधिक भुगतान का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका। यह देखा गया कि 21.68 करोड़ रुपये के विनियोजन के बावजूद, औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी नहीं किया जा सका।

अनुपयुक्त भूमि का क्रय

2.1.15 सरकार ने सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ (सीडीएफ) की 155.70 एकड़ भूमि का हस्तांतरण कम्पनी को 7.03 करोड़ रुपये की लागत पर करने के लिए इस शर्त के साथ अनुमोदित किया (नवम्बर 2001) कि भूमि का आबंटन बधशाला को नहीं किया जायेगा। उपरोक्त शर्त की पूर्ण जानकारी होते हुये भी, कम्पनी ने उक्त भूमि पर बोवाइन मीट के एक्सपोर्ट प्रोमोशन के लिये एग्री एक्सपोर्ट जोन की स्थापना करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2001) एवं सीडीएफ को 5.47 करोड़ रुपये का भुगतान किया किन्तु मात्र 144.29 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त किया। भूमि मार्च 2005 तक अनुपयोगी पड़ी थी क्योंकि कम्पनी बधशाला की स्थापना न करने की शर्त को सरकार से शिथिल नहीं करा पायी। इस प्रकार, मार्च 2002 से 5.47 करोड़ रुपये की धनराशि अवरुद्ध रही एवं 11.41 एकड़ अधिक भूमि (155.70 एकड़ घटाया 144.29 एकड़) के लिए किए गये भुगतान की 40.18 लाख रुपये की धनराशि मार्च 2005 तक सीडीएफ से वापस प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अनुपयुक्त भूमि चयन के कारणएग्री एक्सपोर्ट जोन की स्थापना करने में असफल रही।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2005) कि भूमि का क्रय सरकार द्वारा शर्त शिथिल कर दिये जाने की प्रत्याशा में किया गया था एवं 40.18 लाख रुपये की वापसी के लिये प्रकरण सीडीएफ के पास ले जाया गया। प्रबंधन का मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी का अनुपयुक्त भूमि क्रय करने का निर्णय न्यायसंगत नहीं था।

3.84 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध होने के अतिरिक्त अनुपयुक्त भूमि क्रय के लिए 2.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

2.1.16 कम्पनी ने गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड (जीएसीएल) से 95.40 एकड़ भूमि का क्रय (मार्च 1999) 2.07 करोड़ रुपये की लागत पर किया जो तत्समय प्रचलित भूमि के मूल्य से 68.00 लाख रुपये अधिक था। भूमि कम्पनी के अधिकारियों के इस मत के बावजूद क्रय कर ली गयी कि यह चौकोर न होने व मुख्य सड़क से जुड़ी न होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए अनुपयुक्त थी। पुनः, कम्पनी ने 1.77 करोड़ रुपये की लागत पर उक्त भूमि से सटी 97.56 एकड़ अतिरिक्त भूमि का क्रय, भूमि को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने योग्य बनाने के लिये, किया (मार्च 2004) किन्तु अदालत के स्थगनादेश के कारण अधिगृहीत नहीं कर सकी एवं औद्योगिक क्षेत्र मार्च 2005 तक अविकसित

रहा। इस प्रकार, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये अनुपयुक्त निजी भूमि क्रय करने के कारण, कम्पनी ने 2.45 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया। इसके अतिरिक्त, 3.84 करोड़ रुपये का विनियोजन छः वर्षो से अधिक अवधि से अवरुद्ध पड़ी रही (सितम्बर 2005)।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2005) कि भूमि का क्रय सरकार के आदेश (मार्च 1998) के अनुपालन में किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने स्वयं भूमि क्रय करने का प्रस्ताव दिया था जिसे सरकार ने अनुमति प्रदान की थी एवम् कम्पनी ऐसी भूमि, जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए अनुपयुक्त थी, को क्रय करने के लिये बाध्य नहीं थी।

आधारभूत संरचना का विकास

2.1.17 औद्योगिकीकरण में आधारभूत संरचना की अहम् भूमिका होती है। उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है क्योंकि यह पूँजी की उत्पादकता में वृद्वि तथा उत्पादन व विपणन लागत में कमी लाती है। राज्य की औद्योगिक नीति भी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना के विकास पर बल देती है। नीति का प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित करना था।

वर्तमान में, कम्पनी राज्य में 155 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने में लगी है जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित चार विकास केन्द्रों (जीसी), सात इन्टीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेन्टर (आईआईडीसी) एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड), दो एक्सपोर्ट प्रोमोशन इण्डस्ट्रियल पार्क (ईपीआईपी), एवं एक टेक्सटाइल होजरी पार्क का विकास शामिल है।

आधारभूत संरचना के विकास में सडकों, नालियों, पुलियों, सामान्य सुविधा केन्द्र एवं बिजली व पानी की सुविधाओं आदि का निर्माण शामिल है।

भूमि विकास के लिए लक्ष्य एवम् उपलब्धियाँ

2.1.18 निम्न तालिका भूमि विकास के लक्ष्य तथा उनके विरुद्ध 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षो के दौरान उपलब्धियाँ दर्शाती है:

वर्ष	भूमि का विकास (एकड़ में)		आधिक्य (+)/कमियाँ (-) (एकड़ में)	विकसित भूमि का आबंटन (एकड़ में)	आबंटन का विकसित भूमि से प्रतिशत
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ			
2000-01	500	529	(+) 29	540.22	102.12
2001-02	680	685	(+) 5	157.07	22.93
2002-03	853	853	0	415.56	48.72
2003-04	840	870	(+) 30	461.20	53.01
2004-05	1102	1025	(-) 77	301.47	29.41
योग	**3975**	**3962**	**(-) 13**	**1875.52**	**47.34**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने वर्ष 2003-04 तक प्रत्येक वर्षो में भूमि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था, विकसित भूमि पर आबंटन की प्रतिशतता 2001-02 से 2004-05 के दौरान 22.93 से 53.01 प्रतिशत के मध्य रही। यह संकेत देता है कि भूमि विकास का लक्ष्य, मांग एवं औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया। विकसित भूमि की कम मांग का मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रों में उचित आधारभूत संरचनाओं एवं सामान्य सुविधाओं का विकास न होना था जैसाकि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

विकास केन्द्रों की स्थापना

2.1.19 केन्द्र सरकार ने देश भर में 100 जीसी स्थापित करने का निर्णय (जून 1988) लिया। इन जीसी को बिजली, पानी, दूरसंचार, बैंकिंग आदि जैसी आधारभूत संरचना की सुविधा से सम्पन्न पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए चुम्बक का कार्य करना था।

कम्पनी ने बिजौली, शाहजहांपुर, दिबियापुर, मुरादाबाद एवं खुर्जा में पांच जीसी के विकास का कार्य प्रारम्भ किया। मुरादाबाद जीसी को एसईजेड में बदल दिया गया था तथा खुर्जा जीसी को जैनपुर (कानपुर) में स्थानान्तरित (जून 2003) कर दिया गया था।

विकास केन्द्रों के विकास में देरी

2.1.20 मार्च 2005 तक सभी चार विकास केन्द्रों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न तालिका में दी गयी है:

क्रम संख्या	विवरण	बिजौली	शाहजहाँपुर	जैनपुर	दिबियापुर	योग
1.	स्वीकृति का दिनांक	23.3.93	17.2.93	27.6.03	18.2.98	
2.	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	18.85	16.22	18.99	19.50	73.56
	वित्तीय पद्धति (करोड़ रुपयें मे)					
3.	केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंश	9.43	8.11	9.49	9.75	36.78
	कम्पनी का अंश	9.42	8.11	9.50	9.75	36.78
	वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपये में)					
4.	केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त धन	9.18	6.89	10.75	5.43	32.25
5.	प्राप्त इक्विटी से व्यय	9.18	6.89	10.75	5.43	32.25
6.	स्व निधि से व्यय	0.90	3.67	10.63	2.31	17.51
7.	कुल व्यय	10.08	10.56	21.38	7.74	49.76
	भौतिक प्रगति					
8.	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि (एकड़ में)	397.69	311.65	351.25	400.00	1460.59
9.	अधिगृहीत भूमि (एकड़ में)	385.04	310.92	331.07	331.58	1358.08
10.	विकसित किये जाने वाले कुल भूखण्ड (संख्या)	276	339	936	208	1759
11.	विकसित भूखण्ड (संख्या)	90	97	462	शून्य	649
12.	आवंटित भूखण्ड (संख्या)	21	43	293	शून्य	357
13.	भूखण्डों का उपयोग (संख्या)	शून्य	7	शून्य	शून्य	7

इस सम्बन्ध में निम्न देखा गया:

- कम्पनी द्वारा बनाये गयी परियोजना प्रतिवेदनों के अनुसार, इन जीसी को स्वीकृति के दिनांक से चार वर्षों के अन्दर पूर्णरूपेण विकसित किया जाना था। बिजौली, शाहजहांपुर एवं दिबियापुर जीसी में विकास 7 से 12 वर्षों के बाद भी अत्यंत क्षीण रहा।
- कम्पनी ने जीसी के विकास कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। लेखा परीक्षा विश्लेषण में परिलक्षित हुआ कि कार्य सौंपने में विलम्ब, ठेकेदारों द्वारा विकास कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने, एवं कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण के अभाव के कारण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

दयनीय आबंटन एवं आबंटित भूखण्डों में औद्योगिक इकाइयों की अनस्थापना, आधारभूत बाह्य एवं आन्तरिक सुविधाओं का अविकसित होना था।

- सभी चारों जीसी में, 1,759 भूखण्डों के परियोजित विकास के विरुद्ध मार्च 2005 तक 649 भूखण्ड ही विकसित किये जा सके, जिनमें से मात्र 357 भूखण्ड आबंटित किये गये। आवंटित भूखण्डों में, आबंटियों द्वारा औद्योगिक इकाईयाँ लगाने के लिये मात्र 7 भूखण्डों का उपयोग किया गया। भूखण्डों के आबंटन एवं उपयोग की दयनीयता का प्रमुख कारण सरकार की योजना एवं परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित आंतरिक एवं बाह्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का विकास न किया जाना था।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अपने अंश 36.78 करोड़ रुपये के विरुद्ध मात्र 32.25 करोड़ रुपये ही अवमुक्त किये। शेष 4.53 करोड़ रुपया (केन्द्र सरकार: 3.05 करोड़ रुपया एवं राज्य सरकार: 1.48 करोड़ रुपया) सरकारों द्वारा विकास कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अवमुक्त नहीं किया गया।
- दिबियापुर जीसी में विकास कार्य भूस्वामियों के विरोध एवं अड़चन के कारण वर्ष 2003 से अवरुद्ध रहा इसके बावजूद कम्पनी ने जनवरी 2005 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडकों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण पर 67 लाख रुपया व्यय किया जिसका प्रावधान परियोजना के स्वीकृत प्राक्कलन में नहीं था। क्रमश: 7.44 लाख रुपये एवं 5.14 लाख रुपये की लागत से निर्मित सामान्य सुविधा केन्द्र की इमारत एवं पुलिस चौकी वर्ष 2003 से अनुपयोगी पड़े रहे।
- कम्पनी ने विकास कार्य पर स्वीकृत लागत से 5.15 करोड़ रुपया अधिक व्यय किया, जैसा कि निम्न वर्णित है, जिसके लिए पुनरीक्षित स्वीकृति केन्द्र सरकार से नहीं प्राप्त की गयी (सितम्बर 2005)।

(करोड़ रुपये में)

जीसी का नाम	व्यय की मद	स्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
शाहजहाँपुर	स्थल विकास आदि	7.07	9.10	2.03
जैनपुर	सीवर लाइनों का बिछाना व जोड़ना	1.22	2.36	1.14
दिबियापुर	भूमि अधिग्रहण	1.60	3.58	1.98
योग		**9.89**	**15.04**	**5.15**

आंतरिक एवं बाह्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के पूर्ण न होने के कारण, जीसी की स्थापना में असाधारण विलम्ब हुआ। फलस्वरूप, पिछड़े क्षेत्र में

औद्योगिक विकास के साथ ही क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य पूर्ण नहीं किये जा सके एवं 49.76 करोड़ रुपये का विनियोजन भारी रूप से अनुत्पादक रहा (649 में से मात्र सात भूखण्ड उपयोग में थे)

विकास केन्द्र, खुर्जा का विकास

विवादित भूमि पर 2.10 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी हो गया।

2.1.21 केन्द्र सरकार ने 39.62 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से खुर्जा में एक जीसी स्वीकृत (मार्च 1993) किया। कम्पनी ने 3.77 करोड़ रुपये की लागत पर 196.46 एकड़ भूमि अधिगृहीत (1994-95) किया। लेखा परीक्षा ने पाया कि यद्यपि हर्जाने से सम्बन्धित भूस्वामियों से विवाद के कारण अड़चनें थीं; कम्पनी ने भूमि पर विकास कार्य प्रारम्भ (मई 1995) कर दिया और मार्च 2002 तक 2.10 करोड़ रुपये व्यय कर दिया। बाद में जून 2003 में, केन्द्र सरकार ने जीसी, खुर्जा को जिला कानपुर के जैनपुर में स्थानान्तरित करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, विवादित स्थल पर विकास कार्य करने की गलत योजना के कारण 2.10 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि यद्यपि जीसी, खुर्जा के हर्जाने का विवाद न्यायालय में विचाराधीन था, हाईकोर्ट का निर्णय पक्ष में होने की प्रत्याशा में जीसी, खुर्जा का विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2001 में न्यायालय द्वारा हर्जाने की उच्च दर निर्णीत होने के कारण यह परियोजना वित्तीय रूप से अलाभकारी हो गई और इसीलिये इसे जैनपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब भूमि हर्जाने का मामला न्यायालय के विचाराधीन था, भूमि विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये था।

इण्टीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना

2.1.22 लघु, छोटी एवं ग्रामीण उद्योगों को बढावा देने व सशक्त बनाने के लिए, नीति उपायों का अनुसरण करते हुए केन्द्र सरकार ने ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों हेतु एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) की योजना की घोषणा (अगस्त 1991) रोजगार-अवसर के सृजन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के साथ कृषि एवं उद्योग में सम्बन्ध बनाने के उद्देश्य से की। योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक आईआईडीसी को 5 करोड़ रुपये की लागत से 50 एकड़ क्षेत्र में 200 वर्गमीटर के 250 भूखण्ड व 300 वर्ग मीटर के 200 भूखण्ड को सम्मिलित करते हुए विकसित किया जाना था।

कम्पनी ने राज्य में सात* आईआईडीसी विकसित करने का कार्य आरम्भ किया। वर्ष 2005 तक उनकी प्रगति निम्न तालिका में दी गयी है:

क्रम संख्या	विवरण	बागपत	एटा	कोसी कोटवन	बन्थर	रामनगर	मसौरी गुलावरी	कुर्सी रोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	स्वीकृति का दिनांक	10.12.01	25.3.97	26.6.96	20.6.96	18.6.02	10.12.01	10.12.01
2.	पूर्ण होने की तिथि	10.5.03	25.3.99	26.6.98	26.6.98	10.12.03	10.5.03	10.5.03
3.	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	5.48	5.01	7.00	5.50	5.67	5.09	5.06

*बागपत, एटा, कोसी कोटवन, बन्थर, रामनगर, कुर्सी रोड एवं मसौरी गुलावटी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	वित्तीय साधन							
(अ)	सरकारी अनुदान (करोड़ रुपये में)	2.00	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
(ब)	कम्पनी का अंश (करोड़ रुपये में)	3.48	3.21	5.00	3.50	3.67	3.09	3.06
5.	प्राप्त अनुदान (करोड़ रुपये में)	1.09	1.69	1.62	1.83	1.00	0.84	0.67
6.	कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	6.84	4.92	6.72	6.10	0.01	4.03	5.02
7.	भूमि जो अधिग्रहीत की जानी थी (एकड़ में)	50	50	50	50	50	50	50
8.	अधिग्रहीत भूमि (एकड़ में)	67.20	50.00	50.60	उपलब्ध नहीं	शून्य	50.00	50.00
9.	कुल भूखण्ड जो विकसित किये जाने थे (संख्या)	450	450	450	450	450	450	450
10.	विकसित भूखण्ड (संख्या)	249	353	444	264	शून्य	135	123
11.	आबंटित भूखण्ड (संख्या)	13	297	370	264	शून्य	शून्य	47
12.	उपयोग किए गयेइ भूखण्ड (संख्या)	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	वर्तमान स्थिति	प्रगति पर	पूर्ण (जून 2001)	पूर्ण (जून 2001)	पूर्ण (जनवरी 2004)	प्रगति पर	प्रगति पर	प्रगति पर

इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा के दौरान निम्न बिन्दु पाये गये है:

- योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक आईआईडीसी 5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाना था जब कि कम्पनी ने प्रत्येक आईआईडीसी की प्राक्कलित लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक (5.01 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये के मध्य) स्वीकृत की जिसके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।
- बागपत आईआईडीसी में, कम्पनी ने, परियोजित 50 एकड़ क्षेत्र में 200 से 300 वर्गमी0 आकार के 450 भूखण्डों के विरुद्ध 67.20 एकड़ भूमि में 450 से 1800 वर्गमी0 आकार के 249 भूखण्ड विकसित किया। 17.20 एकड़ भूमि में 11.70 लाख रुपये मूल्य के अधिक विकास करने का औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, खाद्य एवं कृषि, सूती वस्त्र, काष्ठ वस्तुएं, होजरी, चमड़े के उत्पादन इत्यादि की, लगभग 5,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली 396 इकाइयाँ स्थापित की जानी थीं। परन्तु मार्च 2005 तक कोई इकाई स्थापित नहीं हो सकी।
- आईआईडीसी एटा, कोसी, कोटवन निर्धारित तिथि से दो से पाँच वर्ष विलम्ब से पूर्ण हुए। कोसी कोटवन को छोड़कर सभी आईआईडीसी में भूखण्डों का उपयोग शून्य था जिसके लिए न तो कम्पनी ने कारणों का विश्लेषण किया न ही, जहाँ लागू हो, भूखण्डों को निरस्त किया।
- आईआईडीसी एटा में, यद्यपि सभी 353 भूखण्ड 2000-2001 के दौरान आबंटित कर दिये गये, कोई भी इकाई स्थापित नहीं हो सकी। इन 353 भूखण्डों में से 56 भूखण्ड मार्च 2005 तक आबंटियों द्वारा वापस कर दिये गये थे। कम्पनी ने, तथापि, सुधारात्मक कार्यवाही के लिए इकाईयाँ स्थापित न होने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

- रामनगर आईआईडीसी को दिसम्बर 2003 तक पूर्ण किया जाना था। इसकी प्रगति भूमि अधिग्रहण न होने के कारण मार्च 2005 तक अवरुद्ध रही। इसलिए, केन्द्र सरकार से प्राप्त एक करोड़ रुपये का अनुदान बिना उपयोग के पड़ा रहा।
- मसौरी गुलावटी आईआईडीसी में, निर्धारित 200 से 300 वर्गमी0 आकार के विरुद्ध 135 बड़े आकार वाले (450 से 1,000 वर्गमी0) भूखण्ड विकसित किये गये। कोई भूखण्ड आबंटित नहीं हो सके। पुन:, कम्पनी दो करोड़ स्वीकृत अनुदान के विरुद्ध मात्र 84 लाख रुपये का अनुदान कार्य की धीमी गति के कारण प्राप्त कर सकी।
- कम्पनी ने स्वीकृत लागत से अधिक व्यय, निम्न विवरण के अनुसार, किया जो अद्यतन (मार्च 2005) नियमित नहीं कराये गये:

(करोड़ रुपये में)

आईआईडीसी का नाम	मद	स्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
बागपत	स्थल विकास इत्यादि	3.20	4.05	0.85
एटा	स्थल विकास इत्यादि	2.36	3.94	1.58
कोसी कोटवन	ले आऊट में लगातार बदलाव	2.23	4.01	1.78
योग		7.79	12.00	4.21

- आईआईडीसी की स्थापना में विलम्ब के फलस्वरूप, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं छोटी इकाइयों के स्थापित किये जाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, परियोजना में विचारित 47,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

पूर्वोक्त आईआईडीसी के स्थापित न होने के निम्न कारण थे:

- योजना में निर्धारित आकार से बड़े आकार के भूखण्डों का विकास।
- विकास कार्य का धीमा क्रियान्वयन।
- सामान्य/वाणिज्यिक सुविधाओं की स्थापना न होना।
- भूमि का अधिग्रहण न करना।
- प्रगतिशील विपणन का अभाव।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2005) कि परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित समय सीमा मात्र अनुमानित समय था। आईआईडीसी बागपत में, क्षेत्रीय स्तर पर किये गये आंकलन के आधार बड़े आकार के भूखण्डों का विकास किया गया था एवं प्राक्कलित लागत के अन्दर अधिक भूमि विकास को भारत सरकार द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया। अधिक व्यय वास्तविक एवं मूल्य-वृद्धि के कारण था जिसे सरकार के राज्य स्तर की समिति की बैठक में नियमित कर दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने न केवल परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित मार्गदर्शिका के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया बल्कि आईआईडीसी में भूखण्डों का आबंटन बहुत कम था एवं वास्तव में कोई उपयोग नहीं हुआ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद का विकास

2.1.23 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) एक विशिष्ट दर्जाप्राप्त कर मुक्त क्षेत्र है एवं व्यापार संचालन, ड्यूटी एवं टैरिफ की दृष्टि से विदेशी क्षेत्र समझा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उद्योगपतियों की वर्ष 2002 से जोरदार मांग पर, कम्पनी ने मुरादाबाद जीसी को 468 एकड़ क्षेत्र की भूमि में 71.72 करोड़ रुपये की लागत पर एसईजेड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा (सितम्बर 2002) जिसे केन्द्र सरकार द्वारा जून 2003 में अनुमोदित कर दिया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्न परिलक्षित हुआ:

- एसईजेड का विकास दो वर्षों की अवधि में पूर्ण किया जाना था। एसईजेड का विकास, नवम्बर 2001 से फरवरी 2005 के दौरान लेआऊट योजना में चार बार परिवर्तनों के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

उच्च मूल्य-दर एवं सामान्य सुविधाओं के प्रावधान न होने के कारण एसईजेड में आबंटन दयनीय रहा

- कम्पनी ने, परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित 500 से 8,000 वर्गमी0 आकार के 620 भूखण्डों की जगह 112.50 से 20,500 वर्गमी0 के 471 भूखण्ड विकसित किया। 471 भूखण्डों में से, 271 भूखण्ड आबंटित किए जा सके जिनमें से मात्र एक इकाई में उत्पादन हो रहा था (मार्च 2005)। कम आबंटन होने का मुख्य कारण कम्पनी द्वारा भूखण्डों का उच्च दर (परियोजित 600 रुपये प्रति वर्गमी0 के विरुद्ध 650 रुपये से 825 रुपये प्रति वर्गमी0) का निर्धारण एवं फायर स्टेशन, सामान्य बहिस्राव शोधन संयन्त्र एवं बाह्य जल निकासी की सुविधाओं का प्रावधान न करना इत्यादि था।

इस प्रकार, एसईजेड की स्थापना में विलम्ब के कारण, परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित 13,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के सामाजिक उद्देश्य के अतिरिक्त निर्यात संवर्धन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि एसईजेड का विकास डेढ़ वर्षों में किया गया एवं लेआउट का परिवर्तन एसईजेड एवं कस्टम की वैधानिक आवश्यकताओं के कारण किया गया। प्रबन्धन का उत्तर इस तथ्य से मान्य नहीं है कि एसईजेड का लेआउट अन्तिम रूप से फरवरी 2005 में परिवर्तित किया था एवं सहायक आधारभूत संरचना सुविधाएं, जैसे सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र, अग्निशमन केन्द्र, बाह्य जल निकासी की व्यवस्था सितम्बर 2005 तक सृजित नही की जा सकीं। इसके अतिरिक्त, 8,000 वर्गमी0 से बड़ें भूखण्डों का विकास परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित नहीं था।

एक्सपोर्ट प्रोमोशन इन्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना

2.1.24 भारतीय व्यापार के निष्पादन में वृद्धि के लिए, केन्द्र सरकार ने एक्सपोर्ट प्रोमेशन इण्डस्ट्रियल पार्क (ईपीआईपी) की स्थापना की एक योजना को इस उद्देश्य से प्रयोजित किया (मार्च 1993) कि इन पार्कों में उच्च कोटि की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके एवं निर्यातमुखी इकाइयों की स्थापना करके निर्यात प्रयत्नों में राज्य सरकार शामिल हों।

कम्पनी ने कासना* (ग्रेटर नोयडा) एवं आगरा में, दो ईपीआईपी स्थापित करने का कार्य आरम्भ (दिसम्बर 1994 एवं जनवरी 2000) किया। इन ईपीआईपी की आधारभूत सरंचना विकास की प्रगति निम्न तालिका में दी गयी।

क्रम संख्या	विवरण	ईपीआईपी कासना	ईपीआईपी आगरा
1	केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति	दिसम्बर 1994	जनवरी 2000
2	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	28.22	21.02
3	विकसित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)	193	101.89
	विकास किये जाने वाले भूखण्ड (संख्या)	400	364
4	विकसित भूमि (एकड़ में)	110	61.10
	विकसित भूखण्ड (संख्या में)	418	266
5	आबंटित भूखण्डों की संख्या	325	228
	आबंटित इकाइयों की संख्या	270	114
6	इकाई उत्पादन में (संख्या)	12	5

- जैसा कि उपुर्यक्त तालिका से देखा जा सकता है, ईपीआईपी कासना में आधारभूत सरंचना का विकास न करने के कारण 270 इकईयों के लिए किये गये आबंटन में से मात्र 12 इकाईयों ने उत्पादन प्रारम्भ किया था।

स्वीकृत लागत से 8.60 करोड़ रुपये अधिक व्यय किया गया।

- ईपीआईपी कासना में कम्पनी ने आधारभूत संरचना सुविधओं के निर्माण हेतु जून 2004 तक स्वीकृत लागत से 8.60 करोड़ का अधिक व्यय कर दिया था जिसे अभी तक (मार्च 2005) केन्द्र सरकार से पुनरीक्षित लागत का अनुमोदन लेकर नियमित नहीं कराया गया। इसी बीच ईपीआईपी योजना बन्द कर दी गई।

- ईपीआईपी, आगरा में, 266 विकसित भूखण्डों (61.10 एकड़) में से, 114 इकाईयाँ स्थापित करने के लिए 228 भूखण्ड आबंटित किये गये थे किन्तु राष्ट्रीय मार्ग से सम्पर्क मार्ग पूर्ण न करने के कारण मार्च 2005 तक मात्र पांच इकाइयां ही स्थापित हुई। पुन: कम्पनी परियोजना प्रतिवदेन में प्रावधानित सामान्य सुविधाओं के विकास जैसे दुकाने, रेस्टोरेंट, बैंक, किआस्क, सामान्य सुविधा केन्द्र, व्यवासायिक केन्द्र आदि समाान्य सुविधाएं स्थापित करने में असफल रही।

ईपीआईपी की स्थापना का, निर्यात बढ़ाने एवं 9,770 व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन का उद्देश्य, प्राप्त नही हो सका।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2005) कि अधिक व्यय नियमित होने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि योजना बन्द हो चुकी थी।

* ईपीआईपी कासना में भूमि के लिए उच्चदर के निर्धारण पर एक प्रस्तर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (वाणिज्यिक) 1999-2000 में सम्मिलित किया गया है।

टैक्सटाइल एवं होजरी पार्क, रूमा, कानपुर

ईटीपी स्थापित करने के लिए यूपीपीसीबी की अनुमति के अभाव में आबंटित भूखण्डों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं की जा सकी।

2.1.25 वस्त्र निर्यात में वृद्धि एवं विश्व स्तर का एकीकृत वस्त्र एवं होजरी पार्क एवं प्रसंस्करण इकाईयों के प्रसार के लिए, केन्द्र सरकार ने रूमा, कानपुर में एक वस्त्र एवं होजरी पार्क की स्थापना का अनुमोदन (अगस्त 2003) किया जिसमें 48,000 व्यक्तियों को सीधे रोजगार हेतु 271 छोटी, मध्यम एवं वृहत्त इकाइयों एवं 100 लघु इकाईयों को रूमा, कानपुर में स्थापित करना था।

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, पार्क 150 एकड़ भूमि पर 21 करोड़ रुपये की लागत से अगस्त 2005 तक पूर्ण किया जाना था। कम्पनी ने 31 अगस्त 2005 तक 11.14 करोड़ रुपये की लागत से 150 एकड़ भूमि विकसित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि 147 इकाइयों को 158 प्लाट आबंटित किये गये, किन्तु बहिस्राव शोधन यंत्र स्थापित न होने के कारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् से अनुमति न मिलने के कारण कोई भी इकाई स्थापित न हो सकी। पुनः, स्थल विकास कार्य एवं विद्युतीकरण पर 1.31 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया जिसे अभी तक (सितम्बर 2005) नियमित नहीं कराया गया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि 239 भूखण्ड प्रदूषण वाली व गैर प्रदूषण वाली दोनो तरह की इकाईयों को आबंटित किये गये एवं इकाई स्थापित न होने के आबंटियों के अपने कारण होंगे। स्थानीय लोगों द्वारा भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए चहारदीवारी निर्मित की गई जिससे स्थल विकास के व्यय मे वृद्धि हो गयी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि कम्पनी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य का औद्योगीकरण सुनिश्चित करना था, को आबंटित भूखण्ड के विकास को सुनिश्चित करना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि प्रदूषण नियन्त्रण परिषद् की आवश्यकताएं पूरी हो जिससे उद्योग स्थापित हो सकें।

विद्युत संरचना का विकास

औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु अबाध ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करना

25.28 करोड़ रुपये व्यय के बावजूद कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित नही हो सका।

2.1.26 कम्पनी ने अपने ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 25 मेगावाट क्षमता का एक कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय (नवम्बर 1998) लिया जो चार चरण में क्रियान्वित किया जाना था। प्रथम चरण में, 11.45 मेगावाट पावर प्लांट स्थापित करना व राज्य ग्रिड से सिंक्रोनाइज करना था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने प्लांट (11.45 मेगावाट) को 24.56 करोड़ रुपये की लागत से सितम्बर 2000 में पूर्ण किया। प्लांट निम्न कारणों से संचालित नहीं हो सका जैसा लेखापरीक्षा ने विश्लेषित किया:

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण नेटवर्क पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी ने इवैक्युएशन बे, पावर प्रोजेक्ट के 33 के वी स्विचयार्ड बे एवं 132 केवी सब स्टेशन, लोनी पर 33 केवी बे बनाने के लिए 53.22 लाख रुपये का भुगतान विलम्ब से (अप्रैल 2004 व 2005) किया।

- यूपीपीसीएल के 132 केवी सब स्टेशन से कैप्टिव पावर प्लांट तक के 33 केवी लाइन, जिसे 19.32 लाख रुपये की लागत से बनाया गया (फरवरी 2003) था, वह भी अनुपयोगी रहा (मार्च 2005)।
- यूपीपीसीएल के साथ ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (पीपीए) अक्टूबर 2004 में हुआ था जिसे उत्तर प्रदेश नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने अद्यतन (मार्च 2005) अनुमोदित नही किया।

इस प्रकार, कैप्टिव पावर प्लांट के संचालित न होने से कम्पनी औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकी। इससे क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कुप्रभावित हुई एवं 25.28 लाख रुपये का विनियोजन अलाभकारी रहा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन नेटवर्क, यूपीपीएसएल से ऊर्जा क्रय अनुबंध, जो यूपीइआरसी के विचाराधीन था, स्वीकृत होने के बाद प्रारम्भ हो सकता था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को ऊर्जा क्रय अनुबंध की प्रक्रिया एवं प्लांट निर्माण कार्य सौंपने के कार्य को एक साथ शुरू करना चाहिये था।

औद्योगिक क्षेत्र का संचालन

2.1.27 एक औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के पश्चात, निर्माण शाखा द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धन (आरएम) को आबंटन योग्य भूखण्डों की सूची उद्योग लगाने हेतु आबंटन करने एवं मूल्य की वसूली करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

भूखण्डों का विपणन

2.1.28 निम्न तालिका, वर्ष 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान, भूमि एवं भूखण्डों के विकास, आबंटन एवं उपयोग की स्थिति दर्शाती है:

(क्षेत्र एकड़ में व भूखण्ड संख्या में)

क्रम संख्या	विवरण		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आबंटन के लिए उपलब्ध भूमि	क्षेत्र	32631.19	32564.59	32418.10	32578.63	32919.33
		भूखण्ड	25604	26349	26779	27325	28771
2.	आबंटित भूमि	क्षेत्र	22955.80	23112.87	24528.47	24989.67	25291.14
		भूखण्ड	20816	21141	22186	22825	24411
		इकाई	17105	17243	17862	18339	19162
3.	विशेष प्रयोजन हेतु आरक्षित /कानूनी विवाद/रेस्टोरेशन के कारण आबंटन हेतु अनुपलब्ध भूमि	क्षेत्र	488.50	397.35	379.80	446.66	466.64
		भूखण्ड	809	585	573	704	783
4.	आबंटन हेतु शेष भूमि (1-2-3)	क्षेत्र	9186.89	9054.37	7509.83	7142.30	7161.55
		भूखण्ड	3979	4623	4020	3796	3577

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	रूग्ण इकाइयां	क्षेत्र	2186.55	2246.65	2251.50	3719.23	3702.63
		भूखण्ड	2026	2029	2047	2232	2272
6.	उत्पादन में इकाइयाँ[1]	क्षेत्र	13680.91	13620.58	13891.36	13097.47	12804.80
		इकाई	4482	4424	4685	4768	4839
7.	आबंटित भूमि जिनका उपयोग नही हुआ (2-6)	क्षेत्र	9274.89	9492.29	10637.11	11892.20	12486.34
		इकाई	12623	12819	13177	13571	14323
8	उपलब्ध भूमि से आबंटित भूमि की प्रतिशतता (2 का 1 से)		70.35	70.98	75.66	76.71	76.83
9.	आबंटित भूखण्ड से उपयोग में लाये भूखण्ड की प्रतिशतता (6 का 2 से)		59.60	58.93	56.63	52.41	50.63
10.	आबंटित भूमि से रुग्ण इकाइयों को आबंटित भूमि की प्रतिशतता (5 का 2 से)		9.53	9.72	9.18	14.88	14.64

इस सम्बन्ध में निम्न उल्लेखनीय है:

- यद्यपि आबंटन हेतु उपलब्ध भूमि से आबंटित भूमि की प्रतिशता 2000-01 में 70.35 से बढ़कर 2004-05 में 76.83 हो गयी, आबंटित भूमि से आबंटित भूमि के उपयोग की प्रतिशतता 2000-01 में 59.60 से घटकर 2004-05 में 50.63 हो गयी। इससे इंगित हुआ कि औद्योगिक भूखण्ड उन उद्यमियों द्वारा खरीदे जा रहे थे जिन्हें उत्पादन के लिए अपनी इकाई स्थापित नहीं करनी थी। कुल आबंटन से रुग्ण इकाइयों की प्रतिशतता 9.53 (2000-01) से बढ़कर 14.64 (2004-05) हो गयी। कम्पनी ने रुग्ण इकाइयों की बढ़ती प्रवृत्ति का कोई विश्लेषण नहीं किया।

उद्यमियों को आबंटित 21.42 करोड़ रुपये मूल्य के 228 भूखण्ड पाँच वर्ष से अधिक समय से उपयोग नही किये गये।

- आठ औद्योगिक क्षेत्रों में (**परिशिष्ट-12**), आबंटन हेतु उपलब्ध भूमि से आबंटित भूमि की प्रतिशतता शून्य से 48.53 के बीच रही। 1,192 भूखण्ड (717.65 एकड़) में से 22.52 करोड़ रुपये मूल्य के 651 भूखण्ड (608.08 एकड़) आबंटित नहीं हुये। पुन:, उपयोग नहीं किये गये 14,323 भूखण्डों में से 21.42 करोड़ रुपये मूल्य के 21 औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को आबंटित 228 भूखण्ड (5,23,931.54 वर्गमी0) पाँच वर्ष से 31 वर्षों से अधिक अवधि से उपयोग में नहीं लाये गये थे (**परिशिष्ट 13**)। यह इस तथ्य को इंगित करता कि कम्पनी ने औद्योगिक भूखण्डों की मांग आंकलित किये बिना इन क्षेत्रों को विकसित किया। इसके अतिरिक्त, इसने ऐसे उद्यमियों के आबंटन को, जो भूमि का उपयोग नहीं कर रहे थे, निरस्त करने एवं दूसरे उद्यमियों को आबंटित करने की कार्यवाही नहीं किया।

[1] कम्पनी द्वारा उत्पादन में इकाइयों की संख्या नये आबंटन, निरस्तीकरण, आबंटियों द्वारा समर्पण एवं भूखण्डों के उप-विभाजन को जोड़ कर निकाला गया है।

- छः* अति द्रुतगामी (वीएफएम) औद्योगिक क्षेत्रों में, आबंटित इकाइयों की तुलना में संचालित इकाइयों की प्रतिशतता शून्य से 11.71 प्रतिशत इकाइयाँ रही एवं आठ** द्रुतगामी (एफएम) औद्योगिक क्षेत्रों में यह शून्य से 4.90 प्रतिशत रहा एवं 24 मे से 16 मन्दगामी (एसएम) औद्योगिक क्षेत्रों में, कोई भी इकाई संचालित नही थी (**परिशिष्ट-14**)।
- 783 विकसित भूखण्डों (466.64 एकड़) में से विशेष उद्देश्य हेतु चिन्हित कानूनी विवाद/पुर्नस्थापना के कारण 154.04 करोड़ रुपये मूल्य के 354 भूखण्ड (289.83 एकड़) पाँच वर्षों से अधिक अवधि से अनाबंटित पड़े रहे (**परिशिष्ट-15**)। कम्पनी ने, तथापि, विवाद के निपटारे के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया जिससे भूखण्डों का आबंटन औद्योगिक संचालन के लिये किया जा सकता।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि भूखण्डों के उपयोग के सम्बन्ध में, आंकड़े रुग्ण इकाइयों को अलग करके निकाले गये थे एवं उपयोग किए गये भूखण्डों का निम्नतर होता अनुपात 2000-01 से अधिक मात्रा में नये आवंटन के कारण था। पुनः कानूनी विवाद में सर्वाधिक भूमि मथुरा में साइट-'ए' में थी जिसके लिये कम्पनी ने कठिन प्रयास किया परन्तु धार्मिक संगठन द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण कम्पनी भूमि को मुक्त नहीं करा सकी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी को, औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के आबंटन व उपयोग में वृद्धि करने हेतु भूमि विकास एवं विपणन का नियोजन उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिये था।

मूल्य-दर पुनरीक्षण नीति का अनावलोकन

2.1.29 कम्पनी के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (जून 1992) कि भूमि अधिग्रहण की लागत, मांग एवं प्रचलित बाजार दर, समीपवर्ती भूमि दर एवं विकास कार्य पर किये गये अतिरिक्त व्यय इत्यादि को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य-दर की वार्षिक पुनरीक्षण की प्रणाली क्रियान्वित करनी चाहिए। तदनुसार, कम्पनी ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को वीएफएम, एफएम व एसएम क्षेत्रों में वर्गीकृत किया।

मूल्य-दर पुनर्निधारण के विवरण परिशिष्ट-16 में दर्शाये गये हैं। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि मूल्य-दर निर्धारण नीति का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि:

- प्रबन्धन ने 18, चार तथा एक वीएफएम औद्योगिक क्षेत्रों में क्रमशः दो, तीन एवं चार वर्षों तक मूल्य दरों का पुनरीक्षण नहीं किया;
- 12, 11, 10 एवं चार एफएम औद्योगिक क्षेत्रों में क्रमशः दो, तीन, चार तथा पाँच वर्षो तक।

* मसौरी गुलावटी, सूरजपूर साईट-IV एवं V, ईपीआईपी कासना, ट्रोनिका सिटी एवं पनकी साइट-5

** ईपीआईपी आगरा, आईआईडीसी कोसी कोटवन, कोसी-II, एसईजेड मुरादाबाद, सिकन्दराबाद बन्थर (औद्योगिक), आआईडीसी बन्थर एवं रूमा

- प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि औद्योगिक क्षेत्रों मे मूल्य-दर के पुनर्निधारण पर वार्षिक एवं बीच में भी विचार किया गया था एवं औद्योगिक भूमि की मांग को ध्यान में रखकर पुनरीक्षित किया गया। एफएम औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में, मूल्य दर का उच्च पुनरीक्षण मन्द मांग के कारण संभव नहीं था। प्रबन्धन का वक्तव्य निम्न तथ्यों के कारण स्वीकार्य नहीं है कि:
- सभी औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य दर की प्रति वर्ष समीक्षा की जानी थी एवं निदेशक मण्डल को इस बारे में अवगत कराना था।
- एफएम क्षेत्र की मांग को मन्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र मांग के आधार पर ही एफएम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किये गये थे।

लेदर टेक्नोलॉजी पार्क और इन्टीग्रेटेड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट सेंटर बन्थर में भूखण्डों के दरों का पुनरीक्षण न होना

मूल्य-दरों को पुनरीक्षित न करने से कम्पनी 2.15 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने से वंचित रही।

2.1.30 कम्पनी ने लेदर टेक्नोलाजी पार्क एवं इन्टीग्रेटेड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट सेन्टर, बन्थर, उन्नाव में भूमि का मूल्य-दर चमड़े की वस्तुओं की इकाइयों के लिए 370 रुपये प्रति वर्गमी0 एवं टैनरी इकाई के लिए 460 रुपये प्रति वर्गमी0 निर्धारित (सितम्बर 2000) किया। ये दरें जून 2001 तक वैध थीं। लेखा परीक्षा ने देखा कि, उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन के लिये सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को प्रेषित करते समय दरों की वैधता अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। कम्पनी ने दो वर्ष बाद ये दरें पुनरीक्षित करके 450 रुपये प्रति वर्गमी0 एवं 550 रुपये वर्गमी0 कर दी (नवम्बर 2003), यद्यपि दोनों औद्योगिक क्षेत्र एफएम क्षेत्र थे। इसी बीच, जुलाई 2001 से अक्टूबर 2003 के दौरान कम्पनी ने 212 भूखण्ड पुरानी दरों पर आबंटित कर दिया। कम्पनी 2.15 करोड़ रुपये अर्जित कर सकती थी यदि दर वैधता तिथि के समाप्त होने के बाद पुनरीक्षित कर दिये जाते।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि प्रारम्भ में वर्ष 2001-02 तक मांग अत्यन्त मन्द थी, और इसलिये इस अवधि में दर वृद्धि से विपरीत प्रभाव पड़ता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एफएम औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त मांग के बावजूद वैधता तिथि (जून 2001) समाप्ति के बाद दर का पुनरीक्षण नहीं किया गया।

औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण

26.74 करोड़ रुपये मूल्य के औद्योगिक भूखण्ड (90,299 वर्गमी0) अतिक्रमित थे।

2.1.31 लेखापरीक्षा परीक्षण में उजागर हुआ कि नौ औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड 90,299 वर्गमी0, खुला क्षेत्र 98,130 वर्गमी0 एवं सड़क के किनारे 32,808 वर्गमी0 भूमि चार से 20 वर्ष की अवधि से स्थानीय निवासियों के कब्जे में थी जैसा परिशिष्ट-17 में वर्णित है। अतिक्रमित औद्योगिक भूखण्डों (90,299 वर्गमी0) का मूल्य 26.74 करोड़ रुपये संगणित किया गया। स्थानीय निवासियों ने पक्का घर बना लिये थे तथा दुकानें, सेवा केन्द्र, कार्यालय व स्कूल आदि संचालित कर रहे थे। कम्पनी ने अतिक्रमण रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया; जिला प्रशासन के समन्वय से अतिक्रमित भूमि से कब्जामुक्त नहीं कराई जा सकी।

लेखापरीक्षा ने, पुनः, देखा (अप्रैल 2005) कि कम्पनी सूरजपुर साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में 4.67 करोड़ रुपये मूल्य की 24,627.25 वर्गमी0 विकसित भूमि वर्ष 1987 से कब्जा मुक्त कराने में असफल रही।

प्रबन्धन ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2005) एवं बताया कि जिला प्रशासन व नगर निगम के सहयोग से कब्जों की भूमि को मुक्त करवाने के प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने यदि समय से विकसित भूमि की सुरक्षा लिये कार्यवाही की होती तो भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सकता था।

भूमि का आबंटन व स्थानान्तरण

2.1.32 कम्पनी ने, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में फ्रोजन फूड्स के उत्पादन हेतु 4,050 वर्गमी0 के एक भूखण्ड का आबंटन रूपये 150 वर्गमी0 की दर से कान्ता कुमारी को बिना वांछित अभिलेखों के जमा किये ही कर दिया (जुलाई 1988)। भूखण्ड उपयोग न करने के कारण जून 2003 में निरस्त कर दिया गया, किन्तु नवम्बर 2003 में 2.98 लाख रुपये बहाली शुल्क के भुगतान पर बहाल कर दिया गया। आबंटी ने पुनः परियोजना नहीं स्थापित किया। आबंटी की प्रार्थना पर भूखण्ड को बी.एस. नागर के पक्ष में 6.91 लाख रुपये के हस्तांतरण शुल्क के भुगतान पर रेडीमेड गारमेन्ट्स के उत्पादन हेतु हस्तांतरित कर दिया गया (जनवरी 2005)। इस प्रकार, भूखण्ड का 16 वर्षों से अधिक अवधि तक उपयोग नहीं किया गया। यदि भूखण्ड इसके उपयोग न होने व वांछित औपचारिकताओं के पूरा न करने के आधार पर यदि निरस्त कर दिया जाता तो कम्पनी वर्तमान बाजार दर पर भूमि किसी अन्य इकाई को बेचकर 33.06 लाख रुपये अर्जित करती।

प्रबन्धन ने तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया (जुलाई 2005) कि भूखण्ड की बहाली। हस्तान्तरी द्वारा इकाई स्थापित करने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूखण्ड बार-बार बहाल/हस्तान्तरित किया गया जिसके कारण इसका 16 वर्षों से अधिक समय तक उपयेाग नहीं हो सका।

नीलामी द्वारा विकसित भूमि की बिक्री

कम दर पर भूमि की नीलामी से 1.05 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2.1.33 क्षेत्रीय प्रबन्धक आगरा ने फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र के आठ विकसित भूखण्डों (10,400 वर्गमी0 से 20,120 वर्गमी0) की नीलामी हेतु बोली आमंत्रित किया (सितम्बर 2002)। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, भूखण्डों का आवंटन, 64 रुपये से 70 रुपये की विभिन्न दर पर 81.52 लाख रुपये में 60 रुपये प्रति वर्गमी0 के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः ग्लास उद्योग के लिये विकसित किया गया था तथा विकसित भूखण्ड के लिए भूमि का मूल्य-दर कम्पनी द्वारा 150 रुपये प्रति वर्गमी0 निर्धारित की गई थी, किन्तु कम्पनी ने नीलामी के लिए उक्त भूखण्ड का आरक्षित मूल्य 60 रुपये प्रति वर्गमी0 निर्धारित किया जिसके फलस्वरूप भूमि की बोली में कम दर 60 रुपये से 70 रुपये प्रति वर्गमी0 का प्रस्ताव प्राप्त हुये जो

1.05 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि का कारण बना जिसे आधारभूत संरचना सृजन में उपयोग किया जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि इसने शुद्ध विनियोजन की लागत के आधार पर निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों को तरलीकृत का निर्णय (फरवरी 1998) लिया था। तदनुसार 64 रुपये से 70 रुपये प्रति वर्गमी0 पर भूमि का विक्रय कर दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पिछले वर्ष (2000-01) में, 325.39 एकड़ विकसित भूखण्डों में से 209.07 एकड़ विकसित भूखण्ड 150 रुपये प्रति वर्गमी0 की दर से आबंटित किये गये थे।

उपयोग न किए गये भूखण्डों का निरस्तीकरण

2.1.34 अनुबन्धों की शर्त संख्या 4(ई) के अनुसार, आबंटियों से, आबंटित भूखण्ड पर इकाई स्थापित करना एवं आबंटन के दो वर्ष के अन्दर उत्पादन शुरू करना अपेक्षित था जिसमें विफल होने पर उनके भूखण्ड निरस्त किये जाने थे।

उपयोग न किये गये भूखण्डों को निरस्त न करने से कम्पनी 5.33 करोड़ रूपये के अतिरिक्त राजस्व से वंचित रही।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से परिलक्षित हुआ कि दो बीएफएम क्षेत्र एवं तीन एफएम औद्योगिक क्षेत्रों में 64 भूखण्डों के आबंटियों ने पाँच से तीस वर्षों से अधिक समय से इकाईयां स्थापित नहीं किया किन्तु कम्पनी द्वारा भूखण्ड निरस्त नहीं किये गये जिनके कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इन भूखण्डों को, तथापि, आबंटियों की प्रार्थना पर दूसरी इकाइयों को 1.10 करोड़ रुपये के हस्तांतरण शुल्क पर हस्तांतरित कर दिया गया था। यदि कम्पनी इन भूखण्डों को दो वर्षों की समय सीमा के तुरन्त बाद निरस्त कर देती और दूसरे उद्यमियों को विक्रय कर देती तो यह 5.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने के अतिरिक्त जैसा कि **परिशिष्ट-18** में दर्शित है, क्षेत्र में अपनी इकाईयां स्थापित करने हेतु अन्य उद्यमियों को अवसर प्रदान करती।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि यद्यपि भूखण्डों का उपयोग दो वर्षों के अन्दर करने का प्रावधान था, भूखण्ड आबंटियों की समस्याओं के दृष्टिगत निरस्त नहीं किये गये तथा कम्पनी अपनी हस्तांतरण नीति पुनरीक्षित करने पर विचार कर रही थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार, भूखण्डों को निरस्त किया जाना था। अग्रश:, कम्पनी ने आबंटियों की समस्याओं का न तो स्पष्ट उल्लेख किया और न ही अपने वक्तव्य के समर्थन में अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत किया।

हस्तांतरण शुल्क की वसूली नहीं/कम करना

2.1.35 कम्पनी के संचालन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, भूखण्डों का हस्तांतरण/बहाली, समय-समय पर लागू वर्तमान दर से हस्तांतरण/बहाली शुल्क लेकर किया जा सकता है एवं एक कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को भूखण्ड का हस्तांतरण किया जा सकता है बशर्ते आवेदन आबंटन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर किया गया हो। लेखापरीक्षा ने देखा कि हस्तांतरण शुल्क की वसूली नहीं/कम करने के कारण कम्पनी को 1.57 करोड़ की हानि हुई जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

आबंअियों से 65.81 लाख रुपये का स्थानान्तरण शुल्क वसूल नहीं किया गया।

- लोनी रोड औद्योगिक क्षेत्र में युनाइटेड इंजीनियर्स इण्डिया को एक भूखण्ड (25,070 वर्गमी0) आबंटित हुआ (जून 1969)। भूखण्ड का हस्तांतरण (1971) युनाइटेड ह्वील्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जो एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में युनाइटेड ह्वील्स लिमिलेट (यूडब्ल्यूएल) के नाम से पुनर्गठित हुई, को हुआ। तीस वर्षों बाद, यूडब्लूएल ने कम्पनी से निवेदन किया (जुलाई 1999) कि भूखण्ड का हस्तांतरण विवसुन एक्सपोर्ट लिमिटेड (वीइएल) को कर दिया जाय जो कि यूडब्लूएल की सहायक कम्पनी थी। कम्पनी ने वीइएल के पक्ष में 65.81 लाख रुपये आबंटी द्वारा देय हस्तांतरण शुल्क प्रभारित किए बिना ही भूखण्ड का हस्तांतरण वीइएल के पक्ष में कर दिया (फरवरी 2000), यद्यपि वीइएल यूडब्लूएल की सहायक कम्पनी नहीं थी एवं संचालन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष के अन्दर आवेदन करने के बजाय तीस वर्ष बाद किया गया था। इस प्रकार, 65.81 लाख हस्तांतरण शुल्क लिए बिना भूखण्ड के हस्तातंरण से कम्पनी को हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि वीईएल यूडब्लू की सहायक कम्पनी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यूडब्लूएल द्वारा कम्पनियों के निबन्धक को उपलब्ध कराये अभिलेखों के अनुसार वीइएल यूडब्लूएल की सहायक कम्पनी नहीं थी एवं कम्पनी ने, वीइएल के यूडब्लूएल की सहायक कम्पनी होने की सत्यता के प्रमाण में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

- नैनी औद्योगिक क्षेत्र में रेमण्ड सिन्थेटिकस लिमिटेड को 4,28,345.46 वर्गमी0 भूमि (बाणिज्यिक: 134.46 वर्गमी0, औद्योगिक: 3,29,388 वर्गमी0 एवं आवासीय: 98,823 वर्गमी0) जून 1987 से सितम्बर 1993 के दौरान आबंटित की गयी थी। जुलाई 2001 में, आबंटी ने अपने रेकान सिन्थेटिक्स लिमिटेड के रूप में परिवर्तित नाम को स्वीकार करने का आवेदन किया जो कम्पनी द्वारा, 2.5 प्रतिशत औद्योगिक, 10 प्रतिशत आवासीय एवं वाणिज्यिक के स्थान पर, सभी प्रकार की भूमि पर 2.5 प्रतिशत की दर से आगणित 23.93 लाख रुपया हस्तान्तरण शुल्क लेकर स्वीकार कर लिया (जनवरी 2005)। इसके फलस्वरूप कम्पनी को 23.23 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि इकाई के संचालन से राज्य के लिये उपार्जित हितों का विचार करते हुए 2.50 प्रतिशत की एकरूप दर से हस्तान्तरण शुल्क आवासीय एवं औद्योगिक भूमि पर लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह कम्पनी की नीति के विरुद्ध था तथा मात्र एक आबंटी को लाभ दिया गया था।

- यूपी एक्सेल लिमिटेड ने (प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड एवं कम्पनी का संयुक्त उपक्रम) ललितपुर औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित 4,59,901 वर्गमी0 भूमि को पटेल हर्बल रिसर्च एण्ड एग्रो लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया था (अक्टूबर 2004)।

कम्पनी ने, भूमि के वर्तमान में लागू मूल्य-दर 7.5 प्रतिशत के बजाय भूमि के पुराने मूल्य दर पर 7.5 प्रतिशत आगणित करके 73 लाख रुपया हस्तान्तरण शुल्क वसूल किया। इसके फलस्वरूप कम्पनी को 68.99 लाख रुपये का हस्तान्तरण शुल्क कम वसूल हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि भूमि का दर निर्धारित नहीं था क्योंकि यह अधिग्रहण लागत एवं उपरिव्यय के आधार पर बेचा गया था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि कम्पनी की नीति के अनुसार, हस्तान्तरण शुल्क सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र (ललितपुर) की भूमि के वर्तमान मूल्य-दर पर वसूल किया जाना था।

थोक भूमि का कम मूल्य पर आबंटन

थोक भूमि के विक्रय के लिए कम मूल्य निर्धारण से 65.36 लाख रुपये की हानि।

2.1.36 सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में, कम्पनी ने थोक भूमि 4,04,700 वर्गमी0 हयात एग्रो इण्डस्ट्रीज एवं 34,39,950 वर्गमी0 भूमि मोहन मीकिन्स को 14.20 रुपये प्रति वर्गमी0 की दर से आबंटित किया (मई एवं फरवरी 2003)। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि 14.20 रुपये प्रति वर्गमी0 की दर निर्धारित करने के लिए कम्पनी द्वारा किया गया थोक भूमि का लागत लेखा सही नही था क्योंकि उसी आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा किए गये आबंटन के अनुसार भूमि की लागत 15.90 रुपये प्रति वर्गमी0 थी। इस प्रकार, थोक भूमि के विक्रय के लिए 1.70 रुपये प्रति वर्गमी0 कम दर के निर्धारण से कम्पनी को 65.36 लाख रुपये की हानि हुई (38,44,650 वर्गमी0 × 1.70 रुपये)

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि लागत लेखांकन में लेखापरीक्षा द्वारा ब्याज की गणना 15 प्रतिशत की दर के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से किया गया था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि ब्याज दर की गणना उसी आधार पर की गई है जैसे कि कम्पनी ने की थी।

विशेष आर्थिक जोन मुरादाबाद मे भूखण्डों का कम दर पर आबंटन

2.1.37 कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक (एमडी) ने आरएम, बरेली को निर्देशित किया (दिसम्बर 2002) कि मुरादाबाद जीसी में भूखण्डों का आबंटन रोक दिया जाय क्योंकि यह विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) बनने की प्रक्रिया में था एवं एसईजेड में भूमि की लागत अधिक होगी। निर्देशों की अवहेलना करते हुये, आरएम ने, विकास केन्द्र के लिये लागू दर एवं पचास रुपये प्रति वर्ग मीटर एसईजेड की लागत के लिये जोड़कर, 475 रुपये से 515 रुपये प्रति वर्गमी0 की दर पर 40 भूखण्ड (1,97,965 वर्गमी0) आबंटित कर दिया (जनवरी 2003)।

कम मूल्य पर आबंटन एवं ब्याज की माफी से 3.93 करोड़ रुपये की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2005) कि एसईजेड में भूमि के लिए 650 रुपये प्रति वर्गमी0 मूल्य-दर निर्धारित हुआ (नवम्बर 2003)। कम मूल्य पर आबंटन से कम्पनी को 2.14 करोड़ रुपये की हानि हुई। कम्पनी को, तथापि, 1.79 करोड़ रुपये का ब्याज आबंटियों के यह शिकायत के आधार पर माफ करना पड़ा कि भूखण्डों को एसईजेड के स्तर की आधारभूत सुविधाये प्रदान नहीं की गई थीं।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2005) कि कम्पनी द्वारा मार्च 2005 में आबंटन पत्र निर्गत करने के लिए पुराने आबटियों का अन्तिम दर

825 रुपये प्रति वर्गमी0 व 775 रुपये प्रति वर्गमी0 निर्धारित किया गया था। पुनश्च, मात्र 75 प्रतिशत ब्याज माफ किया गया था क्योंकि एसईजेड में सड़क क्रासिंग हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद पैदा करने के कारण आवंटियों को भूखण्डों पर कब्जा नहीं दिया जा सका था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्ध निदेशक के निर्देशों की अवहेलना का औचित्य नहीं दिया गया। चूंकि कम्पनी ने 50 रुपये प्रति वर्गमी0 की दर से एसईजेड में आधारभूत संचरना सुविधाओं के अतिरिक्त लागत के विरुद्ध पहले ही वसूल कर लिया था। अत: कम्पनी पुराने आबंटियो से कोई धनराशि वसूल करने की स्थिति में नही थी।

सेवा शुल्क की वसूली न होना

2.1.38 साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क आफ इण्डिया (एसटीपीआई) को, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता होने के कारण 4,000 वर्गमी0 का एक भूखण्ड मुफ्त में आबंटित किया गया था (1997)। आबंटन आदेश की शर्तों के अनुसार, भूमि का उपयोग आबंटन के दो वर्षों के अन्दर होना था और 50 रुपये प्रति वर्गमी0 वार्षिक की दर से सेवा शुल्क वसूल किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आबंटी ने न तो भूखण्ड का उपयोग किया न ही मार्च 2005 तक पट्टा विलेख निष्पादित किया। कम्पनी ने भूखण्ड को निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की एवं आबंटी से 14.56 लाख रुपया सेवा शुल्क वसूल नहीं किया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि एसटीपीआई की सेवायें ग्रेटर नोयडा एक्सपोर्ट प्रोमोशन इण्डस्ट्रियल पार्क के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण थीं एवं सेवा शुल्क माफ करने का प्रकरण सक्रिय रूप से विचाराधीन है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसटीपीआई आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी भूखण्ड का उपयोग करने में असफल रहा एवं कम्पनी की नीति के अनुसार सेवा शुल्क की वसूली आबंटी से की जानी थी।

2.1.39 आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा

2.1.39 आन्तरिक नियन्त्रण परिचालन की दक्षता, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता एवं कानूनों व परिनियमों के अनुपालन के लिए यथोचित आश्वासन हेतु आकल्पित एक प्रक्रिया है। लेखा परीक्षा विश्लेषण में आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया यान्त्र में निम्न कमियाँ दृष्टिगत् हुई:

- कम्पनी ने आधारभूत संरचना परियोजनाओं के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन या प्रभाव आंकलन का कार्य नहीं किया।
- कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रवार भूमि का अधिग्रहण, हर्जाने का भुगतान, कब्जे का दिनांक एवं जिलाधीश द्वारा निर्णय का दिनांक प्रदर्शित करने वाली भूमि अधिग्रहण पंजिका नहीं रखा/अद्यतन नहीं किया।

- परियोजना अनुभाग के पास कार्य सौंपने, अभिकर्ता का नाम दर्शाने वाली परियोजना प्रतिवेदनों, कार्य पर किए गये व्यय, कार्य पूर्ण होने का नियत दिनांक, परियोजना प्रतिवेदन जमा करने की वास्तविक तिथि, निदेशक मंडल द्वारा परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के दिनांक के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बनायी गयी भखण्ड-वार पंजिकाओं को अद्यतन नहीं किया गया था।

- आबंटी-वार पंजिकाओं को अद्यतन नहीं किया गया था।

- कार्य पूर्ण होने के पश्चात, निर्माण खण्डों द्वारा क्रियान्वित प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये थे।

- औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र के लेआउट योजना को बार-बार परिवर्तित किया गया।

प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली

2.1.40 कम्पनी ने, प्रबन्धकीय निर्णय हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, भूमि विकास सम्बन्धी कार्य के लिये प्राक्कलन बनाने, भूखण्डों के आबंटन, आबंटियों से मूल्य की वसूली आदि का अनुश्रवण करने के लिये एक साफ्टवेयर पैकेज का 1.08 करोड़ रुपये लागत पर विकास करने के लिये टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेस लिमिटेड (टीसीएस) से अनुबन्ध किया (अक्टूबर 2002)।

साफ्टवेयर विकास पर 1.08 करोड़ रुपये के विनियोग के बावजूद वांछित लाभ नहीं मिल सका।

लेखा परीक्षा विश्लेषण से परिलक्षित (अप्रैल 2005) हुआ कि टीसीएस ने विशिष्ट पैकेज विकसित कर दिया तथा कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया (जनवरी 2003)। कम्पनी ने, तथापि, वाह्य कार्यालयों में पर्याप्त हार्डवेयर एवं नेटवरकिंग की व्यवस्था नहीं किया। फलस्वरूप, साफ्टवेयर के विकास पर 1.08 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद प्रगतिशील प्रबन्धन सूचना प्रणाली के वांछित लाभ नहीं मिल सके, इसने कम्पनी के मुख्यालय व वाहय कार्यालयों के मध्य सूचनाओं को आदान-प्रदान को कुप्रभावित किया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर एवं प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश के सहयोग से इसकी नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी। उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि कम्पनी को साफ्टवेयर पैकेज का विकास एवं नेटवर्किंग का कार्य साथ-साथ करना चाहिये था।

आन्तरिक सम्प्रेक्षण

2.1.41 आन्तरिक लेखा परीक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो, सुचारू रूप से कार्य करने की पद्धति के साथ आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता एवं गलतियों एवं कपट का पता लगाना सुनिश्चित करती है। कम्पनी के पास, आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा अनुभाग नहीं हैं एवं सनदी लेखाकारों को

यह कार्य सौंपा गया था। कम्पनी, सनदी लेखाकारों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा परिणामों के अनुपालन में असफल रही।

उपर्युक्त मामले प्रबन्धन एवं सरकार को मई 2005 में प्रतिवेदित किये गये; सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2005)।

निष्कर्ष

कम्पनी, औद्योगिक विकास का उद्देश्य एवं रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य, जैसाकि राज्य औद्योगिक नीति की प्रमुखताएं है, को प्राप्त नही कर सकी। यह, आवश्यक औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास करने एवं औद्योगिक गलियारों, जीसी, आईआईडीसी, एसइजेड, ईपीआईपी एवं टेक्सटाइल एवं होजरी पार्कों की समय से पूर्णता सुनिश्चित करने में असफल रही। भूमि अधिग्रहण में प्रचुर विनियोजन के बावजूद, कम्पनी, भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियों, अनुपयुक्त भूमि के क्रय एवं आन्तरिक एंव बाह्य आधारभूत संरचना सुविधाओं के पूर्ण न कर पाने के कारण, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं कर सकी।

कम्पनी के औद्योगिक क्षेत्र का संचालन, मूल्य-दर पुनरीक्षण नीति के अनुपालन, औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित कराने में विफलता एवं आबंटन के पश्चात लम्बे समय से उद्योग स्थापित न करने वाले आबंटियो से नाम मात्र का शुल्क लेकर उनके भूखण्डों के हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान करने के लिए चिहिन्त रहा।

संस्तुतियां

- कम्पनी को राज्य में विकास एवं रोजगार सृजन के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति कें लिये औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिये।
- कम्पनी के अपनी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज बनाना चाहिये जिससे कि औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में तेजी आ सके एवं भूमि विकास सम्भावित निवेशकों की मांग के अनुरूप करना चाहिये।
- कम्पनी को एक स्वस्थ विपणन नीति बनानी चाहिये एवं अपनी अनुश्रवण यान्त्र को मजबूत बनाना चाहिये जिससे कि विकसित भूखण्ड अनाबंटित/बिना उपयेाग के पड़े नहीं रहें।
- कम्पनी को अपनी आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिये जिससे कि आधारभूत संरचना विकास के क्रियाकलापों से सम्बन्धित पायी गयी कमियों को सुधारा जा सके।

2.2 समाज कल्याण क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के उत्थान पर समीक्षा

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश में समाज के सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास के स्तर एवं अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के सामान्य स्तर के मध्य सामाजिक-आर्थिक अन्तराल को कम करने के मुख्य उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियाँ बनाई नामशः उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड। ये कम्पनियाँ इन उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त नही कर सकीं:

- *इन कम्पनियों ने परियोजनाओं के वित्त-पोषण एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में निर्धारित प्रक्रियाओं/मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया।*
- *यूपीएसएफडीसी एवं यूपीएवीवीएन ने कम लागत एवं आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनाओं को वित्त-पोषित किया जिससे योजना की आय जनित आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजना प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया।*
- *कम्पनियाँ योजनाओं के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहीं।*
- *कम्पनियाँ योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप वित्त-पोषित परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करने में विफल रहीं।*

(प्रस्तर 2.2.1, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.26, 2.2.27 एवं 2.2.36)

लेखा परीक्षा के संज्ञान में यह भी आया कि:

- *25,000 रुपये या अधिक की औसत लागत की परियोजना के सापेक्ष यूपीएसएफडीसी ने 5,11,744 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 21,923 रुपये की औसत लागत की आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनायें प्रदान कीं।*

(प्रस्तर 2.2.9)

- *24 जिला कार्यालयों ने आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी समझी जाने वाली परियोजनाओं से कम लागत की 1,02,188 परियोजनायें वित्त-पोषित कीं।*

(प्रस्तर 2.2.11)

- *115.11 करोड़ रुपये लागत की 51,265 परियोजनाओं (53 प्रतिशत) से सम्बन्धित 'लेखा विवरण' बैंकों से प्राप्त नहीं किए गए।*

(प्रस्तर 2.2.14)

- *यूपीएसएफडीसी ने 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान लाभार्थियों से ऋण वसूली की धनराशि से अधिक 29.64 करोड़ रुपये का भुगतान*

एनएसएफडीसी (24.34 करोड़ रुपये) एवं आरएसकेवीवीएन (5.30 करोड़ रुपये) को किया।

(प्रस्तर 2.2.17)

- *यूपीएसएफडीसी ने, गैर अनुमोदित संस्थानों में अमान्य कोर्सों के लिए निम्न गुणवत्ता के कम्पयूटर प्रशिक्षण दिलाने के कारण, 24.66 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय किया।*

(प्रस्तर 2.2.19)

- *यूपीएवीवीएन द्वारा प्रदेश सरकार को भेजी गई उपलब्धि (भौतिक एवं वित्तीय) की सूचना में 1,312 लाभार्थियों के सम्बन्ध में 6.76 करोड़ रुपये अधिक दर्शाया गया।*

(प्रस्तर 2.2.24)

- *प्रशिक्षण के उपरान्त, सतत् रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या एवं प्रति महिला प्रति माह अर्जन सुनिश्चित करने हेतु, यूपीएमकेएन ने प्रशिक्षणोत्तर मूल्यांकन-पद्धति प्रकल्पित नहीं की।*

(प्रस्तर 2.2.43)

प्रस्तावना

2.2.1 उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों की स्थापना की नामशः उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसएफडीसी) मार्च 1975 में, उत्तर प्रदेश अलपसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (यूपीएवीवीएन) नवम्बर 1984 में एवं उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड (यूपीएमकेएन) मार्च 1988 में। ये कम्पनियाँ, समाज के सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास के स्तर एवं अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के सामान्य स्तर के मध्य सामाजिक-आर्थिक अन्तराल को कम करने के लिए, निम्न मुख्य उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित करती है:

- गरीबी रेखा* के नीचे (बीपीएल) निवास करने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के द्वारा उनके कल्याण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना;
- अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, इसाई, सिख, पारसी, जैन एवं बौद्ध) के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार लाना;
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सहायता प्रदान करना एवं साक्षरता तथा उद्यमिता का प्रसार करना।

* वर्ष 2003-04 तक, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) का मतलब अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 रुपये तक तथा शहरी क्षेत्र में में 11,850 रुपये तक थी। बीपीएल के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकार (जुलाई 2004) ग्रामीण क्षेत्र के लिए 19,884 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25,546 रुपये कर दी गई थी।

यूपीएसएफडीसी के क्रियाकलापों की समीक्षा की गयी थी एवं टिप्पणियाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1986 तथा 1998 को समाप्त हुए वर्ष के वाणिज्यिक प्रतिवेदनों में प्रस्तुत की गई थीं। प्रथम समीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा जनवरी 1999 में आंशिक रूप से चर्चा की गयी (कृत कार्यवाही आख्या/संतुति अप्राप्त) एवं द्वितीय समीक्षा पर सितम्बर 2005 तक चर्चा नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.2.2 दिसम्बर 2004 से मई 2005 के मध्य सम्पादित वर्तमान समीक्षा तीन कम्पनियों द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन आच्छादित करती है सभी तीनों कम्पनियों के मुख्यालयों तथा यूपीएसएफडीसी (70 में से 24 जिला कार्यालय) एवं यूपीएवीवीएन (54 में से 12 जिला कार्यालय) के जिला कार्यालयों, जहाँ क्रियान्वयन प्रक्रिया विकेन्द्रित है, के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 समीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- किस हद तक कम्पनियाँ, समाज के सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर एवं अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के स्तर के मध्य सामाजिक-आर्थिक अन्तराल को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकी एवं योजनाओं को मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकीं।
- परियोजनाओं के वित्त-पोषण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रिया/मार्गदर्शिका/शासन के निर्देशों का पालन।
- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त निधि एवं उसका योजना के लाभार्थियों के सर्वोत्तम हित में उपयोग।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.2.4 लेखा परीक्षा की कसौटी में, योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित निम्नलिखित पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण शामिल है:

- सरकारी निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की चयन कसौटी।
- चयनित लाभार्थियों का समुचित अभिलेखन।
- दिशानिर्देश के अनुसार लाभार्थियों को परियोजनाओं का वित्त पोषण।
- लक्ष्य के भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि के बीच परस्पर संबंध।
- परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन एवं अनुगामी कार्यवाही की समुचितता।
- अनुश्रवण कक्ष द्वारा प्रभावी मूल्यांकन।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.2.5 लेखा परीक्षा कसौटी के संदर्भ में तुलना करते हुए लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी गयी लेखा परीक्षा कार्यविधियाँ थीं:

- कम्पनियों द्वारा गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा के दोगुना के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा के दोगुना के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का चयन, वितरण, उपयोग एवं वसूली से संबंधित प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों/वार्षिक कार्य योजनाओं का विश्लेषण। इसके लिए, लेखा परीक्षा ने निदेशकों की बैठकों की कार्यवृत्तियों/एजेण्डा, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं कम्पनियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का निरीक्षण किया।

- कम्पनियों में उपलब्ध वितरण, उपयोग एवं वसूली संबन्धित आंकड़ो का विश्लेषण। इस कार्य के लिए, लेखा परीक्षा ने जिला चयन समिति (डीएससी) की बैठक की कार्यवृत्तियों, ऋण पंजिकाओं, विशेष समन्वित योजना-5 पंजिकाओं, लाभार्थियों की वित्तीय सहायता की पत्रावलियों, मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रों, जिला कार्यालयों द्वारा समय-समय पर भेजे गए प्रपत्रों आदि का परीक्षण किया।

- योजना के विभिन्न पक्षों पर कम्पनियों को प्रारूप जारी किए गए थे तथा उस पर प्रबन्धन से सूचनाएं एवं उत्तर प्राप्त किया गया था।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के उत्थान पर समीक्षा का लेखा परीक्षा परिणाम प्रबन्धन/शासन को जून 2005 में प्रेषित किया गया था तथा इस पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की 25 जुलाई 2005 की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में अनुसचिव, अल्पसंख्यक एवंवक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, यूपीएवीवीएन के प्रबन्ध निदेशक एवं यूपीएसएफडीसी और यूपीएमकेएन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समीक्षा को अन्तिम रूप देने में प्रबन्धन/शासन के उत्तर तथा सदस्यों के विचारों को सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

लाभार्थियों की पहचान

2.2.6 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 16.60 करोड़ थी जिसमें अनुसूचित जातियाँ (3.40 करोड) एवं महिलाएँ (7.86 करोड़) सम्मिलित थीं। अल्पसंख्यकों के समबन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

- राज्य सरकार, राज्य में अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों एंव महिलाओं के सम्बन्ध में, जातियों की सूची जारी करती है। कम्पनियाँ (यूपीएसएफडीसी एवं यूपीएवीवीएन) सरकार द्वारा अधिसूचित जातियों के अर्ह व्यक्तियों की

पहचान करने के लिए अखबारों में विज्ञापन एवं कम्पनियों के सूचना-पट्ट में सूचना के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त करती हैं। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण सम्बन्धित जिलाधीश/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला समिति द्वारा की जाती है तथा अर्ह लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

- यूपीएसएफडीसी के सम्बन्ध में, स्वत: रोजगार योजना (बैंकेबुल योजना) के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के जिला-वार वार्षिक भौतिक लक्ष्य, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम विकास अधिकारी-समाज कल्याण (वीडीओ-एसके)* की उपस्थिति में किया जाना था। इसी तरह, शहरी क्षेत्र में, लाभार्थियों का चयन जिला चयन समिति (डीएससी) द्वारा किया जाना था। पारदर्शिता और निष्पक्ष चयन के लिए, यथासम्भव, बैठक में अपर जिला विकास अधिकारी (एडीडीओ)* एवं खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना था। यूपीएसएफडीसी के 24 जिला कार्यालयों के नमूना जाँच में, लाभार्थियों के चयन संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए और इसलिए स्वत: रोजगार योजना (बैंकेबुल येाजना) के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों की अर्हता लेखा परीक्षा में जाँची नहीं जा सकी।
- यूपीएमकेएन के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं में, लाभार्थियों का चयन गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) द्वारा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं में से किया जाना था तथा यूपीएमकेएन ने एक नोडल एजेन्सी की तरह काम किया।

योजनाओं का क्रियान्वयन

2.2.7 कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि:

- यूपीएसएफडीसी में, ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से 'लेखा विवरण' प्राप्त करने में विफलता, कृषि परियोजनाओं में मार्जिन मनी प्रदान न करना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनएसएफडीसी) तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (आरएसकेवीवीएन) की योजनाओं के दिशानिर्देशों के पालन में कमी, ग्रामीण क्षेत्र में दुकान निर्माण के लिए अनियमित वित्त-पोषण, कौशल वृद्धि योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार/स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य में विफलता के अतिरिक्त, परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन में कमी थी।

* जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग का अपर जिला विकास अधिकारी (एडीडीओ), यू.पी.एस.एफ.डी.सी. के पदेन जिला प्रबंधक की तरह कार्य करता है। खण्ड स्तर पर, एडीडीओ की सहायता के लिए तीन खण्डों पर एक सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) तथा हर खण्ड में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) होता है।

- परियोजआनों के वित्त-पोषण में योजना मार्गदर्शिका का पालन न करने एवं भौतिक सत्यापन में कमी के अतिरिक्त, यूपीएवीवीएन में, मार्जिन मनी ऋण के अन्तर्गत परियोजनाएँ स्वीकृत करने में अनियमतता, टर्म ऋण योजना के अन्तर्गत आटोमोबाइल परियोजनाओं की अनियमित स्वीकृति इत्यादि देखा गया।
- यूपीएमकेएन सरकार एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

कम्पनी-वार लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

2.2.8 गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों के सर्वांगीण विकास हेतु कम्पनी ने, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत प्रायोजित, कई योजनाओं को क्रियान्वित किया। समीक्षा में निम्नलिखित योजनाओं का परीक्षण सम्मिलित है:

- स्वत: रोजगार योजना (एसईपी)।
 - बैंकों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाएं।
 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनएसएफडीसी) द्वारा वित्त-पोषित योजनाएं।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (आरएसकेवीवीएन) द्वारा वित्त-पोषित योजनाएँ (विशेष समन्वित योजना से भिन्न)।
- नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना।
- कौशल वृद्धि योजना - कम्पयूटर प्रशिक्षण।

स्वत: रोजगार योजना

कम्पनी लाभार्थियों को कम लागत की परियोजनाएं वित्त-पोषित करती रही और उनका आर्थिक स्तर सुधारने में विफल रही

2.2.9 योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा/गरीबी रेखा के दोगुना के नीचे निवास करने वाले लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु आय जनित लाभकारी परियोजनाएं उपलब्ध कराना था।

प्रदेश सरकार ने, योजना के अन्तर्गत वित्त-पोषित परियोजनाओं की आर्थिक लाभकारिता का विश्लेषण करते समय, अवलोकन किया (जून 2000) कि पूर्व में कम लागत की वित्त-पोषित परियोजनाएँ लाभार्थियों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने में विफल रहीं। अत:, यह जोर दिया गया कि वर्ष 2001 से योजनाओं का वित्त-पोषण औसत लागत 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी से कम न हो।

लेखा परीक्षा विश्लेषण में यह पाया गया कि 31 मार्च 2005 को समाप्त पिछले पाँच वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं की औसत लागत 0.22 लाख रुपये (21,923 रुपये) रही, जैसा कि निम्न सारिणी में परिलक्षित होता है:

वर्ष	भौतिक (लाभार्थियों की संख्या)		वित्तीय (करोड़ रुपये में)						औसत परियोजना लागत (लाख रुपये में)
			उपदान		मार्जिन मनी		बैंक ऋण		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2000-2001	90,865	96,265	54.52	54.52	56.79	19.69	115.85	107.52	0.19
2001-2002	1,25,000	93,370	125.00	86.46	42.97	11.85	144.53	110.42	0.22
2002-2003	1,25,000	1,13,766	125.00	105.26	30.00	11.92	157.50	135.28	0.22
2003-2004	1,25,000	98,803	125.00	96.70	30.00	9.62	157.50	119.20	0.23
2004-2005	1,25,000	1,09,540	125.00	105.64	30.00	11.65	157.50	136.18	0.23
	590865	**511744**	**554.52**	**448.58**	**189.76**	**64.73**	**732.88**	**608.60**	**0.22**

इस सम्बन्ध में निम्न उल्लेखनीय है:

- कम लागत की परियोजनाओं के वित्त-पोषण से लाभार्थियों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने का योजना का उद्देश्य विफल रहा।
- ऊपर दर्शित भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि बैंकों को उपदान एवं मार्जिन मनी के प्रेषण पर आधारित है; जबकि बैंको द्वारा वास्तविक वितरण बहुत कम था। लेखा परीक्षण विश्लेषण से यह भी प्रकट हुआ कि लाभार्थियों को वितरित दर्शाये गए उपदान 448.58 करोड़ रुपये में से, 43.31 करोड़ रुपये बैंको द्वारा कम्पनी को वापस कर दिए गए थे। इसी तरह, लाभार्थियों को वितरित दर्शाये गए मार्जिन मनी 64.73 करोड़ रुपये में से, 5.85 करोड़ रुपये बैंको द्वारा कम्पनी को वापस कर दिए गए थे। इससे उपरोक्त अवधि के दौरान कम से कम 43,310 लाभार्थी वित्तीय सहायता से वंचित रहे।

प्रबन्धन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि एनएसएफडीसी द्वारा वित्त-पोषित कम लागत वाली परियोजनाओं यथा रिक्शा ठेला, सिलाई मशीन, इत्यादि को सम्मिलित करने के कारण प्रति लाभार्थी औसत लागत प्रभावित रही। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन के निर्देशों के अनुसार प्रति लाभार्थी परियोजना लागत 25,000 रुपये से कम नही होनी चाहिए थी। अत:, कम लागत की परियोजनाओं का वित्त-पोषण सरकारी निर्देशों के विपरीत था।

बैंको द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाएँ

2.2.10 बैंकों द्वारा वित्त-पोषित योजना के अन्तर्गत, गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले तथा पूर्व में अलाभान्वित प्रति वर्ष 1,25,000 परिवारों को आय जनक परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु 0.10 लाख रुपये से 7 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लाभार्थियों को 85:15 के अनुपात में, 40 प्रतिशत महिलाओं सहित, चयन करना था। परियोजना मिश्रण 55:45 के अनुपात में, कृषि क्षेत्र तथा अकृषि क्षेत्र को आच्छादित करना था।

परियोजना लागत का वित्त-पोषण निम्न प्रकार से होना था:

- रुपये 10,000 या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम था, का उपदान,

- कृषि क्षेत्र में 10,000 रुपये तथा अकृषि क्षेत्र में 25,000 रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं में, परियोजना लागत की 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में चार प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर,
- शेष परियोजना लागत बैंक ऋण की व्यवस्था करके।

कम्पनी के 70 में से 24 जिला कार्यालयों के 2002-03 से 2004-05 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच में विभिन्न कमियाँ एवं विफलताएँ पायी गईं, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

कम लागत एवं आर्थिक रूप से अलाभप्रद परियोजनाओं का वित्त-पोषण

2.2.11 कम्पनी को उन परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना था, जिनकी मौद्रिक लागत 25,000 रुपये प्रति परियोजना से कम न हो ताकि परियोजना आर्थिक रूप से अलाभकारी न हो जाए। फिर भी, 70 में से 24 जिला कार्यालयों ने, 2004-05 (दिसम्बर 2004) तक पिछले तीन वर्षों के दौरान, 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी से कम लागत की 1,02,188 (1,28,923 में से) परियोजनाएँ (79 प्रतिशत) वित्त-पोषित की। इन परियोजनाओं का विवरण (**परिशिष्ट-19**) में दिया गया है।

भूमि विकास बैंक ने उच्च ब्याज दर पर परियोजनाएं वित्त-पोषित किया जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों पर अतिरिक्त भार पड़ा

2.2.12 लाभार्थियों को सकल परियोजना लागत (बैंक अंश को सम्मिलित करते हुए) के वितरण हेतु कम्पनी बैंकों को उपदान प्रेषित करती है। यह पाया गया कि उपरोक्त अलाभकारी परियोजनाओं में से, 60 प्रतिशत परियोजनाएँ उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक (एलडीबी) द्वारा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों (नौ से 11 प्रतिशत वार्षिक) की तुलना में उच्च ब्याज दर (11 से 13 प्रतिशत वार्षिक) पर वित्त-पोषित की गयीं जिससे लाभार्थियों पर अतिरिक्त ब्याज का भार पड़ा। यह भी पाया गया कि एलडीबी ने कई मामलों में, एसईपी के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करते समय, 20,000 रुपये प्रति परियोजना (10,000 रुपये के उपदान को सम्मिलित करते हुए) की पूर्ण लागत को बैंक ऋण की तरह स्वीकृत किया तथा उपदान को समायोजित न करते हुए लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया। यह अत्यन्त अनियमित था तथा इससे कम्पनी द्वारा लाभार्थियों के मध्य वितरण हेतु जारी उपदान के व्यवहरण की संभावना बढ़ी।

इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा जिला प्रबंधक (एडीडीओ) से उपदान की राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही लाभार्थियों को परियोजना लागत की पूर्ण राशि का वितरण करना था। अलीगढ़ जिला में, एलडीबी ने 42 मामलों में, जिला प्रबंधकों (एडीडीओ) के द्वारा उपदान प्रेषित करने के चार से छः माह पहले ही संपूर्ण परियोजना लागत का वितरण (2003-04 एवं 2004-05 में) कर दिया।

उपदान प्रेषित करने के पूर्व एलडीबी द्वारा ऋण स्वीकृत करने में की गई गंभीर अनियमतताओं को रोकने में, कम्पनी विफल रही।

परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन

2.2.13 योजना के सफल क्रियान्वयन, लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु तथा आय जनित परियोजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शत-प्रतिशत परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन, बैंको को उपदान तथा मार्जिन

मनी प्रेषित करने के 30 दिन के अन्दर तथा उसके पश्चात नियमित अंतराल पर, करना था।

70 में से 18 जिला कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण में यह पाया गया कि वर्ष 2004-05 (दिसम्बर 2004) तक पाचँ वर्षो के दौरान 1,71,884 वित्त-पोषित परियोजनाओं में से जिला कार्यालयों ने मात्र 14,867 परियोजनाओं (8.65 प्रतिशत) का भौतिक सत्यापन किया था। सत्यापित परियोजनाओं में से, 287 परियोजनाएँ स्थल पर उपलब्ध नहीं पायी गई (**परिशिष्ट-20**)। इस प्रकार, इन परियोजनाओं पर अवमुक्त 28.70 लाख रुपये के उपदान की राशि का उपयोग लाभार्थियों द्वारा अन्य उद्देश्यों पर किए जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। 345.44 करोड़ रुपये (22,000 रुपये प्रति परियोजना के औसत लागत पर मूल्यांकित) लागत की शेष 1,57,017 परियोजनाएँ सत्यापित नहीं की गई (मार्च 2005)।

100 प्रतिशत की अपेक्षा के विरुद्ध मात्र 8.65 प्रतिशत परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया।

प्रबन्धन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि भौतिक सत्यापन का लक्ष्य जिला प्रबंधकों (एडीडीओ) को आबंटित किया गया था। उत्तर इस तथ्य के कारण मान्य नही है कि कम्पनी परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन का अनुश्रवण करने में विफल रही।

बैंकों से 'लेखा विवरण' प्राप्त करने में विफलता

2.2.14 योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, उपदान प्रेषित किए जाने के 30 दिन के अन्दर बैंकों द्वारा लाभार्थियों को सकल परियोजना लागत (उपदान सहित) वितरित की जानी थी। निर्धारित समय में बैको द्वारा सकल परियोजना लागत वितरण सुनिश्चित करने के लिए, जिला प्रबन्धकों (एडीडीओ) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा सहायक प्रबन्धकों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में, सम्बन्धित बैंकों से 'लेखा विवरण' प्राप्त करना था तथा उसे हर महीने की 2 तारीख तक कम्पनी मुख्यालय में प्रस्तुत करना था। 'लेखा विवरण' के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की सूचना प्रतिवेदित की जानी थी।

70 में से 21 जिला कार्यालयों के 2004-05 तक पिछले तीन वर्षो के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि जिला कार्यालयों ने मात्र 47 प्रतिशत मामलों में ही 'लेखा विवरण' प्राप्त किए थे। जिला कार्यालयों द्वारा, हालांकि, 115.11 करोड़ रुपये की लागत के 51,265 परियोजनाओं से सम्बन्धित 'लेखा विवरण' न प्राप्त होने के बावजूद, मासिक प्रगति आख्या के माध्यम से शत-प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ सूचित की गई (**परिशिष्ट-21**)।

इस प्रकार, 'लेखा विवरण' प्राप्त न करने/देर से प्राप्त करने से योजना के मूल उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रबन्धन सभी स्तरों पर दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से इसका अनुश्रवण करने में विफल रहा।

प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि जहाँ कही 'लेखा विवरण' नहीं प्राप्त हुए थे, कम से कम, वहाँ के जिला प्रबंधकों (एडीडीओ) को इसे प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

लेखा विवरण प्राप्त करने सम्बन्धी प्रावधान योजना मार्गदर्शिका में पहले से ही निहित हैं किन्तु गहन अनुश्रवण करके इसका पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

कृषि परियोजनाओं पर मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराना

2.2.15 योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, कम्पनी द्वारा कृषि क्षेत्र में 10,000 रुपये तथा अकृषि क्षेत्र में 25,000 रुपये की लागत से अधिक की परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत धनराशि चार प्रतिशत प्रति वर्ष के रियायती ब्याज दर पर, मार्जिन मनी (एमएम) के रूप में, उपलब्ध कराना था। लेखा परीक्षा ने पाया कि:

- 24 जिला कार्यालयों ने 2004-05 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र की 77,851 परियोजनाओं (20,000 रुपये की औसत लागत पर) में मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध नहीं कराया। फलत:, लाभार्थी रियायती ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण प्राप्त करने से वंचित रह गए तथा उन्हें 6.81 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ब्याज (875* रुपये प्रति परियोजना की दर से आंकलित) का भार वहन करना पड़ा।
- आगरा एवं गोंण्डा जिला कार्यालयों में, कृषि क्षेत्र की क्रमश: 935 और 721 परियोजनाएं (25,000 रुपये से 55,000 रुपये लागत के मध्य) बैंकों द्वारा बिना मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराए वित्त-पोषित की गयीं। इससे लाभार्थियों को 40.98 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा।

प्रबन्धन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि लाभार्थी, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक बैंक से ऋण लेने के इच्छुक थे। इसलिए, मार्जिन मनी ऋण का उपयोग नहीं हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं लाभार्थियों के हितो के विरूद्ध था जो योजना के उद्देश्य को विफल करने वाला था।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनएसएफडीसी) एवं राष्ट्रीय कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (आरएसकेवीवीएन) द्वारा वित्त-पोषित योजनाएँ

2.2.16 कम्पनी (यूपीएसएफडीसी), एनएसएफडीसी और आरएसकेवीवीएन की योजनाएँ संचालित करने के लिए, इनकी माध्यम अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। योजनाओं की वित्त-पोषण एवं वितरण व्यवस्था निम्न थी:

- एनएसएफडीसी ने, कम्पनी को गरीबी रेखा के दोगुना के नीचे निवास करने वाले लाभार्थियों को छ: प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाएँ उपलबध कराने हेतु, तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया। योजना में परिवहन तथा व्यवसाय क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जाना आच्छादित था।

* बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दर (11 प्रतिशत) एवं 36 किश्तों में वापस होने वाला कम्पनी के 5,000 प्रति परियोजना हेतु मार्जिन मनी ऋण (चार प्रतिशत पर) के मध्य भिन्नता पर आगणित।

- आरएसकेवीवीएन ने, कम्पनी को लाभार्थियों को छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर परियोजनाएँ उपलब्ध कराने हेतु, तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दिया। आरएसकेवीवीएन द्वारा अवमुक्त निधि का उपयोग न होने पर कम्पनी उपयोग न किए गई धनराशि पर साधारण ब्याज के अतिरिक्त, तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से कम्पनी द्वारा आरएसकेवीवीएन को अनुपयोगिता शुल्क का भुगतान किया जाना था।

ऋण निधि की व्यवस्था

2.2.17 एनएसएफडीसी, कम्पनी द्वारा चयनित आवेदकों की सूची प्रस्तुत करने पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण निधि अवमुक्त करता था। कम्पनी द्वारा लाभार्थियों से की गई वास्तविक वसूली से असंबंद्ध एनएसएफडीसी को त्रैमासिक किस्तों में ऋण की वापसी करनी थी। इस प्रकार, कम्पनी को लाभार्थियों से ऋण वसूली की ऐसी पद्धति/प्रणाली प्रकल्पित एवं मजबूत करनी थी ताकि एनएसएफडीसी के ऋण का पुनर्भुगतान ऋण वसूली की धनराशि से कर सकती।

आरएसकेवीवीएन बिना जाति एवं आय सीमा के बंधन के सफाई कर्मचारियों (स्वच्छकार को सम्मिलित कर) एवं उनके आश्रितों के लिए आय जनित परियोजनाओं का वित्त-पोषण करता था।

कम्पनी को तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं की पहचान एवं प्रकल्पना करनी थी तथा उन्हें आरएसकेवीवीएन को वित्त-पोषण हेतु प्रस्तुत करना था। संभावी लाभार्थियों की पहचान जिला नगरीय विकास परिषद (डूडा), एक सरकारी एजेन्सी, के द्वारा 2002-03 में पहचान की गई सफाई कर्मचारियों की सूची में से की जानी थी।

2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान, एनएसएफडीसी तथा आरएसकेवीवीएन से वर्षवार ऋण निधि की प्राप्ति, वितरण, ऋण की वापसी तथा लाभार्थियों से की गई वसूली **परिशिष्ट-22** में दी गई है।

परिशिष्ट के विश्लेषण से निम्न तथ्य संज्ञान में आते है:

एनएसएफडीसी ऋण निधि

एनएसएफडीसी को 20.42 करोड़ रुपये की धनराशि वापस की गयी क्योंकि कम्पनी इच्छित लाभार्थियों की पहचान नहीं कर सकी।

- 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान, कम्पनी ने एनएसएफडीसी से प्राप्त कुल निधि से मात्र 76.89 करोड़ रुपये (68 प्रतिशत) ही लाभार्थियों को वितरित किया तथा 20.42 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत) वापस कर दिया। वर्ष 2004-05 के अन्त में, प्राप्त ऋण में से 16.40 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) अवितरित रहा। लेखा परीक्षा विश्लेषण में यह भी पाया गया कि कम्पनी ने बिना इच्छित लाभार्थियों की पहचान किए, ऋण निधि प्राप्त किया। फलतः, 20.42 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हो सका तथा एनएसएफडीसी को वापस किया गया। यह कम्पनी द्वारा अनुचित नियोजन को दर्शाता है।

लाभार्थियों से दयनीय वसूली के कारण कम्पनी ने एनएसएफडीसी को 24.34 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान अपने स्रोतों से किया।

- कम्पनी ने 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान, एनएसएफडीसी को 53.99 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया जबकि लाभार्थियों से मात्र 29.65 करोड़ रुपये की ही वसूली की गई थी। वसूली से 24.34 करोड़ रुपये अधिक का पुनर्भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्रोतों से किया गया। फलतः, इससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

आरएसकेवीवीएन ऋण निधि

- कम्पनी को, आरएसकेवीवीएन के माध्यम अभिकर्ता की तरह कार्य करते हुए, लाभार्थियों द्वारा वसूली गई राशि में से आरएसकेवीवीएन को ऋण के पुनर्भुगतान के साथ-साथ अपने लिए लाभांश भी बचाना था। कम्पनी ने, हालांकि, लाभार्थियों से मात्र 2.20 करोड़ रुपये ही वसूल किया किन्तु इसे आरएसकेवीवीएन को 7.50 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्भुगतान करना पड़ा। वसूली से 5.30 करोड़ रुपये अधिक का पुनर्भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्रोतों से किया गया जिससे कम्पनी के संसाधनो पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

- कम्पनी आरएसकेवीवीएन द्वारा अवमुक्त 32.99 करोड़ रुपये की संपूर्ण निधि का उपयोग नहीं कर सकी तथा वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान 6.58 करोड़ रुपये (कुल प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत) वापस कर दिया जिसका मुख्य कारण निधि अवमुक्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले लाभार्थियों की पहचान न करना था।

- आरएसकेवीवीएन द्वारा अनुपयोगिता शुल्क (उपयोग न की गई राशि पर साधारण ब्याज दर से 3 प्रतिशत वार्षिक की अधिक दर से) की माँग के कारण, दायित्व से कम्पनी को 85.17 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन/शासन ने, लेखा परीक्षा के प्रेक्षण से सहमत होते हुए, कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि लाभार्थियों (एनएसएफडीसी प्रायोजित योजना) को परियोजना की आय से ऋण एवं ब्याज की वापसी के साथ-साथ अपना जीविकोपार्जन भी करना था। इन परिस्थितियों में, लाभार्थियों से शत-प्रतिशत वसूली नहीं की गयी। अतः, वसूली से एनएसएफडीसी/आरएसकेवीवीएन के ऋण का पुनर्भुगतान संभव नही था।

यह तथ्य फिर भी रह जाता है कि कम्पनी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान अपने स्रोतों से करने की वजह से उसके संसाधनों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

एनएसएफडीसी/आरएसकेवीवीएन द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2.2.18 परियोजनाओं के विवरण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन पर लेखा परीक्षा के प्रेक्षण परिशिष्ट-23 में दिये गये हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गई कमियाँ निम्न क्षेत्रों में थी:

- इन योजनाओं की मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया।

- परिसम्पत्तियों के विक्रेताओं के पक्ष में चेक/ड्राफ्ट निर्गत करने के बजाय लाभार्थियों को परिसम्पत्तियों के क्रय एवं अपने उपयोग हेतु धनराशि के आहरण की अनुमति प्रदान की गयी।
- जिला प्रबंधक (एडीडीओ) अपने देख-रेख में परिसम्पत्तियों के क्रय करवाने में विफल रहे।
- स्थापित की गई परिसम्पत्तियों पर बीमा नहीं प्राप्त किया गया।
- लाभार्थियों ने, योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत, वित्त-पोषित वाहनों का उपयोग निजी कार्य हेतु किया गया।
- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक उपयोग हेतु वाहन के परमिट प्राप्त नहीं किए गए।
- वाहनों का रजिस्ट्रेशन अन्य राज्यों में किया गया।
- ऋण की अर्हता के साक्ष्य स्वरूप आय प्रमाण-पत्र नहीं लिए गए।
- संभावी लाभार्थियों (सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार) की पहचान, मार्गदर्शिका के विपरीत, पुरानी सर्वे सूची से किया गया।

अन्य योजनाएँ

2.2.19 उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, लेखा परीक्षा ने 'नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण' तथा 'कौशल वृद्धि-कम्पयूटर प्रशिक्षण' योजनाओं की भी समीक्षा की। योजनाओं का विवरण तथा उनके कार्यान्वयन पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण का विवरण **परिशिष्ट-24** में दिया गया है। कम्पनी ने वर्ष 2001-01 से 2004-05 के दौरान दुकान निर्माण के लिए 7,527 लाभार्थियों को 27.98 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। कम्पनी को इन लाभार्थियों के लिए कार्यशील पूँजी की सहायता प्रदान करनी थी जिसमें कि यह ऐसा करने में विफल रही। दुकान निर्माण के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करने में योजना की मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजना का लाभार्थियों की आर्थिक स्तर में सुधार का उद्देश्य विफल रहा।

निम्न गुणवत्ता एवं अमान्यता प्राप्त कोर्स में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कारण 24.66 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ।

2004-05 तक पाँच वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानो के माध्यम से तीन चरणों में कम्पयूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी तथा 20,556 लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर 24.66 करोड़ रुपये (4.59 करोड़ रुपये के दायित्व सहित) व्यय किया गया। यह अलाभकारी सिद्ध हुआ क्योंकि प्रशिक्षण अमान्यता प्राप्त कोर्स के लिए प्रदान कराया गया। योजनाओं के कार्यान्वयन में पायी गई अन्य कमियाँ निम्न थी:

- प्रशिक्षण कोर्स के लिए लिया गया शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक था।
- गैर-अनुमोदित संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया।
- जिला प्रबंधक (एडीडीओ) यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि क्या लाभार्थियों को गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखा परीक्षा

समीक्षा एवं अनुश्रवण

2.2.20 आन्तरिक नियंत्रण उपाय के रूप में, कम्पनी ने अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना की है। अनुश्रवण प्रकोष्ठ को वार्षिक कार्य योजना एवं मार्गदर्शिका बनाने, योजना का मार्गदर्शिका के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मासिक प्रगति आख्या से सूचना संकलन एवं विश्लेषण करने का कार्य सौंपा गया था। इसके द्वारा योजनाओं के कार्योत्तर प्रभाव का आंकलन भी किया जाना था। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि प्रकोष्ठ ने जिला कार्यालयों द्वारा भेजी गई सूचना का संकलन किया था परन्तु योजना के क्रियान्वयन का विश्लेषण तथा कार्योत्तर प्रभाव का आंकलन नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को योजना का वास्तविक लाभ मिला।

आन्तरिक लेखा परीक्षा

कम्पनी के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ को, जिला कार्यालयों का लेखा परीक्षण यह सत्यापित करने के लिए करना था कि योजना का क्रियान्वयन योजना मार्गदर्शिका/सरकारी निर्देशों के अनुसार कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से हो रहा था। लेखा परीक्षा ने यह पाया कि प्रकोष्ठ ने लेखाओं का संकलन तथा तलपट तैयार करने का कार्य किया जो कि सनदी लेखाकारों द्वारा किया जा सकता था।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

2.2.21 कम्पनी प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं यथा टर्म ऋण, मार्जिन मनी ऋण, पूर्व-परीक्षा कोचिंग एवं प्रशिक्षण तथा विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही थी।

वर्ष 2001-02 तक, योजनाओं का क्रियान्वयन कम्पनी के मुख्यालय से किया जाता रहा। वर्ष 2002-03 से, कम्पनी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (डीएमडब्ल्यूओ), जिन्हें टर्म ऋण तथा मार्जिन मनी ऋण योजनाओं को अपने स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत किया गया, के माध्यम से जिला स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया (जून 2002)। विकेन्द्रीकरण के पश्चात, टर्म ऋण तथा मार्जिन मनी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत जिला कार्यालयों के लिये निर्धारित किये गये वार्षिक वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति, सम्बन्धित जिला कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों से वसूली गयी ऋण तथा ब्याज की राशि से की जानी थी।

लेखा परीक्षा में कम्पनी के 54 जिला कार्यालयों में से 12 कार्यालयों के योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई कमियों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

चयन कसौटी

आवेदन पत्र पंजिकाएं नहीं बनायी गयीं।

2.2.22 लाभार्थियों से आवेदन पत्र दो प्रतियों में एकत्र किए जाने थे और जिला कार्यालयों में रखे गये आवेदन-पंजिका में सूचीबद्ध किये जाने थे। आवेदन पत्रों की

प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर आवेदन पत्रों सहित पंजिकाएं जिला चयन समिति (डीएससी) के समक्ष रखा जाना था। डीएमडब्ल्यूओ को चयनित लाभार्थियों के विवरण, कारण दर्शाते हुई निरस्त आवेदन पत्रों की सूची सहित, कम्पनी के मुख्यालय को सूचित करना था।

लेखा परीक्षा ने पाया कि 11 जिला कार्यालयों में आवेदन पंजिकायें बनायी नहीं गई थीं, जबकि बुलन्दशहर में, आवेदन पंजिकायें डीएमडब्ल्यूओ द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थीं। निरस्त आवेदन पत्रों की कारण सहित सूची न तो जिला कार्यालयों में उपलब्ध थीं और न ही कम्पनी के मुख्यालय में जमा की गई थीं। अत:, लेखा परीक्षा में लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता का आकंलन नहीं किया जा सका।

टर्म लोन योजना

2.2.23 भारत सरकार ने, प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनएमडीएफसी) द्वारा वित्त-पोषित लाभार्थियों को टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिये, एक योजना प्रारम्भ की (1994)। योजना के अन्तर्गत, गरीबी रेखा के दुगने* के नीचे जीवनयापन करने वाले अल्पसंख्यकों को नयी परियोजनाओं की स्थापना के लिये अथवा पुरानी योजनाओं के विस्तार के लिये ऋण प्रदान किया जाना था जिसका वित्त-पोषण एनएमडीएफसी, कम्पनी और लाभार्थी द्वारा क्रमश: 85:10:5 के अनुपात में किया जाना था।

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

2.2.24 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान, टर्म ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण के वितरण के सम्बन्ध में लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं:

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		कमी की प्रतिशतता	
	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (करोड़ रुपये में)	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (करोड़ रुपये में)	भौतिक	वित्तीय
2000-01	6000	15.00	3464	8.28	42.27	44.80
2001-02	5600	25.00	3741	11.19	33.20	55.24
2002-03	5600	20.00	4677	20.06	16.48	(+) 0.30
2003-04	2600	10.00	3050	10.77	(+) 17.31	(+) 7.70
2004-05	2600	10.00	2311	8.21	11.12	17.90

इस सम्बन्ध में निम्न उल्लेखनीय है:

- 2003-04 को छोड़कर 2004-05 तक के पाँच वर्षों के दौरान, भौतिक उपलब्धियों में कमी 11.12 और 42.27 प्रतिशत के मध्य रही; वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2004-05 में वित्तीय उपलब्धियों में कमी 17.90 और 55.24 प्रतिशत के मध्य रही।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि एनएमडीएफसी से विलम्ब से निधि की प्राप्ति तथा लाभार्थियों द्वारा औपचारिकताओं की पूर्ति न करना लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

* नगरीय क्षेत्र के लिये 42,000 रूपये प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32,000 रूपये प्रति वर्ष

के मुख्य कारण थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, एनएमडीएफसी से ऋण निधि की माँग करने से पूर्व कम्पनी द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूरी करा ली जानी चाहिए थी।

- 12 जिला कार्यालयों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2002-03 और 2003-04 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ शासन को 1,312 मामलों में 6.76 करोड़ रुपये की सीमा तक अधिक प्रतिवेदित की गई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	शासन को प्रतिवेदित		जिला कार्यालय के अभिलेखानुसार वास्तविक		अन्तर (अधिक प्रतिवेदित)	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2002-03	1376	6.65	284	0.96	1092	5.69
2003-04	1110	3.77	890	2.70	220	1.07
योग	**2486**	**10.42**	**1174**	**3.66**	**1312**	**6.76**

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि जिला कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उपलब्धियाँ शासन को प्रतिवेदित की गई थीं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन को प्रतिवेदित की गई उपलब्धियाँ वितरण के वास्तविक आँकड़ो से भिन्न थीं जैसा कि जिला कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापित किया गया।

ऋण निधि की व्यवस्था

2.2.25 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी से प्राप्त ऋण निधि की वर्षवार स्थिति, लाभार्थियों को इसका वितरण, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त राशि, लाभार्थियों से की गई वसूली और एनएमडीएफसी को किया गया पुनर्भुगतान निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1	निधि का प्रारम्भिक शेष	1.98	9.16	6.10	(-)0.02	1.59	
2	प्राप्त निधि	15.00	7.50	12.82	11.78	12.94	60.04
3	वितरण हेतु उपलब्ध	16.98	16.66	18.92	11.76	14.53	
4	लाभार्थियों को वितरित (एनएमएफडीसी का अंश)	7.82	10 56	18.94	10.17	7.75	55.24
5	अन्तिम शेष	9.16	6.10	(-) 0.02	1.59	6.78	
6	एनएमडीएफसी को पूनर्भुगतान	7.42	9.69	8.13	13.25	15.90	54.39
7	लाभार्थियों से वसूली	7.06	6.90	7.35	8.09	4.21	33.61
8	एनएमडीएफसी को लाभार्थियों से हुई वसूली से अधिक पुनर्भुगतान	0.36	2.79	0.78	5.16	11.69	20.78

इस सम्बन्ध में, निम्न उल्लेखनीय है:

- एनएमडीएफसी की स्वीकृति के बिना, 85:10:5 के अनुपात के स्थान पर 90:10 (एनएमडीएफसी/कम्पनी एवं लाभार्थी) करके योजना की वित्त-पोषण शैली परवर्तित कर दी गई। इससे 2004-05 तक पाँच वर्षो के दौरान 3.25 करोड़ रुपये की सीमा तक लाभार्थियों पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।
- पाँच वर्षों के दौरान, कम्पनी ने लाभार्थियों से 33.61 करोड़ रुपये की वसूली की जबकि उसने एनएमडीएफसी को 54.39 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया। 20.78 करोड़ रुपये का अधिक पुनर्भुगतान, एनएमडीएससी द्वारा 2004-05 में निधि प्रदान करते समय 7.15 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष समायोजन द्वारा किया गया और 13.63 करोड़ रुपये की शेष धनराशि का भुगतान कम्पनी द्वारा स्वयं अपने कोष से किया गया।

प्रबन्धन ने उत्तर (जुलाई 2005) में तथ्यों की पुष्टि कर दी थी।

निम्न लागत के आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनाओं का वित्त-पोषण

कम लागत वाली परियोजनाओं के वित्त-पोषण से आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाएं प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

2.2.26 आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजना चलाने के लिये लाभार्थियों को वित्त-पोषित किया जाना था जिसमें 30,000 रुपये वाली 40 प्रतिशत परियोजनाओं तथा 50,000 रुपये की सीमा वाली 60 प्रतिशत परियोजनाओं को समावेशित करना था। 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान आटोमोबाइल परियोजनाओं का वित्त-पोषण नहीं किया जाना था।

केवल भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये, सभी जिला कार्यालयों ने, योजना मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुये, 50 प्रतिशत से अधिक ऐसी परियोजनाएं उपलब्ध कराया जो 22,500 रुपये से 27,000 रुपये तक की कम लागत वाली परियोजनाएं थीं। जिला चयन समिति ने, वित्त-पोषित की जाने वाली परियोजनाओं को अन्तिम रूप देते समय प्रस्तावित परियोजना लागतों पर ध्यान न देते हुये, परियोजना लागत को सहसा कम करके रुपये 22,500/27,000 कर दिया। इससे योजना का आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाएँ के उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

यह भी पाया गया कि प्रतिबन्ध के बावजूद, 2003-04 के दौरान, 11.98 लाख रुपये मूल्य वाली आठ आटोमोबाइल परियोजनाएँ बाराबंकी (दो) और रामपुर (छः) जिला कार्यालयों में वित्त-पोषित की गयीं।

परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन

100 प्रतिशत की अपेक्षा के विरुद्ध मात्र 57.4 प्रतिशत परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया।

2.2.27 डीएमडब्लयूओ द्वारा ऋण वितरण की तिथि से 45 दिन के अन्दर तथा इसके पश्चात नियमित अन्तरालों पर परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाना था।

लेखा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 1996 से 2002-03 के दौरान वित्त-पोषित 24,631 परियोजनाओं में से, केवल 14,143 परियोजनायें (57.4 प्रतिशत) 54 जिलों में सितम्बर 2003 से नवम्बर 2003 के दौरान सत्यापित की गयीं। सत्यापित परियोजनाओं में से, 10.04 करोड़ रुपये मूल्य वाली 3,137 परियोजनाएँ कार्यस्थल

पर विद्यमान नहीं पायी गई। शेष 42.6 प्रतिशत परियोजनाएँ मार्च 2005 तक सत्यापित नहीं की गई थीं। उपरोक्त के अतिरिक्त, 12 जिलों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 2003-04 एवं 2004-05 की अवधि में 1,810 वित्त-पोषित परियोजनाओं में से केवल 88 परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन (ऋण: 0.29 करोड़ रुपये) सम्पादित किया गया। 5.19 करोड़ रुपये मूल्य की शेष 1,722 परियोजनाएँ मार्च 2005 तक असत्यापित रहीं।

आटोमोबाइल परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन भी डीएमडब्ल्यूओ द्वारा नही किया गया था। इस प्रकार, उन पर किया गया व्यय भी प्रमाणित नहीं हो सका।

परियोजना का बीमा

2.2.28 टर्म ऋण नियमावली के नियम 9.4 में प्रावधान था कि लाभार्थियो को ऋण वितरण की तिथि से 30 दिन के अन्दर परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों को बीमित कराना होगा तथा कम्पनी के पक्ष में पॉलिसी बॉण्ड जमा करना होगा। सभी 12 जिला कार्यालयों के डीएमडब्ल्युओ यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि सभी प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में परियोजनाओं का बीमा कराया गया जैसा कि टर्म ऋण नियमावली में अपेक्षित था।

लाभार्थियों से उत्तरदिनांकित चेकों की प्राप्ति

2.2.29 जैसा कि मार्गदर्शिका में विहित है, डीएमडब्ल्युओ से अपेक्षित था कि वे ऋण वितरण से पूर्व वसूली के किश्तों के लिये लाभार्थियों से उत्तरदिनांकित चैक प्राप्त करें तथा उन्हें निर्धारित तिथि पर संग्रहण हेतु बैंकर को प्रस्तुत करें। लेखा परीक्षा ने पाया कि सभी जिला कार्यालयों के डीएमडब्ल्युओ विहित नियमों का उल्लंघन कर रहे थे क्योंकि लाभार्थियों को ऋणों का वितरण उनसे बिना उत्तरदिनांकित चैक प्राप्त किये किया गया था। इससे ऋणों की वसूली पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

वसूल की गई ऋण एवं ब्याज की राशि का लेखांकन

2.2.30 जैसा कि मार्दर्शिका में अपेक्षित है, वसूली के विवरण में लाभार्थियों को आबंटित पहचान (आईडी) कोड का उल्लेख होना चाहिये। लेखा परीक्षा ने पाया कि 16,760 लेनदेन के मामलों में प्राप्ति रसीद पर लाभार्थियों की आईडी संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। फलत:, 2004-05 तक पाँच वर्षो की अवधि में 9.79 करोड़ रुपये वसूली गयी राशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में लेखांकित नहीं हुई जिससे उनके खातों के समाधान/मिलान में असुविधा रही।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2005) कि उपरोक्त सभी उल्लिखित मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मार्जिन मनी ऋण योजना

2.2.31 कम्पनी ने उद्योग/व्यापार एवं कृषि परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित मार्जिन मनी ऋण योजना आरम्भ की (1986)। योजना का वित्त-पोषण 2002-03 तक राज्य सरकार द्वारा एवं उसके पश्चात एनएमडीएफसी द्वारा किया गया। योजना के अन्तर्गत, लाभार्थियों को 5 लाख रुपये की परियोजना लागत तक के लिये ऋण

उपलब्ध था जिसका वित्त-पोषण एनएमडीएफसी/कम्पनी, बैंक एवं लाभार्थी द्वारा क्रमश: 30:65:5 के अनुपात में किया जाना था।

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

2.2.32 मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत 2004-05 तक पाँच वर्षों की अवधि में ऋण के वितरण के लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं:

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियाँ		कमी की प्रतिशतता	
	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (करोड़ रुपये में)	भौतिक (संख्या)	वित्तीय (करोड़ रुपये में)	भौतिक	वित्तीय
2000-01	200	0.50	125	0.28	37.5	44
2001-02	400	1.00	104	0.28	74	72
2002-03	400	1.00	134	0.29	66.5	71
2003-04	400	4.00	170	0.61	57.5	84.75
2004-05	400	4.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि 2003-04 तक चार वर्षों की अवधि में, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों में क्रमश: 37.5 एवं 74 प्रतिशत तथा 44 एवं 84.75 प्रतिशत के मध्य कमी रही। उपलब्धियों में कमी के मुख्य कारण, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया, निम्न थे:

- परियोजनाओं की लाभकारिता का उचित मूल्यांकन किये बिना डीएमडब्ल्युओ द्वारा नैत्यिक प्रकृति के परियोजना प्रतिवेदन प्रेषित करने के कारण, बैंकों द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृत न करना, तथा
- स्वीकृति के लिये बैंक को भेजे गये ऋण आवेदन पत्रों का अनुसरण न करना।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा प्रेणणों को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2005)।

12 जिला कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण के समय, 185 लाभार्थियों जिन्हें 2004-05 तक तीन वर्षों के दौरान 67.49 लाख रुपये का मार्जिन मनी ऋण वितरित किया गया था, के सम्बन्ध में निम्न कमियाँ पायी गईं:

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता का अभाव

2.2.33 जिला कार्यालयों को लाभार्थियों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा उनके निस्तारण का अभिलेखन करने के लिये आवेदन पंजिका बनानी थी। ये आवेदन पत्र ऋण की आगामी स्वीकृति के लिये बैंक भेजे जाने थे। लेखा परीक्षा ने पाया कि आवेदन पंजिकाऐं दो जिला कार्यालय (लखनऊ एवं बुलन्दशहर) को छोड़कर सभी 12 जिला कार्यालयों में नहीं बनाई गयी थीं। जहाँ कहीं इसे बनाया गया था, वहाँ लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये आवेदनों के निस्तारण का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया गया।

परियोजनाओं की लाभकारिता का मूल्यांकन

2.2.34 डीएमडब्ल्युओ द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में फारवर्ड एण्ड बैकवर्ड लिंकेज (कच्चे माल की आपूर्ति एवं निर्मित माल का विपणन का तालमेल) किया जाना

था ताकि परियोजनाओं की लाभकारिता का आंकलन किया जा सके। लेखा परीक्षा ने पाया कि फारवर्ड एण्ड बैकवर्ड लिंकेज, जोकि परियोजनाओं की सफलता के लिये महत्वपूर्ण घटक थे, डीएमडब्ल्युओ द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में मूल्यांकित नही किये गये थे। यह फिर अवलोकित हुआ कि दो जिलों में बिना परियोजना प्रतिवेदन के 14 परियोजनायें वित्त-पोषित की गयी थीं।

अभिलेखन

2.2.35 लेखा परीक्षा ने पाया कि जिला कार्यालयों ने उचित अभिलेखन के सम्बन्ध में योजना मार्गदर्शिका के प्रावधानों का या तो अनुसरण नहीं किया या इससे विचलित रहे, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

- लाभार्थियों से ऋण के लिये उनकी अर्हता के प्रमाण स्वरूप आय प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने थे। यह देखा गया कि, पाँच जिलों के 54 मामलों में, वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। बारांबकी जिले में, गरीबी रेखा की सीमा के दुगने से अधिक आय वाले लाभार्थी को बोलेरो जीप के लिये वित्त-पोषित किया गया जो कि येाजना मार्गदर्शिका के विपरीत था।

- ऋण से निर्मित परिसम्पत्तियों पर द्वितीय प्रभार की स्वीकृति सम्बन्धित बैंको से प्राप्त की जानी थी। यह देखा गया कि मेरठ जिले के 15 मामलों में, बैंको से द्वितीय प्रभार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ऋण वितरित किया गया।

लाभार्थियों से आय प्रमाण पत्र, परिसम्पत्तियों पर द्वितीय प्रभार, उत्तरदिनांकित चेक, स्वामित्व सम्बन्धी प्रलेख प्राप्त नहीं किये गये।

- ऋण वितरण के पूर्व लाभार्थियों से उत्तरदिनांकित चेक (पीडीसी) प्राप्त किये जाने थे। यह देखा गया कि सभी 12 जिला कार्यालयों में ऋण वितरण के पूर्व लाभार्थियों से पीडीसी प्राप्त नहीं किये गये थे। ।फैजाबाद जिले में, एक रिक्त तथा एक अरेखांकित पीडीसी लाभार्थियों से प्राप्त किया गया था लेकिन न तो बैंक को प्रस्तुत किया गया और न ही कम्पनी के पास उपलब्ध था। उपरोक्त परिस्थितियों में, पीडीसी के दुरुपयोग की समभावना को नकारा नहीं जा सकता।

- व्यापारिक कार्यस्थल के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये या तो स्वामित्व प्रलेख या किरायेदारी अनुबन्ध या किराया प्राप्ति रसीद प्राप्त की जानी थी। यह देखा गया कि, 176 मामलों में व्यापारिक कार्यस्थल के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये कोई अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त नहीं किया गया।

- परिवहन क्षेत्र के अन्तर्गत नौ परियोजनायें, वाहन के कोई अभिलेख प्राप्त किये बिना, वित्त-पोषित की गयीं। बरेली जिले के दो मामलों में, मोटर साइकिल के ड्राइविंग लाइसेन्स पर एक मिनी ट्रक वित्त-पोषित किया गया तथा एलएमवी(टी) के ड्राइविंग लाइसेन्स पर एक थ्री-व्हीलर वित्त-पोषित किया गया।

भौतिक सत्यापन

2.2.36 डीएमडब्ल्युओ से अपेक्षित था कि वे ऋण वितरण से 45 दिन के अन्दर शत्-प्रतिशत परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करें तथा प्रतिवेदन को परियोजना फाइल में रखें जिसमें असफल होने पर, डीएमडब्ल्युओ तथा लाभार्थियों को ऋण राशि का दुरुपयोग करने के लिये उत्तरदायी समझा जायेगा।

लेखा परीक्षा ने पाया कि भौतिक सत्यापन (सितम्बर से नवम्बर 2003) के दौरान 54 जिला कार्यालयों में 461 परियोजनाओं के लिये वितरित किया गया 65 लाख रुपये के मार्जिन मनी ऋण का अनुचित उपयोग समझा गया क्योंकि परियोजनाएँ कार्यस्थल पर अस्तित्व में नहीं थी।

12 जिला कार्यालयों की लेखा परीक्षा में की गयी नमूना जाँच ने प्रकट किया कि किसी भी मामले में डीएमडब्ल्युओ द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

परिसम्पत्तियों का बीमा

2.2.37 ऋण निधि से निर्मित की जाने वाली परिसम्पत्तियों पर पाँच साल के लिये बीमा प्राप्त करने हेतु अपेक्षित धनराशि रोकने के पश्चात ऋण का वितरण किया जाना था। लेखा परीक्षा ने पाया कि सभी 12 जिलों में, डीएमडब्ल्युओ ने न तो बीमा आच्छादन हेतु कोई धनराशि रोकी और न ही उन्होने परिसम्पत्ति के निर्माण के पश्चात लाभार्थियों से बीमा आच्छादन प्राप्त किया।

ऋण वितरण का अनुसरण

2.2.38 बैंको से अपेक्षित था कि वे बैंक ऋण का वितरण कम्पनी से प्राप्त मार्जिन मनी के साथ करें। लेखा परीक्षा ने, तथापि, पाया कि डीएमअब्ल्युओ ने 183 मामलों में बैंक ऋण का वितरण सुनिश्चित नहीं किया। दो मामलों में, कम्पनी द्वारा मार्जिन मनी वितरण से पूर्व, बैंक ऋण का वितरण किया गया था। बुलन्दशहर जिले के 14 मामलों में, मार्जिन मनी के लिये 2.82 लाख रुपये के चेक लाभार्थियों के नाम के बजाय बैंको के नाम पर जारी किये गये थे और इसलिये, लेखा परीक्षा में लाभार्थियों को इसके वास्तविक वितरण का आंकलन नहीं हो सका।

वसूली गयी धनराशि का लेखांकन

2.2.39 वसूली गयी धनराशि के उचित लेखांकन रखने के लिये वसूली पर्ची में आईडी कोड का अंकन किया जाना था। लेखा परीक्षा ने, तथापि, पाया कि लाभार्थियों की वसूली पर्ची में आईडी कोड का उल्लेख न किये जाने के कारण, 2004-05 तक पाँच वर्षो के दौरान, 1,527 लेन-देनों के सापेक्ष 65 लाख रुपये वसूली की प्रविष्टि कम्पनी के मुख्यालय में बनाये गये लाभार्थियों के खातों में नहीं हो पायी।

परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

2.2.40 कम्पनी ने प्री-मेडिकल एवं प्री-इन्जीनियरिंग तथा केन्द्रीय/प्रान्तीय सिविल सेवा परीक्षा देने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े हुये अल्पसंख्यक प्रतिभागियों के लिये परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना इस उद्देश्य से प्रारम्भ (1998) की ताकि अन्य अभिकांक्षी प्रतिभागियों के स्तर तक उनका उत्थान किया जा सके तथा इन

परीक्षाओं में उनकी भागीदारी तथा सफलता सुनिश्चित हो सके। योजना राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये उपदान से वित्त-पोषित होनी थी। कम्पनी द्वारा विहित मानदण्ड के अनुसार, प्रतिभागियों का चयन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से क्रमश: 60:40 के अनुपात में किया जाना था।

नीचे दी गयी तालिका 2004-05 तक पाँच वर्षो के दौरान योजना के भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को इंगित करती है:

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	लक्ष्य (संख्या)	350	350	350	470	800
2	उपलब्धियाँ (संख्या)					
3	ग्रामीण	86	46	86	70	188
4	नगरीय	201	143	189	224	298
5	**योग**	**287**	**189**	**275**	**294**	**486**
6	उपलब्धि में सम्पूर्ण कमी का प्रतिशत	18	46	21	37	39
7	ग्रामीण प्रतिभागियों का कुल प्रतिभागियों से प्रतिशत	30	24	31	24	39

इस सम्बन्ध में निम्न उल्लेखनीय है:-

ग्रामीण अंचल से कम संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

- लक्ष्य की प्राप्ति में सम्पूर्ण कमी 18 से 46 प्रतिशत के मध्य रही। यह मानदण्ड कि ग्रामीण अभ्यर्थी कुल अभ्यर्थियों के 60 प्रतिशत होने थे के सापेक्ष, ग्रामीण अभ्यर्थियों की प्रतिशतता 24 से 39 के बीच रही। लेखा परीक्षा ने यह पाया कि समग्र रूप से कमी तथा ग्रामीण अंचल से कम संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण थे, प्रचार-प्रसार का तथा ग्रामीण अभ्यर्थियो में योजना के बारे में जानकारी का अभाव और ठहरने की सुविधा का उपलब्ध न होना।
- जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों की पंजिका के अभाव में, अपेक्षित संख्या से कम ग्रामीण आँचल के अभ्यर्थियों के चयन में पारदर्शिता का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

54 अभ्यर्थियों का चयन फर्जी पाया गया।

- कम्पनी के मुख्यालय की एक टोली के द्वारा किए गये निरीक्षण (अगस्त 2001) में 54 अभ्यर्थियों का नामांकन फर्जी पाया गया (मिर्जापुर: 34, मेरठ: 10, गोरखपुर: 6 तथा फैजाबाद: 4)। इससे जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का अभाव इंगित होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह पाया गया कि कोचिंग के पश्चात अभ्यर्थियों की सफलता की जानकारी हेतु कोई प्रणाली नहीं प्रकल्पित की गई जिससे योजना की सफलता का आंकलन किया जा सके। इससे योजना का उद्देश्य विफल रहा।

आन्तरिक नियंत्रण

2.2.41 योजना की मूल्यांकन तथा अनुश्रवण प्रणाली कमजोर थी जिससे कम्पनी योजना मार्गदर्शिका का पालन नहीं कर सकी। कम्पनी, मुख्यालय तथा जिला

कार्यालयों पर उचित लेखा-पुस्तकों (कैश बुक, बैंक बुक, छपे हुए पत्रों की पंजिका, लाभार्थी ऋण पंजिका इत्यादि) के रख-रखाव में, विफल रही।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड

2.2.42 कम्पनी ने 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान दो योजनाएँ कार्यान्वित किया यथा महिलाओं की आर्थिक योजना (डब्लूईपी) एवंस्वंयसिद्धा योजना। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में निम्न कमियाँ पायीं गईं:

महिलाओं की आर्थिक योजना

2.2.43 नार्वेजियन एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट (नोराड) की सहायता से गैर सरकारी संगठनो (एनजीओ) के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आय जनित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कम्पनी को महिलाओं की आर्थिक योजना के संचालन का कार्य सौपा (अगस्त 1998)। योजना के अन्तर्गत, कम्पनी के माध्यम से एनजीओ के प्रस्तावों को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करना था और एनजीओ को वितरण किया जाना था। कम्पनी ने एक माध्यम अभिकर्ता की तरह कार्य किया तथा एनजीओ को निधि वितरित किया और इसका एनजीओ की कार्य प्रणाली पर कोई प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं था।

वर्ष 1996-97 से 2002-03 (दिसम्बर 2002 तक), भारत सरकार द्वारा 11.13 करोड़ रुपये के उद्व्यय वाली 406 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई जिसके सापेक्ष कम्पनी ने 8.21 करोड़ रुपया प्राप्त किया तथा विभिन्न एनजीओ को योजना के क्रियान्वयन के लिए 7.75 करोड़ रुपये वितरित किया। भारत सरकार द्वारा कम्पनी से दिसम्बर 2002 में योजना का संचालन कार्य वापस ले लिया गया तथा इसे समाज कल्याण सलाहकार परिषद को सौप दिया गया। दिसम्बर 2002 तक, 20,555 महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक व्यापारों में प्रशिक्षण दिया गया था।

नौ एनजीओ के अभिलेखों के लेखा परीक्षण में यह पाया गया कि:

- स्थायी परिसम्पत्तियों तथा माल के क्रय संबंधी बाउचर पूर्ण नहीं थे क्योंकि इन पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन संख्या, क्रय की गयी परिसम्पत्तियों के ब्रांड का नाम इत्यादि नहीं पड़े थे;
- जैसा कि योजना की मार्गदर्शिका में प्रावधानित था, सतत् रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये।

कम्पनी ने एनजीओ से 1.17 करोड़ रुपये के उपकरण वापस नहीं लिया।

- भारत सरकार के दिशा निर्देशों (जनवरी 2001) के अनुसार, एनजीओ द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए उपकरणों का उपयोग करते हुए कम से कम तीन बैच में प्रशिक्षण प्रदान करना अपेक्षित था। लेखा परीक्षा ने यह पाया कि 153 एनजीओ ने 153 परियोजनाओं हेतु उपकरण क्रय करने के लिए 1.17 करोड़ रुपये का गैर-अनुवर्ती अनुदान प्राप्त किया। इन्होंने मार्गदर्शिका में प्रावधानित तीन बैचों का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया। कम्पनी

ने, हालांकि, इन एनजीओ से उपकरणों की वापसी सुनिश्चित नहीं की और इस तरह इनको 1.17 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया जिसका विवरण निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	प्रशिक्षण का विवरण	परियोजनाओं की संख्या	गैर-अनुवर्ती अनुदान प्रति परियोजना	कुल गैर-अनुवर्ती अनुदान
(i)	कम्प्यूटर	63	0.95	59.85
(ii)	टंकण एवं आशुलिपि	36	0.525	18.90
(iii)	रेडीमेड गार्मेन्ट्स	23	0.37	8.51
(iv)	बुनाई	14	0.95	13.30
(v)	कृत्रिम हीरा कटाई	04	2.58	10.32
(vi)	रेक्सीन बैग	03	0.29	0.87
(vii)	जरी पैच कार्य	02	0.40	0.80
(viii)	कढ़ाई	08	0.56	4.48
	योग	**153**		**117.03**

उपरोक्त से यह परिलक्षित होता है कि कम्पनी, सरकार तथा महिला प्रशिक्षुओं के हितों की सुरक्षा करने में विफल रही। महिलाओं की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात सतत् रोजगार प्राप्त किया एवं प्रति महिला आय प्रति माह का आकंलन करने के हेतु कम्पनी ने कोई प्रशिक्षोत्तर मूल्याकंन प्रणाली की प्रकल्पना नहीं की।

प्रबन्धन/सरकार ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण के द्वितीय एवं आगामी बैचों की स्वीकृति तथा निधि की अवमुक्ति, प्रशिक्षिकों के रोजगार हेतु सन्तोषजनक निष्पादन का द्योतक था। एनजीओ से उपकरण वापस लेने के सम्बन्ध में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त किया जा रहा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने, माध्यम अभिकर्ता होने के नाते, एनजीओ से रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं किया था जैसा कि योजना मार्गदर्शिका में अपेक्षित था। एनजीओ से उपकरण वापस लेने के सम्बन्ध में, भारत सरकार ने पहले ही जनवरी 2001 में निर्देश निर्गत कर दिए थे।

स्वयंसिद्धा योजना

2.2.44 केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'स्वयंसिद्धा' (समेकित महिला सशक्तीकरण योजना) का क्रियान्वयन, परियोजना कार्यान्वयन अभिकर्ता (पीआईए) के रूप में नामित एनजीओ द्वारा, राज्य के 54 जिलों के 94 खण्डों में किया जाना था। कम्पनी को योजना के लिए माध्यम अभिकर्ता के रूप में नामित किया गया था।

योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को, समस्त चालू क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रों की गतिशीलता एवं संकेन्द्रण की सतत् प्रक्रिया के माध्यम से उनकी संसाधनों तक सीधी पहुँच तथा नियन्त्रण को सुनिश्चित करते हुए, सामाजिक-आर्थिक रूप से

सभी क्षेत्रों में शक्ति-सम्पन्न बनाना है। योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर 2002 से (उत्तर प्रदेश में योजना का आरम्भ करते हुए) पाँच वर्षों के दौरान चार चरणों में होना था।

योजना के क्रियान्वयन के लिए, कम्पनी ने राज्य के 54 जिलों के 94 खण्डों के लिए 94 पीआईए का चयन (अक्टूबर 2002) किया। इनमें से, 59 पीआईए राज्य सरकार द्वारा अयोग्य घोषित (नवम्बर 2004) कर दिये गए, एक ने मार्च 2005 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया था तथा 34 पीआईए अपने सौंपे गये कार्य को करते रहे। इन 34 पीआईए ने 1,863 ग्रामों में 43,827 महिलाओं को लेकर 3,397 स्वयंसिद्धा दल (एसएसजी) बनाया।

59 एनजीओ की विलम्बित सम्बद्धता के कारण योजना को गंभीर आघात पहुंचा।

अभिलेखों के परीक्षण में यह पाया गया कि कम्पनी ने पीआईए नियुक्त करने हेतु एनजीओ से प्रस्ताव माँगे (दिसम्बर 2001)। उनके प्रस्तावों का मूल्यांकन 100 अंकों वाले 10 बिन्दुओं की कसौटी के आधार पर करनी थी तथा सर्वाधिक अंक पाने वालों को पीआईए नियुक्त किया जाना था। कम्पनी ने प्रस्तावों का मूल्यांकन किया तथा 94 खण्डों के लिए 94 एनजीओ का चयन किया। एनजीओ से अनुबंध (अक्टूबर 2002) किए गये और उन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। उसके पश्चात, राज्य सरकार ने पाया (जुलाई 2004) कि 59 पीआईए अनियमित रूप से चयनित कर लिए गये थे क्योंकि इन्हें अन्य की अपेक्षा कम अंक मिले थे और इसीलिए, इनके अनुबंध निरस्त करने का आदेश दिया। कम्पनी ने नवम्बर 2004 में इनके अनुबंध निरस्त कर दिया। भारत सरकार ने, हालांकि, इन एनजीओ को योजना की इस अवस्था में असंबद्ध न करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया (दिसम्बर 2004) क्योंकि स्वयंसिद्धा योजना के क्रियान्वयन के लिए इन एनजीओ को दिये जा रहे विशेष प्रशिक्षण को ध्यान रखते हुए यह अत्यन्त हानिकारक होगा। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने इन एनजीओ को विलम्बत: जून 2005 में योजना से पुन: संबद्ध किया। परिणामस्वरूप, 59 खण्डों में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 1.26 करोड़ रुपये (भुगतान एवं देय) किये गये व्यय से दिसम्बर 2004 से जून 2005 के मध्य योजना का अपेक्षित लाभ, आरम्भ में एनजीओ के अनियमित चयन के कारण, नहीं मिल सका।

उपरोक्त प्रकरण प्रबन्धन/शासन को प्रतिवेदित किए गये (जून 2005); यूपीएवीवीएन से संबंधित प्रकरण पर सरकार के उत्तर प्रतीक्षित हैं।

निष्कर्ष

इन कम्पनियों का निगमन, समाज के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के सामान्य स्तर एवं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के स्तर के मध्य सामाजिक-आर्थिक अन्तराल को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। ये कम्पनियाँ योजनाओं के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकीं यथा:

- **कम्पनियों ने परियोजनाओं के वित्त-पोषण तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रक्रियाओं/मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया।**

- मार्गदर्शिका में प्रावधानों के निहित होने के बावजूद, यूपीएसएफडीसी तथा यूपीएवीवीएन ने कम लागत एवं आर्थिक रूप से अलाभकारी परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया।
- कम्पनियाँ योजनाओं का उनके उद्देश्य के परिपेक्ष्य मे मूल्याकंन करने में विफल रहीं।
- योजना मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप, कम्पनियाँ वित्त-पोषित परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन करने में विफल रहीं।

यूपीएमकेएन ने, प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात सतत् रोजगार प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या एवं प्रतिमाह प्रति महिला आय का आंकलन करने हेतु कोई प्रशिक्षणोत्तर मूल्याकंन प्रणाली की प्रकल्पना नहीं की। कम्पनी सरकार तथा महिला प्रशिक्षुओं के हितों की रक्षा करने में विफल रही।

संस्तुतियाँ

- कम्पनियों को लाभार्थियों हेतु दिए गये अनुदान/ऋण के वितरण एवं उपयोग के लिए योजना के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- कम्पनियों को अपनी आय उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वसूली निष्पादन को गतिशील बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- कम्पनियों को आर्थिक रूप से लाभकारी परियोजनाएँ वित्त-पोषित करनी चाहिए।
- कम्पनियों को अपने द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं का नियमित रूप से शत्-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना चाहिए।
- कम्पनियों को योजना का निष्पादन एवं उसका अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर पर हुए प्रभाव का अनुश्रवण एवं अध्ययन करना चाहिए।

2.3 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में अति उच्च तनाव वाली लाइनों तथा संयोजित उप-केन्द्रों पर समीक्षा

मुख्य अंश

कम्पनी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विघटन के पश्चात अस्तित्व में आई (जनवरी 2000)। कम्पनी का प्रमुख कार्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं केन्द्रीय संघ से क्रय की गई ऊर्जा को अपनी अति उच्च तनाव वाली लाइनों तथा संयोजित उप-केन्द्रों के माध्यम से वितरण कम्पनियों को पारेषित करना था। कम्पनी प्रवर्तन-क्षमता में वृद्धि तथा ईएचटी लाइनों के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही। मार्च 2005 के अन्त तक ग्रिड एवं प्राथमिक क्षमता में क्रमश: 1,619 एमवीए तथा 4,331 एमवीए की कमी रही; कम्पनी माध्यमिक उप-केन्द्रों की माँग को पूर्ति करने में असमर्थ थी। स्थापित की गयी प्रवर्तन क्षमता तथा ईएचटी लाइनों के निर्माण में भिन्नता थी। सीईए मापदण्ड से अधिक हुई 2,317.30 एमयू की ऊर्जा हानि के कारण कम्पनी को 346.82 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3.1, 2.3.7, 2.3.8, 2,3.11 से 2.3.17, 2.3.19 से 2.3.23 एवं 2.3.25)

लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि:

- *17 उपकेन्द्रों के निर्माण में चार से 232 माह तक की देरी हुई जिसके फलस्वरूप 55.48 करोड़ रुपये का अधिव्यय हुआ; 32 ईएचटी लाइनों (2,017.824 सर्किट किमी0) के निर्माण में 5 से लेकर 152 माह तक की देरी हुई जिसके फलस्वरूप 461.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा।*

(प्रस्तर 2.3.9)

- *15.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष 34.81 करोड़ रुपये का व्यय किये जाने के पश्चात भी 400 केवी उपकेन्द्र गोरखपुर का निर्माण 10 वर्षों में पूरा नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप 1996 में 24.66 करोड़ रुपये की लागत से आजमगढ़ से गोरखपुर तक संस्थापित की गयी 400 केवी लाइन अप्रयुक्त रही।*

(प्रस्तर 2.3.11)

- *409 सर्किट किमी0 की 800 केवी एकल परिपथ अनपरा-उन्नाव लाइन की संस्थापना 472.64 करोड़ रुपये की लागत से की गयी, तथा इसे 400 केवी पर ऊर्जीकृत कर चलाया जा रहा है जिससे क्षमता का सकल अल्प उपयोजन हो रहा है।*

(प्रस्तर 2.3.21)

- *ईएचटी लाइनों में रूकावट से 10.62 करोड़ रुपये की 70.76 एमयू की उत्पादन हानि हुई; 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान प्रतिकारी ऊर्जा का अधिक आहरण करने के कारण से 10.70 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान दण्डस्वरूप किया गया।*

(प्रस्तर 2.3.26 एवं 2.3.27)

प्रस्तावना

2.3.1 14 जनवरी को पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विभाजन होने पर, उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा उत्पादन का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) को क्रमशः तापीय एवं जलीय ऊर्जा उत्पादन हेतु सौंपा गया। ऊर्जा पारेषण एवं वितरण का कार्य उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को सौंपा गया। ग्रिड एवं प्राथमिक पारेषण तन्त्र के सम्बन्ध में कम्पनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अति उच्च तनाव वाली लाइने एवं संयोजित उपकेन्द्र इस प्रकार कार्य करें ताकि तन्त्र से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध हो सके।

यूपीपीसीएल का प्रमुख कार्य यूपीआरवीयूएनएल एवं यूपीजेवीएनएल तथा केन्द्रीय संघ[1] से क्रय की गयी ऊर्जा का पारेषण, अपनी अति उच्च तनाव वाली (ईएचटी) लाइनों तथा 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी डिजायन वोल्टेज वाले उपकेन्द्रो को सन्निहित किये हुये पारेषण तन्त्र के माध्यम से, वितरण कम्पनियों को करना था।

मार्च 2005 के अन्त में, राज्य में विद्यमान पारेषण तन्त्रजाल में 32,218 एमवीए की पारेषण क्षमता वाले 254 उपकेन्द्र[2] तथा 21,756 सर्किट किमी0 ईएचटी लाइनें सम्मिलित थी। अन्तिम उपभोक्ताओं को ऊर्जा का वितरण करने के लिये, कम्पनी अपने 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी उपकेन्द्रो के तन्त्र के माध्यम से पाँच वितरण कम्पनियों[3] को ऊर्जा का पारेषण करती है।

यूपीपीसीएल का प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक होता है। निदेशक (पारेषण) कम्पनी की पारेषण समन्वय का कार्यकारी प्रमुख होता है। उपकेन्द्रों का अभिकल्प कार्य, सामग्री की अधिप्राप्ति, परियोजना का कार्यान्वयन तथा पारेषण लाइन एवं उपकेन्द्रो के रखरखाव के कार्य का निरीक्षण करने में उनकी सहायता छः महाप्रबन्धकों (जीएम) द्वारा की जाती है। क्षेत्र में कार्य का कार्यान्वयन अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा उप महाप्रबन्धक (डीजीएम) के निरीक्षण में किया जाता है। सिविल कार्य महाप्रबन्धक (सिविल) द्वारा किये जाते है, जिसकी सहायता डीजीएम (सिविल पारेषण) तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की जाती है। नैनी में एक फैब्रिकेशन इकाई है जोकि पारेषण लाइनों के टावर पुर्जो की संरचना का कार्य करती है।

पूर्ववर्ती यूपीएसईबी के पारेषण तन्त्र के विकास पर समीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश शासन के 31 मार्च 1995 को समाप्त

1 नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसीएल), पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी), नार्थन रीजन इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (एनआरईबी), राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (आरएसईबी) एवं नरोरा एटोमिक पावर प्लान्ट (एनएपीपी)।

2 400 केवी उपकेन्द्र-11, 220 केवी उपकेन्द्र-43, 132 केवी उपकेन्द्र-200

3 कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, कानपुर; मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ; पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी; पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ एवं इक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।

होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में मुद्रित हुयी थी। समीक्षा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम सयुंक्त समिति (कोपू) द्वारा अभी तक (सितम्बर 2005) विवेचित नहीं की गयी है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.3.2 अक्टूबर 2004 से मार्च 2005 के दौरान की गयी वर्तमान समीक्षा में 2000-01 से 2004-05 की अवधि में पारेषण तंत्र की अभिवृद्धि, निर्माण, उपकेन्द्रो की वृद्धि अति उच्च तनाव वाली लाइनों की संस्थापना और उनके रख-रखाव का कार्य सम्मिलित है। कम्पनी के अभिलेखों का निरीक्षण कम्पनी के मुख्यालय, 76 खण्डों में से 6 खण्ड तथा 22 मण्डलों मे से 5 मण्डलों में किया गया।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.3.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- कम्पनी, औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या की माँग के साथ गति मिलाते हुए, अपने तन्त्र से राज्य के विभिन्न क्षेत्रो को विश्वस्त ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध करा सके;
- उच्च तनाव की लाइन तथा उपकेन्द्र का तन्त्र जाल पर्याप्त था; और
- कम्पनी द्वारा उपकेन्द्रो के निर्माण/वृद्धि तथा उच्च तनाव की लाइनों के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन राज्य योजना के अनुसार थी।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.3.4 लेखा परीक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न लेखा परीक्षा कसौटी पर मूल्यांकन किया गया:

- ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित राज्य योजना।
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का अनुकरण।
- पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) तथा विश्व बैंक की योजनाएँ।
- कैपासिटर बैको की पर्याप्तता।
- उपकरण एवं लाइन सामग्री का क्रय।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.3.5 लेखा परीक्षा कसौटी के संदर्भ में लेखा परीक्षा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया में निम्न का परीक्षण किया गया:

- राज्य तथा वार्षिक योजना।
- पारेषण कार्य अनुमोदन समिति की बैठकों की कार्यवाही।
- सांख्यिकी सूचना तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचना।
- पीएफसी तथा विश्व बैंक के ऋण।

- 800 केवी, 400 केवी, 220 केवी तथा 132 केवी उपकेन्द्र एवं ईएचटी लाइन का निर्माण।
- कैपेसिटर बैंक तथा फैब्रिकेशन इकाई।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

यूपीपीसीएल में अति-उच्च तनाव वाली लाइनों एवं संयोजित उपकेन्द्रो पर समीक्षा के फलस्वरूप प्राप्त लेखा परीक्षा प्रेक्षण मई 2005 में कम्पनी/राज्य सरकार को प्रतिवेदित की गयी तथा 26 जुलाई 2005 को हुई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखा परीक्षा समिति (एआरसीएसपीई)की बैठक में विवेचित किया गया। बैठक में कम्पनी के अधिशासी निदेशक (पारेषण) ने भाग लिया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बैठक में भाग नहीं लिया। सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार तथा कम्पनी द्वारा जमा किये गये विस्तृत लिखित प्रत्युत्तर भी समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखे गये हैं।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

वित्तीय व्यय

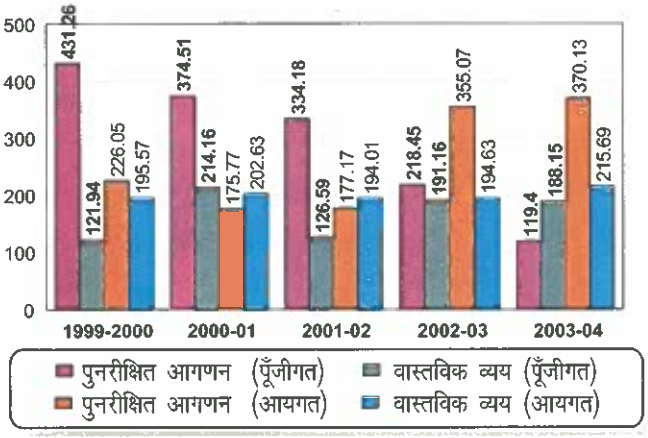
2.3.6 कम्पनी अपने द्वारा बनाये गए वार्षिक योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्य के आधार पर विभिन्न पारेषण कार्य के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक बजट तैयार करती है। नीचे दी गई सारणी, 1999-2004* के दौरान पारेषण कार्य का बजट (मूल/पुनरीक्षित आगणन) तथा वास्तविक व्यय दर्शाती है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आगणन				वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय का पुनरीक्षित आगणन का प्रतिशत	
	पूँजीगत व्यय		आयगत व्यय					
	मूल आगणन	पुनरीक्षित आगणन	मूल आगणन	पुनरीक्षित आगणन	पूँजीगत	आयगत	पूँजीगत	आयगत
1999-2000	450.86	431.26	225.11	226.05	121.94	195.57	28.28	86.52
2000-01	374.51	374.51	246.67	175.77	214.16	202.63	57.18	115.28
2001-02	427.80	334.18	216.10	177.17	126.59	194.01	37.88	109.50
2002-03	362.74	218.45	226.83	355.07	191.16	194.63	87.51	54.81
2003-04	380.13	119.40	315.67	370.13	188.15	215.69	157.58	58.27

उपर दी गई सारिणी से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान पुनरीक्षित आगणन की तुलना में वास्तविक पूँजीगत व्यय सभी वर्षो में (2003-04 को छोड़कर) कम



* वर्ष 2004-05 की सूचना, वार्षिक लेखे तैयार न होने की वजह से उपलब्ध नही थे।

रहा तथा 28.28 और 87.51 प्रतिशत के बीच रहा।

- वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान आयगत व्यय भी (वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 को छोड़कर) पुनरीक्षित आगणन की तुलना में कम था तथा 54.81 एवं 86.52 प्रतिशत के बीच था।

पारेषण तन्त्र

2.3.7 कम्पनी के पास ऊर्जा के दो स्त्रोत है यथा राज्य में यूपीआरवीयूएनएल एवं यूपीजेवीएनएल तथा केन्द्रीय संघ। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है जिसकी अधिकतर जल विद्युत परियोजनाएँ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तथा तापीय विद्युत परियोजनाएँ दक्षिण पूर्व में हैं।

ऊर्जा केन्द्रो पर उत्पादित ऊर्जा ग्राहकों तक परिशिष्ट-25 में दी गई प्रवाह सारिणी के अनुसार पहुँचती है ऊर्जा का निर्विघ्न बहाव बनाए रखने के लिए, माध्यमिक उपकेन्द्रो की प्रवर्तन क्षमता, संयोजित भार की क्षमता का 90 प्रतिशत होना चाहिए। इसी प्रकार पारेषण प्रणाली/तन्त्र की क्षमता, प्रवर्तक की कार्यशीलता को ± 10 प्रतिशत लेते हुए, 90 प्रतिशत होना चाहिए।

नीचे दी गई सारिणी, पिछले पाँच वर्षो में प्रति वर्ष 31 मार्च को संयोजित भार, माध्यमिक उपकेन्द्रों की क्षमता, प्राथमिक उपकेन्द्रो (132 केवी) की उपलब्ध एवं आवश्यक क्षमता तथा प्राथमिक उपकेन्द्रो (400 एवं 220 केवी) को पूर्ति करने वाले ग्रिड उपकेंन्द्रो की क्षमता को दर्शाती है:

(एमवीए में)

वर्ष	ग्राहकों को संयोजित भार	माध्यमिक उपकेन्द्रो के लिए आवश्यक प्रवर्तन क्षमता (संयोजित भार का 90 प्रतिशत)	आवश्यक प्रवर्तन क्षमता (0.9 का विचलन गणक)		उपलब्ध प्रवर्तन क्षमता (ग्रिड उपकेन्द्र)	उपलब्ध प्रवर्तन क्षमता (प्राथमिक उपकेन्द्र)	ग्रिड उपकेन्द्र की क्षमता में कमी	प्राथमिक उपकेन्द्र की क्षमता में कमी
			ग्रिड उपकेन्द्र	प्राथमिक उपकेन्द्र				
2000-01	22,236	20,012	18,011	18,011	15,010	12,443	3,001	5,568
2001-02	22,460	20,214	18,193	18,193	15,735	12,808	2,458	5,385
2002-03	23,134	20,821	18,739	18,739	16,195	13,498	2,544	5,241
2003-04	22,802	20,522	18,470	18,470	16,745	14,010	1,725	4,460
2004-05	23,560	21,204	19,084	19,084	17,465	14,753	1,619	4,331

ग्रिड उपकेन्द्रो तथा प्राथमिक उपकेन्द्रो की क्षमता आवश्यक क्षमता से कम थी।

सारणी यह दर्शायेगी कि ग्रिड उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक उपकेन्द्रो की क्षमता आवश्यक क्षमता से कम थी। इस तरह, मार्च 2005 में ग्रिड तथा प्राथमिक क्षमता में क्रमश: 1,619 एमवीए तथा 4,331 एमवीए की कमी थी। इससे पता चलता है कि पारेषण तन्त्र इस हद तक अपर्याप्त था। इसके परिणामस्वरूप ग्रिड तथा प्राथमिक उपकेन्द्र पर अधिक भार रहा। फलत: कम्पनी माध्यमिक उपकेन्द्रो तथा ग्राहकों की माँग को पूरी करने में असमर्थ रही।

उतर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यह पाया (नवम्बर 2004) कि प्रस्तावित वृद्धियाँ मात्र तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही पर्याप्त थीं। प्राथमिक उपकेन्द्रो की प्रवर्तन क्षमता की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है जिससे लगे हुए प्रवर्तकों को बदलकर, अन्यत्र उपलब्ध करा कर, अधिक क्षमता वाले प्रवर्तकों से जहाँ भी उपलब्ध हों या क्रय कर स्थापित किया जा सके।

योजना में ग्राहकों को निर्विध्न ऊर्जा आपूर्ति लक्षित होते हुए भी कम्पनी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

2.3.8 2000-01 से 2004-05 के दौरान 9,297.5 एमवीए (नये तथा संवर्धित उपकेन्द्रो की क्षमता) की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के लिये तथा 3,735.91 सर्किट किमी0 के निर्माण के लिये, 51 नये उपकेन्द्र (400/220, 220/132 एवं 132/33 केवी) का निर्माण एवं विद्यमान 184 उपकेन्द्रो का आवर्धन, 1997-98 से 2001-02 की राज्य योजना (9वीं पंचवर्षीय योजना) तथा 2002-03 से 2006-07 की राज्य योजना (10वीं पंचवर्षीय येाजना) में परियोजित लक्ष्य में प्रदर्शित था।

कम्पनी प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि तथा लाइनों के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

नये उपकेन्द्रो का निर्माण, विद्यमान उपकेन्द्रो के संवर्धन के अतिरिक्त लाइनों का निर्माण करने के लिये भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित करके, कम्पनी अपनी वार्षिक योजनाओं में पारेषण कार्य कार्यक्रम, राज्य योजना के अनुसार, बना रही थी। 2000-05 की अवधि में लक्ष्य और उपलब्धियाँ भौतिक रूप में **परिशिष्ट-26** में दी गयी है। परिशिष्ट से देखा जायेगा कि कम्पनी 2000-01, 2001-02 तथा 2003-04 में प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने मे विफल रही। कम्पनी 2003-04 तक के सभी वर्षो में पारेषण लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित लक्ष्यों को प्राप्त करने मे भी विफल रही। 2000-01 से 2004-05 की अवधि में कमी का प्रतिशत प्रवर्तन क्षमता के सम्बन्ध में 28.64 से 67.36 के मध्य तथा पारेषण लाइनों के सम्बन्ध में 32 से 72.56 के मध्य रहा। कमी कार्य को क्रियान्वित करने में हुयी देरी के कारण थी।

प्रबन्धन ने परियोजना को पूरी करने में हुयी देरी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। ये लक्ष्य, जैसा कि लेखा परीक्षा मं विश्लेषण किया गया, अपर्याप्त वित्त, कमजोर नियोजन, समय से अपेक्षित अभिकल्प की अनुपलब्धता, वादों के अनुश्रवण मे देरी तथा लाइनों के निर्माण एवं उपकेन्द्रो की स्थापना के लिये उचित समय मे भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके।

पारेषण योजनाओं का कार्यान्वयन

2.3.9 पारेषण योजनाओं में उपकेन्द्रो का निर्माण/विद्यमान उपकेन्द्रो का आवर्धन तथा पारेषण लाइनों का निर्माण सम्मिलित है। इन योजनाओं के लिये प्रस्ताव मुख्य महाप्रबन्धक (पारेषण) द्वारा महाप्रबन्धक (पारेषण अभिकल्प) के परामर्श से तैयार किया जाता है तथा पारेषण कार्य अनुमोदन समिति को प्रस्तुत करने के लिये नियोजन बिंग को प्रेषित किया जाता है। अनुमोदित हो जाने के पश्चात, ये प्रस्ताव संचालक मण्डल (बीओडी)/सीएमडी को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते है। तब प्रत्येक योजना के लिये बजट आवंटन को दर्शाते हुये वार्षिक कार्ययोजना में इन योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। उन परियोजनाओं के सम्बन्ध मे, जिनकी लागत एक करोड़ रुपये से अधिक है, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाती हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राक्कलनों की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात इन योजनाओं का परिपालन क्षेत्र इकाईयों द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन के पश्चात, कार्यान्वित प्राक्कलन, मात्रा में भिन्नता दर्शाते हुये, स्वीकृत कर दिये जाते है।

उपकेन्द्रो तथा लाइनों के निर्माण के दोनो कार्य अधिसूचित अवधि में एक साथ पूरे किये जाने चाहिये ताकि अधिव्यय से बचा जा सके तथा योजना के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। 2000-01 तथा 2004-05 की अवधि के दौरान, 25 नये उपकेन्द्रो का निर्माण (क्षमता 1,642.5 एमवीए), 148 उपकेन्द्रो का आवर्धन (क्षमता 4,440 एमवीए) तथा 2,267.604 सर्किट किमी0 ईएचटी लाइनो का निर्माण पूर्ण किया गया तथा उसी अवधि में 333.90 करोड़ रुपये का व्यय हुआ (परिशिष्ट-26)। लेखा परीक्षा विश्लेषण ने प्रकट किया कि:

- कम्पनी कार्यान्वित क्रियाओं को सफलतापूर्वक समन्वित करने में विफल रही जिसके कारण अधिव्यय तथा अधिसमय लगा।
- 2000-01 से 2004-05 के दौरान निर्मित 25 उपकेन्द्रो में से, 17 उपकेन्द्रो के निर्माण में 4 से 232 माह तक का विलम्ब हुआ। विलम्ब के परिणामस्वरूप 55.48 करोड़ रुपये का अधिव्यय हुआ। **(परिशिष्ट-27)**।
- 5 उपकेन्द्रो के आवर्धन के मामले में, 12 से 16 माह का विलम्ब हुआ तथा 2.39 करोड़ रुपये का अधिव्यय हुआ **(परिशिष्ट-27)**।
- 2000-05 के दौरान निर्मित 49 लाइनों (मार्ग लम्बाई 2,267.604 सर्किट किमी0) में से 32 लाइनों (2,017.824 सर्किट किमी0) का निर्माण होने में 5 से 152 माह का विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 461.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार हुआ **(परिशिष्ट-28)**।

विलम्ब, जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया, मुख्य रूप से भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, समझौते के आवटंन में विलम्ब, सामग्री के आवटंन में विलम्ब, मुख्यालय द्वारा इकाईयों को कोषो का आवटंन करने में विलम्ब, सामग्री की दोषपूर्ण आपूर्ति तथा वादों का गलत ढंग से अनुश्रवण करने के कारण हुआ। इकाईयों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये मामले आगामी प्रस्तरों में विवेचित है।

उपकेन्द्रो का निर्माण एवं आवर्धन

पारेषण योजनाओं की वित्त-पूर्ति

2.3.10 2000-05 के दौरान, कम्पनी ने 37 पारेषण योजनाओं को वित्त-पोषित करवाया, 36 पीएफसी से तथा एक विश्व बैंक से; इन 37 योजनाओं में, 85 उपकेन्द्रों (40 नये उपकेन्द्र तथा 45 उपकेन्द्रो का आवर्धन) के निर्माण/आवर्धन एवं इन उपकेन्द्रो से संबद्ध 62 लाइनो सहित, को इस अवधि में पूरा किया जाना था। इन योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नवत् है:

वित्त स्रोत (योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित लागत	स्वीकृत ऋण	आहरित ऋण	उपकेन्द्रों की संख्या (क्षमता एमवीए में)						लाइनो की संख्या (सर्किट किमी0)	
	करोड़ रुपये में			400 केवी		220 केवी		132 केवी			
				लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
पीएमसी (36)	976.08	748.39	345.06	2 (675)	शून्य (शून्य)	12 (1460)	6 (500)	53 (1185)	26 (510)	45 (1746.595)	13 (359.305)
विश्व बैंक (1)	261.16	195.33	164.14	1 (630)	शून्य (शून्य)	5 (1180)	4 (820)	12 (340)	12 (340)	17 (376.852)	15 (333.962)
योग	**1237.24**	**943.72**	**509.20**	**3 (1305)**	शून्य (शून्य)	**17 (2640)**	**10 (1320)**	**65 (1525)**	**38 (850)**	**62 (2123.447)**	**28 (693.267)**

कम्पनी स्वीकृत ऋण का केवल 53.96 प्रतिशत उपयोग कर सकी। कार्य की धीमी प्रगति के कारण, कम्पनी 40 नये उपकेन्द्रो के लक्ष्य के परिपेक्ष्य 18 उपकेन्द्रो का निर्माण तथा 45 उपकेन्द्रो के आवर्धन के लक्ष्य के परिपेक्ष्य 30 उपकेन्द्रो का आवर्धन कर सकी। परिणामस्वरूप, 5,470 एमवीए के लक्ष्य के परिपेक्ष्य में 2,170 एमवीए (39.67 प्रतिशत) की अतिरिक्त क्षमता उतपन्न कर सकी। कम्पनी 2,123.447 सर्किट किमी0 लाइनों के लक्ष्य के परिपेक्ष्य में 693.267 सर्किट किमी0 (32.65 प्रतिशत) पारेषण लाइनो का निर्माण कर सकी।

पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन द्वारा वित्त-पोषित योजनायें

400 केवी उपकेन्द्र गोरखपुर

2.3.11 पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर गोरखपुर कमिश्नरी में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये केवल एक 220 केवी उपकेन्द्र (क्षमता 2×100 एमवीए) है। पूर्ववर्ती यूपीएसईबी ने एक 400 केवी उपकेन्द्र (क्षमता 1×315 एमवीए) तथा सम्बन्धित आजमगढ़ से गोरखपुर तक 400 केवी लाइन का एक प्रस्ताव पारेषण हानियो को कम करने के लिये रखा। ताकि पूर्वी क्षेत्र के सकल औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा उपलब्ध की जा सके तथा ऊर्जा आपूर्ति का स्थायीकरण हो सके। यह प्रस्ताव सीईए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तकनीकी/आर्थिक अनुमति मार्च 1988 में प्रदान की गयी।

400 केवी उपकेन्द्र गोरखपुर का निर्माण 15.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के सापेक्ष 34.81 करोड़ रुपये का व्यय किये जाने के पश्चात भी 10 वर्षो में पूरा नहीं किया जा सका।

लेखा परीक्षा ने देखा (मार्च 2005) कि 400 केवी उपकेन्द्र तथा संबद्ध लाइन का निर्माण कार्य अप्रैल 1991 में नवम्बर 1994 को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ प्रारम्भ किया गया। लाइन जनवरी 1996 में 24.66 करोड़ रुपये की लागत से बनकर पूरी हुई तथा प्रस्तावित उपकेन्द्र के अपूर्ण होने के कारण 220 केवी पर ऊर्जीकृत हुयी। कोष का अनुश्रवण करने में विफलता, अभिकल्प से सम्बन्धित सामग्री का समय से प्राप्त न होना, ढाँचे के लिये सामग्री का आवंटन न होना एवं ठेकेदार द्वारा कार्य को न लिया जाने के कारण उपकेन्द्र का निर्माण मार्च 2005, जोकि पूर्ण होने की तिथि से 10 वर्ष अधिक की अवधि है, तक भी पूरा न हो सका। मार्च 2005 तक 15.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के सापेक्ष 34.81 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। 400 केवी लाइन यद्यपि 220 केवी पर ऊर्जीकृत हुई परन्तु एक ही समय में उपकेन्द्र का निर्माण न होने के कारण से लाइन का प्रयोग ऊर्जा पारेषण हेतु नही किया जा सका। लाइन का उपयोग पिछले 10 वर्षो से नही किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की ऊर्जा माँग को पूरा करने का उद्देश्य विफल रहा तथा कम्पनी 13.02 करोड़ रुपये मूल्य की 75.69 एमयू अतिरिक्त ऊर्जा की प्रति वर्ष पूर्वानुमानित बिक्री से वंचित रही।

प्रबन्धन ने, 400 केवी लाइन का प्रयोग न होने के तथ्यों का स्वीकार करते समय कहा (जुलाई 2005) कि चूंकि 400 केवी उपकेन्द्र गोरखपुर को चालू करना था इसलिये लाइन परिसम्पत्ति की चोरी से बचने के लिये लाइन को 220 केवी पर ऊर्जीकृत करने के अतिरिक्त कम्पनी के पास कोई दूसरा विकल्प नही था तथा वित्तीय स्त्रोत की व्यवस्था करने के पश्चात् उपकेन्द्र का निर्माण पुनः किया जाना नवम्बर 2005 तक अपेक्षित था। यह तथ्य कि उपकेन्द्र को अभी भी पूर्ण किया

जाना है तथा पारेषण लाइन 10 वर्षों के बाद भी अप्रयुक्त रहीं, शेष रह जाता है।

220 केवी उपकेन्द्र हरदोई

2.3.12 220 केवी उपकेन्द्र, हरदोई तथा हरदोई से शाहजहाँपुर तक संयोजित 220 केवी द्विगुण परिपथ (डीसी) लाइन का निर्माण तथा इससे संयोजित कार्य पूर्ववर्ती यूपीएसईबी के वर्ष 1998-99 की अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित था। पूर्ण होने की लक्षित तिथि दिसम्बर 1999 थी। कुल परियोजना लागत 21.59 करोड़ रुपये थी। योजना में 24.28 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ (13.06 करोड़ रुपये की ऊर्जा की अतिरिक्त बिक्री तथा 11.22 करोड़ रुपये मूल्य की 38.90 एमयू की हानियों में बचत) प्रदर्शित था।

उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य अक्टूबर 1998 में प्रशासनिक अनुमोदन तथा प्राक्कलनों की स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रारम्भ किया गया। 2.64 करोड़ रुपये (सिविल कार्य पर 1.80 करोड़ रुपये तथा उपकरण एवं सामग्री की अधिप्राप्ति पर 0.84 करोड़ रुपये) के व्यय करने के पश्चात कोष की कमी के कारण कार्य रोक दिया गया (मई 2001)। पीएफसी ने सम्पूर्ण योजना के लिये 15.30 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया (जून 2001); कम्पनी से अपेक्षित था कि वह अपने स्वयं के स्त्रोत से 6.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था करे। उपकेन्द्र का कार्य सितम्बर 2004 तक पूरा किया जाने के लिये पुर्ननिर्धारित किया गया। यद्यपि जून 2001 से दिसम्बर 2004 तक कोई कार्य कार्यान्वित नही हुआ। कार्य जनवरी 2005 मे पुन: प्रारम्भ हुआ। उपकेन्द्र के निर्माण पर अभी तक (मार्च 2005) 4.12 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

लाइन के मार्ग का सर्वेक्षण कार्य उचित रूप से नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप लाइन अपूर्ण रही।

220 केवी डीसी हरदोई-शाहजहाँपुर लाइन जिसका निर्माण कार्य अक्टूबर 1998 में उपकेन्द्र के साथ-साथ प्रारम्भ किया जाना था, यद्यपि, दिसम्बर 2000 में प्रारम्भ किया गया तथा मार्च 2002 में पूरा किया जाना था। यद्यपि इस कार्य पर मार्च 2005 तक 7.57 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय हुयी परन्तु लाइन पूरी नही की जा सकी। लाइन पूरी न होने का प्रमुख कारण दोषपूर्ण सर्वेक्षण था क्योंकि ईएचटी लाइन का मार्ग इस प्रकार अभिकल्पित था कि यह एक निर्मित संरचना, टोडरमल रिवेन्यु रिकार्ड ट्रेनिग सेन्टर, हरदोई के ऊपर से गुजर रही थी।

ईएचटी लाइन को एक निर्मित संरचना के ऊपर से नही निकाला जाना चाहिये। यह तथ्य कि लाइन ट्रेनिग सेन्टर से होकर गुजरेगी, कम्पनी को लाइन के सर्वेक्षण के दौरान मालुम थी तथा लाइन के निर्माण की परिपुष्टता तदानुसार की जानी चाहिये थी। यह इंगित करता है कि लाइन के मार्ग का सर्वेक्षण उचित रूप से नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि यूपीईआरसी द्वारा योजना की अनुमति देने में हुयी देरी के कारण से योजना पूर्ण न की जा सकी, कोष प्रवाह प्रारम्भ न हो सका तथा कार्य रुक गया। यह भी कहा गया कि तीन टावरों के ट्रेनिग सेन्टर के प्रागंण में पड़ने के प्रकरण को भी शासन के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया है तथा लाइन दिसम्बर 2005 तक पूरी कर ली जायेगी। तथ्यों को ध्यान में रखते

हुये उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व उचित सर्वेक्षण/नियोजन नही किया गया था जिसके कारण बिना किसी उपयोगी परिणाम के 11.69 करोड़ रुपये का कोष अवरूद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, कम्पनी परियोजना से 24.28 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ से वंचित रही।

220 केवी उपकेन्द्र गाजीपुर

2.3.13 220 केवी उपकेन्द्र, गाजीपुर की क्षमता 100 एमवीए थी तथा यह पूरी क्षमता से परिचालित नही हो रहा था। रेलवे ट्रेक्शन को 10 एमवीए का भार देने के दृष्टिकोण से, टीएसी ने 100 एमवीए का दूसरा प्रवर्तक लगाकर उपकेन्द्र की क्षमता को बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (जुलाई 1996)। कार्य जून 1999 तक 2.52 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाना था परन्तु इसे मार्च 2003 तक 3.61 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया।

बिना आवश्यकता के उपकेन्द्र पर 100 एमवीए प्रवर्तक की अधिष्ठापना के फलस्वरूप 3.61 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया (फरवरी 2005) कि इस प्रवर्तक के अधिष्ठापन के पश्चात्, प्रत्येक प्रवर्तक पर अधिकतम भार केवल 50 एमवीए था। इससे इंगित होता है कि इस 100 एमवीए प्रवर्तक का अधिष्ठापन आवश्यक नही था। इसके फलस्वरूप 3.61 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जुलाई 2005) कि 100 एमवीए प्रवर्तक उपभोक्ताओं (रेलवे को सम्मिलित करके) की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त था तथा द्वितीय प्रवर्तक रेलवे को की जाने वाली आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिये अधिष्ठापित किया गया था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि प्रवर्तक की देखरेख तथा रख-रखाव के लिये उचित निवारक उपाय करके अबाधित ऊर्जा आपूर्ति की जा सकती थी।

132 केवी उपकेन्द्र खागा

2.3.14 स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये तथा अबाधित ऊर्जा आपूर्ति करने के लिये छः 33 केवी 'बे' सहित 132 केवी उपकेन्द्र खागा (क्षमता 20 एमवीए) तथा 132 केवी एससी फतेहपुर-खागा लाइन (41.803 सर्किट किमी0) का निर्माण क्रमशः 1.74 करोड़ रुपये तथा 1.79 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से क्रमशः अप्रैल 2001 तथा जून 2001 में प्रारम्भ किया गया। योजना के पूर्ण होने के पश्चात् 11.28 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ दर्शित था।

उपकेन्द्र तथा सयोंजित लाइनें (पाँच 33 केवी 'बे' को छोड़कर) क्रमशः 2.30 करोड़ रुपये तथा 4.50 करोड़ रुपये की लागत से नवम्बर 2003 में पूर्ण हुयी। ऊर्जा रिक्तीकरण के लिये वितरण कम्पनी द्वारा 33 केवी लाइनों का निर्माण न किये जाने के कारण तथा प्रस्तावित माध्यमिक उपकेन्द्र का संयोजन न होने के कारण, 132 केवी उपकेन्द्र पर व्यावसायिक भार का प्रारम्भ न किया जा सका (फरवरी 2005)।

कम्पनी तथा वितरण कम्पनी के मध्य समन्वय की कमी के कारण कम्पनी 11.28 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ से वंचित रही।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि तीन माध्यमिक उपकेन्द्र संयोजित थे तथा वर्तमान में 20 एमवीए प्रवर्तक पूरे भार पर चल रहा है। तथ्य, यद्यपि शेष रह जाते है कि लगभग दो वर्ष की अवधि के लिये 6.80 करोड़ रुपये का निवेश

अवरूद्ध रहा तथा इस अवधि के दौरान 11.28 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्त नही किया जा सका।

132 केवी उपकेन्द्र बिल्हौर

2.3.15 220 केवी उपकेन्द्र पनकी से उद्घृत 33 केवी उपकेन्द्रो (कुल क्षमता 32 एमवीए) के लिये 33 केवी लाइन अधिभारित चल रही थी। बिल्हौर क्षेत्र में रोष्टरिंग को दूर करने हेतु तथा काकवान, रसूलाबाद एवं शिवराजपुर में तीन नये उपकेन्द्रो (प्रत्येक की क्षमता 5 एमवीए) की आपूर्ति के लिये, 132 केवी उपकेन्द्र (क्षमता 2×20 एमवीए) बिल्हौर और इसकी सयोंजित लाइन (48 सर्किट किमी0 132 केवी लाइन पनकी से बिल्हौर) के निर्माण का प्रस्ताव 2001-02 के दौरान कम्पनी की कार्य योजना में सम्मिलित था। तत्पश्चात, पीएफसी ने 10.50 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के परिपेक्ष्य 7.01 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया (दिसम्बर 2002)। उपकेन्द्र तथा लाइन निर्माण का कार्य मार्च 2004 तक पूरा किया जाना था। योजना पूर्ण होने के पश्चात, 9.52 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ (ऊर्जा की अतिरिक्त बिक्री पर 5.25 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा की हानि में बचत के कारण 4.27 करोड़ रुपये) पूर्वानुमानित किया गया।

कार्य प्रारम्भ करने में देरी होने के कारण, कम्पनी 9.52 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ से वंचित रही।

अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2005) ने प्रकट किया कि 3.25 करोड़ रुपये तथा 5.14 करोड़ रुपये के प्राक्कलन क्रमश: 2×20 एमवीए क्षमता वाले उपकेन्द्र तथा लाइन के निर्माण के लिये स्वीकृत किये गये (सितम्बर 2002) परन्तु कोष की उपलब्धता के बावजूद कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका (फरवरी 2005)। कार्य प्रारम्भ न होने का कारण प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होना, भूमि के अधिग्रहण में देरी, भूमि चयन समिति द्वारा स्थल का अनुमोदन तथा ले-आऊट योजना की स्वीकृति में देरी थे। इस प्रकार, कार्य प्रारम्भ करने में देरी के कारण, कम्पनी 9. 52 करोड़ रुपये के वार्षिक लाभ से वंचित रही तथा क्षेत्र को आपूर्ति की रोस्टरिंग की समस्या अनसुलझी रही।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते समय (जुलाई 2005) कहा कि उपकेन्द्रो का निर्माण और सयोंजित कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जून 2006 तक उपकेन्द्रो का पूर्ण होना सम्भावित है।

132 केवी उपकेन्द्र पुखरायाँ

2.3.16 पीएफसी ने 132 केवी उपकेन्द्र पुखरायाँ की क्षमता 1×20 एमवीए से बढ़ाकर 2×20 एमवीए करने के लिये 1.68 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया (सितम्बर 2002)। आवर्धन कार्य नवम्बर 2003 तक पूरा किया जाना था। उपकेन्द्र का कार्य सितम्बर 2002 मे प्रारम्भ किया गया। कोष की उपलब्धता के बावजूद, विद्युत उपकेन्द्र अभिकल्प मण्डल (ईएसडीसी) ने उपकेन्द्र हेतु 20 एमवीए प्रवर्तक की अधिप्राप्ति के लिये योजना नही बनाई। मुख्यालय ने 132 केवी उपकेन्द्र बाह से इस उपकेन्द्र के लिये एक पुराना 20 एमवीए प्रवर्तक (1965 मे प्राप्त) आवंटित किया/व्ययवर्तित किया। अधिक पुराना तथा अधिक भारी होने के कारण, कार्यकारी खण्ड प्रवर्तक को अधिष्ठापित करने के लिये सहमत नहीं हुआ। जीएम (पारेषण), कानपुर ने निदेशक (टी) से एक नया 20 एमवीए प्रवर्तक आवटिंत करने का

निवेदन किया (नवम्बर 2003)। 20 एमवीए के प्रवर्तक की व्यवस्था करने की बजाय, कम्पनी ने 10 एमवीए का प्रवर्तक अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया। 10 एमवीए प्रवर्तक प्राप्त किया गया (जून 2004) तथा जनवरी 2005 मे 50.80 लाख रुपये की लागत से स्थापित हुआ, लेकिन 33/11 केवी उपकेन्द्र, रनिया के 33 केवी फीडर के स्थानान्तरित न होने के कारण मार्च 2005 तक व्यावसायिक भार शुरू नही किया जा सका।

20 एमवीए प्रवर्तक का अधिग्रहण न किये जाने के कारण, उपकेन्द्र का आवर्धन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, मार्च 2005 तक 20 एमवीए प्रवर्तक के अधिग्रहण/आवटंन में मुख्यालय के विफल रहने के कारण, कोष की उपलब्धता के बावजूद, उपकेन्द्र का आवर्धन अपेक्षित स्तर तक नही किया जा सका और अबाधित आपूर्ति प्रदान करने का ऋण का उद्देश्य विफल रहा।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जुलाई 2005) कि कम्पनी 20 एमवीए प्रवर्तक नही क्रय कर रही थी क्योंकि ये क्षमता 20 एमवीए से 40 एमवीए बढ़ाई जाने के कारण अतिरिक्त थे। उत्तर मान्य नही है क्योंकि कम्पनी 20 एमवीए प्रवर्तक कार्यशील दशा में प्रदान न कर सकी। पीएफसी से प्राप्त ऋण मे 20 एमवीए प्रवर्तक की लागत के परिपेक्ष्य 1.47 करोड़ रुपये सम्मिलित थे जिसका पूर्ण रूप से प्रयोग नही किया जा सका। इसके अतिरिक्त, मई 1999 से दिसम्बर 2003 के दौरान क्षतिग्रस्त 39 मरम्मत होने योग्य 20 एमवीए प्रवर्तक (मूल्य 25.35 करोड़ रुपये) बिना मरम्मत किये हुये रहे (मार्च 2005)। इन्हे इनकी मरम्मत के पश्चात प्रयोग किया जा सकता था।

विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित योजनायें

400 केवीए उपकेन्द्र मुजफ्फरनगर

2.3.17 कम्पनी ने मुजफ्फरनगर मे 400 केवी उपकेन्द्र के निर्माण हेतु विश्व बैंक ऋण के परिपेक्ष्य में 4.94 करोड़ रुपये का अनुबन्ध बीएसईएस, नोएडा (फर्म) के साथ निष्पादित किया (जनवरी 2001)। उपकेन्द्र का कार्य जून 2002 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया। उपकेन्द्र के इन्पुट्स (कल्प, अभिकल्प एवं ले-आउटस) कम्पनी (400 केवी उपकेन्द्र, अभिकल्प मण्डल विंग) द्वारा जुलाई 2001 तक प्रदान किया जाना अपेक्षित था। अभिकल्प मण्डल नियत अवधि में इन्पुट्स उपलब्ध कराने मे असफल रहा तथा इन्पुट्स मार्च 2002 से मई 2005 के दौरान उपलब्ध कराये गये। इनपुट्स की उपलब्धता न होने के कारण, फर्म निर्धारित अवधि में उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (जून 2002) तक, फर्म ने 4.56 करोड़ रुपये का कार्य पूर्ण कर लिया एवं निर्धारित तिथि के पश्चात अनुबन्धित दरों पर कार्य करने से मना कर दिया। कम्पनी ने फर्म के अनुबन्ध को समाप्त करने का निर्णय लिया। शेष कार्य किसी अन्य ठेकेदार को 1.94 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर आवटिंत किया गया। उपकेन्द्र पूर्ण नही किया जा सका (जुलाई 2005)। इस प्रकार, ठेकेदार को इन्पुट्स देर से प्रदान करने के कारण, पिछले ठेकेदार द्वारा अधूरे छोड़े गये गये कार्य को पूरा करने पर 1.56 करोड़ रुपये {1.94 करोड़ रुपये -(4.94 करोड़ रुपये - 4.56 करोड़ रुपये)} का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ठेकेदार को इन्पुट्स प्रदान करने में देरी के कारण 1.56 करोड़ रुपये का अधिव्यय हुआ।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जुलाई 2005) कि बीएसईएस को समस्त इनपुट्स समय पर उपलब्ध कराना सम्भव नही था।

400 केवी उपकेन्द्र रीवा रोड

2.3.18 कम्पनी ने 400 केवी उपकेन्द्र, रीवा रोड, इलाहाबाद के निर्माण के लिये विश्व बैंक से वित्तीय संयोजन प्राप्त किये बिना ही, 25 लाख रुपये में 23.75 एकड़ भूमि अधिग्रहित की (अगस्त 1990)। भूमि के अधिग्रहण के पश्चात, कम्पनी ने अर्थ-मेट वर्क, कटीली तार की बाड़ लगाने का कार्य, सुरक्षात्मक खाई बनाने का कार्य, चाहारदीवारी इत्यादि का कार्य जुलाई 1991 तक 30 लाख रुपये की लागत से अंशत: कार्यान्वित किये। विश्व बैंक वित्त-पोषण योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा के आधार पर किया जाता है। कार्यकारी खण्ड द्वारा कम्पनी के मुख्यालय को विश्व बैंक द्वारा समीक्षा एवं अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निवेदन भेजा गया परन्तु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त न की जा सकी।

विश्व बैंक से ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित किये बिना भूमि का अधिग्रहण करने तथा कार्य को प्रारम्भ करने के कारण कम्पनी का 55 लाख रुपये का कोष अवरुद्ध रहा।

दिसम्बर 2001 में, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (पीजीसीआईएल) ने उपरोक्त अपूर्ण उपकेन्द्र से 5 किमी. की दूरी पर 400/220 केवी उपकेन्द्र का निर्माण किया जिसके कारण कम्पनी ने उपकेन्द्र का निर्माण न करने तथा भूमि को बेचने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2001)। इस प्रकार, विश्व बैंक से ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित किये बिना भूमि अधिग्रहण करने तथा कार्य प्रारम्भ करने के कारण, कम्पनी का 55 लाख रुपये का कोष सितम्बर 1990 से अवरूद्ध रहा क्योंकि भूमि को अभी तक (जुलाई 2005) विक्रय नही किया जा सका।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (जुलाई 2005) कि भूमि की लागत में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है इसलिये कोष के उपयोग का कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ा। उत्तर मान्य नही है क्योकि कम्पनी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 44ए के अन्तर्गत राज्य सरकार की अनुमति के बिना भूमि को विक्रय करने के लिये स्वतन्त्र नही है। तथ्य शेष रह जाता है कि कम्पनी का 55 लाख रुपये का कोष अवरूद्ध रहा।

220 केवी उपकेन्द्र कैण्ट, इलाहाबाद

2.3.19 132 केवी से 220 केवी पर कैण्ट उपकेन्द्र, इलाहाबाद को प्रोन्नत करने का कार्य कार्य सूची (अप्रैल 2000) में सम्मिलित किया गया था जिसे विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार योजना के अन्तर्गत किया जाना था।

विश्व बैंक के निर्देशों पर, यूपीपीसीएल ने 220 केवी उपकेन्द्र कैण्ट, इलाहाबाद के निर्माण हेतु मुहरबंद निविदाएँ (दिसम्बर 2000) आमन्त्रित कीं। प्रारम्भिक/विस्तृत प्राक्कलन तैयार नही किये गये थे। 220 केवी उपकेन्द्र कैण्ट, इलाहाबाद के निर्माण हेतु अक्टूबर 2002 तक सिविल कार्य की समाप्ति की देय तिथि का 1.04 करोड़ रुपये का अनुबन्ध गुप्ता ब्रदर्स, नैनी कन्सट्रक्शन लिमिटेड (सबसे कम बोलीकर्ता) के साथ किया गया (अप्रैल 2001)।

लेखा परीक्षा ने देखा (मार्च 2005) कि यद्यपि खण्ड ने 1.04 करोड़ रुपये का व्यय किया (नवम्बर 2002) जो स्वीकृत धनराशि के समान था; फिर भी केवल सम्पूर्ण कार्य का 62.35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो सका।

कार्य के कार्यान्वयन में देर होने के कारण, कम्पनी ने 57 लाख रुपये का अधिव्यय किया।

देरी होने के कारण, जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया, प्राक्कलन की स्वीकृति में देरी, अस्थाई मात्रा के आधार पर शेष कार्य के लिये निविदा को अन्तिम रूप प्रदान करना, स्विच यार्ड तथा केबल ट्रेन्चस के अभिकल्प को अन्तिम रूप देने मे देरी, कार्य के स्वरूप में बारबार परिवर्तन तथा अकार्यान्वित कार्य हेतु नई बोली के आमंत्रण/अन्तिम रूप प्रदान करने में हुयी देरी थी।

कार्य अक्टूबर 2004 में पूर्ण हुआ तथा 1.61 करोड़ रुपये की कुल लागत से दिसम्बर 2004 में प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार, कार्यो के कार्यान्वयन में हुयी देरी के कारण, कम्पनी ने 57 लाख रुपये का अधिव्यय किया।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2005) तथा सूचित किया कि 1.04 करोड़ रुपये का 220 केवी उपकेन्द्र कैण्ट का अनुबन्ध अस्थायी मात्राओं पर आधारित था तथा अन्तिम अभिकल्प के आधार पर उपकेन्द्र में कार्य की मात्रा भी पर्याप्त रूप से बढ़ी।

पारेषण लाइनों का निर्माण

2.3.20 ईएचटी लाइन के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया के अनुसार, सर्वेक्षण करते समय कम्पनी को उस मार्ग विशेष से होकर गुजरने वाली लाइन के लिये बाधा रहित 'राइट ऑफ वे' सुनिश्चित करना चाहिये। भूमि के अधिग्रहण, कोय की उपलब्धता तथा कार्य के कार्यान्वन हेतु एजेन्सी के आवंटन के सम्बन्ध में उचित नियोजन किया जाना चाहिये ताकि लक्षित येाजना के अनुसार कार्य का पूर्ण होना सुनिश्चित हो सके।

प्रक्रिया के अवलोकन में विफल होने के परिणामस्वरूप ईएचटी लाइन के निर्माण में देरी तथा कमजोर अनुरक्षण के कारण से हुयी हानियॉ आगामी प्रस्तरों में चर्चित है।

800 केवी अनपरा-उन्नाव लाइन

2.3.21 सोनभद्र जिले में स्थित अनपरा 'ए' एवं 'बी' पावर स्टेशनों से जनित ऊर्जा का उपयोगिता केन्द्रो को पारेषण करने के लिये 800 केवी पारेषण तन्त्र के प्रस्ताव पर विचार किया गया (1993)। यह तन्त्र केवल अनपरा परियोजना से ऊर्जा की निकासी के लिये नही था बल्कि ओबरा, सिगरौली, रिहन्द आदि पावर स्टेशनों से ऊर्जा की निकासी में सुधार करने के लिये भी था। इसके अतिरिक्त, उन्नाव मे 294.10 करोड़ रुपये की लागत से 800 केवी उपकेन्द्र ओवरसीज इकोनॉमी को-आपरेशन फण्ड्स (ओईसीएफ), जापान की सहायता से नवीं योजना में प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित अनपरा 'सी' तापीय परियोजना (1000 मेगावाट) के आरम्भ होने के समय ही इस उपकेन्द्र को पूर्ण किया जाना था तथा प्रस्तावित 800 केवी लाइन को प्रारम्भिक रूप से 400 केवी पर चलाया जाना था। तदानुसार 409 सर्किट किमी0 के लिये 800 केवी पारेषण लाइन दो भागो में निर्मित कराई गयी (जुलाई 2000)(i) 800 केवी एकल परिपथ (एससी) अनपरा-झूँसी तथा (ii)

800 केवी एससी झूँसी-उन्नाव। 800 केवी अनपरा-झूँसी लाइन के निर्माण का कार्य 64.39 करोड़ रुपये में ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के साथ हुण्डई इन्जीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, साउथ कोरिया को आवंटित किया गया तथा झूँसी-उन्नाव लाइन का कार्य 63.82 करोड़ रुपये में एसएई (आई) लिमिटेड (अब आरपीजी ट्रान्समीशन लिमिटेड) को प्रदान किया गया। अनुबन्ध के अनुसार, कार्य को दिसम्बर 1995 के तीसरे सप्ताह में प्रारम्भ किया जाना था एवं सितम्बर 1997 के तीसरे सप्ताह में पूर्ण किया जाना था। कार्य, यद्यपि, पूरा कर लिया गया तथा लाइन 3 वर्षों के विलम्ब के पश्चात् 400 केवी पर ऊर्जीकृत की गयी (जुलाई 2000)। 472.64 करोड़ रुपये की धनराशि 800 केवी लाइन पर व्यय हुई।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 2004) कि न तो 800 केवी टर्मिनल अनपरा 'सी' साइट में बना और न ही 800 केवी उपकेन्द्र उन्नाव में बनाया गया। फलस्वरूप जो 800 केवी लाइन जो 400 केवी लाइन पर ऊर्जीकृत की गई थी 400 केवी पर अभी तक चलायी जाती रही (नवम्बर 2005)। फलत: यह लाइन अल्प उपयोजित की जा रही थी। यदि कम्पनी ने 400 केवी एकल परिपथ लाइन का निर्माण कर लिया होता, तो 280.78 करोड़ रुपये की धनराशि बचाई जा सकती थी।

800 केवी लाइन 400 केवी पर ऊर्जीकृत हुई तथा 800 केवी उपकेन्द्र निर्मित न होने के कारण 400 केवी उपकेन्द्र से संयोजित हुई। इस प्रकार 800 केवी लाइन अल्प उपयोजित की जा रही थी।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि सिस्टम स्टडीज के अनुसार यह निर्दिष्ट था कि अनपरा-बी से ऊर्जा निकासी के लिये 800 केवी अनपरा-उन्नाव लाइन प्रारम्भिक रूप से 400 केवी पर परिचालित की जायेगी। 800 केवी पर उपरोक्त लाइन का परिचालन 1000 मेगावाट अनपरा 'सी' के प्रारम्भ के फलस्वरूप अतिरिक्त ऊर्जा की निकासी के लिये उन्नाव में 800 केवी उपकेन्द्र के निर्माण से सम्बद्ध था। प्रबन्धन ने आगे सूचित किया (नवम्बर 2005) कि उन्नाव में 800 केवी उपकेन्द्र की आवश्यकता 1000 मेगावाट अनपरा 'सी' के प्रारम्भ के समय पड़ेगी जोकि वर्ष 2010 तक अनुमानित था। यह प्रदर्शित करता है कि 800 केवी तंत्र की योजना दोषपूर्ण थी क्योंकि कम्पनी 2010 तक 800 केवी तंत्र को नहीं चला पायेगी एवं 800 केवी लाइन जो जुलाई 2000 में बनायी गयी 10 वर्ष तक अल्प उपयोजित रहेगी।

ओबरा टीपीएस में लूप इन लूप आउट लाइन

2.3.22 ओबरा थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) में 400 केवी 'बे' के निर्माण का कार्य आईएनसीएबी को आवंटित किया गया (फरवरी 1999)। निर्माण कार्य उसी माह में प्रारम्भ किया गया तथा 1999-2000 की अवधि के दौरान 9 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। अभिकल्प में कुछ विसंगति के कारण से, पेन्टोग्राफ आईसोलेटर्स की संरचना की लम्बाई मेल खाती नहीं पाई गयी (जुलाई 2004) जिसके कारण पाइप बस को आईसोलेटर्स के साथ संरचित कर पाना सम्भव नहीं था तथा 'बे' का सम्पूर्ण निर्माण नहीं किया जा सका। संशोधित ढाँचे के विखंडन एवं पुन: स्थापित करने के लिये, इसके संरेखण तथा दो 'वे' को प्रारम्भ करने के लिये इन्कैब ने 1.20 लाख रुपये की धनराशि का अपना प्रस्ताव रखा (मई 2004)। प्रस्ताव, पर विद्युत उपकेन्द्र अभिकल्प मण्डल लखनऊ द्वारा अन्तिम रूप नही दिया गया तथा कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने सूचित किया (जुलाई 2005) कि एल्सटोम (जिसने परियोजना के कुछ अभिकल्प तैयार किये थे) ने ओबरा के अधिकारीगणों से चर्चा के पश्चात जुलाई 2005 में अभिकल्प पुन: प्रस्तुत किये है तथा कार्य दिसम्बर 2005 तक पूर्ण हो जायेगा। तथ्य, यद्यपि शेष रह जाते है कि आईएनसीएबी के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में देर होने तथा ओबरा के अधिकारीगणों के साथ समन्वय का अभाव होने के कारण, 9 करोड़ रुपये की धनराशि पाँच वर्ष से अधिक समय तक अवरूद्ध रही।

राइट ऑफ वे की माँग न करने के कारण हानि

2.3.23 उपकेन्द्र की पूर्ति हेतु राइट ऑफ वे का निर्धारण परियोजना के नियोजन के समय किया जाता है तथा विकास परिषदों द्वारा भूमि सहित बिना किसी लागत के कम्पनी को प्रदान किया जाता है। शताब्दीनगर, मेरठ मे 220 केवी उपकेन्द्र का निर्माण करने के लिये कम्पनी को मेरठ विकास परिषद (एमडीए) द्वारा 1996 में 12 एकड़ भूमि बिना किसी लागत के प्रदान की गई क्योंकि उपकेन्द्र के भार का बड़ा भाग एमडीए द्वारा विकसित योजनाओं की पूर्ति हेतु किया जाना था।

कम्पनी को, उपकेन्द्र के लिए एमडीए द्वारा भूमि का आवंटन करते समय राइट आफ वे की माँग न करने के कारण 94.70 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा।

भूमि का आवंटन करते समय, कम्पनी ने एमडीए से 'राइट ऑफ वे' की माँग नही की। कम्पनी ने जनवरी 2002 में 'राइट ऑफ वे' की मॉग की। प्रत्युत्तर में, एमडीए ने इस आधार पर लागत रहित 'राइट ऑफ वे' प्रदान करने से मना कर दिया कि उपकेन्द्र के लिये भूमि का आवंटन करते समय इसकी मॉग नही की गई थीं। एमडीए ने यह भी सूचित किया कि अब लाइनें विक्रय योग्य भूमि के उपर से होकर गुजरेगीं, इसलिये कम्पनी को 94.70 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। कम्पनी ने प्रथम किस्त के रूप मे 30 लाख रुपये का भुगतान किया।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते समय (जुलाई 2005) कि लाइन के मार्ग का इतनी प्रबद्ध अवस्था पर पूर्वानुमान सम्भव नही था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइनों के मार्ग का निर्धारण परियोजना के नियोजन के समय किया जाता है।

उच्च लागत पर लाइनों का निर्माण

2.3.24 कम्पनी प्रत्येक वर्ष ईएचटी पारेषण लाइनों के निर्माण के लिये परिमाप निर्धारित करती थी, जिसे दर अनुसूची के नाम से जाना जाता था। एक ईएचटी लाइन की निर्माण लागत दर अनुसूची में वर्णित लागत से अधिक नहीं होनी चाहिये। कार्यो का प्राक्कलन उस अवधि में लागू दर अनुसूची के आधार पर तैयार किया जाता था।

17 ईएचटी पारेषण लाइनों के प्राक्कलन 5.97 करोड़ रुपये तक ऊँची दरो पर बनाये गये।

विश्व बैंक ऋण के अन्तर्गत, 17 ईएचटी लाइनों का निर्माण कराया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि इन लाइनों के लिये तैयार किये गये प्राक्कलन 12 लाइनों के सम्बन्ध में 5.97 करोड़ रुपये तक ऊँची दरो पर थे (वर्ष 2001 की दर अनुसूची पर आधारित) **परिशिष्ट-29**।

वास्तविक व्यय का विवरण उपलब्ध नही था, क्योंकि परियोजनाओं पर उनका लेखांकन नही किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि विश्व बैंक परियोजनाओं की प्राक्कलित लागत कुछ विशेष कार्य जैसे रिवर क्रासिंग तथा असमान्य मूल्य वृद्धि, यदि कोई भविष्य में हो, के कारण कुछ अधिक थी। प्रबन्धन ने यह भी कहा कि प्रत्येक लाइन की वास्तविक लागत परियोजना की समाप्ति के पश्चात आगणित की जायेगी। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किये गये दृष्टिकोण पर दर अनुसूची तैयार करते समय पर्याप्त ध्यान दिया गया था। लगभग सभी लाइनों पर कार्य दिसम्बर 2004 के अन्त तक पूर्ण कर लिया गया था लेकिन लाइन के अनुसार व्यय कम्पनी द्वारा आगणित नहीं किये गये थे।

पारेषण तन्त्र का विकास तथा पारेषण हानियाँ

2.3.25 निम्न तालिका 2000-2005 के दौरान निर्मित पारेषण तन्त्र तथा विक्रय हेतु ऊर्जा उपलब्धता को इंगित करती है:

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	Total
वर्ष के दौरान पारेषण लाइनों की वृद्धि (सर्किट किमी0)	1,247.19	106.36	192.00	343.00	379.054	2,267.604
वर्ष के दौरान प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि (एमवीए)	1,317.50	1,090.00	1,150.00	1,062.50	1,462.50	6,082.50
विक्रय हेतु क्रय की गई कुल ऊर्जा (एमयू)	*	39,867.783	36,338.137	40,570.193	42,031.326	
बेची गई ऊर्जा (एमयू)	*	37,715.907	34,225.315	38,306.404	39,890.220	
पारेषण हानियाँ (एमयू)	*	2,151.876	2,112.822	2,263.789	2,141.106	
हानियों का प्रतिशत	*	5.40	5.81	5.58	5.09	

कम्पनी ने ऊर्जा हानि निर्दिष्ट प्रमाप से अधिक होने के कारण 346.82 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

31 मार्च 2005 को समाप्त हुये पिछले 5 वर्षो के दौरान, 2,267.604 सर्किट किमी. लाइनों तथा 6,082.50 एमवीए प्रवर्तन क्षमता की वृद्धि हुई। इस विकास के बावजूद, इसी अवधि के दौरान हुई पारेषण हानियाँ 5.09 तथा 5.81 प्रतिशत के मध्य रही; यह 2004-05 में सबसे कम 5.09 प्रतिशत थी। हानियाँ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत के प्रमाप से अधिक थी। कम्पनी ने 2,317.296 एमयू की ऊर्जा हानि के कारण 346.82 करोड़ रुपये की हानि वहन की (चार प्रतिशत के आधिक्य में)।

उपकेन्द्रो तथा लाइनों का अनुरक्षण

उपकेन्द्रो तथा लाइनों का खराब अनुरक्षण

2.3.26 2 जनवरी 2001 को हुये वृहद ग्रिड व्यवधान के सन्दर्भ में, सीईए ने निर्दिष्ट किया था (जनवरी 2001) कि यूपीपीसीएल लाइनों के अपेक्षित निवारक अनुरक्षण करने में तथा सर्किट ब्रेकरो तथा सुरक्षा तन्त्र के उचित परीक्षण तथा परिचालन को सुनिश्चित करने मे भी असफल रहा। उनकी अनुशंसा के अनुसार, यूपीपीसीएल से अपेक्षित था कि वह अपनी विविध 400 केवी तथा 220 केवी तथा लाइन इन्सूलेटर्स की धुलाई तथा अधिक प्रदूषित क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली

* प्रबन्धन द्वारा आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये है।

पारेषण लाइनों के हिस्से में इन्सूलेटर स्ट्रिंग्स के पुर्नस्थापन को सम्मिलित करते हुये उपकेन्द्रो का अनुरक्षण करें। तत्पश्चात, 400 केवी ईएचटी लाइनो (पनकी-मुरादनगर, आगरा-मुरादनगर, ओबरा-पनकी तथा उन्नाव-आगरा) एवं चार 400 केवी उपकेन्द्रो (उन्नाव, आगरा, पनकी एवं मुरादनगर) में निवारक अनुरक्षण किया गया। यह भी देखा गया कि उपरोक्त अनुरक्षण के बाद भी, ईएचटी लाइन जनवरी 2001 से जनवरी 2005 के दौरान 12 बार बाधित रही तथा यूपीआरवीयूएनएल को अनपरा एवं ओबरा टीपीएस की कुछ इकाईयों को बन्द करना पड़ा। इससे 10.62 करोड़ रुपये मूल्य की 70.76 एमयू की जनित हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, लाइनों के खराब अनुरक्षण के दृष्टान्त, जैसे कि नीचे वर्णित है, भी लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये:

क्रम संख्या	विवरण	हानि (लाख रुपये में)	लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबन्ध का उत्तर
1	2	3	4	5
1.	132 केवी एससी पिपरी-ओबरा लाइन	25.00	19 जनवरी 2001 को चोरी हुये लाइन के टावर पार्टस पुर्नस्थापित नही किये गये। इसके कारण से, चार टावर ढह गये (16 अक्टूबर 2002) तथा 4.5 सर्किट किमी0 कन्डकटर चोरी हो गया। कम्पनी को इन टावरों के पुर्नस्थापन पर 25 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा।	प्रबन्धन ने कहा कि अपेक्षित टावर पार्टस की व्यवस्था प्रक्रिया में थी तथा बीच में ही टावर ढह गये। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खोये हुये टावर पार्टस की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये थी ताकि टावरों को ढहने से बचाया जा सके।
2.	220 केवी डीसी शाहूपुरी-अोबरा लाइन	16.51	पर्याप्त निरीक्षण में असफल होने के कारण, टावर के सभी चारों पाए में जंग लगना समय से ध्यान नही दिया जा सका। इसके फलस्वरूप जून 2004 के दौरान टावर ढह गये। कम्पनी को टावर के पुर्नस्थापन पर 16.51 लाख रुपये का व्यय करना पड़ा।	प्रबन्धन ने कहा कि 36 वर्षो से स्टब्स पर पानी के जमाव तथा मिट्टी एकत्रित होने के कारण से लगातार आक्सीरण की प्रक्रिया होने से स्टब्स में जगं लग गई। उत्तर मान्य नही है क्योंकि पुरानी लाइनों की जाँच की जानी अपेक्षित है जब तक उन्हे पुर्नस्थापित न किया जाये।
3.	400 केवी आगरा-मुरादनगर लाइन	77.63	लाइन को बाधित होने से बचाने के लिये, टावरों की उचित अर्थिंग अपेक्षित थी लेकिन कम्पनी ने टावरों की अर्थिंग करने की वजाय डिस्क इन्सूलेटर्स तथा बर्ड गार्डस 77.63 लाख रुपये की लागत से स्थापित किये (अप्रैल 2003) लेकिन कोइ सुधार अवलोकित नही हुआ। पूर्ति की स्थिति यद्यपि 5.40 लाख रुपये की लागत से केबल टावर की अर्थिंग कराने के बाद सुधारी जा सकी। यदि टावरों की अर्थिंग पहले ही कर ली गई होती तो डिस्क इन्सूलेटर्स की स्थापना पर व्यय 77.63 लाख रुपये का व्यय बचाया जा सकता था।	प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार करते समय सूचित किया कि कम्पनी द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप, बाधित होना काफी कम कर लिया गया परन्तु पूरी तरह से नही रूका। उत्तर मान्य नही है क्योंकि डिस्क इन्सूलेटर्स की स्थापना के बाद भी बाधित होने मे अपेक्षित कमी अवलोकित नही की गई।

दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंक

2.3.27 प्रतिक्रियाशील ऊर्जा जनित केन्द्रो से भार केन्द्रो की ओर 220 केवी तथा 132 केवी लाइनों पर बहती है। इसके परिणामस्वरूप सिस्टम वोल्टेज प्रोफाइल में तेजी से गिरावट तथा अधिक सिस्टम हानि होती है। कैपेसिटर बैंक की स्थापना अभीष्ट स्तर तक ऊर्जा घटक के सुधार हेतु अपेक्षित है। कैपेसिटर बैकों से तन्त्र की भार वाहक क्षमता के सुधार हेतु अपेक्षित है। कैपेसिटर बैंको से तन्त्र की भार वाहक क्षमता में वृद्धि तथा तकनीकी हानियों में कमी का लाभ होता है।

नीचे दी गई तालिका 2001 से 2004 के दौरान संस्थापित कैपेसिटर बैकों की क्षमता तथा स्थिति दर्शाती है:

(क्षमता एमवीएआर में)

वर्ष	संस्थापित	कार्यशील	दोषपूर्ण	दोषपूर्ण कैपेसिटर बैको का प्रतिशत
2001-02	3277.328	2535.439	741.889	22.64
2002-03	3557.328	2725.249	832.079	23.39
2003-04	3707.328	2843.201	864.127	23.31

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि:

- दोषपूर्ण कैपेसिटर बैको का प्रतिशत 22.64 तथा 23.39 प्रतिशत के मध्य रहा लेकिन प्रबन्धन ने तकनीकी हानियों से बचने के लिये दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंकों को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु उनमे से दोष दूर करने के लिये सुधारात्मक कदम नही उठाये।
- कैपेसिटर बैकों के अकार्यशील होने के परिणामस्वरूप 20.30 करोड़ रुपये मूल्य की 120.82 एमयू की सीमा तक तकनीकी हानियों में कमी नहीं हुई।
- 1 दिसम्बर 2002 से उपलब्धता आधारित प्रशुल्क (एबीटी) लागू हो जाने से, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का बहाव उत्तरी क्षेत्र विद्युत परिषद (एनआरईबी) द्वारा उच्च वोल्टेज एवं निम्न वोल्टेज शर्तो के अन्तर्गत अभिलेखित, अनुरक्षित तथा देयकांकित भी किया जाता है। यदि आयात/निर्यात बिन्दु का वोल्टेज $\pm$ तीन प्रतिशत से अधिक विचलन करता है तो राज्य को उच्च वोल्टेज की स्थिति के दौरान प्रतिक्रियाशील ऊर्जा निर्यात करने हेतु तथा निम्न वोल्टेज की स्थिति के दौरान प्रतिक्रियाशील ऊर्जा आयात करने हेतु दण्डित किया जाता है। लेखा परीक्षा ने पाया (जनवरी 2005) कि कम्पनी पर्याप्त कार्यशील क्षमता वाले कैपेसिटर बैकों की अनुपलब्धता के कारण प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के आयात एवं निर्यात का प्रभावपूर्ण अनुश्रवण करने में असफल रही तथा उसे 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान एनआरईबी को 10.70 करोड़ रुपये की दण्ड शुल्क चुकाना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के आहरण के कारण किया गया अधिक भुगतान मुख्य रूप से संस्थापित कैपेसिटर बैको की दोषपूर्ण क्षमता के कारण नही था; तथ्य यह था कि अधिकांश दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंक को कार्यरत किया गया तथा समय के साथ-साथ कार्यरत कैपेसिटर बैको ने काम करना बन्द कर दिया जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे थे। उत्तर मान्य नही है क्योंकि दोषपूर्ण कैपेसिटर बैको का प्रतिशत स्थिर

था तथा इसे तकनीकी हानियों को नियमित करने के लिये कम किया जाना चाहिये था।

सामग्री की अधिप्राप्ति

2.3.28 पारेषण योजनाओं को लागू करने तथा अनुश्रवण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा सामग्री की अधिप्राप्ति अपेक्षित होती है। सामग्री क्रय समिति के माध्यम से केन्द्रीयकृत ढंग से मुख्यालय पर क्रय की जाती है, अधिप्राप्ति में पायी गई अनियमिततायें आगामी प्रस्तरों में चर्चित है।

उच्च दरों पर प्रवर्तकों की अधिप्राप्ति

2.3.29 कम्पनी ने निर्दिष्ट मात्रा (निविदा की विशिष्ट की समान्य माँग का उप-प्रस्तर 2.20) में $\pm$ 50 प्रतिशत के विचलन की शर्त सहित 40 एमवीए क्षमता के 18 प्रवर्तकों की अधिप्राप्ति हेतु 11 अक्टूबर 1999 को निविदा विशिष्टि संख्या ईएसडी-123 आमन्त्रित की। निविदा को अन्तिम रूप देने के पश्चात्, इन्डियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन (आईईईएमए) के 1 सितम्बर 1999 के आधार पर मूल्य को लेकर 2.33 करोड़ रुपये प्रति प्रवर्तक के संगणित मूल्य पर 40 एमवीए क्षमता वाले 25 प्रवर्तकों की आपूर्ति हेतु क्रयादेश निर्गत किया गया (जुलाई/अगस्त 2000)। आपूर्तिकर्ता/उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा/आदेशित मात्रा का विवरण निम्नवत् है:

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	प्रस्तावित मात्रा	आदेशित मात्रा	शेष मात्रा जिसका आदेश दिया जा सकता था
1.	एस्टम	18	10	8
2.	एमको	18	9	9
3.	भारत बिजली लिमिटेड (बीबीएल)	18	1	17
4.	एबीबी	18	3	15
5.	क्राम्पटन ग्रीवस	18	2	16

वर्ष 2000-01 की माँग की पूर्ति करने हेतु कम्पनी ने 40 एमवीए क्षमता वाले 15 प्रवर्तको को क्रय करने के लिये एक अन्य निविदा (विशिष्टि संख्या ईएसडी-143) आमन्त्रित की (मार्च 2001)। इस निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी बिड) मार्च 2001 में खोला गया जबकि निविदा का द्वितीय भाग (वित्तीय विड) पाँच माह पश्चात (अगस्त 2001) में खोला गया। आईईईएमए के 1 फरवरी 2001 के आधार मूल्य को लेकर सबसे कम अनुमोदित दर (सितम्बर 2001) 2.29 करोड़ रुपये थी। चार आपूर्तिकर्ताओं में से प्रत्येक को एक प्रवर्तक आपूर्ति करने का आदेश दिया गया तथा तीन फर्मो को 12 प्रवर्तक (पाँच, छः तथा एक प्रवर्तक) आपूर्ति करने का आदेश दिया गया। इन तीन फर्मो ने 2.29 करोड़ रुपये प्रति प्रवर्तक की दर से आपूर्ति करने से मना कर दिया, इसकी बजाय उन्होने 2.40 करोड़ रुपये प्रति प्रवर्तक की दर से प्रवर्तकों की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा।

लेखा परीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2004) कि पिछली निविदा (ईएसडी-123) की वैधता अवधि जून 2001 तक थी। चूकिं दूसरी निविदा (ईएसडी-143) का द्वितीय भाग जून 2001 के पश्चात खोला गया था, कम्पनी पुरानी निविदा के खण्ड 2.20

कम्पनी द्वारा 12 प्रवर्तकों के उच्च दर पर क्रय पर 84 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

को उद्धृत करके होने वाले 2.33 करोड़ रुपये की निम्न दर (पूर्व आदेश में प्रस्तावित) के लाभ को प्राप्त नही कर सकी। तत्पश्चात्, कम्पनी ने 2.40 करोड़ रुपये प्रति प्रवर्तक की दर से 12 प्रवर्तक क्रय कियें इसके फलस्वरूप 12 प्रवर्तको की अधिप्राप्ति पर 7 लाख रुपये (2.40 करोड़ रुपये - 2.33 करोड़ रुपये) प्रति प्रवर्तक की दर से 84 लाख रुपये का अधिव्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि निविदा संख्या ईएसडी-123 के सापेक्ष माँग 18 प्रवर्तकों से 25 प्रवर्तकों तक बढ़ाई गई; इस प्रकार 15 अतिरिक्त प्रवर्तको के क्रय हेतु खण्ड 2.20 को उद्धृत करना अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने पूर्व निविदा के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त मात्रा के लिये आदेश नही दिया। प्रबन्धन ने पूर्व निविदा (ईएसडी-123) की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात तथा निविदा के प्रथम भाग को खोले जाने की तिथि से 5 माह की अवधि के पश्चात् निविदा (ईएसडी-143) के द्वितीय भाग को खोले जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की।

विद्युत ट्राइवेक्टर मीटरों का उच्च दर पर क्रय

2.3.30 मीटरों के क्रय का वित्त पोषण विश्व बैंक से होना था। विश्व बैंक के ऋण से आयात करने पर कोई आयात शुल्क देय नहीं था। विशिष्टि संख्या टीआर-26 के सापेक्ष 1,200 0.2 एस श्रेणी के ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदाएँ आमन्त्रित की गयीं (फरवरी 2002)। निविदाएँ 5 मार्च 2002 को खोली गई। ग्रुप 'ए'* तथा 'सी'** की क्रमश: एक भारतीय तथा दो विदेशी फर्मो ने अपनी दरें उद्धृत करीं। इन फर्मो की संकलित दरें निम्न थी:

फर्म का नाम	फर्मो की श्रेणी	संकलित लागत (करोड़ रुपये में)
सेक्योर मीटर्स लिमिटेड	ग्रुप ए	21.49
पीएमएल, कनाडा	ग्रुप सी (सीधे प्रेषित किया गया)	20.37
पीआई इण्डस्ट्रीज	ग्रुप सी (एजेंट के माध्यम से प्रेषित)	26.17

अनुच्छेद 27.3 तथा 27.4 में विभिन्न ग्रुप में आने वाली फर्मो के दरों की तुलना करने की प्रक्रिया निर्धारित है। किसी एक ग्रुप (ग्रुप सी) जिसे आयात शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है की दर सबसे कम पायी जाने की दशा में उस फर्म की दर पर 15 प्रतिशत सीमा शुल्क इत्यादि जोकि गैर छूट प्राप्त फर्म (ग्रुप ए) द्वारा देय था, भारित किया जाना था।

लेखा परीक्षा ने यह पाया कि चूँकि यह विश्व बैंक के ऋण के सापेक्ष आयात था, इस पर कोई सीमा शुल्क देय नहीं थी। अत: फर्म (ग्रुप सी) जिसे सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी की दरों को भारित किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद उस फर्म जिसे सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी के प्रस्तावित दर पर 15 प्रतिशत भारित किया गया; अत: ग्रुप 'सी'

* ग्रुप 'ए' में स्वदेशी आपूर्तिकर्ता आते है।

** ग्रुप 'सी' में विदेश से सीधे अथवा एजेंट के माध्यम से आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता।

के प्रस्तावित दर पर 15 प्रतिशत भारित किया जाना अनियमित था। ग्रुप 'सी' फर्म पर अनुचित भार किये जाने के पश्चात स्वदेशी फर्म यथा 'सेक्योर मीटर्स' की संकलित लागत सबसे कम हो गई।

कम्पनी द्वारा विद्युत ट्राईवेक्टर मीटरों के उच्च दर पर क्रय पर 1.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

यदि ग्रुप 'सी' फर्मों पर 15 प्रतिशत भारित न किया जाता तो पीएम लिमिटेड के संदर्भ में क्रय की कुल लागत सबसे कम होती। आपूर्ति आदेश यद्यपि पीएम लिमिटेड की बजाए सेक्योर मीटर्स को दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मीटरों के क्रय पर 1.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने यह तथ्य माना (जुलाई 2005) कि विदेशी आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिए जाने की दशा में विश्व बैंक ऋण के विरुद्ध कोई सीमा शुल्क देय नही था पर आयातकर्ता को गैर-छूट प्राप्त मानते हुए भारित किया गया। प्रबन्धन का कथन मान्य नहीं है क्योंकि ग्रुप 'सी' की प्रस्तावित लागत पर 15 प्रतिशत भारित किया जाना अनियमित था।

बिना आवश्यकता सामग्री का क्रय

कम्पनी ने बिना आवश्कता के 2.37 करोड़ रुपये मूल्य के 19 सर्किट ब्रेकर का क्रय किया।

2.3.31 कम्पनी ने (फरवरी 2001 से अक्टूबर 2003) 'ट्रान्सफारमर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, केरला लिमिटेड' से रुपये 6.37 करोड़ लागत की 51,245 केवी एसएफ-6 गैस आधारित सर्किट ब्रेकर (सीबी) क्रय किए। अनुबन्ध में निहित प्रावधानो के अनुसार, संयंत्र, आपूर्ति के दिनांक से दो से तीन महीनों के अन्दर स्थापित कर दिये जाने चाहिए थे। लेखा परीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2004) कि 51 सीबी मे से मात्र 32 सीबी अप्रैल 2005 तक अधिष्ठापित किए गए तथा 2.37 करोड़ रुपये लागत के 19 सीबी उपकेन्द्र पूर्ण न होने के कारण गैर-अधिष्ठापित (अप्रैल 2005) रहे।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि ये संयंत्र नियत समय में आवश्यकतानुसार अधिष्ठापित किए जाएँगें।

2.3.32 400 केवी उपकेन्द्र खण्ड, आगरा ने 31.65 लाख रुपये की लागत का एक 420 केवी एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर एबीबी लिमिटेड से क्रय किया (दिसम्बर 2002)। यह सर्किट ब्रेकर बिना उपयोग के अभी तक (जुलाई 2005) पड़ा है।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि यह 400 केवी उपकेन्द्र, मुजफ्फरनगर में अधिष्ठापित किया जाएगा।

निस्तारण हेतु आधिक्य सामग्री

6.89 करोड़ रुपये मूल्य की आधिक्य सामग्री पाँच वर्षो से अधिक समय से निष्प्रयोज्य पड़ी थी।

2.3.33 तत्कालीन परिषद ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए आधिक्य सामग्री के निस्तारण हेतु नीति बनाई (जून 1981)। समिति द्वारा आधिक्य सामग्री के निस्तारण की रीति पर संस्तुति दिया जाना था। समिति द्वारा संस्तुति दिये जाने पर उस सामग्री का निस्तारण निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त ही किया जाना था। लेखा परीक्षा ने यह पाया कि टावर पुर्जे, कन्डक्टर्स, उपकेन्द्र के संयंत्र तथा अन्य स्टोर सामग्री सम्मिलित करते हुए 6.89 करोड़ रुपये की कई वस्तुएँ पाँच वर्ष से अधिक समय से निष्प्रयोज्य पड़ी थी तथा इनके निस्तारण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि ये उपकरण आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए रखे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सामग्री पाँच वर्षों से अधिक समय से निष्प्रयोज्य पड़ी थीं।

विद्युत फैब्रिकेशन इकाई, इलाहाबाद की परफारमेन्स

2.3.34 कुप्याचित टावर पुर्जे तथा आवश्यक उपकेन्द्र सरचंना की आपूर्ति में देरी के कारण लाइन तथा उपकेन्द्र के निर्माण में देरी को कम करने के उद्देश्य से विद्युत फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना (अगस्त 1975) 25 लाख रुपये की लागत से की गई। कार्यशाला की अधिष्ठापित क्षमता 200 एमटी लोहा प्रतिमाह का फैब्रिकेशन तथा कुप्यायन था (2004-05 तक पिछले छः वर्षों के दौरान अधिकतम क्षमता का उपयोग 110 मी.टन प्रतिमाह था)। कम्पनी के पारेषण अभिकल्पना संगठन से प्राप्त आवंटन के आधार पर इकाई में विभिन्न प्रकार के टावर तथा संरचनो का फैब्रिकेशन किया जाता है।

लेखा परीक्षा ने यह पाया (अप्रैल 2005) कि 2004-05 तक पिछले वर्षों के दौरान कार्यशाला की अधिष्ठापित क्षमता कभी भी उपयोग नही की जा सकी तथा क्षमता का उपयोग 110 मी.टन प्रति माह की अधिकतम क्षमता उपयोग के संदर्भ में 47. 10 तथा 88.26 प्रतिशत के बीच रहा।

कम्पनी ने इस फैब्रिकेशन इकाई के लिए कबाड़ के रूप में प्राप्त होने वाले क्षय के लिए कोई प्रमाप निर्धारित नहीं किए। तत्तकालीन परिषद द्वारा (1977) निजी ठेकेदारों से कराये गऐ फैब्रिकेशन कार्य पर क्षय हेतु पाँच प्रतिशत छूट दिया गया। नीचे दी गई सारिणी कार्यशाला में 2004-05 तक पिछले छः वर्षों के दौरान फैब्रिकेशन के लिए प्राप्त लोहे की मात्रा, फैब्रिकेटेड, जनित कबाड़ तथा पाँच प्रतिशत के प्रमाप से अधिक कबाड़ दर्शाती है:

वर्ष	फैब्रिकेशन के लिए उपयोग किया गया कच्चा लोहा (मी.टन)	फैब्रिकेटेड मात्रा (मी.टन)	जनित कबाड़ (मी.टन)	कबाड़ का कच्चे लोहे की मात्रा का प्रतिशत	प्रमाप के अनुसार कबाड़ की मात्राा (मी.टन)	मान्य सीमा से अधिक जनित कबाड़ की मात्रा (मी.टन)
1999-2000	928.811	829.563	99.248	10.69	46.441	52.807
2000-01	718.321	621.832	96.489	13.43	35.916	60.573
2001-02	1044.056	913.277	130.779	12.53	52.203	78.576
2002-03	1254.957	1165.031	89.926	7.17	62.748	27.178
2003-04	1202.008	1074.263	127.745	10.63	60.100	67.645
2004-05	1111.749	914.791	196.958	17.72	55.587	141.371
योग	**6259.902**	**5518.757**	**741.145**		**312.995**	**428.150**

उपर दी गई सारिणी से यह देखा जा सकता है कि जनित किये गए कबाड़ का प्रतिशत 7.17 से 17.72 के बीच था, जोकि कच्चे लोहे के निम्नतर लम्बाई एवं आकार के कारण, अधिक था। इससे 61.03 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2005) कि कबाड़ का अत्यधिक प्रतिशत अन्य खण्डों द्वारा फैब्रिकेशन इकाई में कबाड़ का रखा जाना था।

उपरोक्त प्रकरण प्रबन्धन तथा सरकार को प्रतिवेदित (मई 2005) किया गया; सरकार का उत्तर अप्राप्त है (सितम्बर 2005)।

निष्कर्ष

कम्पनी का मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति करते हुए अपनी पारेषण तन्त्र से वितरण कम्पनियों को ऊर्जा का पारेषण करना था। कम्पनी प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि तथा पारेषण लाइन के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकी। सृजित की गई प्रवर्तन क्षमता तथा निर्मित की गई लाइन में मेल नही था। पारेषण योजनाओं/कार्यो के कार्यान्वयवन में हुए विलम्ब से लागत में अधिव्यय हुआ तथा निर्धारित समय मे पारेषण तन्त्र का विकास नहीं हो सका जिससे नियोजन से अपेक्षित लाभ नही मिल सका। तन्त्र में वृद्धि की गई लाइनों का उपयोग कम वोल्टेज पर ऊर्जीकृत करके किया गया। उपकेन्द्रो तथा लाइन का अनुरक्षण कमजोर था। दोषपूर्ण कैपेसिटर बैंको से पारेषण हानियों को कम नही किया जा सका तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के अधिक आहरण पर दण्ड का भुगतान करना पड़ा। कम्पनी की फैब्रिकेशन इकाई कम क्षमता उपयोग से प्रभावित रही।

संस्तुतियाँ

- कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा में हो सके।
- योजना से अपेक्षित परिणाम पाने के लिए उपकेन्द्र तथा ईएचटी लाइन के पूर्ण होने का एक दूसरे से मेल होना चाहिए।
- उपभोक्ताओं को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पारेषण तन्त्र की अनुरक्षण तथा रख-रखाव प्रणाली को सुदृढ बनाना आवश्यक है।
- फैब्रिकेशन इकाई की क्षमता उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

2.4 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ईंधन प्रबन्धन पर समीक्षा

मुख्य अंश

कम्पनी की स्थापना (अगस्त 1980)एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में की गयी थी तथा इसे उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये ईंधन के नियोजन, अधिप्राप्ति, ढुलाई, भण्डारण एवं उपभोग के एकीकरण का कुशल प्रबन्धन करना था। उत्पादन लक्ष्य की उपलब्धि में 1,326 एम.यू., जिसका मूल्य 211.85 करोड़ रुपये था, की कमी थी, जो कि मुख्यत: कोयला कम्पनियों से कोयले की कम अधिप्राप्ति होने के कारण थी।

(प्रस्तर 2.4.1 एवं 2.4.6)

लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि:

ओबरा, अनपरा एवं हरदुआगंज टीपीएस ने 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान मानक से 29.36 लाख मी.टन अधिक कोयले का उपभोग किया जिसका मूल्य 297.65 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.4.17)

यूपीईआरसी द्वारा अंगीकृत प्रतीयापित ताप दर की तुलना में 2004-05 तक पाँच वर्षों की समयावधि में ओबरा, अनपरा एवं हरदुआगंज टीपीएस द्वारा कम तापीय दक्षता के कारण 394.62 करोड़ रुपये के ताप की खपत अधिक हुई।

(प्रस्तर 2.4.25)

ओबरा, अनपरा एवं हरदुआगंज टी.पी.एस. ने 2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान यूपीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट मानक से 37,271 कि.ली., ईंधन तेल का अधिक उपभोग किया जिसका मूल्य 49.13 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.4.23)

प्रबन्धन द्वारा सीईए के मानक के अनुसार कोयले व ईंधन तेल का न्यूनतम भंडार न रखने के कारण ओबरा, अनपरा एवं हरदुआगंज टीपीएस की इकाइयों को जबरन बन्द करना पड़ा जिसके फलस्वरूप 255.333 मि.यू. विद्युत उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 15.67 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 2.4.27)

कम्पनी, रेलवे, कोयला एवं तेल कम्पनियों से अपने 10.35 करोड़ रुपये के दावों का निस्तारण नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 2.4.13 एंव 2.4.31)

उच्च दरों पर ईंधन तेल की अधिप्राप्ति पर 90.99 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.4.20 एवं 2.4.31)

प्रस्तावना

2.4.1 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना अगस्त 1980 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन कम्पनी के

रूप में की गयी थी जिसमे केवल फिरोज गाँधी ऊँचाहार तापीय विद्युत परियोजना सम्मिलित था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त परियोजना का अधिग्रहण (13 फरवरी 1992) किया तथा इसे पूववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (परिषद) की देनदारियों के विरूद्ध एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया था।

14 जनवरी 2000 से पूर्व, परिषद में पाँच तापीय विद्युत गृह (टीपीएस) थे, जिनकी समस्त अवक्षरित अधिष्ठापित क्षमता 3,941 मेगावाट थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म एवं ट्रांसफर स्कीम (1999) की धारा 23 के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती परिषद की पाँचों टीपीएस, कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया (14 जनवरी 2000)। प्रत्येक टीपीएस की विभिन्न इकाइयों के चालू होने का वर्ष, अवक्षरित अधिष्ठापित क्षमता, 2000-01 से 2004-05 तक के वर्षों में अवक्षरित अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन एवं वास्तविक विद्युत उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

विद्युत गृह का नाम	चालू होने का वर्ष	अवक्षरित वाणिज्यिक क्षमता (मे.वा)	अवक्षरित अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता* (मि.यू)	वास्तविक विद्युत उत्पादन (मि.यू)
ओबरा	1967-68 से 1981-82	1442	63,159.600	29,943.296
पनकी	1967-68 से 1976-77	274**	10,599.600	4,932.376
हरदुआगंज	1967-68 से 1977-78	375	16,425.000	3,517.448
पारीक्षा	1983-84 से 1984-85	220	9,636.000	4,199.498
अनपरा	1985-86 से 1994-95	1630	71,394.000	58,787.190
	योग	**3941**	**1,71,214.200**	**1,01,379.808**

उपरोक्त तालिका से विदित है कि वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान किसी भी टीपीएस ने अवक्षरित अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता के समतुल्य विद्युत उत्पादन नहीं किया। विद्युत उत्पादन कम होने के विश्लेषित कारणों में कोयला व तेल की कमी एवं कोयले की कोयला बंकरो में अनुपलब्धता थी जैसा कि आगामी प्रस्तर 2.4.27 मे विवेचन किया गया है।

कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रो में ईधन के रूप में मूलत: कोयला एवं तेल प्रयोग किया जाता है। ईधन प्रबन्धन में ईधन के नियोजन, अधिप्राप्ति, ढुलाई, भण्डारण एवं उपभोग का एकीकरण अन्तर्निहित होता है। कुशल प्रबन्धन, विद्युत उत्पादन संयंत्रों की तापीय क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

तेल का क्रय टीपीएस स्तर पर किया जाता है जबकि मुख्यालय, लखनऊ स्थित महाप्रबन्धक (ईधन) कोयले की समय से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी से कोयले का आबंटन, क्रय, चाल एवं अनुश्रवण हेतु समन्वय स्थापित करता है। वह पूर्ण रूप से निदेशक (तकनीकी) के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। प्रत्येक टीपीएस का प्रधान, मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक होता है जोकि

* उत्पादित की जाने वाली यूनिट = यंत्र की क्षमता × उपलब्ध घण्टों की संख्या/1000

** 32 मे.वा. की एक इकाई जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा (अगस्त 1999) में ही खत्म कर दी गयी थी वह भी शामिल है।

ईधन के कुशल तथा मितव्ययता पूर्ण प्रयोग के लिये उत्तरदायी होता है। कार्य संचालन हेतु इसे उपमहाप्रबंधक, विभिन्न अधिशासी अभियन्ता एवं उपमुख्य लेखाधिकारी सहायता करते है।

वर्तमान में, प्रयुक्त ईधन की लागत 1.13 रुपये प्रति यूनिट है, जो कि 1.64 रुपये प्रति यूनिट की कुल उत्पादन लागत का 69 प्रतिशत है।

पूर्ववर्ती परिषद के हरदुआगंज एवं पनकी तथा ओबरा (अ एवं ब) टीपीएस के ईधन प्रबन्धन की समीक्षा क्रमशः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश शासन के 31 मार्च 1991 एवं 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गयी थीं। उपरोक्त समीक्षाओं पर अभी तक (सितम्बर 2005) सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा चर्चा नहीं की गयी है।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र

2.4.2 वर्तमान समीक्षा का कार्य अक्टूबर 2004 से मार्च 2005 के दौरान किया गया था और इसमें वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि में लिंकेज, क्रय और ढुलाई के साथ-साथ कोयला व ईधन तेल की लोडिंग, अनलोडिंग, कमी एवं उपभोग का समावेश है। यह समीक्षा कम्पनी के पाँच टीपीएस मे से तीन टीपीएस अनपरा, ओबरा एवं हरदुआगंज, जिनकी क्षमता कम्पनी की कुल अवक्षरित अधिष्ठापित क्षमता का 88.18 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन, कम्पनी के कुल उत्पादन का 91 प्रतिशत के बराबर है। सांख्यिकीय तुलना के लिये, अन्य दोनो टीपीएस के परिचालन से संबंधित आंकड़े भी सम्मिलित किए गए हैं।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

2.4.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कम्पनी कितनी कुशलता से निम्न कार्यों में सक्षम थी:-

- विद्युत उत्पादन इकाइयों की तापीय दक्षता को बढ़ाने के लिए ईंधन के नियोजन, अधिप्राप्ति, ढुलाई, भण्डारण एवं उपभोग का एकीकरण;
- कोयला एवं ईंधन तेल का क्रय, ढुलाई, गुणवत्ता बनाये रखना, एवं उपभोग;
- संयंत्रों की तापीय दक्षता बनाये रखना;
- कोयला तथा ईंधन तेल का स्कन्ध बनाये रखना।

लेखा परीक्षा की कसौटी

2.4.4 लेखा परीक्षा के लक्ष्यों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त लेखा परीक्षा की कसौटी में यह मूल्यांकन किया गया कि क्या निगम निम्नलिखित में सक्षम थी:

- स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी द्वारा निर्धारित कोयले की मात्रा की अधिप्राप्ति;
- समय से सही तौल के साथ उचित गुणवत्ता वाले कोयले की अधिप्राप्ति और यह कि कोयला ठीक ढंग से टीपीएस को सौंपा गया;

- कोयले व ईंधन तेल का उपभोग मानक के अन्तर्गत था;
- ईंधन तेल की अधिप्राप्ति कम से कम समय में सर्वोत्तम सम्भव मूल्य पर की गयी;
- कोयले और ईंधन तेल का उचित एवं पर्याप्त भण्डारण किया गया; तथा
- कोयला कम्पनियों और रेलवे के साथ हुये कोयले एवं ईंधन तेल की ढुलाई से सम्बन्धित विवादों का निपटारा निगम के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुये किया गया है।

लेखा परीक्षा प्रक्रिया

2.4.5 लेखा परीक्षा कसौटी के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाया गया:-

- कम्पनी के मुख्यालय स्तर पर, परिचालन निष्पादन एवं संयंत्रों की दक्षता का विश्लेषण, कोयला लिंकेज, अधिप्राप्ति, कोयले व तेल की अधिप्राप्ति एवं रेलवे भाड़े के लिये किये गये भुगतान के आंकड़ो से किया गया।
- ईंधन तेल के क्रय, तेल कम्पनियों, रेलवे, कोयला कम्पनियों से मिलान से संबंधित अभिलेख और सांख्यिकीय/दक्षता इकाइयों से सम्बन्धित अभिलेख टी.पी.एस. में जाँचे गये।
- ईंधन स्कन्धों की अधिप्राप्ति एवम् रखरखाव का विश्लेषण सीईए के दिशानिर्देशो पर आधारित था।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

ईंधन प्रबन्धन पर समीक्षा के प्राप्त परिणामों को कम्पनी के प्रबन्धन/शासन को मई 2005 में सूचित किया गया तथा 26 जुलाई 2005 में आयोजित राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक मे इस पर चर्चा किया गया। इस बैठक मे कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने भाग किया। सदस्यों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोणों और प्रबन्धन द्वारा भेजे गये (सितम्बर 2005) उत्तरों का समावेश करते हुये समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया है।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

कोयला

कोयला की अधिप्राप्ति

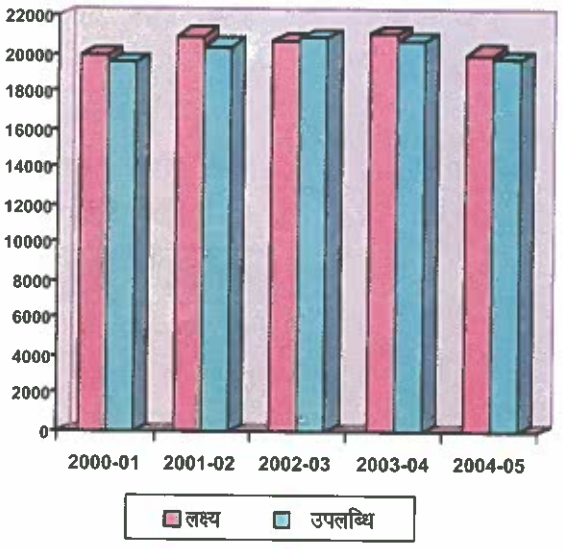
2.4.6 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), टीपीएस के लिये विद्युत उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण, संयंत्रों की क्षमता, औसत प्लांट लोड फैक्टर तथा पिछले निष्पादनों को ध्यान में रखकर करता है। कम्पनी, इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों तथा अपने टीपीएस की पूर्व कोयला उपभोग की प्रवत्तियों के आधार पर कोयले की माँग की गणना करती है। इस प्रकार निर्धारित कोयले की माँग को स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी (एसएलसी), ऊर्जा मंत्रालय (एम ओई), भारत सरकार को सूचित किया जाता है, जोकि टीपीएस को पूर्ति किये जाने वाले कोयले के स्त्रोत तथा उसकी मात्रा का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर करती है।

2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान कम्पनी के पाँचो टीपीएस द्वारा निर्धारित कोयले के लिंकेज, कोयले की प्राप्ति, निर्दिष्ट उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन की उपलब्धि के विवरण निम्नवत् है:

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
निर्धारित कोयले का लिंकेज (मी.टन)	169,35,000	167,60,000	175,35,000	177,60,000	171,75,000	861,65,000
प्राप्त किये गये कोयले की मात्रा (मी.टन)	146,10,803	158,03,945	161,27,023	158,97,663	157,79,304	782,18,738
उत्पादन लक्ष्य (एम.यू)	19,950	20,960	20,687	21,060	20,050	1,02,707
वास्तविक उत्पादन की उपलब्धि (एम.यू)	19,583	20,464	20,949	20,681	19,704	1,01,381
विद्युत उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में कमी (मि.यू)	367	496	(-) 262	379	346	1,326

79.46 लाख मी.टन कोयले की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में 211.85 करोड़ रुपये मूल्य की 1,326 एम.यू की कमी रही।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पाँच वर्षों के दौरान एसएलसी द्वारा कम्पनी के लिये निर्धारित कोयले का कुल लिंकेज 861.65 लाख मी.टन था। इसके सापेक्ष, केवल 782.19 लाख मी.टन कोयला ही प्राप्त किया गया, जो कि 79.46 लाख मी. टन (9.22 प्रतिशत) कोयले की कम प्राप्ति दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप पाँचों टीपीएस में निर्दिष्ट उत्पादन लक्ष्यों की उपलब्धि में 1,326 एम.यू. की कमी रही जिसका मूल्य 211.85 करोड़ रुपये (उपरोक्त अवधि में 1.48 रुपये से 1.60 रुपये प्रति यूनिट की दर से) था। कोयला कम्पनियों के साथ किसी अनुबंध के अभाव में प्रबन्धन कोयले की आंबटित मात्रा को क्रय करने में विफल रहा।



प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि कोयले के लिंकेज पूर्णतया अन्वेक्षात्मक थे जो कि कुछ अनुमानों पर आधारित थे और विद्युत उत्पादन लक्ष्य भी इसी प्रकार प्राक्कलित किये गये थे। कोयले की अनुपलब्धता के कारण कोई उत्पादन हानि नहीं हुई थी। पुनश्चः प्रबन्धन ने कहा कि अथक प्रयासों के बावजूद कोयला कम्पनियाँ, कोयला लिंकेज के आधार पर कोयले की आपूर्ति नहीं कर रहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी लक्षित उत्पादन के सापेक्ष कोयले की वास्तविक माँग का निर्धारण करने में विफल रही और अनपरा, ओबरा तथा हरदुआगंज की विद्युत उत्पादन इकाइयों को कोयले की कमी/उत्पादन योग्य कोयले की कमी के कारण सविराम बंद करना पड़ा जैसा कि आगामी प्रस्तर 2.4.27 मे विवेचित किया गया है।

कोयले की ढुलाई

2.4.7 कोयले की ढुलाई, स्वामी के जोखिम पर रेलवे रैकों के माध्यम से कोयला खदानों से टीपीएस के यार्ड तक की जाती है। कोयले की प्राप्ति के पश्चात, सम्बन्धित टीपीएस, रेलवे की ढुलाई के देयकों को अपने अभिलेखों से सत्यापित करती है।

रेलवे भाड़ा का अधिक समायोजन/भुगतान

2.4.8 परिषद के विभाजन के पूर्व, परिषद रेलवे भाड़े के प्रपत्र (रेलवे को देय) को रेलवे के संकर्षण विद्युत प्रपत्र (रेलवे से प्राप्य) के विरुद्ध केन्द्रीय स्तर पर समायोजित करती थी। जनवरी 2000 में विभाजन के बाद, विद्युत पारेषण/वितरण का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) को कर दिया गया। वहन शुल्क देयकों के भुगतान/समायोजन की वही प्रक्रिया जारी रही। अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार, कम्पनी द्वारा देय रेलवे वहन शुल्क, यूपीपीसीएल से प्राप्य राजस्व (यूपीपीसीएल को बेची गई विद्युत हेतु) से समायोजित होता है, जो इसे फिर रेलवे से प्राप्य संकर्षण विद्युत देयकों से समायोजित करता है।

रेलवे को देय 721.64 करोड़ रुपये के वहन शुल्क देयकों की देयता का समायोजन यूपीपीसीएल से प्राप्य 728.97 करोड़ रुपये के राजस्व से किया गया।

लेखा परीक्षा ने पाया कि 2000-01 से 2004-05 के दौरान रेलवे को देय 721.64 करोड़ रुपये के वहन शुल्क देयकों की देयता का समाायोजन यूपीपीसीएल से प्राप्य 728.97 करोड़ रुपये के राजस्व से किया गया। इस तरह रेलवे को 7.33 करोड़ रुपये का जमाधिक्य का प्रभाव दिया गया तथा इससे रेलवे को 7.33 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया क्योकि रेलवे को वहन शुल्क देयकों के लिये किया जाने वाला भुगतान, रेलवे द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा, जिसके लिये यूपीपीसीएल द्वारा देयक प्रस्तुत किये गये की, धनराशि से कम था।

प्रबन्धन ने रेलवे वहन शुल्क तथा पाँचो टीपीएस के सम्बन्ध में समायोजन/भुगतान का ब्यौरा देते समय बताया (अगस्त 2005) कि 0.39 करोड़ रुपये रेलवे को देय है। प्रबन्धन द्वारा दिये गये आंकड़ो के लेखा परीक्षा (सितम्बर 2005) विश्लेषण में पाया गया कि इसकी गणना सही नहीं है; यह तथ्य भी शेष रह जाता है कि रेलवे को 2000-01 से 2004-05 के दौरान 7.33 करोड़ रुपये का जमाधिक्य दिया गया।

कोयले की तौल

2.4.9 ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्णय (दिसम्बर 1986) के अनुसार:

- अगर वाहन भारित स्थल पर विद्युत द्वारा संचालित तोलन पट्ट से तौले गये हो, तो इस तरह का तौल मुद्रण सभी सम्बन्धितों पर बाध्य होगा और मार्ग में हुई कमी ताप विद्युत गृह द्वारा वहन की जायेगी;
- अगर वाहन केवल टीपीएस पर तौले गये हो तो मार्ग में हुई कमी, कोयला कम्पनियों से वसूली जायेगी;
- अगर तौलने की सुविधा भारित तथा प्राप्य बिन्दु, कहीं भी उपलब्ध न हो तो आयतन के आधार पर तौल को माना जायेगा।

अनपरा में 1995 से तौलने की कोई सुविधा नहीं थी, और केवल एक तोलन पट्ट मई 2005 में प्रारम्भ किया गया। ओबरा टीपीएस में तीन तोलन पट्ट में से दो तोलन पट्ट कार्य कर रहे थे।

अनपरा टीपीएस में तौलने की सुविधा के अभाव में एवं ओबरा टीपीएस में कोयले की तौल करने में असफल रहने के कारण मार्गक्षय आंकलित नहीं किया जा सका।

अनपरा टीपीएस में तौलने की सुविधा के अभाव में एवं ओबरा टीपीएस में कोयले की तौल करने में असफल रहने के कारण लिन्क्ड वाहनों के सम्बन्ध मे देयकों में दर्शाये गये तौल तथा व्यवर्तित वाहनों के सम्बन्ध में वाहन क्षमता के आधार पर प्राप्त कोयले की मात्रा का लेखांकन किया जाता था। अत: 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान अनपरा एवं ओबरा टीपीएस द्वारा वहन किया गया मार्गक्षय, यदि कोई हो, आंकलित नहीं किया जा सका।

कोयले की कमी

2.4.10 हरदुआगंज एक अगर्तशीष* विद्युत गृह है जो सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की विभिन्न खदानों से रेल रैकों से कोयला प्राप्त कर रहा है। विद्युत गृह के पास गतिमान तोलन-पट्ट है। तोलन-पट्ट ने फरवरी 2001 से कार्य करना प्रारम्भ किया। फरवरी 2001 से पूर्व, प्राप्त कोयले की मात्रा आयतन के आधार पर सुनिश्चित की जाती थी और मात्रा में कमी को सम्पूर्ण देयक मात्रा एवं खपत में से घटा दिया जाता था। 2001-2002 एवं 2002-03 में कोयले का वजन समसंभाविक आधार पर लिया गया। टीपीएस ने 2002-03 के बाद प्राप्त कोयले के वजन को अभिलेखित नही किया गया। 2002-03 के पश्चात टीपीएस में कोयले के वजन का अभिलेखन न करने के कारण अभिलेखित नहीं थे। इससे उपभोग के अभिलेखन हेतु लिये जाने वाले सही वजन तथा क्षय को नियन्त्रित करने के तोलन-पट्ट का उद्देश्य विफल हो गया।

हरदुआगंज टीपीएस ने 2001-02 से 2002-03 के दौरान हुई कोयले की कमी के कारणों की जाँच नही की।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग- VI के प्रस्तर संख्या 447 के अनुसार, मार्गक्षय का मानक 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। लेखा परीक्षा के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2000-01 में कोयले का मार्गक्षय 39,670.37 मी.टन (5.30 प्रतिशत) था, जिसका मूल्य 5.37 करोड़ रुपये था। 2001-02 और 2002-03 में मार्गक्षय 31,521.85 मी.टन (3.94 प्रतिशत) एवं 21,133.52 मी.टन (3.15 प्रतिशत) था जिसका मूल्य क्रमश: 4.99 करोड़ रुपये एवं 3.94 करोड़ रुपये था। यह मार्ग-हानि अनुमन्य सीमा के अन्दर था। यद्यपि इस कमी को सुधारात्मक कार्यवाही द्वारा हानि घटाने के लिये पर्यवेक्षित नहीं किया गया।

कम्पनी यूपीईआरसी के निर्देशानुसार प्रत्येक टीपीएस में कोयला मिल में भारमितीय फीडर्स स्थापित करने में विफल रही। परिणामस्वरूप कोयले की वास्तविक कमी और हानि अनिर्धारित रही।

2.4.11 अनपरा, ओबरा और हरदुआगंज टीपीएस में, वास्तविक उपभोग की गई कोयले की मात्रा के तौल की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोयले की खपत कोयले के अनुमानित भार के आधार पर निर्धारित की जाती थी। 2003-04 के दौरान, यूपीईआरसी ने प्रत्येक टीपीएस पर कोयला मिल में भारमितीय फीडर्स लगाने के लिये कम्पनी को निर्देश जारी किये ताकि विद्युत उत्पादन के लिये बॉयलर में प्रयुक्त कोयले की बिल्कुल सही मात्रा जानी जा सके। यूपीईआरसी के निर्देशों पर अभी तक (मई 2005) कार्यवाही नहीं की गयी है। परिणामस्वरूप, कोयले की

* अगर्तशीष विद्युत गृह का अर्थ उस विद्युत गृह से है जो कोयले की खादानों के पास स्थित नही है।

वास्तविक खपत, कमी, क्षिप्त मात्रा, और हानि आदि लेखा परीक्षा में निर्धारित नहीं किए जा सके।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार करते हुये कहा (अगस्त 2005) कि विद्युत गृह बहुत पुराने हैं तथा कोयले की वास्तविक खपत को मापने के लिये कोई मापन व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, कोयले की विशिष्ट खपत, टीपीएस पर प्राप्त कोयले की गुणवत्ता के आधार पर निर्भर करती है तथा कोयले के स्कन्ध के भौतिक सत्यापन के समय कोयले की खपत समायोजित की जाती है।

कोयले की गुणवत्ता

कोयला कम्पनियों के साथ अनुबन्ध के अभाव में, कम्पनी श्रेणी में कमी, बड़े आकार के पत्थर आदि का दावा समायोजित/वसूल करने में विफल रही।

2.4.12 कोयला कम्पनियाँ ताप विद्युत गृहों को विभिन्न श्रेणी का बिना धुला हुआ कोयला आपूर्ति करती है, जिसका वर्गीकरण उसके ऊष्मांक गुण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है। कम्पनी के ओबरा, अनपरा और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह में स्थापित बॉयलर 'डी' और 'ई' श्रेणी के कोयले के लिए अभिकल्पित किये गये हैं। कम्पनी को पिछले पाँच वर्षों में सामान्यत: 'डी' और 'ई' श्रेणी का कोयला प्राप्त होता रहा। कम्पनी ने पिछले पाँच वर्षों में कायेला कम्पनियों के साथ कोई भी अनुबन्ध नहीं किया। कोयले की श्रेणी में कमी, कोयले के साथ आपूर्ति हुये बड़े आकार के पत्थर तथा अधिक भार लदान के लिए दण्ड आदि का समायोजन करने के लिये नियम एवं शर्तें, दोनों कम्पनियों के प्रतिनिधियों की समय-समय पर होने वाली संयुक्त बैठक में तय किये जाते है। अनुबन्ध के अभाव में कम्पनी श्रेणी में कमी, बड़े आकार के पत्थर आदि का दावा आदि समायोजित/वसूल करने में विफल रही।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये कहा (अगस्त 2005) कि अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं हो सके क्योंकि इसके कुछ अनुच्छेदों पर मतैक्य नहीं हो सका।

निर्धारित मात्रा से बड़े आकार के पत्थर के दावों का प्राप्त न होना

2.4.13 प्राप्त कोयले में शैल, पत्थर तथा अन्य दूसरे विजातीय सामग्री सम्मिलित रहते हैं। इन्हें चुनने और भण्डार प्रांगण में निस्तारण के लिए निजी ठेकेदारों को नियुक्त किया जाता है। अत्याधिक बड़े आकार के पत्थर (+200 मिमी) का दावा सम्बन्धित कोयला कम्पनियों के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है जो कोयला कम्पनियों के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित टीपीएस के द्वारा किये गये संयुक्त सत्यापन के आधार पर तय किया जाता है।

एनसीएल एवं सीसीएल के लिये बड़े आकार के पत्थर का चट्टा अलग से न लगाये जाने के कारण 9.94 करोड़ रुपये का दावा अस्वीकृत रहा

ओबरा ताप विद्युत गृह ने नदर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एनसीएल) एवं सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) की विभिन्न खादानों से कोयला प्राप्त किया जिसे एक स्थान (होपर या स्टाक यार्ड) में एकत्रित किया गया है। कम्पनी, सीसीएल के अधिकारियों एवं कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के प्रतिनिधियों के मध्य हुई बैठक में यह निश्चित किया गया (अगस्त 2004) कि बड़े आकार के (+200 मिमी) के लिए दावा, देयक मूल्य के 0.43 प्रतिशत पर निस्तारित किया जायेगा।

ओबरा ताप विद्युत गृह से अपेक्षित था कि वह कोयले के साथ प्राप्त किये गये बड़े आकार के पत्थरों (अप्रैल 2000 से सितम्बर 2004 के दौरान) के लिये 9.94 करोड़ रुपये का दावा कोयला कम्पनियों (एनसीएल एवं सीसीएल) से करे। एनसीएल ने कम्पनी का दावा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि बड़े आकार के पत्थर का चट्टा अलग से नहीं लगाया गया था; जबकि सीसीएल ने दावे को यद्यपि स्वीकार तो किया परन्तु लेखों में क्रेडिट नहीं किया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि पत्थर की कुल मात्रा के लिए अधिकतम दावा 6.51 करोड़ रुपये आंकलित हुआ जिसमे से 2.47 करोड़ रुपये की धनराशि कोयला कम्पनियों से समायोजित कर ली गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एनसीएल ने कम्पनी का दावा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि बड़े आकार के पत्थरों का चट्टा अलग से नहीं लगाया गया था।

कोयले का रख-रखाव

2.4.14 कोयला होपर पर उतारा जाता है अथवा प्राथमिक कोयला प्रांगण में इकठ्ठा किया जाता है। होपर का कोयला वाहक के द्वारा बाल/बाउल मिल में भेजा जाता है। कोयले के प्रचूर्णन के लिए बाल/बाउल मिल में स्टील बाल का प्रयोग किया जाता है। मिल कोयले का प्रचूर्णन चूर्ण के रूप में करती है। कोयले के प्रचूर्णन के दौरान बिना पिसे हुए कोयले को चक्की बाहर निकाल देती है। इस बिना पिसे कोयले को 'कोल मिल रिजेक्ट' (सीएमआर) कहते हैं। मिल से कोयला कोयला बंकर में आता है जहाँ से उसे बॉयलर में डाला जाना होता है। लेखा परीक्षा के दौरान पायी गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

कोयले के प्रचूर्णन के लिए स्टील बाल की खपत

स्टील बॉल का उपभोग, पिसे हुए कोयले की मात्रा/गुणवत्ता, चक्की की अवस्था और बॉल की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। स्टील बॉल के उपभोग के विश्लेषण से यह पता चला कि यद्यपि पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त कोयले की गुणवत्ता सामान्यत: स्थिर थी फिर भी स्टील बॉल का उपभोग व्यापक स्तर पर भिन्न था। स्टील बॉल की खपत की प्रवत्ति नीचे तालिका में दी गई है जो उपभोग की गई स्टील बॉल की कुल मात्रा, उपभोग दर (कोयले की पिसाई प्रति मी.टन के विरुद्ध स्टील बॉल की खपत ग्राम में) तथा 2000-01 से और 2004-05 की अवधि में ओबरा 'अ' तथा हरदुआगंज टीपीएस में स्टील बॉल की अधिक खपत को दर्शाती है।

वर्ष	हरदुआगंज*				
	कोयले की खपत (मी.टन)	फोर्ज्ड/क्रोम स्टील बॉल की कुल खपत (मी.टन)	खपत दर (ग्राम/मी.टन) $(3/2*10^3)$	अधिक खपत** (ग्राम/मी.टन)	फोर्ज्ड/क्रोम स्टील बॉल की अधिक खपत (मी.टन) $(2\times5/10^3)$
1	2	3	4	5	6
2000-01	774016	345.844	446.82	-	-
2001-02	732122	414.039	565.53	118.71	86.91
2002-03	805825	432.114	536.24	89.42	72.06
2003-04	787194	529.996	673.27	226.45	178.26
2004-05	639452	524.513	820.25	373.43	238.79
योग					576.02

* जनवरी 2005 तक ।

** अधिक खपत = वास्तविक प्राप्त खपत दर - अंतिम पाँच वर्षों में प्राप्त सबसे कम खपत दर।

1	2	3	4	5	6
	ओबरा 'अ'				
2000-01	901064	171.81	190.67	30.41	27.40
2001-02	834111	342.81	410.99	250.73	209.14
2002-03	1002228	255.944	255.38	95.12	95.33
2003-04	742747	119.03	160.26	-	-
2004-05	238776	73.47	307.69	147.43	35.20
योग					367.07

टीपीएस प्रबन्धन ने हरदुआगंज एवं ओबरा 'अ' टीपीएस में स्टील बॉल के अधिक उपभोग के कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

चूँकि कम्पनी द्वारा उपभोग के मानक निर्धारित नहीं किये गये थे तथा क्षय दर निर्माता द्वारा निर्दिष्ट नहीं था, हरदुआगंज (446.82 ग्राम) और ओबरा 'अ' (160.26 ग्राम) द्वारा निष्पादित न्यूनतम उपभोग दर के आलोक में 2000-01 से 2004-05 के दौरान, स्टील बॉल का उपभोग 943.09 मी.टन (हरदुआगंज 576.02 मी.टन, ओबरा 'अ' 367.07 मी.टन) अधिक हुआ, जिसका मूल्य 2.83 करोड़ रुपये (हरदुआगंज 1.73 करोड़ रुपये ओबरा 'अ' 1.10 करोड़ रुपये) था।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि ग्राइन्डिंग मिल, स्टील बॉल की कमी के कारण को समय-समय पर कम आकार के बॉल और पुराने चले हुए बॉल से चलाया जाता रहा है। इस प्रकार स्टील बॉल की उपभोग दर कम हुई होगी और लेखा परीक्षा का यह कहना की स्टील का उपभोग अधिक हुआ है, ठीक नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा दर्शाया गया उपभोग, बाल/बाउल चक्की में उपभोग की गई नई स्टील बॉल से ही सम्बन्धित है और यदि पूर्व में प्रयुक्त हुई बॉल के उपभोग को भी लिया जाये, तो स्टील बॉल का उपभोग और बढ़ जायेगा।

कोल मिल रिजेक्ट का निस्तारण

2.4.15 कोयला, बाउल मिल मे जाने के बाद पीसा जाता है तत्पश्चात् वह कोयला बंकर में जाता है जहाँ से उसे विद्युत उत्पादन के लिए बॉयलर में डाला जाता है। अच्छी तरह से न पिसे हुए कोयले की मात्रा कोल मिल रिजेक्ट (सीएमआर) के रूप में होपर से बाहर निकलती है। प्रत्येक मिल के सामने इकठ्ठा हुआ सीएमआर ठेकेदारों की नियुक्ति करके उनके ट्रक/ट्राली तथा श्रमिकों द्वारा प्राथमिक प्रांगण में फेंक दिया जाता है।

मिलिंग प्रणाली अपेक्षया नयी होने के बावजूद अनपरा टीपीएस में ओबरा टीपीएस की तुलना में कोल मिल रिजेक्ट अधिक रहा। सीएमआर की अधिक मात्रा 3,56,961 मी. टन संगणित की गई।

प्रबन्धन ने ढुलाई किये गये सीएमआर की वास्तविक मात्रा को इंगित करने वाले अभिलेख नहीं बनाये। अनपरा टीपीएस के भुगतान के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि 2000-01 से 2004-05 (सितम्बर 2004 तक) 5,29,769 घन मीटर (4,41,474 मी.टन) सीएमआर का निस्तारण किया गया। यह बताना तर्क संगत होगा कि सीजीएम ओबरा टीपीएस ने सीएमआर का कुल कोयले की खपत पर प्रतिशत 0.57 गणना किया। चूँकि अनपरा टीपीएस की मिल प्रणाली अपेक्षया नयी, अच्छी चालू हालत मे, तथा उसका अनुरक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है अत: अनपरा में, सीएमआर का प्रतिशत ओबरा टीपीएस की मिलों के सीएमआर के प्रतिशत से अधिक नहीं होनो चाहिए क्योंकि दोनो टीपीएस एक समान खदानों से एक समान गुणवत्ता का कोयला प्राप्त करती हैं। 2000-01 से

* सितम्बर 2004 तक ।

2004-05 (सितम्बर 2004 तक) कुल 1,48,27,007 मी.टन कोयले की खपत के सापेक्ष सीएमआर की मात्रा 4,41,474 मी. टन थी। यह मात्रा ओबरा टीपीएस के 0.57 प्रतिशत के विरुद्ध 1.72 प्रतिशत से 3.87 प्रतिशत के मध्य रही। 0.57 प्रतिशत के आधार पर, सीएमआर की अधिक मात्रा 3,56,961 मी.टन संगणित की गई जिसके लिए, ठेकेदार को 38.24 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि अनपरा टीपीएस को कोयला उन खदानों से अलग खदानों से प्राप्त होता था जो ओबरा टीपीएस को कोयले की आपूर्ति करती थी तथा इस कोयले का ऊष्मांक गुण कम था; अत: अनपरा मिलों के निष्पादन की तुलना ओबरा मिलों से नहीं की जा सकती। यह भी बताया गया कि मिल का प्रदर्शन सुधारने के लिए तथा सीएमआर की मात्रा कम करने के लिये, ग्राइन्डिंग रोल तथा बुलरिंग सेगमेन्ट्स को सेन्ट्रीफ्यूजली कास्ट इनकार्टेड ग्राइन्डिंग तथा उच्च क्रोम बुलरिंग सेगमेन्ट्स से बदल दिया गया है। उत्तर मान्य नही है, क्योंकि दोनो टीपीएस पर कोयला एनसीएल की एक समान खादानों से प्राप्त होता है, जो पूरी तरह यंत्रीकृत है और अनपरा टीपीएस द्वारा प्राप्त कोयले का उष्मांक गुण ओबरा टीपीएस द्वारा प्राप्त हुये कोयले से अधिक है।

कोयले के वाहन को खाली करने में देरी

2.4.16 रेलवे, टीपीएस को एक रैक खाली करने के लिए 12 घंटे का शुल्क-मुक्त समय देती है। यदि रैक शुल्क-मुक्त समय से अधिक निरुद्ध रखा जाता है, तो रेलवे को विलम्ब शुल्क देय होता है। रेलवे ने 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान अपनी रैकों को शुल्क-मुक्त समय से अधिक निरुद्ध रखने के कारण 9.47 करोड़ रुपये का दावा किया। कम्पनी ने उपर्युक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया तथा दावें का निपटारा करने के लिए रेलवे से पत्राचार चल रहा था। (सितम्बर 2005)।

कोयले की खपत

2.4.17 कोयले की खपत उसके उष्मांक गुण (कोयले की ताप उत्पादन क्षमता) पर निर्भर करती है। कोयले का उष्मांक वह होता है जो एक किलोग्राम कोयले के पूर्ण दहन से उत्पन्न किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है।

2000-01 से 2004-05 के दौरान, सभी टीपीएस में हुई कोयले की कुल खपत, कुल उत्पादित विद्युत और प्रति इकाई कोयले की औसत खपत का विवरण **परिशिष्ट-30** में दिया गया है। 2000-01 से 2004-05 के दौरान सभी टीपीएस के लिए प्रति इकाई औसत कोयला खपत का सारांश निम्नांकित तालिका में दिया गया है:

टीपीएस का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
अनपरा 'अ'	0.77	0.77	0.76	0.77	0.79
अनपरा 'ब'	0.65	0.64	0.65	0.66	0.69
ओबरा 'अ'	0.91	0.90	0.95	0.98	1.00
ओबरा 'ब'	0.83	0.80	0.83	0.85	0.84
पनकी	0.84	0.85	0.89	0.90	0.88
पारीछा	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90
हरदुआगंज	1.10	1.08	1.05	1.07	1.06

वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2004-05 में कोयले की खपत में वृद्धि हुई।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2004-05 में चार तापीय विद्युत गृहों (हरदुआगंज को छोड़कर) में औसत कोयला खपत बढ़ गया थी।

लेखा परीक्षा ने अनपरा, हरदुआगंज और ओबरा टीपीएस द्वारा हुई कोयले की खपत का विश्लेषण किया। अनपरा और हरदुआगंज टीपीएस के मामले में विश्लेषण, प्रबन्धन द्वारा निर्धारित मानक पर आधारित था एवं ओबरा टीपीएस के मामले में संयंत्रवार मानक उपलब्ध न होने के कारण विश्लेषण यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रतीयापित* ताप दर पर आधारित था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेखनीय है:

ओबरा ताप विद्युत गृह

यूपीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट ताप दर की प्राप्ति न होने के कारण, ओबरा (अ एवं ब) टीपीएस में 162.34 करोड़ रुपये मूल्य के कोयले की अधिक खपत हुई।

यूपीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2002-03 के दर प्रयोजन के लिए ओबरा 'अ' और 'ब' के लिए क्रमश: 3,028 (किलो कैलोरी/किलोवाट घण्टा) एवं 2,916 (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा) की ताप दर की संस्तुति की। ओबरा 'अ' एवं 'ब' टीपीएस ने, यद्यपि, क्रमश: 3,060 (किलो कैलोरी/किलोवाट घण्टा) एवं 2,916 (किलो कैलोरी/किलोवाट घण्टा) ताप दर प्राप्त की। 2000-01 से 2004-05 की अवधि के लिये 'अ' टीपीएस' के लिए ताप दर 3,060 एवं 'ब' टीपीएस' के लिये ताप दर 2,916 एवं संबंधित वर्षों के लिये कोयले का भारित औसत उष्मांक गुण (किलो कैलोरी/किलो) को ध्यान में रखते हुए, 162.34 करोड़ रुपये मूल्य के 14,93,613 मी.टन कोयले की खपत अधिक हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट-31** मे दिया गया है।

हरदुआगंज एवं अनपरा ताप विद्युत गृह

प्रबन्धन द्वारा निर्धारित मानक के आधिक्य में कोयले की खपत 135.31 करोड़ रुपये मूल्य की 14,42,685 मी.टन आंकलित हुई।

अनपरा और हरदुआगंज की ऑपरेशन रिव्यु टेकनीक रिपोर्ट (ओआरटी) के अनुसार, प्रबन्धन ने अनपरा 'अ' टीपीएस (3×210 मेगावाट संयंत्र) के लिए 0.74 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा, अनपरा 'ब' टीपीएस (2×500 मेगावाट संयंत्र) के लिए 0.64 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटा एवे हरदुआगंज (2×55 मेगावाट और 1×105 मेगावाट) के लिए 1.04 किग्रा. प्रति किलोवाट घंटा कोयले की खपत निर्धारित की। दोनों विद्युत गृहों ने 3,252 और 4,497 किलो कैलोरी प्रति किग्रा के मध्य (अनपरा 'अ' एवं 'ब' 3,535, 3,986 किलो कैलोरी प्रति किग्रा एवं हरदुआगंज 3,252, 4,497 किलो कैलोरी प्रति किग्रा) उष्मांक गुण का कोयला उपभोग किया। **परिशिष्ट-32** से यह देखा जा सकता है कि 2004-05 (सितम्बर 2004) तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान 0.74 किग्रा/किलोवाट घण्टा के मानक के सापेक्ष, अनपरा 'अ' टीपीएस में कोयले की विशिष्ट खपत 0.76 किग्रा और 0.79 किग्रा प्रति किलोवाट घण्टा के मध्य रही, अनपरा एवं 'ब' टीपीएस मे 0.64 किग्रा/प्रति किलोवाट घण्टा के मानक के विरुद्ध कोयले की विशिष्ट खपत 0.64 किग्रा और 0.69 किग्रा प्रति किलोवाट घंटा और हरदुआगंज में 1.04 किग्रा प्रति किलोवाट के मानक के विरुद्ध कोयले की अपेक्षित खपत 1.05 किग्रा/किलोवाट घंटा से 1.10

* प्रतीपगमन का अर्थ उत्पादन इकाईयों के जीवन चक्र के दौरान यंत्र की बनावट, अनुरक्षण एवं मरम्मत स्थिति तथा कोयला खपत के मध्य विभिन्न परिचालन मापदण्डों के सम्बन्ध का विश्लेषण है।

किग्रा/किलोवाट घंटा रही। पुनश्च: अनपरा 'ब' टीपीएस ने 2001-02 मे कोयले की विशिष्ट खपत का मानक प्राप्त किया। 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षों में 14,42,685 मी.टन कोयले की खपत मानक से अधिक हुई, जिसकी कीमत 135.31 करोड़ रुपये थी। लेखा परीक्षा ने विश्लेषण किया कि कोयले की अधिक खपत बॉयलर ट्यूब के अधिक रिसाव और बिना तौले कोयले को खपत के लिए निर्गत करने के कारण हुयी। यह कोयले की खपत में अक्षमता दर्शाता है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि कोयले की खपत मुख्यत: उपयोग किये जाने वाले कोयले की गुणवत्ता ओर यंत्र जिसको कोयले की खपत करनी है, की स्थिति पर निर्भर करता है। ओबरा, हरदुआगंज, पनकी और पारीछा के यंत्रों ने अपनी उपयोगी जिन्दगी लगभग पूरी कर ली है तथा समय-समय पर ओवरहॉलिंग की जाने की आवश्यकता थी, जो नहीं की जा सकी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यूपीईआरसी ने ओबरा ताप विद्युत गृह के लिये प्रतीयापित ताप दर का निर्धारिण विद्युत गृह की वास्तविक ताप दर को ध्यान में रखकर किया था तथा अनपरा एवं हरदुआगंज के मामले में प्रबन्धन ने उनके विद्युत गृहों की स्थिति को ध्यान में रखकर मानक निर्धारित किये।

ईंधन तेल

2.4.18 बॉयलर पात्र को ज्वलित करने के लिए या उसकी ज्वाला को स्थायी करने के लिए लाइट डीज़ल ऑयल (एलडीओ), फर्नेस ऑयल (एफओ) और हाई स्पीड ऑयल (एचएसडी) का प्रयोग किया जाता है। तापीय विद्युत गृह इस तेल को सरकारी तेल कम्पनियों मे सीमित उद्धरण के आधार पर क्रय करती है। कम्पनी ने सीईए द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसारी ईंधन तेल का रहतिया नहीं रखा। इससे संयंत्र का सुचारू रूप से संचालन प्रभावित रहा, फलस्वरूप ईंधन तेल का आकस्मिक क्रय करना पड़ा। प्रबन्धन ने ईंधन तेल की तेजी से बदलती कीमतों के परिपेक्ष में इनके क्रय के लिए कोई प्रक्रिया/योजना विकसित नहीं की। इस संबंध में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गईं:

बिना आवश्यकता के एलडीओ की खरीद

2.4.19 सीईए ने अपने प्रशुल्क अधिसूचना (1992) में प्रत्येक टीपीएस को न्यूनतम 60 दिन का अनुपूरक ईंधन तेल रखने का मानक निर्दिष्ट किया। अनपरा टीपीएस जिसकी प्रतिदिन की औसत खपत 20 कि.ली. एलडीओ की है, को न्यूनतम 1,200 कि.ली. एलडीओ का रहतिया रखना था।

बिना आवश्यकता के एलडीओ के क्रय के फलस्वरूप 3.46 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध रही

अभिलेखों की नमूना जाँच से यह पता चला कि 13 अक्टूबर 2004 को टीपीएस में 2,050.968 कि.ली. एलडीओ उपलब्ध था। टीपीएस के अधिकारियों ने, हालांकि, 19 अक्टूबर 2004 को 21,930.34 प्रति कि.ली. की दर से 1,576.230 कि.ली. एलडीओ का और क्रय किया। एलडीओ की बिना तत्काल आवश्यकता के क्रय से कम्पनी की 3.46 करोड़ रुपये की निधि अवरुद्ध रही।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि उन्होंने विद्युत उत्पादन की हानि को रोकने तथा एलडीओ की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में सुरक्षात्मक कदम के तौर पर एलडीओ का क्रय अक्टूबर 2004 में किया। उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि अनपरा

टीपीएस के प्रबन्धन ने एलडीओ की अगली खेप जनवरी 2005 मे तीन महीने बाद ही मंगवायी।

सड़क मार्ग से फर्नेस ऑयल की खेप लेने पर अधिक लागत का परिहार्य भुगतान

कम्पनी ने रेल रैक के स्थान पर टैकरों द्वारा सड़क मार्ग से 2,205.647 कि.ली. फर्नेस ऑयल के क्रय पर 44.57 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

2.4.20 ओबरा टीपीएस अनुपूरक तेल के तौर पर प्रयोग हेतु फर्नेस ऑयल (एफओ) की प्रतिमाह नियमित खपत के लिए सरकारी तेल कम्पनियों से उद्धरण के आधार पर रेल रैक के माध्यम से अधिप्राप्ति करती है। तेल अवशेष के रहतिया के बिगड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न आपात स्थिति में फर्नेस ऑयल सड़क मार्ग से टैंकर द्वारा टुकड़े-टुकड़े में खरीदा जाता है। अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि अगस्त 2004 तक पिछले पाँच वर्षों में 15 क्रय आदेशों द्वारा 2.80 करोड़ रुपये लागत का 2,205.647 कि.ली. फर्नेस ऑयल, तेल कम्पनियों के नजदीकी भण्डार गृहों से सड़क मार्ग द्वारा क्रय किया गया। रेल रैक के माध्यम से यदि इतनी ही मात्रा प्राप्त की जाती तो इसकी लागत 2.35 करोड़ रुपये आती। इस तरह 44.57 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत का भुगतान करना पड़ा।

यदि ओबरा ताप विद्युत गृह, सीईए के मार्गदर्शिका में निर्दिष्ट न्यूनतम 60 दिन का रहतिया बनाये रखती अथवा अपना न्यूनतम/पुनः आदेशित स्तर बनाए रखती, तो इस अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि तेल का आपात क्रय, फर्नेस ऑयल की एकाएक अधिक खपत के कारण करना पड़ा ताकि टीपीएस सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा सड़क मार्ग से टैंकर द्वारा तेल की खरीद को निरंतर हतोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि प्रबन्धन ने तेल की एकाएक खपत को व्यक्त नहीं किया है तथा उसे आपात क्रय से बचने के लिए वांछित रहतिया स्तर को बनाकर रखना था।

तेल के वाहन को खाली करने में विलम्ब

तेल रैकों को शुल्क-मुक्त समय से अधिक निरुद्ध रखने के कारण रेलवे ने 42.77 लाख रुपये के विलम्ब शुल्क का दावा किया।

2.4.21 रेलवे, एक रैक खाली करने के लिए, टीपीएस को 12 घंटे का शुल्क-मुक्त समय देती है। यदि रैक को शुक्ल-मुक्त समय से अधिक निरुद्ध रखा जाता है तो रेलवे को विलम्ब शुल्क देय होता है।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 2000-01 से 2004-05 की अवधि में कम्पनी द्वारा तेल रैकों को शुल्क-मुक्त समय से अधिक निरुद्ध रखने के कारण रेलवे ने 42.77 लाख रुपये के विलम्ब शुल्क का दावा प्रस्तुत किया। आगे, यह ज्ञात हुआ कि ओबरा टीपीएस ने देयक को सत्यापित करने के बाद रेलवे को इसे माफ करने के लिए वापस भेजा परंतु रेलवे से किसी माफी की सूचना प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2005)।

इसके अलावा कम्पनी/टीपीएस के प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध में दायित्व का सृजन भी नहीं किया। (सितम्बर 2005)।

तेल की खपत

2.4.22 2000-01 से 2004-05 की अवधि में सभी टीपीएस मे तेल की खपत, कुल उत्पादित विद्युत और तेल की औसत खपत का ब्यौरा **परिशिष्ट- 33** में दिया गया है।

यूपीईआरसी ने 2002-03 में दर अनुसूची हेतु प्रत्येक टीपीएस के लिए उनकी आयु के आधार पर ईंधन तेल की आपेक्षिक खपत की संस्तुति की। 2000-01 और 2001-02 में तेल की आपेक्षिक खपत का कोई मानक नहीं होने के कारण, तुलना के लिए 2002-03 के मानक को लिया गया है।

निम्नलिखित तालिका 2000-01 से 2004-05 की अवधि में ओबरा, अनपरा और हरदुआगंज टीपीएस के लिए निर्दिष्ट/परिकल्पित तेल की आपेक्षित खपत एवं वास्तविक खपत दर्शाती है।

तापीय विद्युत गृह का नाम	ईंधन तेल की निर्दिष्ट खपत		ईंधन तेल की औसत खपत (मिली लीटर/केडब्ल्यूएच)				
	2000-01 से 2003-04	2004-05	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
ओबरा 'अ'	5.52	5.20	9.05	10.48	9.52	9.70	12.87
ओबरा 'ब'	2.94	2.70	3.59	3.04	2.06	2.03	3.21
अनपरा 'अ'	1.10	2.00	1.57	1.04	1.07	1.21	1.53
अनपरा 'ब'	0.30	2.00	0.37	0.27	0.31	0.24	0.26
हरदुआगंज	5.73	5.50	7.58	6.61	5.59	9.11	11.41

कम्पनी की अन्य टीपीएस की तुलना में ओबरा 'अ' एवं हरदुआगंज टीपीएस में तेल की खपत बढ़ी थी।

उपर्युक्त तालिका से यह विदित है कि 2000-01 की तुलना में 2004-05 मे ओबरा 'अ' और हरदुआगंज टीपीएस में तेल की औसत खपत बढ़ी थी तथा अन्य टीपीएस में यह घटी थी। इस संदर्भ में यह भी बताना योग्य है:

2.4.23 परिशिष्ट-34 ओबरा, अनपरा और हरदुआगंज टीपीएस में 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान मानक के अनुसार ईंधन तेल की खपत, ईंधन तेल की वास्तविक खपत और ईंधन तेल की अधिक खपत को दर्शाती हैं। इससे यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षो में परिकल्पित खपत की अप्राप्ति के कारण 49.13 करोड़ रुपये मूल्य का 37,271 कि.ली. तेल की खपत अधिक हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

पिछले पाँच वर्षों में परिकल्पित खपत को प्राप्त न करने के फलस्वरूप 49.13 करोड़ मूल्य का 37,271 कि.ली. ईंधन तेल की खपत अधिक हुई।

तापीय विद्युत गृह का नाम	ईंधन तेल की अधिक खपत (कि.ली.)	मूल्य (करोड़ रूपये में)
ओबरा 'अ'	19,800	24.71
ओबरा 'ब'	6,250	8.52
अनपरा 'अ'	2,451	3.56
अनपरा 'ब'	659	0.95
हरदुआगंज	8,111	11.39
योग	**37,271**	**49.13**

इससे यह पता चलता है कि प्रबन्धन, ईंधन तेल का उपभोग कुशलतापूर्वक नही कर सका।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि अनपरा टीपीएस वर्तमान मानक को प्राप्त कर सका क्योंकि इसमें नए यंत्र थे परंतु ओबरा और हरदुआगंज में यह इसलिए प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ के यंत्र पुराने हो चुके हैं। विद्युत गृहों की जीर्णोद्धार करने की योजना चल रही थी। तत्पश्चात् ईंधन तेल की खपत में सुधार होने की सम्भावना है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीईआरसी ने आपेक्षित तेल की खपत विद्युत गृहों की आयु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया था।

तापीय दक्षता

2.4.24 कोयले तथा तेल की खपत को नियंत्रित कर तापीय दक्षता में सुधार लाकर विद्युत उत्पादन की लागत में मितव्यता लाई जा सकती है। किसी ताप विद्युत गृह की तापीय दक्षता एक ऐसा सूचकांक है जो तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की दक्षता दर्शाता है तथा इसे विद्युत उत्पादन में प्रयोग आने वाले ताप ऊर्जा के प्रतिशत के रूप मे दर्शाया जाता है। ओबरा 'अ' एवं ओबरा 'ब' की सुनिश्चित तापीय दक्षता क्रमश: 28.66 प्रतिशत एवं 32.62 प्रतिशत थी। 2004-05 तक के पिछले पाँच वर्षो के दौरान सुनिश्चित तापीय दक्षता कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकी। अन्य टीपीएस की सुनिश्चित तापीय दक्षता एवं वास्तविक तापीय दक्षता उपलब्ध नहीं थी। सुनिश्चित तापीय दक्षता प्राप्त न होने के कारण कोयले के रूप में अधिक खपत की गई ताप की संगणना के लिए यूपीईआरसी द्वारा संस्तुत की गई ताप दर का प्रयोग किया गया है। तापीय दक्षता के विश्लेषण से निम्नलिखित व्यक्त किया जा सकता है:

ताप की अधिक खपत

2.4.25 यूपीईआरसी ने 2002-03 की दर अनुसूची के लिए कम्पनी के विभिन्न तापीय विद्युत गृहों द्वारा उद्देशित तथा प्राप्त ताप दर के वृहद अन्तर तथा उनके यंत्रों की आयु को ध्यान में रखते हुए प्रतियापित ताप दर को अपनाया। 2000-01 एवं 2001-02 में प्रतीयापित/परिकल्पित ताप दर के अभाव में तुलना हेतु 2002-03 की ताप दर को गणना के लिए लिया गया है।

निम्नलिखित तालिका तीन विद्युत गृहों में प्रतियापित ताप दर और परिकल्पित दर को दर्शाती है।

तापीय विद्युत गृह का नाम	2000-01 से 2004-05 के दौरान प्रतीयापित ताप दर	परिकल्पित ताप दर	
		2000-01 से 2003-04	2004-05
ओबरा 'अ'	3060	3028	3000
ओबरा 'ब'	2916	2916	2900
अनपरा 'अ'	2549	2549	2500
अनपरा 'ब'	2549	2549	2500
हरदुआगंज	3480	3480	3450

2000-01 से 2004-05 के दौरान प्रतीयापित ताप दर प्राप्त न कर सकने के फलस्वरूप 394.62 करोड़ रुपये मूल्य के ताप की खपत अधिक हुई।

परिशिष्ट-35, 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षो के दौरान ओबरा, अनपरा एवं हरदुआगंज टीपीएस में प्राप्त वास्तविक ताप दर/प्रतियापित ताप दर और ताप की अधिक खपत को दर्शाती है। इससे यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षो में प्रतीयापित ताप दर प्राप्त न होने के कारण रुपये 394.62 करोड़ मूल्य के ताप की खपत अधिक हुई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तपीय विद्युत गृह का नाम	ताप की अधिक खपत (मि.कि.कैलोरी/ केडब्ल्यूएच में)	कोयले के रूप में अधिक ताप (एमटी)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
ओबरा 'अ'	333377	91186	10.79
ओबरा 'ब'	2855836	777497	86.22
अनपरा 'अ'	8409693	2142464	172.72
अनपरा 'ब'	2504450	628427	65.19
हरदुआगंज	1581216	379511	59.70
योग	**15684572**	**4019085**	**394.62**

प्रबन्धन ने ताप की अधिक खपत के निम्नलिखित कारण बताये (अगस्त 2005) :

- टीपीएस पर लगे यंत्र बहुत पुराने थे;
- विद्युत की कमी के कारण अनुरक्षण समय सारिणी का अनुपालन नहीं हो पा रहा था;
- बॉयलर में वाष्प के उद्देशित दबाव और तापमान पर दौड़ने के कारण बॉयलर के नाल मे नियमित रूप से रिसाव तथा अधिकांश नालों के क्षति होती रहती है;
- एचपी हीटर्स में रिसाव होने के कारण उन्हें दूसरे रास्ते से निकाला जाता है, जिससे पोषित जलीय तापमान में कमी आ जाती है।

प्रबन्धन ने यह और बताया कि संयंत्रो के जीर्णोद्धार और मरम्मत एवं अनुरक्षण के प्रयास किये जा रहे है, जिससे कि ताप दर में आयी कमी को दूर किया जा सके।

ईंधन का स्कंध

कोयले का रहतिया

2.4.26 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की दर अधिसूचना (1992) के अनुसार गर्तशीष तापीय विद्युत गृहों को कम से कम 15 दिन तथा अगर्तशीष ताप विद्युत गृहों को कम से कम 30 दिन के कोयले का रहतिया रखना चाहिए।

इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बताने योग्य है:

कम्पनी ने ओबरा, हरदुआगंज तथा अनपरा टी पी एम में सी.ई.ए. द्वारा निर्दिष्ट कोयले एवं तेल के मानकों से कम स्तर का स्कंध रखा

- कम्पनी ने न तो सीईए द्वारा बताये गये दिशानिर्देश का पालन किया और न ही अपने पूर्व अनुभव/उचित विश्लेषण से कोई स्कंध नीति बनाई।
- ओबरा और हरदुआगंज टीपीएस जो कि अगर्तशीष विद्युत गृह हैं, ने क्रमश: चार दिन से 22 दिन तथा नौ घंटे से 75 दिन के उपभोग के बराबर कोयले के रहतिया को बनाये रखा। अनपरा ताप विद्युत गृह ने गर्तशीष विद्युत गृह होने के बावजूद तीन दिन से 18 दिन की खपत के बराबर ही कोयले का रहतिया बनाये रखा। सीईए के मानक के अनुसार विभिन्न टीपीएस में कोयले की रहतिये में कमी देखी गयी, जिसके कारण विद्युत गृहों पर स्कंध की कमी बनी रही।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि कोयले के वितरण का अनुश्रवण और नियमितीकरण सीईए द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। अत: टीपीएस प्राधिकारियों की इसमें बहुत कम भूमिका रहती है। कभी-कभी धनाभाव के कारण कोयले के देयक का समय से भुगतान न हो पाने के कारण दिक्कतें पैदा हो जाती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कोयले के स्कंध, सीईए के दिशानिर्देश के अनुसार बनाये रखने की जिम्मेदारी टीपीएस प्राधिकारियों की है तथा धन की व्यवस्था करना कम्पनी की जिम्मेदारी है।

तेल का रहतिया

सीईए ने दर अधिसूचना (1992) में तापीय विद्युत गृहों को अनुपूरक तेल की कम से कम 60 दिन की आवश्यकता का रहतिया बनाये रखने का मानक निर्दिष्ट

किया। ओबरा, अनपरा और हरदुआगंज में ईंधन तेल के रहतिये का, 2004-05 तक पिछले पाँच वर्षों की समीक्षा करने पर यह पता चला कि:

- ओबरा ने 12 घंटे से 92 दिन तक की, हरदुआगंज ने 17 से 93 दिन की तथा अनपरा ने 35 से 141 दिन की खपत के बराबर ईंधन तेल का रहतिया रखा।

अपर्याप्त ईंधन रहतिये के कारण विद्युत उत्पादन की हानि

वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के दौरान ओबरा, अनपरा तथा हरदुआगंज की विभिन्न इकाइयाँ, कोयला एवं तेल की कमी के कारण जबरन बन्द करनी पड़ी जिससे 15.67 करोड़ रुपये की मूल्य की 255.333 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

2.4.27 तापीय विद्युत गृहों में न्यूनतम रहतिया नहीं बनाये रखा गया जिससे प्रबन्धन को समय-समय पर ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा। संयंत्रों की बंदी के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि ओबरा, अनपरा और हरदुआगंज टीपीएस की विभिन्न ईकाइयाँ 2001-02, 2002-03 एवं 2004-05 के दौरान तेल एवं कोयले की कमी तथा कोयला बंकर में कोयले की कमी के कारण जबरन बन्द करनी पड़ी जिसके कारण 15.67 करोड़ रुपये मूल्य की 255.333 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की हानि उठानी पड़ी जैसा कि **परिशिष्ट-36** में दिया हुआ हैं।

यह तेल की आपूर्ति की व्यवस्था, कोयले की उपलब्धता तथा कोयले का कोयला बंकर में डालने में समुचित अनुश्रवण में दोषपूर्ण नियोजन को दर्शाता है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि उपर्युक्त विद्युत उत्पादन की हानि स्थानीय स्तर पर अनुरक्षण/कार्यान्वयन मे कमी के कारण हुई और यह कभी भी कोयले/ईंधन तेल की कमी के कारण नही हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन द्वारा उत्पादन हानि के लिए कोई भी विशिष्ट कारण नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय प्रबन्धन द्वारा उच्च अधिकारियों को भेजी गई आख्या में विद्युत उत्पादन की हानि का कारण कोयले की अनुपलब्धता, कोयले की कोयला बंकर में कमी तथा ईंधन तेल की कमी बताया गया हैं।

ईंधन की लागत

प्रति इकाई ईंधन की लागत का प्रति इकाई उत्पादन की लागत पर प्रतिशत, जो 2000-01 में 53 थी, 2004-05 ने बढ़कर 69 हो गई।

2.4.28 **परिशिष्ट-37** पाँचों टीपीएस में 2000-01 से 2004-05 (जनवरी 2005 तक) के दौरान विद्युत उत्पादन की लागत एवं ईंधन की लागत दर्शाती है। इससे यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ईंधन की लागत को नियंत्रित करने में असफल रही, क्योंकि प्रति इकाई ईंधन की लागत का प्रति इकाई विद्युत उत्पादन पर प्रतिशत 2000-01 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 69 प्रतिशत हो गई।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि विद्युत उत्पादन की लागत की तुलना में ईंधन की लागत में बढ़ोत्तरी मुख्यत: कोयला, तेल तथा अन्य सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोत्तरी के कारण हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईंधन की लागत में बढ़ोत्तरी को, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित कोयला तथा तेल की खपत के मानक, जो संयंत्रो की आयु को ध्यान में रखकर बनाये गये थे, के अनुसार खपत को नियंत्रित करके की जा सकती थी।

दावो का निपटारा

कोयले के माल डिब्बे

2.4.29 कम्पनी, कोयले की कीमत का भुगतान, कोयला कम्पनियों को करती है। कोयले के वह रैक जो मूलत: कम्पनी को परेषित किए जाते है कभी-कभी व्यवर्तित हो जाते है, तत्पश्चात् उन्हें गायब की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से अन्य को परेषित रैक जो कम्पनी को मिल जाती हैं उन्हें असंबंधित मानते हुए, गायब डिब्बों के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। कोयला कम्पनी द्वारा भेजे गये कोयले के कुल डिब्बों एवं तापीय विद्युत गृहों पर पहुँचे डिब्बों का रेलवे से समयांतराल पर पुर्नमिलान किया जाता है।

लेखा परीक्षा के विश्लेषण से यह पता चला कि मार्च 2000 तक 12,021 कोयले के डिब्बे गायब थे। 2000-01 से 2004-05 (फरवरी 2005 तक) के दौरान 41,868 कोयले के डिब्बे और गायब हो गये। कम्पनी को कुल 53,889 गायब डिब्बों के विरुद्ध उपरोक्त समय में 50,628 असंबंधित कोयले के डिब्बे मिले, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तपीय विद्युत गृह का नाम	31 मार्च 2000 को अंतिम शेष	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		योग	
		गा*	अ**	गा	अ	गा	अ	गा	अ	गा	अ	गा	अ
हरदुआगंज	10418	1277	6726	3181	2949	6545	1104	1517	1787	601	1220	23539	13786
पनकी	(-) 9303	4331	8373	4558	2436	1408	4662	2139	2298	1330	2207	4463	19976
अनपरा	(-) 3545	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(-) 3544	-
ओबरा	(-) 2535	921	987	180	236	804	391	138	187	1012	97	520	1898
परीक्षा	2518	2105	5457	2784	2935	2972	3631	1857	1495	2207	1450	14443	14968
बन्द ताप विद्युत गृह	14468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14468	-
योग	12021	8634	21543	10704	8556	11729	9788	5651	5767	5150	4974	53889	50628

कम्पनी, 3,261 डिब्बे जिसमें 1,89,138 मी. टन. कोयला था, फरवरी 2005 तक प्राप्त नहीं कर सकी

इस तरह, फरवरी 2005 तक कम्पनी को 3,261 कोयले के डिब्बे (1,89,138 मी. टन कोयला, 58 मी. टन प्रति डिब्बे की दर से) प्राप्त होने थे। ये डिब्बे एक से पाँच वर्षो के अंतराल से कम्पनी प्राप्त नहीं हो पाये हैं।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि पूर्व में गायब कोयले के डिब्बों के लिए रेलवे से अनुसरण किया जा रहा है।

ईंधन तेल के डिब्बे

कम्पनी 1986 से 2004 की अवधि में तेल के गायब 53 डिब्बों से संबंधित 94.36 लाख के दावे का रेलवे से न तो प्रतिपूर्ति करा सकी और न ही समायोजन करा सकी

2.4.30 अनपरा टीपीएस के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि 1986 से 1999-2000 के दौरान 50 तेल के डिब्बे गायब हुए थे, तथा सितम्बर 2004 तक तीन तेल के डिब्बे और गायब हो गए थे। तद्नुसार टीपीएस प्राधिकारियों ने 94.36 लाख रुपये मूल्य के 1,244.510 कि.ली. एलडीओ का दावा रेलवे से किया था। रेलवे ने अभी तक (फरवरी 2005) न तो इसकी प्रतिपूर्ति की है न ही कोई समायोजन किया है।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि इस प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु रेलवे से अनुसरण किया जा रहा है।

* गा - गायब डिब्बे।

** अ - मिले हुए असंबंधित डिब्बे।

आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक नियंत्रण

2.4.31 आंतरिक नियंत्रण एक प्रबन्धकीय यंत्र है जो इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन कराती है कि प्रबन्धकीय उद्देश्य दक्ष, प्रभावी एवं पर्याप्त ढंग से प्राप्त किये जा रहे हैं। कम्पनी ने ईंधन प्रबन्धन के लिए न तो अपनी कोई नियमावली बनायी है, न ही इनकी खपत के लिए कोई मानक निर्धारित किये हैं। टीपीएस पर लगे तोलन पट्ट अधिकांशत: खराब रहे अत: कोयले की प्राप्त मात्रा का सही रूप से आंकलन नहीं हो सका।

समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव में ईंधन तेल के विलम्ब से प्राप्त करने के मामले, 2003 से 2005 के दौरान प्रकाश में आये जिस पर कम्पनी को 46.42 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा (अनपरा टीपीएस: 8.32 लाख रुपये एवं ओबरा टीपीएस 38.10 लाख रुपये)।

कम्पनी, तेल कम्पनियों से नियमित रूप से समाधान/मिलान करने में असफल रही जिसके कारण कम्पनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन से 40.94 लाख रुपये (34.20 लाख रुपये मार्च 1993 तक और 6.74 लाख रुपये अप्रैल 1993 से दिसम्बर 2002 तक) अभी तक (सितम्बर 2005) वसूल नहीं कर सकी। अन्तिम बार मिलान दिसम्बर 2002 में किया गया था।

आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण का एक भाग है जिसके द्वारा अनियमितताएँ, धोखाधड़ी, प्रहस्तर एवं गबन आदि का पता लगाया जाता है तथा इसके द्वारा यह देखा जाता है कि समय-समय पर निर्गत नियमों एवं निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं। कम्पनी की अपनी कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं थी। आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की नियुक्ति करके उनके द्वारा करवाया जा रहा था। कम्पनी की सम्पूर्ण गतिविधियों का आच्छादन उसके आकार के संदर्भ मे पर्याप्त तथा संतोषजनक नहीं था जैसा कि कम्पनी के संविधिक लेखा परीक्षकों ने इंगित किया था। आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा भी कम्पनी के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बिना तेल के प्रोत्साहन के भुगतान में हुई अनियमतता का पता नहीं लगाया जा सका।

उपरोक्त तथ्य प्रबन्धन/शासन को संदर्भित किए गए (मई 2005); शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

निष्कर्ष

कम्पनी की स्थापना एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में की गई थी तथा इसे उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन के नियोजन, अधिप्राप्ति, ढुलाई, भण्डारण एवं उपभोग के एकीकरण का कुशल प्रबंधन करना था। कम्पनी इसे प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि कम्पनी द्वारा कोयला कम्पनियों से कोई अनुबंध न कर सकने के कारण कोयला कम्पनियों ने कोयले की आबंटित मात्रा की आपूर्ति नहीं की। कोयले और ईंधन तेल की अधिक खपत तथा संयंत्रों की कम तापीय

दक्षता के फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में ताप की खपत अधिक हुई। प्रबंधन सीईए द्वारा निर्दिष्ट ईंधन के स्कंध का वांछित स्तर नहीं बनाये रख सकी, परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

संस्तुतियाँ

- कम्पनी को कोयले की आवश्यकता एंव विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का और यथार्थिक आंकलन करना चाहिए।
- कम्पनी को कोयले की कम्पनियों से अनुबंध करना चाहिए, ताकि कोयले की आबंटित मात्रा प्राप्त की जा सके।
- कोयले एवं तेल की खपत की दक्षता स्तर में सुधार लाना चाहिए।
- विद्युत उत्पादन की हानि को रोकने के लिए सीईए द्वारा निर्दिष्ट स्कंध के स्तर को बनाये रखना चाहिए।
- कम्पनी को ईंधन प्रबन्धन के लिए अपनी नियमावली, खपत के मानक तथा अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तैयार करना चाहिए।

अध्याय – 3

3. व्यवहारिक लेखा परीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सरकारी कम्पनियों एवं निगमों के द्वारा किये गये व्यवहारों के नमूना जाँच के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मलित है।

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

3.1 परिहार्य भुगतान

यद्यपि अंशो की पुर्नखरीद (बाई बैक) दिसम्बर 2002 में देय थी परन्तु धारक कम्पनी (होल्डिंग कम्पनी) ने अंशो को बेचने का प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप, ऋणो के पुर्नभुगतान के समय कम्पनी को 2.71 करोड़ रुपये का ब्याज भार वहन करना पड़ा

औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नसरंचना परिषद द्वारा अप्रैल 1996 में स्वीकृत पुनर्उद्धार योजना (योजना) के अन्तर्गत अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड (यूसीपीटीएल), जो कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीईएलसी) की एक सहायक कम्पनी थी, का अधिग्रहण अप्रैल 1996 में बीपीएल लिमिटेड (बीपीएल) द्वारा किया गया। योजना की स्वीकृति के उपरान्त, यूसीपीटीएल का नाम बदलकर बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेस लिमिटेड (बीपीएलडीडीएल) हो गया। यूपीईएलसी के पास बीपीएलडीडीएल के 17 लाख अंश थे। योजना के खण्ड 3.3 में यह प्रावधान था कि बीपीएलडीडीएल के व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने के चार वर्ष पश्चात्, बीपीएल, यूपीईएलसी के 8.5 लाख अंशको को प्रति अंश 60 रुपये की दर से 5.10 करोड़ रुपये में पुर्नखरीद कर लेगा। बीपीएलडीडीएल का व्यवसायिक उत्पादन जुलाई/दिसम्बर 1998 में शुरू हुआ। स्वीकृति योजना के अनुसार अंशकों की पुर्नखरीद दिसम्बर 2002 में की जानी थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2005) कि यद्यपि अंशकों की पुनर्खरीद दिसम्बर 2002 मे देय थी परन्तु यूपीईएलसी ने 8.5 लाख अंशक बीपीएल को बेचने हेतु प्रयास (मई 2005) नहीं किया। इस प्रकार प्रबन्धन द्वारा कार्यवाही नही किये जाने के परिणामस्वरूप यूपीईएलसी अंशकों के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि 5.10 करोड़ रुपये को अपने ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्रयोग नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, कम्पनी को माह जनवरी 2003 से मई 2005 तक ऋणों पर 22 प्रतिशत की दर से 2.71 करोड़ रुपये का ब्याज भार, वहन करना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2005) कि बीपीएलडीडीएल के समस्त अंशकों की खरीद हेतु, बीपीएल को मई 2005 में निश्चित प्रस्ताव भेजा गया था एवं अगस्त 2005 में अनुस्मारक भी भेजा गया। बीपीएल से सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में, बीआईएफआर की स्वीकृति से उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यह कार्यवाही दिसम्बर 2002 से ही शुरू हो जानी चाहिए थी जिससे कि कम्पनी अंशकों के विक्रय से प्राप्त धनराशि से ऋणों पर

ब्याज भार कम कर लेती, विशेषत: जबकि कम्पनी को यह पता था कि बीपीएलडीडीएल हानि मे है और इसके अंशक भारत के किसी भी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नही किए गए हैं।

प्रकरण शासन को जून 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

3.2 परिहार्य लागत अधिव्यय

पीएलए मे धनराशि उपलब्ध होते हुए भी कम्पनी कार्य पर निर्धारित समय में आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं करा सकी, जिससे 20 गृहों के निर्माण पर 41 लाख रुपये का अधिव्यय हुआ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायधीशों के लिए 26 दो मंजिला भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु राज्य सरकार ने 1.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जुलाई 2000) की एवं कम्पनी को निर्देशित किया कि कार्य दिसम्बर 2000 तक पूर्ण किया जाय। शासनादेश में, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि इस कार्य पर पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अधिक व्यय स्वीकार्य नहीं होगा।

कम्पनी की इलाहाबाद इकाई को यह कार्य प्रति भवन 4.46 लाख रुपये की दर से 1.16 करोड़ रुपये के आगणन पर करने के लिए सौंपा (जुलाई 2000) गया। इकाई ने, हालांकि, 20 भवनों का कार्य 2000-01 से 2003-04 तक 1.30 करोड़ रुपये की वास्तविक लागत से पूर्ण किया। 4.46 लाख रुपये प्रति भवन की स्वीकृत लागत के विरुद्ध कम्पनी ने प्रति भवन 6.50 लाख रुपये व्यय किये, जिससे 20 भवनों को पूर्ण करने की लागत में 41 लाख रुपये का अधिव्यय हुआ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 2004) कि कम्पनी कार्य पर निर्धारित समय में आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं करा सकी क्योंकि इस धनराशि का उपयोग इकाई के ओवरहैड व्ययों के भुगतान हेतु किया गया था। इस प्रकार, धनराशि के अभाव में निर्माण कार्य अवरुद्ध रहा।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2005) कि शासन ने 1.33 करोड़ रुपये (निर्माण कार्य: 1.16 करोड़ रुपये एवं मरम्मत कार्य: 0.17 करोड़ रुपये) स्वीकृत किए थे जिसके विरुद्ध 1.30 करोड़ रुपये निर्माण के समय खर्च किये गये, स्थलीय परिस्थितियों के कारण निर्माण क्षेत्र बढ़ गया था। उत्तर मान्य नही है क्योंकि 1.30 करोड़ रुपये का व्यय 20 भवनों के निर्माण पर ही किया गया एवं इसमे मरम्मत का कार्य शामिल नहीं था। बढ़ा हुआ निर्मित क्षेत्रफल भी शासन से स्वीकृत नहीं है (सितम्बर 2005)।

प्रकरण शासन को मई 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड

3.3 उपभोक्ता को अनियमित सहायता

डंकन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बिना 171.15 करोड़ रुपये की अनियमित सहायता दी गई।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा 7 जून 2002 के आदेश से निर्गत वितरण कोड 2002 मे यह प्रावधान है कि यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयक नियत समय तक जमा नही किया जाता है तो इस तरह के उपभोक्ताओं की आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी, और यदि फिर भी अस्थाई विच्छेदन के कारण को समाप्त नहीं किया जाता तो उपभोक्ता का संयोजन 45 दिन के अन्दर स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा। वितरण कोड 2002 मे यह भी प्रावधानित है कि यदि उपभोक्ता आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो तो लाईसेन्सी (कम्पनी) यूपीईआरसी के अनुमोदन से देयक को किस्तों में जमा करने की योजना बना सकता हैं।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2004) कि डंकन इन्टस्ट्रीज लिमिटेड (डीआईएल) को 81,000 केवीए का भार कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्को) द्वारा अनुबन्धित था। उपभोक्ता ने दिसम्बर 2001 से अपने मासिक विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया परन्तु केस्को ने तत्काल आपूर्ति विच्छेदित नही की जिससे कि राजस्व की हानि से बचा जा सके। उपभोक्ता की आपूर्ति 25 मार्च 2002 को अस्थाई रूप से विच्छेदित की गयी, जिस समय तक रुपये 8.64 करोड़ की उपलब्ध प्रतिभूति के विरुद्ध 64.23 करोड़ रुपये का बकाया हो गया था। उपभोक्ता द्वारा 10 मई 2002 (तिथि जब तक वितरण कोड 2002 के अनुसार स्थाई विच्छेदन कर देना चाहिए) तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया परन्तु केस्को ने उपभोक्ता की आपूर्ति स्थाई रूप से विच्छेदित नहीं की। अन्ततः केस्को ने उपभोक्ता को 64.23 करोड़ रुपये (32.77 करोड़ रुपये विद्युत भार + 31.46 करोड़ रुपये मासिक न्यूनतम उपभोग गांरटी) का वसूली प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकारी विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) कानून, 1958 की धारा-5 के अन्तर्गत भेजा (जून 2002)। केस्को हालांकि उपभोक्ता से कोई रकम वसूल नहीं कर सकी (दिसम्बर 2003)।

केस्को के निदेशक मण्डल ने बकाया राशि वसूल करने के लिए डीआईएल के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय प्रकरण को राज्य सरकार को संदर्भित कर दिया (जनवरी 2004)। उपभोक्ता (डीआईएल) को छूट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव में बताया गया कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन 25 मार्च 2002 को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था जबकि यह कभी भी नहीं किया गया था। निदेशक मण्डल ने यह भी प्रस्ताव रखा कि उपभोक्ता को वो सारी सुविधायें दी जाय जोकि बीआईएफआर के अन्तर्गत रूग्ण कम्पनियों को दी जाती हैं। 23 मार्च 2002 को अस्थाई विच्छेदन के समय, बकाया राशि जो 64.23 करोड़ रुपये थी, बढ़कर (जनवरी 2005) 203.92 करोड़ रुपये (विद्युत प्रभार

32.77 करोड़ रुपये+न्यूनतम उपभोक्ता गारंटी प्रभार: 122.73 करोड़ रुपये+विलम्ब भुगतान अधिभार 48.42 करोड़ रुपये) हो गयी। राज्य सरकार द्वारा विच्छेदन एवं पुन: संयोजन (28 जून 2005) के बीच की अवधि के लिए न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार एवं विलम्ब भुगतान अधिभार, की माफी पर सहमति प्रदान (जनवरी 2005) कर दी गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने विद्युत प्रभार की देयता को स्थगित करने की अनुमति दी बशर्ते 3 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त उत्पादन शुरू करने से पहले एवं शेष 29.77 करोड़ रुपये उत्पादन शुरू होने के दो वर्ष बाद से जमा किया जाये। यह धनराशि छ: प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से छ: समान वार्षिक किस्तों में अदा करनी थी।

इस तरह, केस्को ने उपभोक्ता को 171.15 करोड़ रुपये की अनियमित सहायता दी। इसमे माफ किये गये न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार 122.73 करोड़ रुपये एवं विलम्ब भुगतान अधिभार 48.42 करोड़ रुपये सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को 29.77 करोड़ रुपये की विद्युत भार को दो वर्ष तक (इकाई के शुरू होने से) जमा न करने की सुविधा दी गई। वितरण कोड 2002 के अनुसार केवल विद्युत नियामक आयोग ही इस सम्बन्ध के फैसला देने का अधिकृत थी। अत: राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता अनियमित थी।

लेखा परीक्षा के इंगित करने पर प्रबन्धन ने उत्तर मे कहा (अगस्त 2005) कि सहायता का पैकेज यूपीईआरसी को भेजा जा चुका है (अप्रैल 2005) और उनका फैसला अभी प्रतीक्षित है।

प्रकरण राज्य सरकार को मई 2005 में सूचित किया गया है; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.4 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

कम्पनी ने वितरण 2002 के अनुसार विद्युत आपूर्ति विच्छेदित न कर एवं बकाया के लिए कोई आवश्यक कार्यवाही न कर उपभोक्ता को 5.48 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा 7 जून 2002 के आदेश से निर्गत वितरण कोड 2002 के अनुसार (i) लाइसेन्सी {यहाँ पर कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्का)} उन उपभोक्ताओं, जो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहें हैं, को देयकों का किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग के अनुमोदन से एक योजना बनायेगी, एवं (ii) लाइसेन्सी को देय बकाया धनराशि भूराजस्व बकाया की तरह वसूली जायेगी।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर (एलएमएल) को तरलता की समस्या के दौरान उनके अनुरोध पर विद्युत देयक जमा करने के लिए तीन महीने का अनुगृहीत समय दिया (मई 2004)। तद्नुसार, केस्को ने भी बिना यूपीईआरसी के अनुमोदन के तीन महीने के ग्रेस समय की अनुमति दी जो एक वर्ष तक के लिए रोलिंग आधार पर था। केस्को ने 1.25 करोड़ रुपये की उपलब्ध प्रतिभूति राशि के ऊपर के विद्युत देयकों की राशि को सुरक्षित करने के लिए जमानत प्राप्त नहीं किया। केस्को के सहायता

के बावजूद एलएमएल ने विद्युत देयों का भुगतान नहीं किया जो दिसम्बर 2004 तक बढ़ कर 6.33 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह 1.25 करोड़ रुपये की जमा प्रतिभूति को कम करते हुए 5.08 करोड़ रुपये की बकाया राशि सुरक्षित नहीं रही। केस्को ने न ता विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित किया और न ही वितरण कोड 2002 के अनुसार, बकाया राशि को भूराजस्व के तरह वसूल करने की कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप 6.33 करोड़ रुपये वसूली के लिए बकाया थे।

प्रबन्धन ने कहा (मार्च 2005) कि उपभोक्ता को तीन महीने के अनुगृहीत समय के बाद भुगतान करने की सुविधा उनके स्तर से पैरवी पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार दिया गया था।एलएमएल ने, हालांकि जनवरी 2005 में 60 लाख रुपये तथा मार्च 2005 में 25 लाख रुपये जमा किये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केस्को उचित कार्यवाही करने में असफल रहा जिससे उपभोक्ता को 5.48 करोड़ रुपये (6.33 करोड़ रुपये मे से 0.85 करोड़ रुपये घटाने पर) का अनुचित लाभ मिला।

प्रकरण शासन को फरवरी 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.5 देयों की वसूली न होना

कम्पनी ने जल संस्थान के 103 संयोजनों जहाँ पर शन्ट कैपिसिटर नहीं लगे थे वहाँ 18.23 लााख रुपये का शन्ट कैपिसिटर अधिभार नहीं लगाया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा निर्गत दर अनुसूची एलएमवी-7 (पब्लिक वाटर वर्क्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन, जो जल संस्थान, जल निगम अथवा अन्य स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्य करते हैं के ऊपर लागू है) जो कि 1 सितम्बर 2003 को अधिसूचित की गई थी, के अनुसार (i) कोई भी तीन अश्वशक्ति (बीएचपी) से अधिक का प्रेरक शक्ति संयोजन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक उचित निर्धारण का आईएसआई चिन्हित शन्ट कैपिसिटर न लगा हो, और (ii) जहाँ पर निर्धारित शक्ति का शन्ट कैपिसिटर उपभोक्ता द्वारा नहीं लगाया गया हो, वहॉ लागू दर से बने विद्युत देयक के ऊपर पाँच प्रतिशत का अधिभार लगाया जायेगा।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि कानपुर में जल संस्थान ने अपने 103 संयोजनों पर शन्ट केपिसिटर नहीं लगाया था। अत: जल संस्थान द्वारा शन्ट कैपिसिटर नही लगाये जाने पर कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्को) द्वारा सितम्बर 2003 से अधिभार लगाया जाना चाहिए था। केस्को ने सितम्बर 2003 से लेखा परीक्षा तक (सितम्बर 2004) विद्युत देयक में कोई अधिभार नहीं लगाया। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर केस्को ने सितम्बर 2003 से अगस्त 2004 तक का अधिभार 18.23 लाख रुपये, सितम्बर 2004 के विद्युत देयक में जोड़ा, जिसे जल संस्थान ने सत्यापित नहीं किया, जिसके कारण शन्ट कैपिसिटर अधिभार वसूल नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2004) कि विद्युत देयक जल संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किये गये हैं। फिर भी यह तथ्य है कि अधिभार अभी तक (सितम्बर 2005) वसूल नहीं हो सका।

प्रकरण शासन को फरवरी 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.6 देयकों का संशोधन न करना

कम्पनी ने जाँच मीटर के परिणामों के आधार पर अतिरिक्त प्रभार का देयक निर्गत नहीं किया। इस कारण 1.74 करोड़ रुपये का विद्युत प्रभार वसूल न हो सका।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा 7 जून 2002 को जारी वितरण कोड 2002 के अनुसार यदि जॉच में कोई विद्युत मीटर खराब पाया जाता है तथा उपभोक्ता जाँच परिणाम पर विवाद नहीं करता तो उस मीटर को ठीक करके या नया मीटर 10 दिन के अन्दर बदल दिया जाना चाहिए तथा जिस माह में विवाद हुआ उसके तीन माह पहले तक का विद्युत देयक मीटर के जाँच परिणाम के आधार पर समायोजित किया जायेगा। यदि मीटर तेज चलता पाया जाता है तो वापसी की धनराशि अगले माह के देयक में समायोजित कर ली जायेगी। यदि मीटर धीमा पाया जाता है तो अतिरिक्त प्रभार अगले माह के देयक के साथ वसूल किया जायेगा।

डायमन्ड सीमेन्ट, झाँसी, जिसका अनुबन्धित भार 5,530 केवीए था, ने अपने फैक्टरी में लगे मीटर के अनियमित कार्य के लिए शिकायत दर्ज करायी (1 मई 2002)। विद्युत वितरण खण्ड-II, झाँसी ने डायमन्ड सीमेन्ट फैक्टरी में 14 मई से 31 मई 2002 के बीच जाँच मीटर लगाया। जाँच मीटर द्वारा परिलक्षित परिणाम मे यह पाया गया कि मीटर 46.05 प्रतिशत धीमा था। इस कारण, डायमन्ड सीमेन्ट को फरवरी से अप्रैल 2002 के बीच तीन माह के समय का 50,83,084 केवीएएच* कम विद्युत रीडिंग के लिए 1.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रभार का देयक निर्गत करना चाहिए था।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि खण्ड ने जाँच मीटर के परिणाम के आधार पर अतिरिक्त प्रभार का कोई देयक निर्गत नहीं किया। परिणामस्वरूप, 1.74 करोड़ रुपये का विद्युत प्रभार वसूल नहीं हो सका।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को फरवरी 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2005)।

3.7 गलत देयक निर्गत करना

कम्पनी ने उपभोक्ता से 11 केवी की जगह 132 केवी की दर से विद्युत प्रभार लिया, जिसके कारण 1.12 करोड़ रुपये का कम प्रभार लगा।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा 10 सितम्बर 2001, 2 नवम्बर 2002 और 26 अगस्त 2003 की अधिसूचना से एचवी-4 (लिफ्ट इरिगेशन) के उपभोक्ताओं के लिए निर्गत दर अनुसूची के अनुसार 66 केवी से 132 केवी के बीच की आपूर्ति का दर 11 केवी की आपूर्ति की दर से कम थी।

* केवीएएच = किलो वाट एम्पीयर आवर।

लेखा परीक्षा ने पाया (नवम्बर 2004) कि विद्युत वितरण खण्ड-II, आगरा के अन्तर्गत चम्बल दल परियोजना (सर्विस कनेक्शन नं0 एचवी-4/1) को 11,000 केवीए का भार अनुबंधित था तथा आपूर्ति 11 केवी पर 30 जनवरी 1997 से चली आ रही थी। सितम्बर 2001 से जुलाई 2004 तक उपभोक्ता का विद्युत देयक गलत ढंग से 11 केवी के स्थान पर 132 केवी से किया गया, जिस पर कि कम दर लागू थी। इस कारण देयक 1.12 करोड़ रुपये से कम निर्गत किये गये।

प्रबन्धन (इकाई स्तर पर) ने कहा (अप्रैल 2005) कि 1.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त देयक, जो कम लिया गया था, उपभोक्ता को निर्गत कर दिया गया है (दिसम्बर 2004) लेकिन वसूली वांछित थी (सितम्बर 2005)।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को मई 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.8 भण्डार का अनियमित निर्गमन

42.06 लाख रुपये की सामग्री एक अनाधिकृत व्यक्ति को निर्गत की गई, जिसने उनके उपभोग का कोई ब्यौरा नहीं दिया।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कम्पनी द्वारा बनायी गई प्रक्रिया के अनुसार ग्रामों के भूमापन (सर्वे) के आधार पर देयक मात्रा (बिल आफ क्वांटिटी) का प्राक्कलन एवं स्वीकृति होती है तथा ठेकेदार की नियुक्ति निविदा के आधार पर की जाती है। तत्पश्चात खण्ड का कार्यदायी अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता भण्डार खण्ड को सामग्रियाँ निर्गत करने के लिए वस्तु आदेश भेजता है। भण्डार खण्ड स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लिखित देयक मात्रा और विशिष्टियों के अनुसार सामग्री को निर्गत करता है। कार्यदायी खण्ड का अवर अभियन्ता निर्गत सामग्री को कार्य स्थल तक ढुलवाता है और ठेकेदार को सौंपता है।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि विद्युत वितरण खण्ड-II, हाथरस में तत्कालीन उर्जा मन्त्री ने हाथरस जिले के 12 गाँवो को में विद्युतीकरण की घोषणा की। इन गाँवो को न तो औपचारिक रूप से चिन्हित किया गया था, न ही इनके लिए कोई प्राक्कलन/योजना तैयार किया गया और ठेकेदार की नियुक्ति की गई। भण्डार खण्ड, आगरा ने विद्युत वितरण खण्ड- II, हाथरस के बिना किसी वस्तु आदेश के एक व्यक्ति जो कि 12 गाँवो के विद्युतीकरण के लिए ठेकेदार के तौर पर नियुक्त नहीं था, को 42.06 लाख रुपये की सामग्री निर्गत (जुलाई से सितम्बर 2003) कर दी।

तत्पश्चात भण्डार खण्ड, आगरा ने विद्युत वितरण खण्ड- II, हाथरस को सामग्री आपूर्ति की पुष्टि करने एवं बीजक को अवर अभियंताओं द्वारा सत्यापित करवाने को कहा (सितम्बर 2003)। विद्युत वितरण खण्ड- II, हाथरस, ने एक अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये गये बीजक को पुष्टि करने से मना कर दिया, क्योंकि वस्तु आदेश उनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। इस तरह, 42.06 लाख रुपये की सामग्री एक अनाधिकृत व्यक्ति को निर्गत की गई, जिसने उनके उपभोग का कोई ब्यौरा नहीं दिया।

प्रबन्धन (ईकाई स्तर पर) ने कहा (अप्रैल 2005) कि दो अधिकारियों की एक समिति इस प्रकरण पर जाँच करने के लिए गठित (मार्च 2005) की गई है जिसे 30 अप्रैल 2005 तक अपनी आख्या प्रस्तुत करनी थी। प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा के इंगित करने पर कार्यवाही शुरू की परन्तु जाँच के परिणाम से अवगत (सितम्बर 2005) नहीं कराया है जिसे 30 अप्रैल 2005 तक आ जानी थी।

मामला प्रबन्धन और शासन को मई 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.9 प्रारम्भिक प्रतिभूति की वसूली न होना

पूर्वी रेलवे से 1.17 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्रतिभूति की वसूली नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा 10 सितम्बर 2001 की अधिसूचना से निर्गत दर-अनुसूची के अनुसार उपभोक्ता को नये संयोजन निर्गत करने के समय प्रारम्भिक प्रतिभूति 300 रुपये प्रति बीएचपी अथवा मासिक प्रभार का दोगुना जो भी ज्यादा हो वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी सरकारी, अर्धसरकारी तथा अन्य उपभोक्ता से परिषद के किसी आदेश/छूट की वजह से प्रारम्भिक प्रतिभूति संयोजन के समय वसूल न की गई हो तो उसे 30 दिन की नोटिस देकर वसूल कर लिया जाय। प्रतिभूति राशि जमा न करने की दशा में उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित कर दिया जाय।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि विद्युत विरण खण्ड-II, गाजीपुर (खण्ड) ने पूर्वी रेलवे को रेलवे ट्रैक्सन के लिए 11,394 बीएचपी (10,000 केवीए) का एक नया संयोजन अवमुक्त किया (जनवरी 2002)। संयोजन अवमुक्त करने के समय (जनवरी 2002) खण्ड ने पूर्वी रेलवे से 1.17 करोड़ रुपये की जगह 34.18 लाख रुपये की प्रारम्भिक प्रतिभूति की मांग की। पूर्वी रेलवे ने खण्ड द्वारा मांगी गई प्रारम्भिक प्रतिभूति की राशि जमा नहीं की। खण्ड ने साढ़े तीन साल (सितम्बर 2005 को) के बाद भी उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित नहीं किया। इस तरह 1.17 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूल नहीं हो सकी।

खण्ड ने कहा (सितम्बर 2004) कि उपभोक्ता से प्रारम्भिक प्रतिभूति माँगी जायेगी। प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूली अभी भी होनी है (सितम्बर 2005)।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को अप्रैल 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.10 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

शीर्ष समय अल्लंघन के दण्ड देयकों की अनियमित माफी से कम्पनी को 36.13 लाख रुपये की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा नवम्बर 2002 मे निर्गत दर अनुसूची एचवी-2 के अनुसार वे उपभोक्ता जिन्होनें शीर्ष समय/प्रतिबन्धित* में

* उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के (दिसम्बर 2002) आदेशानुसार प्रत्येक वर्ष में 1 मार्च से 30 सितम्बर की अवधि के मध्य 6.30 अपरान्ह से 10.30 अपरान्ह तक तथा 1 अक्टूबर से 28/29 फरवरी के मध्य 5.30 अपरान्ह से 9.30 अपरान्ह तक।

विद्युत आपूर्ति का विकल्प नहीं दिया है, वे प्रतिबन्धित अवधि में अपने अनुबंधित भार का केवल 15 प्रतिशत विद्युत उपयोग, कर सकते हैं। यदि ऐसा उपभोक्ता प्रतिबन्धित अवधि में 15 प्रतिशत से ज्यादा विद्युत उपभोग करता है तो उस पर अप्रतिबन्धित अवधि में विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू विद्युत दर के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति केवीए की दर से प्रत्येक ऐसी घटना के लिए दण्ड आरोपित किया जायेगा।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि विद्युत वितरण खण्ड- II, फतेहपुर (खण्ड) में पनूम कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीसीपीएल) जिसका एचवी-2 श्रेणी के अन्तर्गत अनुबन्धित भार 2,000 केवीए था ने फरवरी से अप्रैल 2003 के बीच प्रतिबन्धित अवधि मे अनुबन्धित भार के 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत का उपयोग किया। खण्ड ने प्रतिबन्धित अवधि में उपभोग के लिए 30 लाख रुपये का दण्ड आरोपित किया परन्तु अप्रतिबन्धित आपूर्ति के लागू उच्च दर पर आंकलित विद्युत मूल्य के अन्तर, 6.13 लाख रुपये का देयक नहीं भेजा। तत्पश्चात, उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, इलाहाबाद ने इस दलील पर कि पीसीपीएल ने शीर्ष समय उल्लंघन का पालन किया परन्तु उनके द्वारा पालन की गई समयावधि निर्धारित समयावधि से भिन्न थी और इसके लिए पीसीपीएल को कोई लिखित सूचना नहीं दी, खण्ड को, उपभोक्ता पर आरोपित दण्ड माफ करने की सलाह दी। (अक्टूबर 2003)। खण्ड ने उपमहाप्रबन्धक की सलाह पर 30 लाख रुपये का दण्ड माफ कर दिया (अक्टूबर 2003)।

इकाई प्रबन्धन के द्वारा दण्ड को माफ करना गलत था क्योंकि उपभोक्ता ने प्रतिबन्धित अवधि, जिसके लिए विद्युत प्रभार की उच्च दर लागू होती है, की अवहेलना की। इसके अलावा उपमहाप्रबन्धक जिन्होंने दण्ड माफ करने की सलाह दी, वह माफी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं थे। इस तरह, उपभोक्ता को 36.13 लाख रुपये (उच्च दर पर 6.13 लाख रुपये प्रशुल्क सहित) का अनुचित लाभ दिया गया।

प्रकरण प्रबन्धन एंव शासन को मई 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2005)।

3.11 बाह्य स्थानों के चेक स्वीकार करने के कारण हानि

आपूर्ति कोड 2002 के प्रावधानों के विरुद्ध बाह्य चेक स्वीकार करने के कारण कम्पनी को 10.15 लाख रुपये की हानि हुई।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम 1984 के प्रस्तर 19 (ix) और उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड 2002 (जुलाई 2002 से प्रभावी) के प्रस्तर 6.23.1 के अनुसार, उपभोक्ता अपने विद्युत देयकों का भुगतान नगद (20,000 रुपये तक) चेक, मागँ पत्रक या मनीआर्डर के द्वारा कर सकता है यदि यह उस बैंक के नाम बना हो जो उसी स्थान पर हो जहाँ पर खण्ड कार्यालय है। इसका अर्थ यह है कि बाह्य स्थलों के चेक, खण्ड कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने थे।

लेखा परीक्षा ने पाया (सितम्बर 2004) कि विद्युत वितरण खण्ड-II, गाजीपुर (खण्ड) ने खण्डीय अभियन्ता, पूर्वमध्य रेलवे, पटना से 38 बाह्य स्थानों के चेक

स्वीकार किये। आपूर्ति कोड 2002 के उक्त प्रावधान के विरुद्ध जनवरी 2002 से नवम्बर 2004 के विद्युत देयकों के लिए 33.46 करोड़ रुपये के चेक खण्ड मुख्यालय के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक, वाराणसी के नाम आहरित हुए। बैंक ने बाह्य स्थान के चेक को खण्ड के खाते में क्रेडिट करते समय 10.15 लाख रुपये संग्रह शुल्क के रूप में काट लिए।

खण्ड ने बैंक द्वारा जनवरी 2002 से मार्च 2004 के बीच के संग्रह शुल्क के रूप में काटे गए 9.48 लाख रुपये का देयक पूर्व मध्य रेलवे को मार्च 2004 में भेजा। उपभोक्ता ने इस धनराशि को जमा नहीं किया। लेखा परीक्षा के इंगित करने के बावजूद बाह्य स्थानों के चेक खण्ड द्वारा लिए जाते रहे, तथा खण्ड को बैंक द्वारा अप्रैल 2004 से नवम्बर 2004 के मध्य 0.67 लाख रुपये का काटा गया संग्रह शुल्क और वहन करना पड़ा। खण्ड द्वारा मार्च 2005 में उपभोक्ता को 0.67 लाख रुपये का देयक भेजा गया, जो उसके द्वारा जमा नहीं किया गया। इस तरह आपूर्ति कोड 2002 के प्रावधानों के विरुद्ध बाह्य स्थानों के चेक स्वीकार करने के कारण कम्पनी को 10.15 लाख रुपये की हानि हुई तथा जब तक बाह्य स्थानों के चेक लिये जाते रहेगें, यह होती रहेगी।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को मई 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.12 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

कम्पनी ने, वितरण कोड 2002 के प्रावधानो के विरुद्ध उपभोक्ता को आर्क/इंडक्सन फर्नेस का संयोजन स्वतंत्र पोषक से करने के बजाय विद्यमान पोषक से कर 20.25 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा 7 जून 2002 के आदेश से निर्गत वितरण कोड 2002 के अनुसार आर्क/इंडक्सन फर्नेस का संयोजन केवल स्वतंत्र पोषक से ही निर्गत किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सभी देय उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा।

लेखा परीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2004) कि विद्युत वितरण खण्ड-II, गाजियाबाद ने रघु पेपर मिल, गाजियाबाद को 4.5 मी.टन इंडक्सन फर्नेस के लिए 2,800 केवीए का संयोजन इस शर्त पर स्वीकृत (फरवरी 2002) किया कि यह संयोजन उपभोक्ता की लागत पर निर्मित बे एवं 33 केवी लाइन पर स्वतंत्र पोषक से की किया जायेगा। इसके लिए खण्ड ने उपभोक्ता से 66.76 लाख रुपये की माँग की (अप्रैल 2002)। तत्पश्चात, स्वीकृति की शर्तो को पुनरीक्षित किया (जून 2002) जिसके अनुसार उपभोक्ता का संयोजन अब स्वतंत्र पोषक के स्थान पर विद्यमान पोषक से किया जाना था। खण्ड ने पुनरीक्षित आगणन के अनुसार 46.51 लाख रुपये की माँग की (अगस्त 2002) जिसे उपभोक्ता ने जमा कर दिया। खण्ड ने सितम्बर 2002 में उपभोक्ता को विद्यमान पोषक से संयोजन निर्गत कर दिया। स्वीकृति में पुनरीक्षण के कारण उपभोक्ता से 20.25 लाख रुपये कम वसूला गया

और कम्पनी अपनी प्रणाली में नई लाईन और उपकरण नहीं जोड़ सकी जिससे कि अतिभारिता से बचा जा सके। इस तरह खण्ड ने वितरण कोड 2002 का उल्लंघन कर उपभोक्ता को 20.25 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया।

खण्ड ने कहा (दिसम्बर 2004) कि संयोजन विद्यमान पोषक से अधिशासी निदेशक (वितरण) के निर्देशानुसार दिया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वितरण कोड का उल्लंघन एक उपभोक्ता विशेष को अनुचित लाभ देने के लिए किया गया।

प्रकरण प्रबन्धन और शासन को फरवरी 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.13 शीर्ष समय उल्लंघन के लिए दण्ड की वसूली न होने से हानि

कम्पनी 19.32 लाख रुपये का शीर्ष समय उल्लंघन के लिए दण्ड एवं अतिरिक्त दर की वसूली नहीं कर सकी।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा 837-एचसी/ यूपीपीसीएल/ V-1974/204-सी/2002 दिनांक 2 नवम्बर 2002 की अधिसूचना से निर्गत दर अनुसूची एचवी-2 जोकि बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू है, के अनुसार वे उपभोक्ता जिन्होने शीर्ष समय/प्रतिबन्धित समय के दौरान विद्युत आपूर्ति का विकल्प नहीं लिया है उनको इस समय के दौरान उनकी अनुबन्धित माँग के 15 प्रतिशत से अधिक का विद्युत उपभोग नहीं करने दिया जाना था। यदि इस निर्धारित समय के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपभोग किया जाता है तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिए 50 रुपये प्रति केवीए की दर से दण्ड देय होगा। उपर्युक्त वर्णित दण्ड के अतिरिक्ति, उपभोक्ता को अप्रतिबन्धित आपूर्ति के उपभोक्ताओं पर लागू दर के अनुसार देयक निर्गत किया जायेगा।

लेखा परीक्षा ने पाया (जून 2004) कि विद्युत वितरण खण्ड-I तथा II, फैजाबाद (खण्ड) में ग्यारह बड़े और भारी विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने प्रतिबन्धित समय के दौरान विद्युत आपूर्ति का विकल्प नहीं लिया था, ने दिसम्बर 2002 से अगस्त 2003 के दौरान प्रतिबन्धित समय में अनुबन्धित माँग के 15 प्रतिशत से अधिक का विद्युत उपभोग किया। अत: इन उपभोक्ताओं पर शीर्ष समय उल्लंघन के लिए 14.29 लाख रुपये के दण्ड के साथ-साथ दर अनुसूची में अन्तर के लिए 5.03 लाख रुपये देयता बनती है। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने (जून 2004) पर खण्ड ने दण्ड एवं अतिरिक्त दर के लिए विलम्ब से देयक निर्गत (मार्च 2005) किया। वसूली, अभी भी वाँछित हैं (सितम्बर 2005)।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को फरवरी 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

3.14 प्रवर्तकों के क्रय पर परिहार्य व्यय

प्रवर्तकों की बढ़ी हुई संख्या को कम दर पर क्रय के विकल्प को न अपनाने से 30 लाख रुपये की हानि।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के विद्युत भण्डार क्रय मण्डल- I (ईएसपीसी), ने अगस्त से सितम्बर 2001 के दौरान 5 एमवीए की क्षमता के 100 प्रवर्तकों की आपूर्ति के लिए निविदा विशिष्टि संख्या 1104/2001 के विरुद्ध आदेश दिया। यह आदेश न्यूनतम संगणित दर (इकाई मूल्य धन एक्साइज ड्यूटी, व्यापार कर, किराया एवं बीमा) के आधार पर मेसर्स एक्यूरेट ट्रान्सफारमर्स लिमिटेड, नई दिल्ली को 10.48 लाख रुपये प्रति प्रवर्तक के हिसाब से दिया गया। निविदा की शर्त के अनुसार निविदा की मात्रा 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती थी। इस निविदा के विरुद्ध आपूर्ति सितम्बर 2004 तक होती रही।

लेखा परीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने और प्रवर्तकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 5 एमवीए क्षमता के 125 प्रवर्तकों की अधिप्राप्ति हेतु निविदा स्पेसिफिकेशन संख्या 1133/2002 के विरुद्ध निविदाएँ आमन्त्रित की (अगस्त 2002), जो अक्टूबर 2002 में खोली जानी थी। इस निविदा के विरुद्ध 1 सितम्बर 2002 को प्रचलित दर पर प्रति प्रवर्तक का न्यूनतम संगणित दर 11.16 लाख रुपये आया, जो मेसर्स एक्यूरेट ट्रान्सफारमर्स लिमिटेड, नई दिल्ली, द्वारा ही दिया गया। कम्पनी ने जनवरी एवं फरवरी 2003 के दौरान 11.16 लाख रुपये प्रति प्रवर्तक की न्यूनतम दर से 125 प्रवर्तकों का अतिरिक्त आपूर्ति आदेश दिया, जिसकी विशिष्टि निविदा विशिष्टि संख्या 1104/2001 के समान ही थी।

लेखा परीक्षा ने इसके अतिरिक्त यह पाया कि कम्पनी द्वारा पुरानी निविदा विशिष्टि संख्या 1104/2001 के अन्तर्गत 1 सितम्बर 2002 को प्रचलित दर से संगणित अद्यतन मूल्य 10.56 लाख रुपये प्रति प्रवर्तक थी। कम्पनी पुरानी निविदा (संख्या 1104/2001) के विरुद्ध कम से कम 50 अतिरिक्त प्रवर्तक, सिर्फ अपने 50 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग कर, 10.56 लाख रुपये प्रति प्रवर्तक की दर से क्रय कर सकती थी। कम्पनी ने 50 अतिरिक्त प्रवर्तक की अधिप्राप्ति को पुराने निविदा में निहित शक्ति का प्रयोग न कर, प्रवर्तक की सम्पूर्ण मात्रा का आपूर्ति आदेश उच्च दर पर किया। इससे 30 लाख रुपये (50 X 0.60 लाख रुपये) का परिहार्य व्यय हुआ।

ईएसपीसी- I (ईकाई प्रबन्धन) ने उत्तर में कहा (मई 2004) कि पुरानी निविदा के अन्तर्गत आपूर्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि नयी दर 5 प्रतिशत से अधिक थी। ईकाई प्रबन्ध ने यह और कहा (सितम्बर 2005) कि दर की वैधता आपूर्ति पूर्ण होने तक रहती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा संख्या 1104/2001 के

तहत आपूर्ति सितम्बर 2004 तक होती रही और प्रबन्धन नई निविदा आमन्त्रित करने के पहले पुरानी निविदा के तहत आपूर्ति बढ़ाने में असफल रहा।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को मई 2005 में संदर्भित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

3.15 देयों की वसूली न होना

भूमि एवं भवन को बन्धक रखने की छूट, समपार्श्विक प्रतिभूति के निस्तारण मे विफलता और ईकाई के अधिग्रहण मे हुई देरी के कारण, 13.59 करोड़ रुपये के देय बिना वसूल हुए पड़े रहे।

निगम ने बीटा सिक्योरिटीज लिमिटेड, इंदौर (बीएसएल) को उनके उन्नाव (यूपी) स्थित संयत्र मे बीटा नैपथाल और बोन एसिड, के उत्पादन हेतु 1.88 करोड़ रुपये का पट्टा सहायता (एलए) एवं 1.05 करोड़ रुपये का स्थाई सम्पत्ति सावधि ऋण (एफएटीएल) वितरित (सितम्बर 1996 से अप्रैल 1997) किया। ऋण को भूमि व भवन, यंत्र-संयत्र तथा अन्य स्थाई परिसम्पत्तियों की सम्यक गिरवी और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत जमानत से सुरक्षित किया जाना था।

लेखा परीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2004) कि भूमि व भवन को सम्यक बंधक रखने की शर्त मे छूट दी (जून 1996) गई एवं समपार्श्विक प्रतिभूति जो कि सहयोगी ग्रुप कम्पनी (बीटा नैपथाल लिमिटेड) के 10 रुपये मूल्य के 5 लाख सम अंशकों के रूप मे थी, स्वीकार की गई। बीएसएल ने प्रारम्भ से ही देयों के भुगतान मे चूक की। निगम ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (एसएफसी) की धारा 29 के अन्तर्गत ईकाई के अधिग्रहण हेतु नोटिस जारी की (फरवरी 1997)।

इकाई का अधिग्रहण नही किया जा सका चूँकि बीएसएल ने जून 1998 मे अपना प्रकरण बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया। बीआईएफआर ने प्रकरण सितम्बर 2001 में निरस्त कर दिया क्योंकि रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अनुसार बीएसएल रूग्ण नहीं पायी गई। निगम द्वारा मार्च 2002 में ईकाई के निरीक्षण के समय, 1.64 करोड़ रुपये के यंत्र-संयत्र गायब पाए गए। निगम ने अप्रैल 2002 मे ईकाई का अधिग्रहण किया एवं एफआईआर विलम्ब से सितम्बर 2002 में दर्ज कराया। एफआईआर का परिणाम प्रतीक्षित था (मई 2005)। अवशेष यंत्र-संयत्र 19.50 लाख रुपये में बेच दिये गये (दिसम्बर 2002)। प्रर्वतकों के विरुद्ध व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र (पीआरसी) निर्गत (सितम्बर 2001) किए गए परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि प्रर्वतकों ने पूर्व मे ही अपने स्थान छोड़ दिए थे। समपार्श्विक प्रतिभूति जो कि सम अंशकों के रूप मे थी, के निस्तारण के कोई भी प्रयास नहीं किए गए।

इस प्रकार, सहायतित ईकाई के भूमि व भवन को बंधक रखने की शर्त मे स्वीकृति के समय छूट, ग्रुप कम्पनी (बीटा नैपथाल लिमिटेड) की समपार्श्विक प्रतिभूति जो कि सम अंशकों के रूप मे थी, के समयानुसार निस्तारण मे विफलता एंव ईकाई के अधिग्रहण मे विलम्ब के कारण 13.59 करोड़ रुपये (मूलधन: 0.87 करोड़ रूपये, पट्टा किराया: 3.17 करोड़ रूपये, एफएटीएल पर ब्याज: 6.28 करोड़ रूपये, एलए पर दण्ड ब्याज: 2.69 करोड़ रुपये और अन्य व्यय 0.59 करोड़ रुपये) के देयों की वसूली सितम्बर 2005 तक नही की जा सकी।

प्रबन्धन ने कहा (मई 2005) कि निगम द्वारा ऋण धनराशि के 60 प्रतिशत तक भूमि व भवन को सम्यक बंधक रखने की शर्त मे छूट इस शर्त के साथ दी गई थी कि बीएसएल अपनी सहयोगी संस्था (बीटा नैपथाल लिमिटेड, इंदौर) के 50 लाख रुपये मूल्य के अंशको के रूप मे अतिरिक्त समपार्श्विक प्रतिभूति बंधक रखेगा। बाद में, भूमि व भवन जोकि अधिकारिक परिसमापक से खरीदे गये थे, ऋणी के असहयोग के कारण बंधक नहीं रखे जा सके, बाजार मे मंदी के कारण समपार्श्विक प्रतिभूति के अंशक विक्रय योग्य नहीं पाए गए, ईकाई का अधिग्रहण नहीं किया जा सका चूँकि ईकाई बीआईअफआर को संदर्भित थी। उत्तर मान्य नही है चूँकि भूमि व भवन ऋण की मुख्य प्रतिभूति थी एवं इसको बंधक रखने की शर्त मे छूट बीएसएल के पक्ष में नहीं दी जानी चाहिए थी। मुख्य प्रतिभूति के स्थान पर अंशकों की समपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार किया जाना उचित नहीं था। ईकाई का अधिग्रहण समय से नहीं किया गया चूँकि ईकाई को बीआईएफआर को जून 1998 मे संदर्भित किया गया जबकि एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस फरवरी 1997 मे जारी किया गया। तथ्यात्मक रूप से 13.59 करोड़ रुपये के देय सितम्बर 2005 तक अप्राप्त थे।

प्रकरण शासन को फरवरी 2005 मे सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.16 विफल इकाई के अधिग्रहण में हुई देरी के कारण हानि

ऋणी के उत्पादों के आदेशों की स्थिति सुनिश्चित किए बिना अतिरिक्त ऋण की अवमुक्ति एवं ईकाई के अधिग्रहण मे हुई देरी के कारण निगम को 5.65 करोड़ रुपये की हानि हुई।

एलएमएल को आपूर्ति करने हेतु, 15,000 सेट गियर प्रतिमाह की उत्पादन क्षमता वाली एक एन्सिलरी इकाई की स्थापना के लिए निगम ने ट्रांसमिशन गियर्स लिमिटेड (टीजीएल) को फरवरी से मई 1998 मे 1.21 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया। निगम ने टीजीएल को गियर की उत्पादन क्षमता 30,000 सेट प्रतिमाह तक विस्तार करने हेतु 85.99 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत और अवमुक्त (28 जुलाई से 30 नवम्बर 1998) किया। ऋण का पुर्नभुगतान त्रैमासिक किस्तों (5 लाख रुपये से 8.25 लाख रुपये) जो कि 15 नवम्बर 1998 से शुरू थी, मे किया जाना था, जिसमें विफल होने पर टीजीएल पर राज्य वित्तीय निगम अधिनियम (एसएफसी) 1951 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी थी।

लेखा परीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2004) कि 1,80,000 सेट गियर प्रतिवर्ष की प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता के विरुद्ध, एलएमएल ने केवल 25,000 सेट गियर की आपूर्ति हेतु अग्रिम आदेश (फरवरी 1998) दिया। गियर का ट्रायल उत्पादन मई 1998 मे शुरू हुआ। दुपहिया आटोमोबाइल उद्योग मे मंदी के कारण एलएमएल ने इसके बाद गियर की आपूर्ति हेतु आदेश नहीं दिया। परिणामस्वरूप, टीजीएल अपने संयत्र चला नही सका। निगम ने टीजीएल के पास आदेशों की स्थिति सुनिश्चित किए बिना टीजीएल को अतिरिक्त ऋण (85.99 लाख रुपये) उनकी उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु स्वीकृत (28 जुलाई से 30 नवम्बर 1998) एवं अवमुक्त कर दिया।

टीजीएल ने प्रारम्भ (नवम्बर 1998) से ही ऋण के पुनर्भुगतान मे चूक की। निगम ने राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत 15 दिन का नोटिस जनवरी 1999, मे अतिदेय के पुनर्भुगतान हेतु जारी किया, जिसमे विफल होने पर ईकाई का अधिग्रहण किया जाना था। तथापि, निगम ने टीजीएल के अनुरोध पर टीजीएल को पुनर्अनुसूचन सुविधा प्रदान (फरवरी 2000)की जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। तथापि, निगम ने ईकाई का अधिग्रहण अक्टूबर 2003 मे कर लिया अर्थात साढ़े तीन वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो जाने पर, यद्यपि प्रबन्धन को इस बात की जानकारी (सितम्बर 2002) थी कि प्रर्वतक/निदेशक गायब हैं। विलम्ब से अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, 1.52 करोड़ रुपये के यंत्र-संयत्र ईकाई से हटा लिए गए थे। निगम ने टीजीएल के निदेशकों के विरुद्ध, गायब यंत्र-संयत्र के संबंध में, एक एफआईआर (दिसम्बर 2003) पुलिस अधिकारियों के पास दर्ज की। इसकी आगे पैरवी नही की गई। टीजीएल द्वारा पुनर्भुगतान मे विफलता के कारण, ईकाई की उपलब्ध सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त धनराशि के समायोजन के पश्चात् निगम के 5.65 करोड़ रुपये के देय (मूलधन: 1.08 करोड़ रुपये एवं ब्याज 4.57 करोड़ रुपये) सितम्बर 2005 तक अप्राप्त थे।

प्रबन्धन ने कहा (मई 2005) कि आटोमोटिव्स कम्पोनेन्ट्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिशन आफ इण्डिया के प्रतिवेदन (अप्रैल 1997) के अनुसार एलएमएल दुपहिया वाहनों का अकेला सबसे बड़ा निर्माता था और उसकी दुपहिया वाहन उद्योग मे विभिन्न प्रकार के नये माडल लाने की योजना थी। इसी प्रतिवेदन के आधार पर, परियोजना को परिपुष्ट ऑका गया। देयों की वसूली हेतु प्रर्वतकों से लगाातार अनुसरण किया गया। चूँकि उन्होने कभी भी प्रतिउत्तर नही दिया, ईकाई को विक्रय हेतु विज्ञापित (फरवरी एवं जून 2002) किया गया एवं तत्पश्चात ईकाई का अधिग्रहण अक्टूबर 2003 में किया गया। उत्तर मान्य नही है क्योंकि क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त ऋण इस आधार पर स्वीकृत किया गया था कि एलएमएल ने 3.60 लाख गियर प्रतिवर्ष क्रय करने हेतु आदेश दिया था जबकि आदेश (फरवरी 1998) मात्र 25,000 सेट हेतु ही दिया गया था जोकि टीजीएल के अभिलेखों से सुनिश्चित किया जा सकता है। ईकाई के अधिग्रहण मे हुई देरी स्वत: स्पष्ट है।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.17 ऋणी को अनुचित लाभ

निगम की पुनरीक्षिति ओटीएस नीति के विरुद्ध 81.64 लाख रुपये ब्याज की छूट।

निगम की एक मुश्त समाधान (ओटीएस) नीति जो कि अक्टूबर 2001 में पुनरीक्षित की गयी, मे यह प्रावधान था कि ओटीएस का समय एक वर्ष रखा जाय एवं यदि आवश्यक हो तो अधिकतम दो वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है। पुनरीक्षित ओटीएस नीति के खण्ड 'ब' मे यह प्रावधानित था कि प्रथम तीन माह ब्याज-मुक्त समय होगा एवं तत्पश्चात् शेष समय पर 16 प्रतिशत से समान रूप से ब्याज देय होगा।

निगम ने राम शिव इण्डस्ट्रीज, रनिया, कानपुर को माइल्ड स्टील राउन्ड एवं बार इत्यादि के उत्पादन हेतु एक ईकाई की स्थापना के लिए 3.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध कुल 3.18 करोड़ रुपये, 1994-95 से अक्टूबर 1998 तक वितरित किए। ऋण, ईकाई की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों पर प्रथम भार द्वारा सुरक्षित था। ईकाई द्वारा नवम्बर 1998 तक अपने देयों का भुगतान नियमित रूप से किया गया एवं तत्पश्चात् पुनर्भुगतान मे विफल रही। ईकाई ने नवम्बर 2000 मे अतिदेयों के ओटीएस हेतु अनुरोध किया। निगम ने 2.28 करोड़ रुपये का ओटीएस स्वीकृत (दिसम्बर 2000) किया जिसमे 56.99 लाख रुपये की तुरन्त भुगतान धनराशि, 21.40 लाख रुपये पूर्व मे भुगतान की गयी धरोहर राशि को शामिल करते हुए, एवं 1.71 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि, 42.74 लाख रुपये की चार समान त्रैमासिक किस्तों मे जो कि मार्च 2001 से प्रारम्भ थी, मे देय था। ओटीएस के नियमों के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित (दिसम्बर 2000) किया गया एवं ईकाई को तीन माह का ब्याज-मुक्त समय 20 जून 2001 तक प्रदान किया गया एवं तत्पश्चात् ईकाई द्वारा 18 प्रतिशत (अक्टूबर 2001 में पुनरीक्षित ओटीएस नीति में घटकर 16 प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय था। इसके अलावा, ईकाई द्वारा पुनर्भुगतान मे विलम्ब किए जाने पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्ड ब्याज भी देय था।

लेखा परीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2004) कि ईकाई के अनुरोध पर निगम ने अवशेष ओटीएस धनराशि को अक्टूबर 2001 मे पुनर्अनुसूचित कर दिया परन्तु ईकाई ने इसका पालन नहीं किया। निगम ने ओटीएस के अन्तर्गत 1.83 करोड़ रुपये (मूलधन: 1.01 करोड़ रुपये एवं ब्याज: 81.64 लाख रुपये) के अतिदेयों को 1.01 करोड़ रुपये मे अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया और 81.64 लाख रुपये का ब्याज माफ कर दिया। 81.64 लाख रुपये की ब्याज माफी निगम की पुनरीक्षित ओटीएस नीति के खण्ड 'ब' के विरुद्ध थी। ईकाई ने 1.01 करोड़ रुपये का भुगतान मई 2004 में कर दिया।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2005) कि विद्युत आपूर्ति न होने की वजह से ईकाई ठीक से कार्य नहीं कर पा रही थी एवं ईकाई ने 2.91 करोड़ रुपये का भुगतान अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध धन से किया। इस प्रकार निगम ने ईकाई की पूर्व समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य के आलोक मे कि ओटीएस धनराशि की वसूली एक माह मे की जानी है, ब्याज माफ कर दिया। उत्तर मान्य नहीं है

क्योंकि ओटीएस की धनराशि जमा करने में चूक पर ब्याज माफ करने का निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ओटीएस नीति के नियमो के विरुद्ध था। पुनश्च, प्रर्वतकों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत थी जैसा कि प्रबन्धन के उत्तर से स्पष्ट है कि प्रर्वतकों ने धनराशि की उपलब्धता अन्य स्त्रोतों से की। इसके अलावा, निगम के पास ईकाई की बंधक सम्पत्तियों के निस्तारण से भी देयों की वसूली का अवसर था।

प्रकरण शासन को मई 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.18 इकाई के अधिग्रहण मे हुई देरी के कारण हानि

ईकाई के अधिग्रहण मे हुई देरी के कारण 81.34 लाख रुपये मूल्य के यंत्र-संयत्र की चोरी में सहूलियत हुई एवं 10.79 करोड़ रुपये के अवशेष देय वसूल नहीं हुए।

निगम ने शिल्पैक्स लैबोरेट्रीज लिमिटेड, नोएडा (शिल्पैक्स) को 1.50 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्लूसीटीएल) स्वीकृत एवं वितरित (दिसम्बर 1996) किया। निगम ने ऋण का वितरण, 1.80 करोड़ रुपये की मुख्य प्रतिभूति जो कि भूमि, भवन, यंत्र-संयत्र के रूप मे थी एवं नोएडा स्थित भूमि की समपार्श्विक प्रतिभूति तथा निदेशक की व्यक्तिगत जमानत के विरुद्ध किया। निगम ने शिल्पैक्स को पुन: 60 लाख रुपये का स्थाई सम्पत्ति सावधि ऋण (एफएटीएल) स्वीकृत एवं वितरित (फरवरी 1997) किया।

शिल्पैक्स ने निगम के देयों के पुर्नभुगतान मे चूक की एवं 1996-97 तथा 1997-98 मे डब्लूसीटीएल के विरुद्ध मात्र 26.87 लाख रुपये तथा 1997-98 मे एफएटीएल के विरुद्ध 0.65 लाख रुपये का भुगतान किया। निगम ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत 15 दिन का नोटिस मई 1999 मे शिल्पैक्स द्वारा अतिदेयों के पुर्नभुगतान हेतु जारी किया जिसमे विफल होने पर निगम द्वारा ईकाई का अधिग्रहण किया जाना था। देयों की वसूली हेतु निगम ने शिल्पैक्स के मालिक के विरुद्ध व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया। जिला अधिकारी ने पीआरसी इस कारण वापस (दिसम्बर 2004) कर दी कि पीआरसी मे उल्लिखित रिहाइशी भवन का मालिक निदेशक नही था।

लेखा परीक्षा ने पाया (जून 2004) कि निगम ने ईकाई के अधिग्रहण मे अकारण देरी की एवं मई 2003 मे अधिग्रहण किया। ईकाई के अधिग्रहण मे विलम्ब के कारण, 81.34 लाख रुपये मूल्य के यंत्र-संयत्र चोरी हो गए। यदि निगम ने 15 दिन के नोटिस समय के पश्चात् ईकाई के अधिग्रहण की समयान्तर्गत कार्यवाही की होती तो उपरोक्त स्थित उत्पन्न न हुई होती। ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही मे विफलता के परिणामस्वरूप 10.79 करोड़ रुपये (मूलधन: 0.07 करोड़ रुपये ब्याज: 10.72 करोड़ रुपये) के देयों की वसूली अप्राप्त रही (सितम्बर 2005), जो कि उपलब्ध मुख्य एवं समपार्श्विक प्रतिभूति की सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त 2.09 करोड़ रुपये की धनराशि के समायोजन के पश्चात थी।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2005) कि ईकाई के अधिग्रहण मे विलम्ब मुख्यत: शिल्पैक्स द्वारा बीआईएफआर मे संदर्भित करने के कारण हुई। निगम की नीति के अनुसार ईकाई का अधिग्रहण केवल तब किया जाना था जब विक्रय का प्रस्ताव उपलब्ध हो जिससे कि सुरक्षा गार्डो पर अधिक व्यय न हो। अवशेष देयों की वसूली हेतु पीआरसी एवं एफआईआर का प्रभावी अनुसरण किया जा रहा था। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि धारा 29 के अन्तर्गत निर्गत नोटिस (मई 1999) के 15 दिन की अवधि समापत होने के पश्चात् ईकाई का अधिग्रहण तुरन्त नहीं किया गया यद्यपि बीआईएफआर द्वारा नोटिस निर्गत किए जाने से चार माह पश्चात् अक्टूबर 1999 में संदर्भ स्वीकार किया गया। निगम की नीति दोषपूर्ण है क्योंकि यह अच्छे विक्रय प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात् ही ईकाई के अधिग्रहण की स्वीकृति देती है; ईकाई के अधिग्रहण मे हुई देरी यंत्र-संयत्र की चोरी मे साधन बनी एवं चोरी हुए यंत्र-संयत्र के मूल्य की तुलना मे सुरक्षा पर व्यय कम होता। जमानती निदेशक के पक्ष मे रिहाईशी आवास का मालिकाना हक न होना यह दर्शाता है कि ऋण की स्वीकृति के समय हक प्रपत्र भी ठीक प्रकार से सत्यापित नहीं किए गए।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

3.19 ऋण का अविवेकपूर्ण आहरण

आवश्यकता से पूर्व ऋण आहरण के परिणामस्वरूप 1.19 करोड़ रुपये ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

निगम ने 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से साहिबाबाद, गाजियाबाद मे एक बस स्टेशन निर्माण करने का निर्णय (दिसम्बर 2000) लिया। परियोजना लागत नेशनल कैपिटल रीजन पलानिंग बोर्ड (एनसीपीआरबी) द्वारा प्रदत्त 12 करोड़ रुपये के ऋण से एवं शेष 4 करोड़ रुपये का राज्य सरकार/निगम द्वारा स्वंय प्रबंध किया जाना था। तद्नुसार, निगम ने एक अनुबन्ध एनसीपीआरबी के साथ निष्पादित (मार्च 2002) किया जिसमे, अन्य बातो के साथ, यह प्रावधानित था कि (i) ऋण का वितरण दो किस्तो में; 2001-02 मे 9 करोड़ रुपये एवं 2002-03 मे 3 करोड़ रुपये, किया जायेगा, (ii) 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा, (iii) एनसीपीआरबी की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋणी ऋण के किसी भी भाग का विनियोग जमाओं, ऋण, अंश पूँजी अथवा अन्य संस्थाओं मे नहीं करेगा, एवं (iv) ऋणी द्वारा स्थगित किस्तों की धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्थगन प्रभार देय होगा।

यद्यपि प्रबन्धन के संज्ञान मे यह तथ्य था कि भूमि क्रय के सौदे को अंतिम रूप देने मे काफी सयम लगेगा, उसने अनुबन्ध के अन्तर्गत उपलब्ध किस्तों के स्थगन का विकल्प नही चुना। इसके बजाय, प्रबन्धन ने 9 करोड़ रुपये का आहरण 30

मार्च 2002 को किया एवं ऋण के नियमो एवं शर्तो के विरुद्ध इसे सावधि जमा (अप्रैल से अक्टूबर 2002) मे 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर विनियोजित किया। प्रबन्धन ने भूमि का अधिग्रहण अक्टूबर 2003 मे किया एवं ऋण की धनराशि से भूमिमालिक को भुगतान (9.11 करोड़ रुपये) किया।

लेखा परीक्षा ने पाया (अगस्त 2004) कि निगम ने अप्रैल 2002 से सितम्बर 2003 की अवधि में सावधि जमा विनियोजन पर 16.50 लाख रुपये अर्जित किया जबकि उसे ऋण पर 1.35 करोड़ रुपये (अप्रैल 2002 से सितम्बर 2003) के ब्याज का भुगतान करना पड़ा। परिणामस्वरूप, 1.19 करोड़ रुपये के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इससे बचा जा सकता था यदि प्रबन्धन मात्र 6.75 लाख रुपये का स्थगन प्रभार भुगतान कर किस्तों का स्थगन कर देता।

प्रबन्धन ने कहा (फरवरी 2005) कि 9 करोड़ रुपये के ऋण मे से 7.73 करोड़ रुपये का उपभोग 126 चेसिस क्रय करने मे एवं 93 चेसिस पर बस बाडी की संविरचना मे किया गया जिससे बड़ी बस फलीट का संचालन किया जा सका एवं इससे 4.89 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने चेसिस आपूर्तिकर्ताओं को 4.03 करोड़ रुपये का भुगतान अपने पास उपलबध धन से किया एवं केवल 3.70 करोड़ रुपये का भुगतान ही एनसीपीआरबी से प्राप्त ऋण धनराशि मे से किया जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा बाद मे सत्यापित किया गया। इसके अलावा, ऋण का उपभोग, चेसिस आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान और बस बाडी की संविरचना, तथा सावधि जमा मे विनियोजन, अनुबन्ध की शर्तो के विरुद्ध था।

प्रकरण शासन को जनवरी 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.20 चेकर्ड प्लाईवुड के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

अयोग्य आपूर्तिकर्ता से ऊँची दर पर चेकर्ड प्लाईवुड क्रय करने के कारण निगम को 48.56 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

निगम की क्रय नीति (जून 2000 और दिसम्बर 2002) मे अन्य बातो के साथ यह प्रावधान था कि एक फ़र्म सामग्री की आपूर्ति हेतु तभी येाग्य होगी जब उसके द्वारा विगत तीन वर्षो मे आपूर्ति की गयी सामग्री के 65 प्रतिशत नमूने केन्द्रीय सड़क यातायात संस्था (सीआईआरटी) द्वारा अनुमोदित हो एवँ लगातार दो नमूनो की विफलता पर आपूर्ति रोक दी जायगी; आगे क्रय नीति मे प्रावधान था कि 80 प्रतिशत सामग्री पूर्व प्रयुक्त स्त्रोतों से एवँ 20 प्रतिशत सामग्री अप्रयुक्त स्त्रोतों से क्रय की जाएगी, इसके अलावा क्रय सबसे कम ग्राह्य दरों पर किया जाना था।

निगम ने अपनी केन्द्रीय कार्यशाला एवं एलन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर के लिए फ्री आन रेलवे (एफओआर) गंतव्य स्थान के आधार पर 15 एमएम चेकर्ड प्लाईवुड की 10,000 शीट के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (मार्च 2003) की। प्रत्युत्तर में, 14 पार्टियों ने अपनी दरें उद्धत कीं। मैसूर पालीर्मस (प्राइवेट) लिमिटेड (एमपीएल), बंगलौर जोकि पूर्व में प्रयुक्त स्त्रोत की फर्म थी को 8,000 शीट (मई

2004 मे 9,400 शीट के लिए पुनरीक्षित) 1,823.55 रुपये प्रति शीट की दर से आपूर्ति हेतु एवं रैनी इण्टरप्राइजेज, एक अप्रयुक्त स्रोत, को 600 शीट 1,597.05 रुपये प्रति शीट की दर से आपूर्ति हेतु आदेश जारी किए (अगस्त 2003) गए। सबसे कम दर पर आपूर्ति हेतु एमपीएल ने सहमति नही दी जबकि रैनी इण्टरप्राइजेज ने सहमति दी।

लेखा परीक्षा ने पाया (फरवरी 2005) कि डोर्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कानपुर (डीआईएल) द्वारा 1,324.32 रुपये प्रति शीट की प्रस्तावित दर 14 बोलीकर्ताओं मे सबसे कम थी। तथापि, क्रय समिति ने सबसे निम्न बोली इस आधार पर निरस्त कर दी कि उनके द्वारा 2001-02 की आपूर्ति मे से लिए गए समस्त तीन नमूने अनुमोदित नही थे। एमपीएल को इस आधार पर योग्य स्रोत माना गया कि उनके 100 प्रतिशत नमूने अनुमोदित थे।

अभिलेखों के निरीक्षण मे यह पाया गया कि एमपीएल भी योग्य फर्म नहीं थी क्योंकि उनके द्वारा विगत तीन वर्षो, अर्थात 1999-2000 से 2002-03, में आपूर्ति के नमूने उपलब्ध नही थे चूँकि इस अवधि मे कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। पुनश्च, दोषपूर्ण आपूर्ति के कारण उनके 1995-96 के लगातार दो आदेश निरस्त किए गए थे एवं जनवरी 1998 के आदेश के विरुद्ध मात्र एक नमूना लिया गया जोकि अनुमोदित था। एमपीएल को, मात्र एक नमूने (इसको 100 प्रतिशत मानते हुए) एवं बिना इस तथ्य को ध्यान मे रखे कि उनकी 1995-96 के लगातार दो आदेश के विरुद्ध आपूर्ति विफल रही, आदेश दिया जाना क्रय नीति के विरुद्धथा।

फर्म (डीआईएल), जिसके तीन नमूने पहले निरस्त किए जा चुके थे, ने 2002-03 मे निगम की केन्द्रीय कार्यशाला को 15 एमएम चेकर्ड प्लाईवुड आपूर्ति किया था, जिसे निगम ने स्वीकार किया था। डीआईएल द्वारा आपूर्ति को विचार किए बिना, निविदा को अन्तिम रूप देना सही नहीं था।

इस प्रकार, एमपीएल के पक्ष में उच्च दर पर आदेश प्रदान करने के कारण, जोकि निगम की क्रय नीति के अनुसार योग्य पार्टी नहीं थी, साथ ही रैनी इण्टरप्राइजेज के पक्ष में जिन्होने 1,324.32 रुपये प्रति शीट के सबसे कम दर पर आपूर्ति हेतु स्वीकृति दी, के परिणामस्वरूप, 10,000 शीट के क्रय पर 48.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2005) कि एमपीएल कम दर पर आपूर्ति हेतु सहमत नहीं थी इसलिए एमपीएल और रैनी इण्टरप्राइजेज को उनके द्वारा उद्धत दरों पर आदेश दिया गया। उत्तर मान्य नही है क्योंकि निविदा प्रपत्र की शर्तो के अनुसार सभी पार्टियॉ सबसे कम दर पर आपूर्ति हेतु बाध्य थीं। फिर भी तथ्य यही है कि उच्च दरों पर चेकर्ड प्लाईवुड क्रय करने के कारण 48.56 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रकरण शासन मई 2005 में को सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.21 दण्ड का परिहार्य भुगतान

निगम द्वारा शीर्ष समय उल्लंघन के कारण 18.54 लाख रुपये का दण्ड भुगतान करना पड़ा

निगम ने अपनी केन्द्रीय कार्यशाला (300 केवीए), कानपुर एवं ऍलेन फारेस्ट कार्यशाला (300 केवीए), कानपुर के लिए क्रमश: दर अनुसूची एचवी-2 के अर्न्तगत कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्को) से दो विद्युत संयोजन लिए।

विद्युत आपूर्ति हेतु दर अनुसूची एचवी-2 के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जो शीर्ष समय/प्रतिबन्धित समय मे आपूर्ति का विकल्प नहीं चुनते है वे अपनी अनुबन्धित माँग के 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत का उपभोग नहीं कर सकते। 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपभोग की दशा मे अनुबन्धित भार पर 50 रुपये प्रति केवीए से दण्ड लगाया जाएगा। उपभोक्ता को उपर्युक्त वर्णित दण्ड के अतिरिक्त उस दर से देयक दिया जाना था जो कि अप्रतिबन्धित आपूर्ति के उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

लेखा परीक्षा ने पाया (अगस्त 2004) कि माह फरवरी से मई 2003 की अवधि मे ऍलेन फारेस्ट कार्यशाला एवं माह मार्च से जुलाई 2003 की अवधि मे केन्द्रीय कार्यशाला ने शीर्ष समय के दौरान अनुबन्धित भार के 15 प्रतिशत से अधिक विद्युत उपभोग किया। परिणामस्वरूप, निगम को 17.97 लाख रुपये (ऍलेन फारेस्ट कार्यशाला: 3.45 लाख रुपये एवं केन्द्रीय कार्यशाला: 14.52 लाख रुपये) के दण्ड का भुगतान करना पड़ा। निगम को शीर्ष समय मे स्वीकृत भार से अधिक विद्युत उपभोग करने के कारण विद्युत मूल्य का भुगतान टैरिफ की उच्च दरों से भी करना पड़ा। परिणामस्वरूप, माह फरवरी से जुलाई 2003 की अवधि मे 0.57 लाख रुपये का, अतिरिक्त दर भुगतान करना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (अप्रैल 2005) कि केस्को ने शीर्ष समय सारिणी एवं शीर्ष समय मे कार्यशालाओं के संचालन नहीं करने हेतु कोई भी नोटिस नहीं दिया और उच्च न्यायालय मे एक रिट याचिका थी एवं प्रकरण नयायाधीन है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (अप्रैल 2005) मे निगम से कहा कि प्रकरण एक माह मे निस्तारण हेतु रिकन्सिलेशन समिति को संदर्भित करें। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केस्को ने शीर्ष समय सारिणी एवं 9 नवम्बर 2002 से लागू दर अनुसूची को समाचारपत्रों मे विज्ञापित (अक्टूबर 2002 एवं मार्च 2003) किया था। प्रकरण, हालांकि, रिकन्सिलेशन समिति के स्थान पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि मामले मे पक्षकार नही था, को संदर्भित किया गया। फिर भी तथ्य यही है कि शीर्ष समय मे स्वीकृत भार से अधिक विद्युत उपभोग के कारण निगम को 18.54 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

प्रकरण शासन को फरवरी 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.22 सामग्री क्रय मे अतिरिक्त व्यय

उच्च दरों पर आदेश देने के कारण निगम को 10.33 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

निगम ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) मे प्रचलित क्रय प्रक्रिया के अनुसार सबसे कम निविदत दरों पर सामग्री क्रय करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2002)। फ्री आन रेलवे (एफओआर) गंतव्य स्थान के आधार पर विभिन्न नाप के इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स वैल्डिंग स्टील ट्यूब्स एवं कोल्ड रोल्ड ट्यूब्लर सेक्शन्स की आपूर्ति हेतु निविदाऐं आमंत्रित की (अक्टूबर 2004) गई। निविदा प्रपत्रों के सामान्य नियमो एवं शर्तो (जीटीसी) के खण्ड 6 के अनुसार निगम के पास एक से अधिक स्त्रोतों पर क्रय आदेश निर्गत करने का अधिकार सुरक्षित था लेकिन इसके लिए निविदादाताओं को सबसे कम दर पर आपूर्ति हेतु सहमति अथवा निविदा के साथ अलग प्रपत्र पर विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करना था। जीटीसी के खण्ड 6 एवं यूपीपीसीएल की क्रय प्रक्रिया, पूर्व में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त फर्मो हेतु सबसे कम दरों मे कोई भेद नही करती। निविदा मूल्यांकन में, सामग्री आपूर्ति हेतु चार फर्मे योग्य पायी गई एवं उन सभी ने सबसे कम दरो पर आपूर्ति हेतु सहमति दी थी।

लेखा परीक्षा ने पाया (मार्च 2005) कि जीटीसी के खण्ड 6 के आशय एवं भावना के अनुरूप समस्त चारों योग्य फर्मो की सबसे कम दरों की तुलना की जानी थी। अप्रयुक्त फर्मो की सबसे कम दरों की अपेक्षा पूर्व मे प्रयुक्त फर्मो की सबसे कम दरें महत्वपूर्ण रूप से अधिक थी। तथापि, निगम ने प्रयुक्त फर्मो की कम दरों की तुलना पूर्व में प्रयुक्त फर्मो से एवं अप्रयुक्त फर्मो की तुलना अप्रयुक्त फर्मो से अलग से की एवं तद्नुसार 80 प्रतिशत सामग्री आपूर्ति हेतु आदेश पूर्व में प्रयुक्त फर्मो को उनकी कम दरों पर एवं 20 प्रतिशत आदेश अप्रयुक्त फर्मो को उनकी कम दरों पर, दिये (जनवरी एवं फरवरी 2005)। सामग्री की आपूर्ति अभी की जानी थी (अगस्त 2005)।

प्रबन्ध ने कहा (जुलाई 2005) कि निगम की क्रय नीति पूर्व मे प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त फर्मो से 80:20 के अनुपात मे सामग्री क्रय करने हेतु अनुमति देती है इसलिए, तद्नुसार कम दरों की तुलना की गयी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रय नीति के अनुसार 80:20 के अनुपात मे क्रय दो स्त्रोतों यथा पूर्व में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त फर्मो से सामग्री की मात्रा के निर्णय हेतु था न कि दरों हेतु चूँकि निविदादाताओं को सबसे कम दरों पर आपूर्ति हेतु अपनी सहमति देनी थी अथवा जीटीसी के खण्ड 6 के अनुसार निविदा के साथ अलग प्रपत्र पर निर्दिष्ट करना था। इस प्रकार, क्रय नीति के खण्ड संख्या 6 के आशय एवं भावना को गलत निरूपित किए जाने के फलस्वरूप 13 सितम्बर 2005 तक हुई वास्तविक आपूर्ति पर 10.33 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जो कि सम्पूर्ण आपूर्ति पर 38.30 लाख रुपये तक बढ़ जाएगा।

प्रकरण शासन को मई 2005 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

उत्तर प्रदेश जल निगम

3.23 निधि की अवरुद्धता

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम पर विवाद को हल करने में विभाग की विफलता के कारण, इसके निर्माण पर 74.64 लाख रुपये व्यय करने के बाद भी विगत नौ वर्षों से अपूर्ण रहने से, लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रहे।

शासन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम को आंबटित (मार्च 1994) किया गया जिसके लिए 69.44* लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 1994) में प्रदान की गयी। निर्माण कार्य हेतु स्थल जनवरी 1995 में उपलब्ध कराया गया एवं इकाई को 74.64 लाख रुपया अवमुक्त (फरवरी 1995 से दिसम्बर 1998) किया गया। निर्माण जो कि मई 1995 में प्रारम्भ हुआ था, इसके शुरू होने के एक वर्ष के अन्दर अर्थात अप्रैल 1996 तक पूर्ण किया जाना था।

लेखा परीक्षा ने पाया (जनवरी 2004) कि प्रारम्भ से दिसम्बर 1995 तक मात्र मुख्य भवन का निर्माण सीलिंग स्तर तक पूर्ण किया गया था। जनवरी 1996 में, सीएचसी के नाम पर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया एवं कार्य 1996 से 1999 तक रुका रहा। कार्य की प्रगति 1999 से 2001 के मध्य कम वेग की रही एवं जुलाई 2001 से कार्य बन्द हो गया। निर्माण कार्य पर व्यय के अतिरिक्त, स्थल की निगरानी एवं सुरक्षा हेतु तैनात दो चौकीदारों की मजदूरी पर 4,000 रुपये प्रति माह की धनराशि व्यय की जा रही थी।

लागत में 60 लाख रुपये (86 प्रतिशत) की वृद्धि करते हुए 1.29 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित आगणन, ग्राहक/शासन को भेजा गया (नवम्बर 2003) जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2005)। कार्य की स्थिति प्रतिवेदन (अगस्त 2005) से ज्ञात हुआ कि निगम ने निर्माण कार्य पर 74.64 लाख रुपये की संम्पूर्ण धनराशि उपयोग कर ली परन्तु मात्र मुख्य भवन का 90 प्रतिशत, चाहारदीवारी का 40 प्रतिशत एवं स्थलीय विकास कार्य का 15 प्रतिशत ही पूर्ण किया जा सका।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2005) कि क्षेत्रीय जनता द्वारा सीएचसी के नाम के ऊपर लगातार विवाद खड़ा करते हुए बार-बार व्यवधान पैदा करने के कारण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, सीएचसी के नाम के ऊपर विवाद को हल करने में विफलता के परिणामस्वरूप, सीएचसी का निर्माण नौ वर्षों से अपूर्ण रहा एवं जनता योजना के लाभो से वंचित रही।

* मुख्य भवन-1, मेडिकल आफिसर आवास-4, टाइप-I-6, बाउन्ड्री वाल एवं स्थलीय विकास कार्य।

प्रकरण शासन को (अगस्त 2005) प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.24 कार्य के निष्पादन में हानि

राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण उत्तर प्रदेश जल निगम ने स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण में 52.13 लाख रुपये की हानि वहन की।

भारत सरकार (जीओआई) के युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय ने राज्य की राजधानी में राज्यस्तरीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना हेतु एक परियोजना शुरू की जिसमें 2 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान अथवा अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो एवं अवशेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। तद्नुसार, राज्य सरकार ने, निक्षेप कार्य के रूप में, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गोमती नगर में डा0 भीमराव अम्बेडकर राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के निर्माण का निर्णय (1991-92) लिया। राज्य सरकार ने 4.87 करोड़ रुपये स्वीकृत (1991-92) किया, तत्पश्चात जुलाई 1997 में 5.70 करोड़ रुपये तक पुनरीक्षित कर दिया, इस शर्त के साथ कि कार्य इसकी सीमाओं में पूर्ण किया जाय। उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्माण कार्य अक्टूबर 1992 मे शुरू किया गया। जब कार्य निष्पादन में था, उ0प्र0 जल निगम के कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस के निदेशक ने कार्य पूर्ण कराने हेतु 6.15 करोड़ रुपये की लागत का पुनरीक्षित आगणन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी एवं 5.93 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत (जून 2002) किया तथा अवशेष धनराशि सितम्बर 2002 तक अवमुक्त कर दी।

उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेस (एजेंसी) के अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 2004) कि एजेंसी ने कार्य जून 2004 में पूर्ण कर लिया एवं 5.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के विरुद्ध 6.67 करोड़ रुपये व्यय किया। इस प्रकार, एजेंसी ने सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना एवं राज्य सरकार की स्वीकृति के विरुद्ध एवं 73.70 लाख रुपये का अननुमन्य अधिक व्यय किया।

लेखा परीक्षा द्वारा इसे इंगित (दिसम्बर 2004) किए जाने पर ईकाई ने बताया कि 33.86 लाख रुपया सेन्टेज में से समायोजित किया गया एवं 21.57 लाख रुपये दोषी कर्मचारियों से वसूल किए गए। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य निष्पादन में ढिलाई बरती गई; अधिक् व्यय का सेन्टेज से समायोजन एक प्रकार से एजेंसी को हानि थी। इस प्रकार, इस कार्य पर उ0प्र0 जल निगम को 52.13 लाख रुपये (73.70 लाख रुपये - 21.57 लाख रुपये) की हानि हुई।

प्रकरण प्रबन्धन एवं शासन को अप्रैल 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2005)।

सामान्य

3.25 परिहार्य प्रशासनिक एवं कर्मचारी व्यय

समान उद्देश्य के साथ बहुत ज्यादा कम्पनियों के निगमीकरण के परिणामस्वरूप 65.98 करोड़ रुपये का परिहार्य प्रशासनिक एवं कर्मचारी व्यय।

31 मार्च 2004 को, राज्य में 89 सरकारी कम्पनियाँ थीं जिसमें से 48 कम्पनियाँ कार्यशील थीं। सम्प्रेक्षा द्वारा इन कम्पनियों के उद्देश्यों, जैसा कि उनके मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकिल्स आफ एसोशिएशन में निर्धारित हैं, के विश्लेषण से यह देखा गया कि समान उद्देश्यों के साथ उसी क्षेत्रों में दो या तीन कम्पनियाँ कार्यरत थीं। दो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पाँच कम्पनियों के विवरण **परिशिष्ट-38** में वर्णित है। परिशिष्ट में दिए गए विवरण से निम्नांकित स्पष्ट है:

- निर्माण क्षेत्र में, तीन कम्पनियाँ यथा, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, यू0पी0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड एवं उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लिमिटेड, भवनों एवं सड़को आदि का निर्माण कर रही थीं।।

- वस्त्र क्षेत्र में, दो कम्पनियाँ यथा, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड एवं यू0पी0 स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड धागे के उत्पादन में कार्यरत थीं।

समान उद्देश्यों के साथ कम्पनियों के प्रगुणन से वेतन मजदूरी एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेश व अन्य अधिशाषियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अतिरिक्त अलग कार्यालय भवनों आदि के लिए आधारभूत ढांचे पर बहुत भारी परिहार्य व्यय होता है। इन कम्पनियों के प्रशासन पर अद्यतन अन्तिम खातों पर आधारित वास्तविक व्यय का विवरण, **परिशिष्ट-38** में दिया गया है। दो क्षेत्रों की (परिशिष्ट का क्रम संख्या 1 एवं 4) प्रत्येक बड़ी कम्पनियों से संबधित प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर, तीन कम्पनियों पर 65.98 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, समान उद्देश्यों के साथ कई कम्पनियों के निगमीकरण के परिणामस्वरूप प्रशासनिक, कर्मचारी एवं सहयोग लागत, अलग कार्यालय भवनों आदि पर 65.98 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

इसलिए, यह संस्तुति की जाती है कि सरकार सभी सरकारी कम्पनियों के क्रियाकलापों का निरीक्षण कर ले एवं समान उद्देश्यों की कम्पनियों के संविलयन की संभावना का पता करे जिससे प्रशासनिक लागत में कमी की जा सके साथ ही विभिन्न योजनाओं को लागू करने में बेहतर समन्वय रहे।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2005); उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

3.26 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में पर्यावरण प्रबन्ध व्यवस्था

प्रस्तावना

3.26.1 विकास की प्रक्रिया आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जीवन की गुणवत्ता में उन्नति का एक अहम हिस्सा है। दूसरी तरफ, विकास की गतिविधियाँ, यदि पर्यावरण सुरक्षा के लिए समुचित एहतियाती उपाय किये बिना, की जाती हैं तो उनसे प्रदूषण और अन्य जुड़ी हुई समस्यायें उत्पन्न होती हैं। बढ़ते औद्योगीकरण, नगरीकरण, प्राकृतिक स्रोतों का दोहन एवं जनसंख्या विकास ने पर्यावरण पर प्रचुर दबाव डाला है और पर्यावरण के प्राथमिक तत्वों जैसे, जल, वायु और जमीन को नष्ट किया है। वास्तव में, इन अनिवार्य तत्वों के नष्ट होने के कारण पर्यावरण संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और प्राकृतिक स्रोतों को अगणनीय हानि हुई है।

पर्यावरण सुरक्षा नीति एवं इसका अनुसरण

3.26.2 भारत सरकार ने प्रभावी पर्यावरण सुरक्षा के प्रवर्तन के लिये विभिन्न अधिनियम बनाये हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने और परिवीक्षण के लिये नियामक संस्थाओं की स्थापना की है। विभिन्न विधानों में, निम्नलिखित अधिनियमों का भारत के पर्यावरण प्रबन्धन में विशेष महत्व है:

- जल (रोकथाम एवं पर्यावरण नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एवं नियम, 1975
- वायु (रोकथाम एवं पर्यावरण नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 एवं नियम, 1982
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं नियम 1986
- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं व्यवस्था) नियम, 1989
- जल (रोकथाम एवं पर्यावरण नियन्त्रण) सेस अधिनियम, 1977

पर्यावरण नियन्त्रण नीतियों, नियमों और विनियमों के परिवीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिये देश में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण परिषद् (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषदों की स्थापना की गई है।

राज्य में, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण परिषद्, प्रदूषण नियन्त्रण नीतियों के क्रियान्वयन की देखभाल करता है। यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है कि राज्य के विभिन्न उद्योगों में प्रदूषित उत्सर्जन के लिये निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है। परिषद् को, प्रदूषण नियन्त्रण के लिये अर्थदण्ड लगाने और औद्योगिक इकाई को बन्द कराने सहित आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण परिषद् को भी विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत प्रदूषणकारी उद्योगों/संस्थानों को सीधे दिशानिर्देश देने का अधिकार है।

लेखा परीक्षा परिणाम एवं इसका पर्यावरण पर प्रभाव

3.26.3 विभिन्न क्षेत्रों में लेखापरीक्षित संस्थानों की इकाईयाँ लेखा परीक्षा हेतु चयनित की गई:

- ऊर्जा क्षेत्र में, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) की पाँच तापीय विद्युत परियोजनाओं में से तीन तापीय विद्युत परियोजनाएं (टीपीएस- अनपरा, ओबरा और पनकी) चयनित की गई;
- चीनी क्षेत्र में, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम (यूपीएसएससी) की पाँच चीनी मिलें (अमरोहा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चाँदपुर एवं छाता) लेखा परीक्षा मे चयनित की गई तथा शीरा संग्रहण से हुये प्रदूषण का आंकलन करने के लिये बैतालपुर, पिपराइच और भटनी मिलों के अभिलेखों की भी नमूना जाँच की गई;
- कपड़ा क्षेत्र में, उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (यूपीएसवाईसी) की जौनपुर मिल और उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (यूपीएसएससीएल) की दो मिलें (बाराबंकी एवं रायबरेली) चयनित की गई;
- परिवहन क्षेत्र मे, उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) का लेखा परीक्षण के लिये चयन किया गया।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध थीं। सरकारी स्तर पर परिवीक्षण और अनुसरण व्यवस्था भी प्रणाली में पर्याप्त रूप से निहित थीं। जहाँ तक प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रमों एवं उपायों के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, प्रबन्धन का दृष्टिकोण विशेषत: कारपोरेट उत्तरदायित्व के प्रति बहुत संतोषजनक नहीं था जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

अत्यधिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन

ऊर्जा क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्र में एसपीएम का उत्सर्जन मानक से अधिक था।

3.26.4 यूपीपीसीबी ने तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिये सस्पेन्डेड परटिकुलेट मैटर (एसपीएम) का मानक 150 मिग्रा0 प्रति नार्मल घनमीटर विहित किया है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि, तीनों परियोजनाओं में इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) लगाये जाने के बावजूद अप्रैल 2000 से नवम्बर 2004 के बीच एसपीएम का वास्तविक उत्सर्जन विहित मानको से बहुत अधिक था जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

टीपीएस का नाम	परीक्षण की अवधि	उत्सर्जन की मात्रा (मिग्रा0 प्रति नार्मल घनमीटर)
अनपरा ('ए' एवं 'बी')	11/2003 से 09/2004	159.12 से 2336.5
ओबरा ('ए' एवं 'बी')	04/2000 से 03/2004	680 से 10650
पनकी	05/2002 से 11/2004	161.20 से 345

लेखा परीक्षा ने पाया कि एसपीएम उत्सर्जन स्तर को नियन्त्रित करने के लिये ओबरा परियोजना की आठ इकाइयों में ईएसपी स्थापित नहीं किये गये थे और दो टीपीएस में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक फ्लू गैस मानीटरिंग सिस्टम/कैपेसिटी मीटर नहीं लगाये गये थे। इससे, पर्यावरण संरक्षण एवं नियन्त्रण प्रणाली के क्रियान्वयन के प्रति प्रबन्धन का असन्तोषजनक दृष्टिकोण इंगित हुआ।

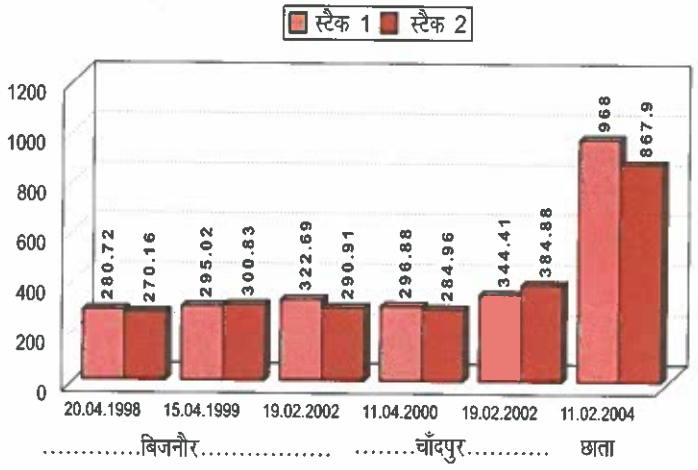
3.26.5 ओबरा टीपीएस में डस्ट एक्सट्रैक्शन प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी और पनकी टीपीएस की दस में से आठ प्रणालियाँ कार्य नहीं कर रही थी। इससे विद्युत गृह के अन्दर कार्मिकों के लिए अस्वास्थकारी वायु प्रदूषण हुआ।

चीनी क्षेत्र

चीनी क्षेत्र में एसपीएम का उत्सर्जन मानक से अधिक था।

3.26.6 यूपीपीसीबी ने, उन चीनी मिलों के लिये जहाँ फ्लाई ऐश अरेस्टर लगे थे, एसपीएम की मात्रा 250 मिग्रा0 प्रति नार्मल घनमीटर विहित की थी। लेखा परीक्षा जाँच से पता चला कि कि यूपीपीसीबी ने अपने निरीक्षण के दौरान, बिजनौर, चाँदपुर और छाता मिलों में, एसपीएम का उत्सर्जन 250 मिग्रा0 के विहित मानको से अधिक पाया था जैसा कि नीचे तालिका मे दर्शाया गया है:

मिल का नाम	यूपीपीसीबी द्वारा निरीक्षण तिथि	परीक्षण परिणाम	
		स्टैक - I	स्टैक - II
बिजनौर	20.4.1998	280.72	270.16
	15.4.1999	295.02	300.83
	19.2.2002	322.89	290.91
चाँदपुर	11.4.2000	296.88	284.96
	19.2.2002	344.41	384.88
छाता	11.2.2004	968	867.9



लेखा परीक्षा ने आगे देखा कि बिजनौर इकाई में 1995-96 में स्थापित फ्लाई ऐश अरेस्टर नियमित रूप से नहीं चल रहे थे और यूपीपीसीबी द्वारा विभिन्न निरीक्षणों के दौरान बन्द पाये गये। वातावरण में एसपीएम के अधिक उत्सर्जन के कारण जनता द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया क्योंकि ज्यादा राख फसलों पर विपरीत प्रभाव डाल रही थी। जिला प्रशासन, बिजनौर के द्वारा इसके दुष्परिणामों से अवगत कराने के बावजूद प्रबन्धन ने समीप की बस्तियों में फैलती राख को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि फ्लाई ऐश अरेस्टर को नियमित रूप से चलाने के प्रयास किये जा रहे थे तथा प्रबन्धन ने यह भी बताया कि कभी-कभी पेराई सत्र के दौरान, यूपीपीसीबी के अधिकारियों ने अचानक मशीनी/विद्युत खराबी के कारण फ्लाइ ऐश अरेस्टर चलता नहीं पाया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

उपकरणों को परिचालन योग्य बनाये रखने के लिए इनके सही रखरखाव का विधिक दायित्व प्रबन्धन का है।

परिवहन क्षेत्र

3.26.7 मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में मोटर वाहनो के लिए निम्नलिखित उत्सर्जन मानक विहित है:

प्रदूषक	मानक
धुआँ का घनत्व	65 हार्ट्रिज यूनिट
कार्बन मोनो ऑक्साइड का द्रव्यमान	14 ग्राम प्रति केडब्ल्यूएच
हाइड्रोकार्बन का द्रव्यमान	3.5 ग्राम प्रति केडब्ल्यूएच
नाइट्रोजन ऑक्साइड का द्रव्यमान	18 ग्राम प्रति केडब्ल्यूएच

नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने नियन्त्रित प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी प्रमाणपत्र) प्राप्त करने के लिए कड़े अनुपालन के निर्देश (अगस्त 2004) जारी किए थे। चूँकि पीयूसी प्रमाणपत्र की बैधता छः माह की होती है, मोटर वाहन अधिनियम में विहित मानको की प्राप्ति के लिए वाहनों की वर्ष में दो बार जाँच आवश्यक थी।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि यूपीएसआरसीटीसी ने मोटर वाहन अधिनियम और सरकार के निर्देशों के अनुसार अपने वाहनो की जाँच नहीं करायी थी।

इस प्रकार, यूपीएसआरटीसी, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, बिना यह सुनिश्चित किये कि उनके वाहनों से प्रदूषको का उत्सर्जन विहित मानको के अनुरूप हो, अपने वाहनों का परिचालन लगातार करता रहा, और इस कारण वायु प्रदूषण में योगदान करता रहा जो कि, कम से कम, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा केन्द्रित और हानिकारक था।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2005) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकृत परीक्षण केन्द्रों से पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी कर दिए गये थे। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, निर्देश विलम्ब से जारी किये गये जा `कि पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी मामले में उचित नहीं था।

अत्यधिक जल प्रदूषकों का वहिस्राव

3.26.8 पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम-3 (परिशिष्ट-एफ) के अन्तर्गत जल प्रदूषकों: पीएच (लवणता, अम्लता), तापमान, क्लोरीन, निलम्बित ठोस, तेल एवं ग्रीस, ताँबा, लोहा, जिंक, क्रोमियम एवं फासफेट के वहिस्राव के मानक निर्धारित किये गये थे।

ऊर्जा क्षेत्र

टीपीएस की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत वांछित सभी प्रदूषकों का परीक्षण नहीं करा रहे थे। पीएच और तापमान के परीक्षण से पता चला कि ये प्रदूषक विहित मानकों से थोड़ा अधिक थे। परन्तु निलम्बित ठोस, 100 मिग्रा0 प्रति लीटर के विहित मानक से काफी अधिक था। 2001-02

से 2004-05 तक की अवधि में निलम्बित ठोस का वास्तविक विसर्जन नीचे की तालिका में दिया गया है:

टीपीएस का नाम	परीक्षण अवधि	परीक्षणों की संख्या	परिणाम सीमा (मिग्रा0/ली0)
अनपरा (ए एवं बी)	2001-02 से 2002-03	11	106-256
ओबरा (ए एवं बी)	2001-02 से 2003-04	36	1260-6832
पनकी	2003-04 से अगस्त 2004	4	232-2886

ईटीपी की अपर्याप्त क्षमता के कारण अत्यधिक जल प्रदूषण।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि अत्यधिक प्रदूषकों के कारण थे कि ओबरा टीपीएस ने ईटीपी स्थापित नहीं किया था तथा अनपरा और पनकी टीपीएस में स्थापित ईटीपी अपनी अपर्याप्त क्षमता के कारण, 1999-2000 से 2004-05 के बीच 24.84 लाख रुपये रखरखाव पर व्यय करने के बावजूद, जल प्रदूषकों पर नियन्त्रण करने में सक्षम नहीं थे। अत:, इन विद्युत गृहों ने प्रदूषित जल के बहिस्त्राव द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जोखिम में योगदान किया।

अशोधित मलजल बहाया गया

3.26.9 ओबरा एवं पनकी परियोजनाओं की कालोनियों का निर्माण चरणों में किया गया था। प्रबन्धन ने, तथापि, इन कालोनियों में मलजल शोधन संयत्र स्थापित नहीं किया और अशोधित मलजल लगातार बहाते रहे।

चीनी क्षेत्र

3.26.10 लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि सभी पाँचों मिलों में 1.13 करोड़ रुपये की लागत से ईटीपी स्थापित किये गये थे और औसतन 10.13 लाख रुपये प्रतिवर्ष रखरखाव पर व्यय किये जा रहे थे। इतने खर्च के बावजूद भी, जल प्रदूषकों यथा जैविक आक्सीजन माँग (बीओड़ी), रसायनिक ऑक्सीजन माँग (सीओडी), निलम्बित ठोस (एसएस) और तेल एवं ग्रीस पर नियन्त्रण नहीं किया जा सका। वर्ष 2004 तक गत पाँच वर्षो के दौरान इन जल प्रदूषकों के औसत उत्सर्जन के स्तर नीचे दिये गये है:

प्रदूषक	यूपीपीसीबी के मानक (मिग्रा0/ली0)	अमरोहा	बिजनौर	बुलन्दशहर	चाँदपुर	छाता
बीओडी	30	83	93	150	80	104
सीओडी	250	717	712	417	686	338
एसएस	30	93	142	1030	118	157
तेल एवं ग्रीस	10	11	13	7	10	4

स्रोत: मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के परीक्षण प्रतिवेदन

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि तेल एवं ग्रीस को छोड़कर जल प्रदूषकों के सभी तत्व विहित मानको से बहुत अधिक थे। ये अत्यधिक जल प्रदूषक जल की भौतिक, रसायनिक एवं जैविक विशेषताओं को प्रभावित करते हैं जिससे मानव प्राणियों पर अस्वास्थकारी प्रभाव के अतिरिक्त जानवरों एवं पौधो पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि यूपीपीसीबी ने 1993 में बीओडी और निलम्बित ठोस के मानक 100 मिग्रा0/ली0 निर्धारित किया था। इसके अनुसार ही, इन मानकों को प्राप्त करने के लिये 1997 तक आवश्यक संयत्र स्थापित किये गये थे। बाद में, यूपीपीसीबी ने मानक 30 मिग्रा0/लीटर तक पुनरीक्षित कर दिये जो कि पुराने संयत्रो के संचालन से प्राप्त नहीं किये जा सकते। सरकार ने अभी (जुलाई 2005) तक पुराने संयत्रों में संशोधन के लिए 2.28 करोड़ रुपया प्रदान नहीं किया। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पाँच वर्षो की सम्पूर्ण अवधि के दौरान (अमरोहा को छोड़कर) बीओडी और निलम्बित ठोस के 100 मिग्रा0/लीटर के भी मानक प्राप्त नहीं किये गये। सरकार से धन प्राप्ति के लिए भी गहन प्रयास नहीं किये गये।

दीर्घकाल तक कच्चे गड्ढे में शीरे का भण्डारण मानव एवं जानवरों के जीवन के लिए नुकसानदायक।

3.26.11शीरा, गन्ने का एक उप-उत्पाद, अल्कोहल और इथेनाल इत्यादि के निर्माण हेतु आसवनियों और अन्य उद्योगों को विक्रय किया जाता है। मानक प्रक्रिया के अनुसार, शीरा स्टील टैकों या ढके हुए पक्के टैकों में रखा जाना जाहिए। कच्चे गड्ढों में शीरे के भण्डारण से न केवल जैविक ठोस के क्षय एवं मिट्टी के छिद्रों में अवरोध द्वारा पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि इसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है।

बैतालपुर, पिपराइच और भटनी मिलों में शीरा भण्डारण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इन मिलों ने 1999-2000 और 2002-03 सत्रों में 18,064 कुन्टल शीरा खुले कच्चे गड्ढों में भण्डारित किया था जिसमें से 9,069 कुन्टल शीरा मार्च 2005 तक अनिस्तारित रहा। दीर्घकाल तक शीरे का भण्डारण पर्यावरण के लिए असुरक्षित था। इसके हानिकारक तत्वों के हवा में प्राकृतिक वाष्पीकरण और भूमि एवं जल में भौतिक अवशोषण के कारण, इसे पीने वाले पशुओं पर मादक एवं प्रदूषित जल का विपरीत प्रभाव पड़ता रहा जैसा कि नीचे चित्र से देखा जायेगा:



(बैतालपुर इकाई में खुले गड्ढों में भण्डारित शीरा)

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि शीरे को कच्चे गड्ढों में इसलिए भण्डारित किया गया क्योंकि स्टील टैंक और पक्के गड्ढे भर गये थे तथा शीरे का उठान नहीं हुआ था और, मात्र किसानों के हित में संचालित की जा रही इन बीमार इकाइयों के लिए पक्के स्टील टैंकों/गड्ढों का निर्माण व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि शीरे का निस्तारण पेराई सत्र के

दौरान ही कर देना चाहिए था जिससे नया शीरा भण्डारित किया जा सके, अन्यथा, प्रदूषण नियन्त्रण के विधिक प्रावधानों के पालन हेतु उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए थी।

कपड़ा क्षेत्र

3.26.12पर्यावरण के संरक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3(1) में कपड़ा क्षेत्र के उद्योगो के लिये पर्यावरणीय प्रदूषकों के बहिस्त्राव हेतु निम्नलिखित मानक विहित है:

प्रदूषक	मानक
पीएच	5.5 से 9.0
निलम्बित ठोस	100 मिग्रा0/लीटर
जैविक ऑक्सीजन माँग (बीओडी)	30 मिग्रा0/लीटर
तेल एवं ग्रीस	10 मिग्रा0/लीटर
जिंक	5 मिग्रा0/लीटर

अशोधित जल का उत्सर्जन अस्वास्थकारी

लेखा परीक्षा ने पाया कि जौनपुर मिल ने स्थापित ईटीपी के परिचालन सम्बन्धी अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया था। रायबरेली एवं बाराबंकी मिलों के परिचालन अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इन मिलों में स्थापित 120 किलोलीटर और 60 किलोलीटर की क्षमता वाले ईटीपी वहाँ निकलने वाले अपशिष्ट जल का शोधन करने में सक्षम नहीं थे। खराब रखरखाव के कारण ये ईटीपी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 25,688 किलोलीटर अपशिष्ट जल, जिसमें उच्च सोद्रता वाले प्रदूषक (बीओडी: 664.70 मिग्रा0/ली0, निलम्बित ठोस: 343 मिग्रा0/ली0 एवं तेल व ग्रीस: 23.63) शामिल थे, का शोधन 2001-02 से 2003-04 तक तीन वर्षों के दौरान नहीं किया जा सका और ऐसे ही विसर्जित कर दिया गया। अशोधित जल का विर्सजन, जीवित प्राणियों के लिए अस्वास्थकारी होने के साथ ही खारे पानी के कारण कृषि उत्पादकता को भी कम करता है।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अगस्त 2005) में 25,688 किलोलीटर अशोधित अपशिष्ट जल के विसर्जन का स्पष्टीकरण नहीं दिया जबकि स्थानीय प्रबन्धन ने उपलब्ध ईटीपी में कमियों को स्वीकार (दिसम्बर 2004) किया था और आवश्यकता के अनुरूप उनकी क्षमता को बढ़ाने का वादा किया था।

मृदा प्रदूषण - राख द्वारा प्रदूषण

ऊर्जा क्षेत्र

राख भण्डारण से खतरनाक प्रदूषण

3.26.13 सभी टीपीएस में परम्परागत राख निस्तारण प्रणाली संचालित है, जिसमें राख के गारे को पाइपों के द्वारा राख कुन्ड में ले जाया जाता है, जहाँ इसे भण्डारित किया जाता है। कुन्ड में, राख नीचे बैठ जाती है और पानी को उसके अन्दर बने हुए छन्नो द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।

लेखा परीक्षा ने देखा कि किसी भी परियोजना में छिड़काव प्रणाली नहीं लगाई गई थी, जिससे उड़ती राख कुन्ड में नीचे बैठ जाती। परिणामस्वरूप, निकटवर्ती बस्ती एवं वातावरण में अमापनीय खतरनाक वायु प्रदूषण होता रहा। ओबरा टीपीएस के राख कुन्ड के बाढ़ के कारण, राख के गारे को सामान्यत: नदी में निस्तारित किया जाता रहा। पनकी टीपीएस में राख के गारे के मलजल प्रणाली में प्रवाह के कारण जल प्रदूषण हुआ, जिससे जनता के कड़े विरोध और नागरिक प्राधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति की माँग के अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिम के प्रति योगदान किया। राख कुन्ड से प्रदूषण की रोकथाम के कारगर नियन्त्रण उपाय के रूप में, राख कुन्ड के चारों ओर हरित पट्टी के लिए वृक्षारोपण की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया (मार्च 2005) जोकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति पहल का अभाव इंगित करता है।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु राख का निस्तारण नहीं हुआ।

3.26.14 भारत सरकार की अधिसूचना (संख्या 563 दिनांक 14.09.1999) के अनुसार, कुल उत्पादित राख का 20 प्रतिशत उपयोग तीन वर्षों के अन्दर कृषि सम्बन्धी क्रियाकलापों, सड़क निर्माण, सीमेन्ट एवं ईट निर्माण आदि में होना था। लेखा परीक्षा ने पाया कि इन टीपीएस में राख का वास्तविक निष्पादन 2003-04 तक पाँच वर्षों में उत्पादित राख का पाँच प्रतिशत तक रहा।

विद्युत गृहों और औद्योगिक इकाइयों का यूपीपीसीबी की सहमति के बिना संचालन

ऊर्जा क्षेत्र

3.26.15 जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण) अधिनियम की धारा 25 तथा 26 एवं वायु (संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण) अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सभी तीनों टीपीएस यूपीपीसीबी से सहमति प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि ये टीपीएस विहित मानकों के अनुरूप प्रदूषकों के बहिस्राव एवं उत्सर्जन को नियंत्रित करने में विफल रहे। फिर भी, इनका संचालन वर्ष 1999 से 2004 के दौरान यूपीपीसीबी की सहमति के बिना होता रहा।

प्रबन्धन ने बताया कि सहमति नहीं प्रदान की गई थी क्योंकि टीपीएस द्वारा विहित मानक नहीं प्राप्त किये जा सके थे।

चीनी क्षेत्र

सभी पाँचों चीनी मिलें प्रत्येक वर्ष यूपीपीसीबी की सहमति के लिए आवेदन करती रहीं। यूपीपीसीबी ने इन मिलों को सहमति नहीं प्रदान की क्योंकि ये मिलें प्रदूषण को विहित मानकों के अर्न्तगत नियन्त्रित नहीं कर सकी। फिर भी, प्रबन्धन पाँचों मिलों को यूपीपीसीबी की सहमति के बिना ही संचालित करता रहा।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2005) कि मानक पुनरीक्षित कर दिये गये थे और पुनरीक्षित मानकों को प्राप्त करने के लिये पुराने उपकरणों में सुधार आवश्यक था। उत्तर बचावपूर्ण है क्योंकि कम्पनी पुराने मानकों को ही नहीं प्राप्त कर रही थी।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

ऊर्जा क्षेत्र

3.26.16 यदि सेस का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता तो जल (संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण) सेस अधिनियम, 1977 की धारा 10 में दो प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज लगाने का प्रावधान है। लेखा परीक्षा ने पाया कि प्रबन्धन समय से सेस का भुगतान करने मे विफल रहा, जिसके कारण मार्च 2004 तक 10.41 करोड़ रुपये का ब्याज प्रभारित हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका और इसे माफ करने का अनुरोध सरकार के पास लम्बित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी दशा में सांविधिक देयों के भुगतान से बचा नहीं जा सकता।

सीपीसीबी के चार्टर का अनुपालन न करना

3.26.17 सीपीसीबी ने मार्च 2003 में प्रदूषण नियन्त्रण के प्रति निगमित उत्तरदायित्व हेतु एक चार्टर जारी किया। चार्टर में तापीय विद्युत गृहों एवं चीनी उद्योग के लिए समयबद्ध कार्ययोजना एवं नियन्त्रण के उपाय विहित किये गये थे। लेखा परीक्षा ने पाया कि ऊर्जा एवं चीनी क्षेत्रों में चार्टर में विहित नियन्त्रण उपायों और समयबद्ध कार्ययोजना का पालन नहीं किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

ऊर्जा क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन नहीं।

3.26.18 उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने मार्च 2003 में 532 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति दी। कार्ययोजना के अनुसार सामग्रियाँ सितम्बर 2003 तक क्रय कर ली जानी थी और सभी कार्य दिसम्बर 2005 तक पूर्ण होने थे। फिर भी, नियत कार्यक्रम आवश्यक गति नहीं पकड़ सका जिसका कारण प्रबन्धन द्वारा नही बताया गया। इससे प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के क्रियान्वयन के प्रति शिथिलता इंगित हुई।

चीनी क्षेत्र

3.26.19 चार्टर में चीनी उद्योग के लिए निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण उपाय विहित थे:

चीनी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों का क्रियान्वयन नहीं।

- ईटीपी को पेराई सत्र के प्रारम्भ से एक माह पूर्व चलाना, जिससे संचालन के प्रथम दिवस से विहित मानक प्राप्त किये जा सके।
- अपशिष्ट जल को अप्रैल 2004 तक 100 लीटर प्रति टन पेरे गये गन्ने तक घटाना।
- दिसम्बर 2004 तक जमीनी जल धाराओं में विसर्जन को शून्य करना।
- अप्रैल 2004 तक, सिंचाई हेतु आवश्यकता न होने पर, शोधित जल के 15 दिनों तक भण्डारण की व्यवस्था।
- एसपीएम के उत्सर्जन को 150 मिग्रा0 प्रति नार्मल घनमीटर से कम लाने के लिए ईएसपी, बैग फिल्टर, बेन्चर स्क्रबर की स्थापना करना।

सभी पाँच मिलों के अभिलेखों की जाँच से प्रकाश में आया कि इन मिलों द्वारा चार्टर में विहित प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के क्रियान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि यूपीपीसीबी ने जल एवं वायु प्रदूषण के मानक पुनरीक्षित कर दिये थे जिसे पुराने उपकरणों के संचालन से प्राप्त नहीं किये जा सकते थे। पुराने उपकरणों मे सुधार हेतु 2.28 करोड़ रुपये की धनराशि मांगी गयी थी जो अभी तक (जुलाई 2005) प्राप्त नहीं हुई। कम्पनी ने, फिर भी, सरकार से धन प्राप्ति के लिए न तो आगे प्रयास किया और न ही अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु अपनी निधि का विनियोग किया। अत:, इस सम्बन्ध में अनुपालन न करना, पर्यावरण संरक्षण हेतु निगमित उत्तरदायित्व के प्रति असन्तोषजनक दृष्टिकोण को इंगित करता है।

परिवहन क्षेत्र

वैकल्पिक प्रदूषण नियन्त्रण उपायों को अपनाने की पहल

डीजल चालित वाहनों का सीएनजी चालित वाहनों में परिवर्तन परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण रोकने का एक प्रभावी उपाय है। इसके लिए राज्य स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा ईंधन प्रदाता की उपयुक्तता की आवश्यकता के साथ ही साथ भारी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता है। इस प्रभावी उपाय का क्रियान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि निगम ने राज्य पर्यावरण नीति-2001 के सन्दर्भ में सीएनजी को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में चरणबद्ध उपयोग हेतु कार्ययोजना बनायी है।

पर्यावरण लेखा परीक्षा प्रपत्र का अप्रस्तुतीकरण

3.26.20 लेखा परीक्षा की नमूना जाँच में ली गई सभी तीनों टीपीएस एवं पाँचों चीनी मिलों ने 1999-2000 से 2004-05 की अवधि में प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक वायु एवं जल अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम-14 में अपेक्षित पर्यावरण लेखा परीक्षा प्रपत्र यूपीपीसीबी को प्रस्तुत नहीं किया।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2005) कि चीनी मिलों के प्रबन्धन को पर्यावरण लेखा परीक्षा प्रपत्र नियमित रूप से यूपीपीसीबी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जा रहे थे।

यूपीपीसीबी ने, तथापि, अवहेलना करने वाले उद्योगों/विद्युत गृहों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

संक्षेप में

पर्यावरण प्रबन्ध प्रणाली किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) में मौजूद नहीं थी। पीएसयू वायु, जल, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा खतरनाक अपशिष्ट के रखरखाव हेतु अनेक विधिक प्रावधानों के पालन करने मे विफल रहे। पर्यावरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जा रहे थे।

प्रकरण कम्पनियों/सरकार के संज्ञान मे लाया गया (मई 2005); उनके उत्तर अब तक (सितम्बर 2005) नहीं प्राप्त हुये थे।

3.27 राज्य सरकार की कम्पनियों में कारपोरेट गवर्नेन्स (अधिशासन)

प्रस्तावना

3.27.1 कारपोरेट अधिशासन एक प्रणाली है जिससे कम्पनियों को प्रबन्धन द्वारा, अंशधारकों एवं अन्य के उत्तम हित में, अधिकतम पारदर्शिता और बेहतर तथा समय के अन्दर वित्तीय प्रतिवेदन के लिये, निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है। निदेशक मंडल अपनी कम्पनियों के अधिशासन के लिये जिम्मेदार है।

3.27.2 कम्पनी अधिनियम, 1956 जो दिसम्बर 2000 में संशोधित किया गया उसमें, अंशधारकों को प्रस्तुत किए जाने वाले निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण (धारा 217) संलग्न किए जाने का प्रावधान किया गया था। धारा 217 (2एए) के अनुसार, निदेशक मंडल को अंशधारकों को यह प्रतिवेदित करना होता है कि उन्होंने लेखा अभिलेखों के रखरखाव; कम्पनी के परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा खोजने के लिए उचित एवं समुचित तत्परता बरती है।

पुनः, दिसम्बर 2000 में अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292-ए के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी जिसकी प्रदत्त पूँजी पाँच करोड़ रुपये से कम न हो, निदेशक मंडल स्तर पर एक लेखा परीक्षा समिति गठित करनी होगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वैधानिक सम्प्रेक्षक, आन्तरिक सम्प्रेक्षक यदि कोइ है, तथा प्रभारी वित्तीय निदेशक को लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित एवं भाग लेना चाहिए।

3.27.3 कारपोरेट अधिशासन के मुख्य भाग हैं:

- निदेशक मंडल से सम्बन्धित मामले;
- निदेशक प्रतिवेदन; तथा
- सम्प्रेक्षण समिति का गठन।

3.27.4 48 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से, लेखा परीक्षा ने **परिशिष्ट-39** में वर्णित 24 कम्पनियों (सभी अनलिस्टेड) की समीक्षा की।

निदेशक मंडल

3.27.5 अच्छे अधिशासन का उत्तरदायित्व कारपोरेट मंडल पर होता है जिसका प्राथमिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कारपोरेट अधिशासन के सिद्धान्तों का, जैसा कि अंशधारियों के आशानुकूल कानून और नियम में आत्मसात किया गया है, निष्ठापूर्वक और ऐच्छिक रूप से अनुपालन किया जाये और अंशधारियों का हित सर्वोपरि रखा जाये। इस उद्देश्य के लिये, प्रत्येक कम्पनी को नियमित अन्तराल पर निदेशक मंडल की बैठक रखनी चाहिए। प्रत्येक निदेशक को अपने विशेष अनुभव तथा ज्ञान को बाँटने और कम्पनी के कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने हेतु इन मंडलीय बैठक में उपस्थित होना चाहिये।

निदेशक मंडल की बैठक

मंडल की बैठकें नियमित रूप से नहीं की गयीं।

3.27.6 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को तीन माह में एक बार निदेशक मंडल की बैठक बुलानी होगी तथा इस प्रकार की चार बैठकें एक वर्ष में आयोजित करनी होगी।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 24 कम्पनियों में से 18 कम्पनियों ने (जैसा कि **परिशिष्ट-40** में वर्णित है) इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अप्रैल 2000 से जनवरी 2005 की अवधि में, इन कम्पनियों ने धारा 285 के प्रावधानों का एक से आठ बार उल्लंघन किया और यूपीएलसी में दो बैठकों के मध्य अधिकतम 14 माह का अन्तराल था। इससे यह इंगित हुआ कि कम्पनी का प्रबन्धन कानूनी प्रावधानों के अनुपालन करने में असफल रहा।

मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

मंडल की बैठकों में निदेशकों की भागीदारी नहीं।

3.27.7 अप्रैल 2000 से जनवरी 2005 की अवधि में, मंडलीय बैठकों में निदेशक नियमित रूप से उपस्थित नहीं हुये। यूपीएसआईडीसी में उपरोक्त अवधि में 36 बैठकें हुई, जिसमें सामान्यत: उपस्थित निदेशकों की संख्या से अधिक अनुपस्थित निदेशकों की संख्या थी तथा इसी प्रकार की स्थिति लैमको में थी। छ: कम्पनियों में, 35 बैठकें कोरम पूरा न होने की दशा में स्थगित करनी पड़ी। इससे यह इंगित हुआ कि निदेशकों ने कम्पनी के कार्यकलापों के प्रबन्धन और कम्पनी के हितों की सुरक्षा हेतु निर्णय की प्रक्रिया में व्यावहारिक रूप से भागीदारी नहीं की।

निदेशकों द्वारा पदरिक्ति

3.27.8 कम्पनी अधिनियम की धारा 283(जी) में प्रावधान है कि निदेशक का कार्यालय खाली माना जायेगा यदि वह मंडल से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किये बिना निदेशक मंडल की लगातार तीन बैठकों से या लगाातार तीन माह तक सभी बैठकों से, जो भी अधिक हो, अपने को अनुपस्थित रखता है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि यूपीपीसीएल के चार निदेशक तथा यूपीआरवीयूएनएल के नौ निदेशक लगातार तीन व अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहे। इन निदेशकों ने, तथापि, अपना कार्यालय रिक्त नहीं किया।

प्रबन्ध निदेशक का बारम्बार परिवर्तन एवं निदेशकों की रिक्तियाँ

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की तैनाती में बारम्बार परिवर्तन का अवलोकन हुआ।

3.27.9 उच्च अधिशाषी अधिकारियों के बारम्बार परिवर्तन से कम्पनी के क्रियाकलापों पर हमेशा बुरा असर पड़ता है। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनवरी 2000 से मार्च 2005 तक लगभग पाँच वर्षों की अवधि में 16 कम्पनियों में 3 से 8 अध्यक्ष (कार्यकाल एक दिन से 30 माह) और एक से 10 प्रबन्ध निदेशक (कार्यकाल एक से 36 माह) थे। विवरण **परिशिष्ट-41** में दिया गया है।

अंशधारकों के लिए निदेशक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन में निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण नहीं शामिल था।

3.27.10 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) में यह अपेक्षित है कि कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक आर्थिक चिठ्ठे के साथ निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण सहित निदेशक मंडल का प्रतिवेदन संलग्न

किया जाना चाहिये। लेखा परीक्षा में पाया गया कि यूपी प्रोजेक्ट कापोरेशन एवं यूपीटीडीसी ने अपने किसी भी वर्ष के वार्षिक लेखे के साथ निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण संलग्न नहीं किया।

लेखा परीक्षा समिति

भूमिका एवं कार्य

3.27.11 लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली का निर्धारण व समीक्षा करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है। यह सभी प्रकरणों पर अनुसरण करती है तथा वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप देने से पहले संवैधानिक सम्प्रेक्षकों से चर्चा करती है। समिति आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता की भी समीक्षा करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण प्रेक्षण पर आन्तरिक सम्प्रेक्षकों से चर्चा करती है और उसका अनुसरण भी करती है। यह वित्तीय तथा जोखिम प्रबन्धन की भी समीक्षा करती है तथा जहॉ पर कोई संदेहास्पद कपट या अनियमितता या आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण विफलता हो, आन्तरिक खोजबीन के प्रेक्षणों का मूल्यांकन करती है और मंडल को प्रतिवेदित करती है।

लेखा परीक्षा समिति का गठन

कई मामलों में लेखा परीक्षा समिति का बिलम्बतम् गठन।

3.27.12 धारा 292-ए की उपधारा (1) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी को, जिसकी प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ या उससे अधिक हो, एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना होता है जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे और अन्य निदेशकों की ऐसी संख्या जो मंडल निर्धारित करे जिसमें कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्य, प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशकों को छोड़कर, निदेशक होंगे।

लेखा परीक्षा समिति के गठन में अधोलिखित कमियाँ अवलोकित हुई:

- नमूना जाँच में ली गयी 24 कम्पनियों में से, 23 कम्पनियों ने लेखा परीक्षा समिति का गठन दो से सत्ताईस माह विलम्ब से किया जैसा कि **परिशिष्ट-42** में दर्शाया गया है। लैमको कम्पनी में, लेखा परीक्षा समिति का गठन, कम्पनी अधिनियम में संवैधानिक प्रावधान (13 दिसम्बर 2000) किए जाने के 51 माह के समाप्त हो जाने के बाद, अभी भी (मार्च 2005) नहीं किया गया।
- यूपीएसवाईसी में, लेखा परीक्षा समिति में दो निदेशक तथा कम्पनी का एक लेखाधिकारी (एक कर्मचारी जो निदेशक नहीं है) शामिल थे। कम्पनी के कर्मचारी का लेखा परीक्षा समिति में शामिल करना कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था। यह स्वस्थ कारपोरेट अधिशासन के सिद्धान्त के विरुद्ध था।

संदर्भित शर्तें

3.27.13कम्पनी अधिनियम की धारा 292-ए की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि लेखा परीक्षा समिति निदेशक मंडल द्वारा लिखित रूप से निर्धारित संदर्भित शर्तों (टीओआर) के अनुरूप कार्य करेगी।

संदर्भ की शर्तों का निर्धारण नहीं।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि दस कम्पनियों (यूपीएसआईडीसी, यूपीएसएसपीसी, यूपीईसी, एनएससी, यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, एमवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और पीएवीवीएनएल) में निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समितियों के लिए टीओआर का निर्धारण नहीं किया गया था। अन्य 13 कम्पनियों में टीओआर में कपट व कपट सम्बन्धी खतरे का लेखा परीक्षा समिति द्वारा परीक्षण किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया था। फलस्वरूप, कम्पनियों ने कपट व कपट सम्बन्धी खतरे को रोकने के लिये विशिष्ट रूप से समादेश नहीं दिया।

लेखा परीक्षा समिति के गठन को प्रकट नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा समिति के गठन का अप्रकटीकरण

3.27.14 धारा 292-ए की उपधारा (4) में प्रावधान है कि कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा समिति के गठन को प्रकट किया जायेगा। यह संज्ञान में आया कि यूपीएसएसपीसी, यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, यूपीटीडीसी, यूपीएसएसयूसी और यूपीएलसी ने अपने किसी भी वार्षिक प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा समिति के गठन को प्रकट नहीं किया।

लेखा परीक्षा समिति की बैठक

3.27.15 धारा 292-ए की उपधारा (5) में यह प्रावधान है कि सम्प्रेक्षक, आन्तरिक सम्प्रेक्षक, यदि कोई हो, और प्रभारी वित्त निदेशक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित रहेंगे। सम्प्रेक्षण ने पाया कि:

लेखा परीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं।

- लेखा परीक्षा समिति को नियमित रूप से बैठक करनी थी। तथापि, यह अवलोकित हुआ कि यूपीएसआईसी, यूपीएसटीडीसी, यूपीईसी, एमवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल एवं पीएवीवीएनएल में लेखा परीक्षा समिति ने कोई भी बैठक सम्पन्न नहीं किया (**परिशिष्ट-42**)। यूपीपीसीएल में, टीओआर में यह निर्धारित था कि एक वर्ष में चार बैठकें अवश्य होनी चाहिये। लेकिन, विगत 46 माह में मात्र सात बैठकें हुई। अन्य 15 कम्पनियों में, टीओआर में बैठकों की निश्चित संख्या का उल्लेख न होने के कारण एक वर्ष में आयोजित बैठकों की कमी का आंकलन नहीं किया जा सका।
- वैधानिक सम्प्रेक्षक, आन्तरिक सम्प्रेक्षक तथा प्रभारी वित्त निदेशक नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित नहीं होते रहे जैसा कि **परिशिष्ट-42** में वर्णित है।

सम्प्रेक्षकों से चर्चा तथा वित्तीय विवरण की समीक्षा

3.27.16 धारा 292-ए की उपधारा (6) में प्रावधान है कि लेखा परीक्षा समिति को सम्प्रेक्षकों से समय-समय पर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, सम्प्रेक्षकों के प्रेक्षण सहित सम्प्रेक्षण के क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी चाहिए तथा मंडल में प्रस्तुत करने से पहले अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करनी चाहिये तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन के बारे में सुनिश्चित करना चाहिए। लेखा परीक्षण में पाया गया कि:

लेखा परीक्षण समिति ने आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर चर्चा नहीं की।

- 13 कम्पनियों की लेखा परीक्षा समिति ने किसी भी बैठक में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर चर्चा व समीक्षा नहीं की, अपवाद स्वरूप यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन, यूपीएसबीसी, यूपीएसएसयूसी, सीएससी, यूपीआरवीयूएनएल और यूपीपीसीएल को छोड़कर।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व लेखों की समीक्षा नहीं की।

- यूपीएसबीसी व यूपीएसआईडीसी में, वैधानिक सम्प्रेक्षक यह टिप्पणी करते रहे कि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली व्यापार के आकार व स्वाभाव के समानुपातिक नही थी और बहुत सी इकाईयों का लेखा परीक्षण नहीं हुआ। वैधानिक सम्प्रेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों की चर्चा इन कम्पनियों की लेखा परीक्षा समिति में नहीं की गई।
- यूपीएसएसयूसी एवं यूपीएलसी में, लेखा परीक्षा समिति ने सम्प्रेक्षण प्रस्तरों पर चर्चा नहीं की।
- यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएन एवं केस्को ने अभी तक (मार्च 2005) आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना नहीं की। इनमें, यूपीआरवीयूएनएल आन्तरिक लेखा परीक्षा बाहर की एजेन्सियों से कराती रही तथा यूपीजेवीएन और केस्को में आन्तरिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था नहीं थी। इन कम्पनियों की लेखा परीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की कमजोरी पर चर्चा नहीं की।
- यूपीएसआईडीसी की लेखा परीक्षा समिति ने मंडल में प्रस्तुत करने के पहले किसी भी वर्ष के वित्तीय विवरण की समीक्षा नहीं की।
- सभी कम्पनियों की लेखा परीक्षा समिति ने छमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा नहीं की।
- यूपीपीसीएल में, लेखा परीक्षा समिति द्वारा पारित किये गये, चार वर्षो के वार्षिक लेखों (1999-2000 से 2002-2003) में से केवल दो वर्षो (1999-2000 और 2002-2003) के लेखों पर वैधानिक सम्प्रेक्षकों के साथ चर्चा हुई।

लेखा परीक्षा समिति की संस्तुतियों का अनुपालन न होना

मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति की संस्तुतियों पर विचार नहीं किया गया।

3.27.17 धारा 292-ए की उपधारा (8) के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति की संस्तुतियाँ, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी विषय पर मंडल के लिए बाध्यकारी होंगी। उपधारा (9), साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि यदि मंडल लेखा परीक्षा समिति की संस्तुतियों को नहीं मानता है तब वह इसके कारण अंकित करेगा और इन कारणों को अंशधारियों को बताना होगा। इस सम्बन्ध में अनुपालन में पाई गई कमी की चर्चा नीचे की गई है:

- पिकप में, वैधानिक सम्प्रेक्षक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की अपर्याप्तता को नियमित रूप से इंगित करते रहे। यद्यपि, लेखा परीक्षा समिति ने आन्तरिक सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा की और संस्तुति की कि इसे वार्षिक के बजाय तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये, मंडल ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नही किया।

- 'हस्तांतरण योजना' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित शेषों के मिलान के लिए यूपीपीसीएल की लेखा परीक्षा समिति की बार-बार संस्तुतियों (अप्रैल 2003, अगस्त 2003 और मार्च 2004) के बावजूद, संस्तुतियों का अनुपालन नहीं किया गया और इसी अवधि में चार वर्षों (1999-2000 से 2002-2003 तक) के वार्षिक लेखे अनुमोदित किये गये।
- यूपीआरवीयूएनएल की लेखा परीक्षा समिति ने रहतिया और स्थायी परसिम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन तथा मूल्यांकन करने के लिए और, स्थायी परिसम्पत्तियों पर पहचान चिन्ह बनाने के लिए बार-बार संस्तुति (फरवरी 2003, जुलाई 2003, जनवरी 2004 और जून 2004) की। संस्तुतियों का अनुपालन नहीं किया गया, यद्यपि, इस अवधि में, पाँच वर्षों (1999-2000 से 2003-2004 तक) के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।

संक्षेप में

- बहुत सी कम्पनियों में नियमित रूप से मंडल की बैठक न करके कम्पनी अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।
- बहुत सी कम्पनियों में मंडल की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति नियमित रूप से नहीं थी।
- कई मामलों में कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण संलग्न नहीं किया गया था।
- लेखा परीक्षा समिति के गठन में विलम्ब पाया गया। बहुत से मामलों में जहाँ लेखा परीक्षा समितियाँ बनी थीं; आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सम्बन्धी पक्षों पर कोई चर्चा नहीं हुई और यहाँ तक कि मंडल को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखों की समीक्षा नहीं की गई। समितियों ने या तो कोई संस्तुति नहीं की और यदि कहीं संस्तुतियां की गयीं तो उसका अनुपालन नहीं किया गया।

मामला प्रबन्धन तथा सरकार को मई 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2005)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

3.28 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों व विभागों में रखे गये खातों एवं प्राम्भिक निरीक्षण से शुरू हुई जाँच प्रक्रिया के चरमोत्कर्स का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से उचित व समय से प्राप्त उत्तर को उल्लिखित करे।

वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः मई 2001, अगस्त 2002, सितम्बर 2003, जुलाई 2004 और जुलाई 2005 में रखे गये थे। 18 विभागों से सम्बन्धित 194 प्रस्तर/समीक्षा वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के लेखा

परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में सम्मिलित किये गये थे। 93 प्रस्तर/समीक्षा के उत्तर 30 सितम्बर 2005 तक नहीं प्राप्त हुये जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मे कुल प्रस्तर/समीक्षा	सम्बन्धित विभागों की संख्या	प्रस्तर/समीक्षा की संख्या जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1999-2000	45	9	7
2000-2001	39	12	8
2001-2002	38	18	51
2002-2003	42	10	27
2003-2004	30	9	30
योग	**194**		**93**

विभागवार विश्लेषण **परिशिष्ट-42** में दिया गया है। मुख्यत: ऊर्जा और उद्योग एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर न भेजने के लिए उत्तरदायी हैं।

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का बकाया अनुपालन

3.28.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मंडल के समक्ष पस्तुत करने का उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से तभी पूरा हो सकता था यदि कोपू इन प्रतिवेदनों का समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर परीक्षण करती तथा सुधारात्मक कार्यवाही प्रभावी करने के लिए विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों को संस्तुतियाँ निर्गत करती। यह न केवल सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की विधान मंडल के प्रति सामयिक जवाबदेही सुनिश्चित करती बल्कि प्रतिवेदनों में लाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही को भी गति प्रदान करती।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-95 से 2003-04, में 381 प्रस्तर तथा 51 समीक्षायें शामिल की गयीं; इनमें से सितम्बर 2005 तक 137 प्रस्तर तथा 19 समीक्षाओं पर कोपू ने चर्चा की। 1994-95 से 1998-99 वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के 35 प्रस्तरों के सम्बन्ध में कोपू की संस्तुतियाँ प्राप्त हुई। इन संस्तुतियों पर विभागों का उत्तर/अनुसरण कार्यवाही प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सतत् अनियमितताओं पर की गयी कार्यवाही

3.28.2 राज्य कोपू द्वारा सतत् प्रकृति के प्रस्तरों की चर्चा में सहायता व सुगमता के दृष्टिकोण से, सम्बन्धित लेखा परीक्षित संगठन द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्यवाही को सत्यापित करने का एक अभ्यास किया गया। सरकारी कम्पनियों के बारे में उसके परिणाम **परिशिष्ट-44** में और वैधानिक निगमों के उसके परिणाम **परिशिष्ट-45** में दिये गये हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट प्रस्तरों और समीक्षाओं के बारे में प्रतिक्रिया

3.29 लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित नहीं हो पाये लेखा परीक्षा अवलोकनों को राज्य सरकार के पीएसयू के प्रमुखों तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया जाता है। पीएसयू के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुखों के माध्यम से, छ: सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। मार्च 2005 तक 60 उपक्रमों से सम्बन्धित निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में यह संज्ञान में आया कि

2,784 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 10,061 प्रस्तर, सितम्बर 2005 के अन्त तक, अनिस्तारित रहे; इनमें से 4,195 प्रस्तर सन्निहत 1,350 निरीक्षण प्रतिवेदन पाँच वर्ष से अधिक समय से अनुत्तरित रहे। 30 सितम्बर 2005 के अन्त तक, विभाग वार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा अवलोकनों का विश्लेषण **परिशिष्ट-46** में दिया गया हैं।

इसी प्रकार, ड्राफ्ट प्रस्तर और पीएसयू की क्रियाकलापों पर समीक्षाओं को, प्रमुख सचिव, वित्त और प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को, तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि तथा उनकी टिप्पणियाँ छः सप्ताह के अन्दर मांगते हुए अर्द्धशासकीय पत्रों के द्वारा अग्रसारित किया जाता है। फिर भी, यह पाया गया कि अगस्त 2004 से जून 2005 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 27 ड्राफ्ट प्रस्तर तथा चार समीक्षाओं में से 27 ड्राफ्ट प्रस्तरों और चार समीक्षाओं पर (एक समीक्षा से सम्बन्धित सरकार का आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ) अब तक (सितम्बर 2005) नहीं प्राप्त हुआ जैसा कि **परिशिष्टि-47** में विवरण दिया गया है।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया मौजूद हो जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं तथा कोपू की संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही के उत्तर निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं दे पायें, (ब) समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हानि/बकाये अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही, और (स) लेखा परीक्षा आपित्तयों के उत्तर देने की प्रणाली को नवीनीकृत कर दी गयी हैं।

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 21 फरवरी 2006

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 24 फरवरी 2006

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2005 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.4, 1.5, 1.6 व 1.20 में संदर्भित)

{स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं}

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को और डैश शून्य राशि को इंगित करते हैं)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण*	2004-05 की समाप्ति पर बकाया ऋण**			2004-05 के लिए ऋण/ अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(च)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनियाँ	अन्य	योग	समता अंशपूँजी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(च)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17 (-)	332.83 (-)	(-)	(-)	4000.00 (-)	–	–	–	500.00	-	500.00	0.13:1 (0.19:1)
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50 (-)	(-)	(-)	13.18 (1.23)	63.68 (1.23)	–	–	–	–	-	-	– (-)
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30 (-)	- (-)	- (-)	8.19 (2.00)	23.49 (2.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
4.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	540.00 (-)	100.00 (-)	- (-)	- (-)	640.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
5.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	150.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	150.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	107.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	192.00 (-)	-	-	-	500.00	-	500.00	2.60:1 (7.81:1)
	क्षेत्रवार योग	**4654.97 (-)**	**432.83 (-)**	**- (-)**	**88.37 (3.23)**	**5176.17 (3.23)**	**-**	**-**	**-**	**1000.00**	**-**	**1000.00**	**0.19:1 (0.51:1)**
	उद्योग												
8.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	596.05 (-)	-	-	-	898.89	125.00	1023.89	1.72:1 (1.72:1)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94 (-)	- (-)	- (-)	-	573.94 (-)	-	-	-	191.40	-	191.40	0.33:1 (0.33:1)

* बाण्ड, ऋणपत्र, अन्तर-निगम जमा शामिल है।

** 2004-05 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
10.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	76.25 (-)	- (-)	76.25 (-)	-	-	-	82.50	40.00	122.50	1.61:1 (1.61:1)
	क्षेत्रवार योग	**1169.99** **(-)**	**-** **(-)**	**76.25** **(-)**	**-** **(-)**	**1246.24** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1172.79**	**165.00**	**1337.79**	**1.07:1** **(1.07:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
11.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	8765.98 (742.50)	- (-)	- (-)	- (-)	8765.98 (742.50)	-	533.89	-	8045.89	-	8045.89	0.85:1 (0.82:1)
12.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	407.00 (-)	- (-)	407.00 (-)	290.00	-	-	-	20.00	20.00	0.05:1 (0.17:1)
13.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	671.08 (-)	50.63 (-)	721.71 (-)	-	-	246.44	-	263.44	263.44	0.36:1 (0.37:1)
14.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5792.51 (-)	- (-)	5792.51 (-)	-	-	-	-	970.00	970.00	0.17:1 (0.17:1)
	क्षेत्रवार योग	**8765.98** **(742.50)**	**-** **(-)**	**6870.59** **(-)**	**50.63** **(-)**	**15687.20** **(742.50)**	**290.00**	**533.89**	**246.44**	**8045.89**	**1253.44**	**9299.33**	**0.57:1** **(0.57:1)**
	वस्त्र												
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	3190.52 (2176.00)	- (-)	- (-)	- (-)	3190.52 (2176.00)	-	776.24	-	776.24	1392.83	2169.07	0.40:1 (0.26:1)
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	8864.84 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8864.84 (-)	-	582.59	-	600.17	-	600.17	0.07:1 (0.20:1)
	क्षेत्रवार योग	**12055.36** **(2176.00)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**12055.36** **(2176.00)**	**-**	**1358.83**	**-**	**1376.41**	**1392.83**	**2769.24**	**0.19:1** **(0.22:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49 (-)	1062.95 (-)	- (-)	- (-)	4707.44 (-)	-	-	500.00	7506.72	500.00	8006.72	1.70:1 (1.59:1)
	क्षेत्रवार योग	**3644.49** **(-)**	**1062.95** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**4707.44** **(-)**	**-**	**-**	**500.00**	**7506.72**	**500.00**	**8006.72**	**1.70:1** **(1.59:1)**
	निर्माण												
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00 (-)	(-)	- (-)	-(-)	1000.00 (-)	-	-	-	1006.00	1697.00	2703.00	2.70:1 (4.48:1)
19.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
20.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	300.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1400.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**1400.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1006.00**	**1697.00**	**2703.00**	**1.93:1** **(3.20:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
21.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	8189.31 (-)	7345.27 (-)	-	-	15534.58 (-)	668.73	-	5248.05	-	8041.60	8041.60	0.52:1 (0.33:1)
22.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (2.52:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
23.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	910.00 (422.82)	- (-)	- (-)	- (-)	910.00 (422.82)	100.00	-	-	-	2244.77	2244.77	1.68:1 (3.04:1)
	क्षेत्रवार योग	**9114.31 (422.82)**	**7345.27 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**16459.58 (422.82)**	**768.73**	**-**	**5248.05**	**-**	**10286.37**	**10286.37**	**0.61:1 (0.54:1)**
	सर्वजनिक वितरण												
24.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	- (-)	- (-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1347.05	-	1347.05	2.45:1 (2.46:1)
	क्षेत्रवार योग	**500.00 (50.39)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**500.00 (50.39)**	**-**	**-**	**-**	**1347.05**	**-**	**1347.05**	**2.45:1 (2.46:1)**
	चीनी												
25.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड	59066.92 (35280.49)	- (-)	- (-)	- (-)	59066.92 (35280.49)	-	-	-	4372.01	-	4372.01	0.05:1 (0.05:1)
26.	छाता शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3618.28 (-)	- (-)	3618.28 (-)	-	-	-	400.00	31.85	431.85	0.12:1 (0.12:1)
27.	नन्दगंज-सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3404.05 (-)	- (-)	3404.05 (-)	-	-	167.00	-	2944.80	2944.80	0.87:1 (0.82:1)
28.	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	879.85 (-)	15.00 (-)	894.85 (-)	-	-	-	7.46	3209.34	3216.80	3.59:1 (3.59:1)
29.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	843.70 (54459.42)	-	-	-	843.70 (54459.42)	-	859.00	-	939.00	-	939.00	0.02.1 (0.001:1)
	क्षेत्रवार योग	**59910.62 (89739.91)**	**- (-)**	**7902.18 (-)**	**15.00 (-)**	**67827.80 (89739.91)**	**-**	**859.00**	**167.00**	**5718.47**	**6185.99**	**11904.46**	**0.08:1 (0.07:1)**
	पर्यटन												
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1512.53 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1512.53 (-)	-	-	-	4.45	-	4.45	0.003:1 (0.03:1)
	क्षेत्रवार योग	**1512.53 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**1512.53 (-)**	**-**	**-**	**-**	**4.45**	**-**	**4.45**	**0.003:1 (0.03:1)**
	विद्युत												
31.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	213291.62 (100.00)	- (-)	- (-)	- (-)	213291.62 (100.00)	100.00	6739.02	59865.11	55362.00	167588.58	222950.58	1.04:1 (0.75:1)
32.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	39394.44 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	39394.44 (-)	2106.00	150.00	-	6615.00	-	6615.00	0.17:1 (0.17:1)
33.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	470744.96 (663450.13)	- (-)	- (-)	- (-)	470744.96 (663450.13)	553839.17	20906.47	80440.82	9981.00	46273.00	56254.00	0.05:1 (0.56:1)
34.	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.07 (-)	- (-)	5999.93 (-)	- (-)	6000.00 (-)	-	-	-	-	11000.00	11000.00	1.83:1 (1.83:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
35.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.07 (-)	- (-)	5.07 (-)	-	-	-	-	-	-	- 0
36.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	34619.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	34619.00 (-)	-	5568.00	16057.00	5818.00	45142.00	50960.00	1.47:1 (0.85:1)
37.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	15543.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15543.00 (-)	-	-	14220.97	500.00	50066.97	50566.97	3.25:1 (2.34:1)
38.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	54000.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	54000.00 (-)	-	9225.00	32934.00	9600.00	66415.00	76015.00	1.41:1 (0.63:1)
39.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	11515.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11515.00 (-)	-	-	-	375.00	39081.00	39456.00	3.43:1 (3.43:1)
	क्षेत्रवार योग	**839108.09 (663550.13)**	- (-)	**6005.00** (-)	- (-)	**845113.09 (663550.13)**	**556045.17**	**42588.49**	**203517.90**	**88251.00**	**425566.55**	**513817.55**	**0.34:1 (0.67:1)**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
40.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	55.93 (-)	- (-)	- (-)	53.73 (-)	109.66 (-)	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	**55.93** (-)	- (-)	- (-)	**53.73** (-)	**109.66** (-)	-	-	-	-	-	-	-
	वित्तपोषण												
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2407.51 (-)	-	-	-	2782.73	570.00	3352.73	1.39:1 (1.68:1)
42.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50 (-)	- (-)	- (-)	2500.00 (-)	13557.50 (-)	-	-	-	1750.00	49254.96	51004.96	3.76:1 (5.05:1)
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2999.95 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2999.95 (-)	-	-	-	707.97	6447.76	7155.73	2.39:1 (2.39:1)
	क्षेत्रवार योग	**16464.96** (-)	- (-)	- (-)	**2500.00** (-)	**18964.96** (-)	-	-	-	**5240.70**	**56272.72**	**61513.42**	**3.24:1 (4.14:1)**
	विविध												
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27 (-)	90.00 (-)	- (-)	- (-)	724.27 (-)	-	-	-	722.68	-	722.68	1.00:1 (1.03:1)
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
46.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	350.00 (200.00)	- (-)	- (-)	- (-)	350.00 (200.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	471.00 (-)	48.03 (-)	- (-)	- (-)	519.03 (-)	400.00	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	42.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1597.81 (200.00)**	**138.03 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**1735.84 (200.00)**	**400.00**	**-**	**-**	**722.68**	**-**	**722.68**	**0.37:1 (0.48:1)**
	योग-अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	**959955.04 (756881.75)**	**8979.08 (-)**	**20854.02 (-)**	**2707.73 (3.23)**	**992495.87 (756884.98)**	**557503.90**	**45340.21**	**209679.39**	**121392.16**	**503319.90**	**624712.06**	**0.36:1 (0.65:1)**
ब. कार्यरत सांविधिक निगम													
	परिवहन												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25211.49	6001.46	-	-	31212.95	-	-	6060.84	747.00	17677.04	18424.04	0.59:1 (0.71:1)
	क्षेत्रवार योग	**25211.49**	**6001.46**	**-**	**-**	**31212.95**	**-**	**-**	**6060.84**	**747.00**	**17677.04**	**18424.04**	**0.59:1 (0.71:1)**
	वित्तपोषण												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	11450.78	-	-	6477.68	17928.46	-	-	2650.00	-	103589.19	103589.19	5.78:1 (6.23:1)
	क्षेत्रवार योग	**11450.78**	**-**	**-**	**6477.68**	**17928.46**	**-**	**-**	**2650.00**	**-**	**103589.19**	**103589.19**	**5.78:1 (6.23:1)**
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	558.25 (220.70)	558.25 (-)	- (-)	- (-)	1116.50 (220.70)	-	-	1500.00	-	10202.22	10202.22	7.63:1 (8.27:1)
	क्षेत्रवार योग	**558.25 (220.70)**	**558.25 (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**1116.50 (220.70)**	**-**	**-**	**1500.00**	**-**	**10202.22**	**10202.22**	**7.63:1 (8.27:1)**
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	-	-	-	302.10	-	12331.07	644.14	12975.21	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	165.05	-	165.05	- (-)
	क्षेत्रवार योग	-	-	-	-	-	-	**302.10**	-	**12496.12**	**644.14**	**13140.26**	- (-)
	योग-ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	**37220.52 (220.70)**	**6559.71 (-)**	**- (-)**	**6477.68 (-)**	**50257.91 (220.70)**	**-**	**302.10**	**10210.84**	**13243.12**	**132112.59**	**145355.71**	**2.88:1 (3.12:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**997175.56 (757102.45)**	**15538.79 (-)**	**20854.02 (-)**	**9185.41 (3.23)**	**1042753.78 (757105.68)**	**557503.90**	**45642.31**	**219890.23**	**134635.28**	**635432.49**	**770067.77**	**0.42:1 (0.75:1)**
स. अकार्यरत कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.85 (-)	63.00 (-)	- (-)	- (-)	272.85 (-)	-	-	-	61.11	-	61.11	0.22:1 (0.22:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73 (-)	- (-)	- (-)	8.11 (0.22)	30.84 (0.22)	-	-	-	169.70	-	169.70	5.46:1 (5.46:1)
3-	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25 (-)	- (-)	- (-)	32.95 (0.21)	71.20 (0.21)	-	-	-	654.87	-	654.87	9.17:1 (-)
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68 (-)	- (-)	- (-)	64.25 (-)	704.93 (-)	-	-	-	122.48	-	122.48	0.17:1 (0.17:1)
5.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	44.00 (121.75)	6.00 (121.75)	- (-)	- (-)	50.00 (243.50)	-	-	-	109.75	-	109.75	0.37:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	**955.51 (121.75)**	**69.00 (121.75)**	**- (-)**	**105.31 (0.43)**	**1129.82 (243.93)**	**-**	**-**	**-**	**1117.91**	**-**	**1117.91**	**0.81:1 (0.36:1)**
	उद्योग												
6.	मोहम्मदावाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06 (-)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	5.61 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
7.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.63 (-)	- (-)	1.63 (-)	-	-	-	-	3.00	3.00	1.84:1 (1.84:1)
8.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59 (-)	- (-)	- (-)	187.41 (-)	750.00 (-)	-	-	-	37.50	-	37.50	0.05:1 (0.05:1)
9.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	-	-	-	554.62	1149.26	1703.88	8.43:1 (8.43:1)
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86 (-)	10.00 (-)	- (-)	- (-)	537.86 (-)	-	-	-	194.23	-	194.23	0.36:1 (0.36:1)
11-	कान्टीनेन्टल फ्लोर ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन मिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2921.72 (-)	1702.23 (-)	4623.95	-	-	-	-	13885.08	13885.08	3.00:1 (3.00:1)
12.	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	4.85 (-)	- (-)	4.85 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
13.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	183.16 (-)	- (-)	183.16 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1093.51 (-)**	**10.00 (-)**	**3289.08 (-)**	**1907.69 (9.00)**	**6300.28 (9.00)**	**-**	**-**	**-**	**786.35**	**15037.34**	**15823.69**	**2.51:1 (2.50:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
14.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	2.55 (-)	- (-)	2.55 (-)	-	-	-	-	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)
15.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	5.25 (-)	- (-)	5.25 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**- (-)**	**- (-)**	**7.80 (-)**	**- (-)**	**7.80 (-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.77**	**2.77**	**0.36:1 (0.36:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
	वस्त्र												
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	16079.37 (4653.00)	- (-)	- (-)	- (-)	16079.37 (4653.00)	-	-	-	8945.00	-	8945.00	0.43:1 (0.43:1)
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20 (-)	- (-)	26.00 (-)	- (-)	42.20 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
18.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	375.54 (-)	- (-)	375.54 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**16095.57 (4653.00)**	**- (-)**	**401.54 (-)**	**- (-)**	**16497.11 (4653.00)**	**-**	**-**	**-**	**8945.00**	**-**	**8945.00**	**0.42:1 (0.42:1)**
	खनन												
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5640.48 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5640.48 (-)	-	-	-	1949.61	-	1949.61	0.35:1 (0.35:1)
20.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	3.73 (-)	3.87 (-)	7.60 (-)	-	-	-	-	84.42	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	**5640.48 (-)**	**- (-)**	**3.73 (-)**	**3.87 (-)**	**5648.08 (-)**	**-**	**-**	**-**	**1949.61**	**84.42**	**2034.03**	**0.36:1 (0.36:1)**
	क्षेत्र विकास												
21.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	123.30 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.04:1 (0.04:1)
22.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	129.80 (-)	-	-	-	35.00	-	35.00	0.27:1 (0.27:1)
23.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	1.22 (-)	- (-)	1.22 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
24.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	67.00 (-)	-	-	-	65.93	-	65.93	0.98:1 (0.98:1)
25.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	125.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
26.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	85.79	-	85.79	1.22:1 (1.22:1)
27.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	5.00	-	5.00	0.05:1 (0.05:1)
28.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56 (-)	- (-)	- (-)	32.47 (-)	126.03 (-)	-	-	-	88.24	-	88.24	0.70:1 (0.70:1)
29.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
30.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	70.00 (-)	-	-	-	30.00	-	30.00	0.43:1 (0.43:1)
31.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25.00 (-)	-	-	-	64.60	-	64.60	2.58:1 (2.58:1)
32.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	46.00 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**949.66 (-)**	**- (-)**	**1.22 (-)**	**32.47 (-)**	**983.35 (-)**	**-**	**-**	**-**	**379.56**	**-**	**379.56**	**0.39:1 (0.39:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	5
33.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	45.00 (-)	-	-	-	125.00	-	125.00	2.78:1 (2.78:1)
	क्षेत्रवार योग	**45.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**45.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**2.78:1** **(2.78:1)**
	सीमेण्ट												
34.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6828.00 (-)	-	-	-	12476.52	-	12476.52	1.83:1 (1.83:1)
	क्षेत्रवार योग	**6828.00** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**6828.00** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**12476.52**	**-**	**12476.52**	**1.83:1** **(1.83:1)**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
35.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.75 (-)	- (-)	- (-)	3.27 (-)	22.02 (-)	-	-	-	533.00	-	533.00	24.21:1 (24.21:1)
36.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	658.73 (-)	- (-)	658.73 (-)	-	-	-	1102.00	-	1102.00	1.67:1 (1.67:1)
	क्षेत्रवार योग	**18.75** **(-)**	**-** **(-)**	**658.73** **(-)**	**3.27** **(-)**	**680.75** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**1635.00**	**-**	**1635.00**	**2.40:1** **(2.40:1)**
	वित्त पोषण												
37.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77 (-)	- (-)	-	65.68 (-)	143.45 (-)	-	-	-	-	-	-	- (-)
38.	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (-)	- (-)	100.00 (-)	5.87 (-)	105.87 (-)	-	-	-	-	414.76	414.76	3.92:1 (3.92:1)
	क्षेत्रवार योग	**77.77** **(-)**	**-** **(-)**	**100.00** **(-)**	**71.55** **(-)**	**249.32** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**414.76**	**414.76**	**1.66:1** **(1.66:1)**
	विविध												
39.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.22 (-)	- (-)	- (-)	0.20 (-)	818.42 (-)	-	-	-	301.43	-	301.43	0.37:1 (0.37:1)
	क्षेत्रवार योग	**818.22** **(-)**	**-** **(-)**	**-** **(-)**	**0.20** **(-)**	**818.42** **(-)**	**-**	**-**	**-**	**301.43**	**-**	**301.43**	**0.37:1** **(0.37:1)**
	कुल योग-(स)	**32522.47** **(4774.75)**	**79.00** **(121.75)**	**4462.10** **(-)**	**2124.36** **(9.43)**	**39187.93** **(4905.93)**	**-**	**-**	**-**	**27716.38**	**15539.29**	**43255.67**	**0.98:1** **(0.97:1)**
	कुल योग (अ+ब+स)	**1029698.03** **(761877.20)**	**15617.79** **(121.75)**	**25316.12** **(-)**	**11309.77** **(12.66)**	**1081941.71*** **(762011.61)**	**557503.90**	**45642.31**	**219890.23**	**162351.66**	**650971.78**	**813323.44**	**0.44:1** **(0.76:1)**

टिप्पणी: उन कम्पनियों को छोड़कर, जिन्होंने वर्ष 2004-2005 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (क्रम सं0 अ-2. 12. 13. 16 व 35) आंकड़े अनन्तिम हैं और जैसा कम्पनी/निगमों ने दिये हैं।

* राज्य सरकार का निवेश 19,539.27 करोड़ रूपये (अन्य: 7,033.51 करोड़ रूपये) था। वित्त लेखा 2004-05 के अनुसार यह 14,232.31 करोड़ रुपये है। अन्तर का समाधान किया जा रहा है।

परिशिष्ट–2

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.22 व 1.23 में सन्दर्भित)

(स्तम्भ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ(+)/ हानि(-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूँजी (अ)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया	आवर्त	श्रम शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	2002-03	2004-05	146.39	428.75	4000.00	(-)6839.42	(-)426.49	508.99	-	2	36321.61	1884
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग और गन्ना विकास	27.08.1975	2004-05	2005-06	(-)27.11	-	63.68	(-)112.22	86.29	(-)10.01	-	-	10.37	14
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग और गन्ना विकास	27.08.1975	2003-04	2005-06	(-)21.83	-	23.49	(-)47.28	299.40	(-)5.89		1	36.66	29
4.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26.05.1976	2003-04	2005-06	30.60	21.08	640.00	(-)1765.73	(-)1143.99	30.60	-	1	28156.35	769
5.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	2001-02	2004-05	2.16	45.18	150.00	(-)1.45	36376.98	2.16	0.01	3	1135.72	560
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मत्स्य उत्पादन	27.10.1979	1996-97	2003-04	21.56	-	100.00	(-)256.79	262.24	21.56	8.22	8	321.66	268
7.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	15.02.2002	2002-03	2005-06	126.46	-	100.00	80.00	191.27	47.56	24.86	2	3311.11	349
	क्षेत्रवार योग					**327.17 (-)48.94**		**5077.17**	**80.00 (-)9022.89**	**37216.18 (-)1570.48**	**610.87 (-)15.90**	**1.62**		**69293.48**	**3873**
	उद्योग														
8.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	लघु उद्योग	01.06.1958	1997-98	2005-06	(-)56.83	79.21	596.05	(-)917.76	1205.10	(-) 56.83		7	7548.60	364

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
9.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	2000-01	2002-03	26.16	-	573.94	(-)685.60	531.10	31.36	9.42	4	360.44	50
10.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	27.04.1976	1991-92	2004-05	(-)52.88	0.65	76.26	(-)325.59	40.54	(-) 30.10	-	13	29.43	124
	क्षेत्रवार योग					**26.16 (-)109.71**		**1246.25**	**- (-)1928.95**	**1776.74 -**	**31.36 (-)86.93**	-		**7938.47**	**538**
	इलेक्ट्रानिक्स														
11.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	20.03.1974	2003-04	2005-06	(-)50.77	-	8765.98	(-)179.78	9434.43	(-)50.77	-	1	242.16	37
12.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	10.04.1977	2004-05	2005-06	(-)61.59	-	407.00	(-)923.19	383.33	(-)7.49	-	-	786.05	121
13.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	01.02.1979	1.10.2003 to 31.3.2005	2005-06	59.96	-	721.71	(-) 530.53	820.39	65.49	7.98	-	121.04	20
14	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्योगिकी	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-)3212.23	-	5315.59	(-) 19693.43	5206.05	(-) 406.07	-	9	9715.47	उपलब्ध नहीं
	क्षेत्रवार योग					**59.96 (-)3324.59**		**15210.28**	**- (-)21326.93**	**15844.20 -**	**65.49 (-)464.33**			**10864.72**	**178**
	वस्त्र														
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1974	2003-04	2005-06	(-) 1854.66	-	3190.52	(-)10676.22	(-)3014.52	(-)1467.99	-	1	2763.41	1100
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	20.08.1976	2004-05	2005-06	(-)901.92	-	8864.85	(-)11122.32	4331.40	(-)824.30	-	-	13864.46	6932
	क्षेत्रवार योग					**- (-)2756.58**		**12055.37**	**- (-)21798.54**	**4331.40 (-)3014.52**	**- (-)2292.29**	-		**16627.87**	**8032**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स														

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवम् वस्त्र उद्योग	09.01.1973	1991-92	2005-06	(-)286.79	-	1375.49	(-)1694.33	6476.70	(-)149.82		13	12669.20	2374
	क्षेत्रवार योग					**(-)286.79**		**1375.49**	**(-)1694.33**	**6476.70**	**(-)149.82**			**12669.20**	**2374**
	निर्माण														
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	2002-03	2005-06	(-)2284.19	17.21	1000.00	(-)836.17	4345.77	(-)2206.61		2	17185.74	7110
19.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	2003-04	2005-06	191.44	-	100.00	1054.79	1743.85	221.43	12.70	1	35838.54	3795
20.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	2003-04	2004-05	27.78	-	300.00	596.98	901.76	27.78	3.08	1	322.66	152
	क्षेत्रवार योग					**219.22** **(-)2284.19**		**1400.00**	**1651.77** **(-)836.17**	**6991.38** -	**249.21** **(-)2206.61**	-		**53346.94**	**11057**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
21.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	समाज कल्याण	25.03.1975	1997-98	2004-05	108.48	-	7362.67	836.02	15800.34	216.45	1.37	7	625.22	562
22.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	25.06.1976	2003-04	2005-06	143.88	-	15.00	917.53	915.98	143.88	15.71	1	15117.08	625
23.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.04.91	1998-99	2005-06	45.82	-	810.00	73.72	2696.48	108.25	4.01	6	136.79	15
	क्षेत्रवार योग					**298.18** -		**8187.67** -	**1827.27** -	**19412.80** -	**468.58**	**2.41**		**15879.09**	**1202**
	सार्वजनिक वितरण														
24.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद	22.10.1974	1988-89	2003-04	(-)204.64	4.05	327.50	(-)300.48	548.59	(-)101.90	-	16	3090.21	765
	क्षेत्रवार योग					**(-)204.64**		**327.50**	**(-)300.48**	**548.59**	**(-)101.90**	-		**3090.21**	**765**
	चीनी														
25.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	26.03.1971	2002-03	2005-06	(-)17120.65	420.48	59066.77	(-)49529.01	110862.75	(-)5882.35		2	41717.68	813

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
26.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	18.04.1975	2002-03	2005-06	(-)1135.44	-	3618.28	(-)5660.29	1947.01	(-)1034.96	-	2	2574.09	222
27.	नन्दगंज-सिहोरी शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	18.04.1975	2001-02	2005-06	(-)1209.03	-	3404.05	(-)12791.53	(-)3294.80	(-)325.05	-	3	1776.06	787
28.	घाटमपुर शूगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	30.05.1986	2001-02	2004-05	(-)662.64	13.44	894.86	(-)5555.34	(-)1749.80	(-)196.82	-	3	1045.48	693
29.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	16.05.2002	*			-						3		उपलब्ध नही
	क्षेत्रवार योग					**-(-)20127.76**		**66983.96**	**-(-)73536.17**	**112809.76(-)5044.60**	**-(-)7439.18**	-		**47113.31**	**2515**
	पर्यटन														
30.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	2002-03	2004-05	(-)154.50	16.55	1512.53	(-)913.30	860.36	(-)153.00	-	2	1264.01	603
	क्षेत्रवार योग					**(-)154.50**		**1512.53**	**(-)913.30**	**860.36**	**(-)153.00**	-		**1264.01**	**603**
	विद्युत														
31.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	2003-04	2004-05	(-)18487.18	9330.00	179706.62	(-)105787.32	269822.95	15806.53	5.85	1	288729.53	12000
32.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	2003-04	2005-06	(-)747.31	8197.00	37288.44	(-)14190.55	34151.27	21.96	0.06	1	6858.84	792
33.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	2002-03	2004-05	(-)83961.70	30370.00	435355.46	(-)507234.41	569227.50	(-)46208.00	-	2	661020.57	उपलब्ध नही
34.	कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	21.07.1999	2001-02	2005-06	(-)8941.15	6366.77	6000.00	(-)16687.94	17325.11	(-)1063.18	-	3	61042.61	3107

* प्रथम वर्ष के लेखे अप्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
35.	यू0पी0एस0आई0डी0सी0 पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	11.04.2000	2004-05	2005-06	0.09		5.07	0.09	-	-	-	-	-	-
36.	दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	**									2		
37.	मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	*									2		
38.	पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	*									2		
39.	पूर्वाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	01.05.2003	*									2		
	क्षेत्रवार योग					**0.09 (-)112137.34**		**658355.59**	**0.09 (-)643900.22**	**890526.83 -**	**15828.49 (-)47271.18**	-		**1017651.55**	**15899**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल														
40.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एवं औद्योगिक विकास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड			*									1		
	वित्त पोषण														
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1961	2002-03	2004-05	1264.32	120.00	2407.51	1801.48	9464.31	1833.14	19.37	2	4432.15	703
42.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	2003-04	2004-05	(-)13834.76	-	13557.50	(-)50025.97	83881.20	(-)5118.40		1	3397.97	320

** राज्य सरकार की कम्पनी बनने के बाद प्रथम वर्ष के लेखे प्राप्त नही हुए है।

* राज्य सरकार की कम्पनी बनने के बाद प्रथम वर्ष के लेखे प्राप्त नही हुए है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
43.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	17.11.1984	1992-93	2004-05	5.64	0.17	407.50	(-)19.75	755.92	5.64	0.75	12	29.90	24
	क्षेत्रवार योग					**1269.96 (-)13834.76**		**16372.51**	**1801.48 (-)50045.72**	**94101.43 -**	**1838.78 (-)5118.40**			**7860.02**	**1047**
	विविध														
44.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	20.01.1966	1999-2000	2004-05**	(-)261.49	-	704.27	(-)1762.69	(-)177.71	(-)242 90	--	5	880.06	144
45.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रौद्योगिकी	15.03.1977	2002-03	2005-06	38.00	-	100.00	(-)32.09	67.91	38.00	55.96	2	256.41	125
46.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	27.04.1987	1996-97	2004-05	6.34	-	150.00	9.46	53.58	6.34	11.83	8	14.02	20
47.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला एवं बाल कल्याण	17.03.1988	2000-01	2005-06	(-)17.91	-	25.00	(-)103.61	145.20	(-)17.91	-	4	6.72	16
48.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड)	समाज कल्याण	23.05.1987	2001-02	2005-06	331.58		42.54	1013.47	1062.24	331.58	31.22	3	3539.81	132
	क्षेत्रवार योग					**375.92 (-)279.40**		**1021.81**	**1022.93 (-)1898.39**	**1328.93 (-)177.71**	**375.92 (-)260.81**	**1.00**		**4697.02**	**437**
	योग- (अ सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				-	**(-)152972.54**		**789126.13**	**(-)820818.53**	**1182417.99**	**(-)46091.69**	-		**1268295.89**	**48520**
ब. कार्यरत सांविधिक निगम															
	परिवहन														
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	31.10.2003 to 31.3.2004	2005-06	(-)1928.54	3981.00	31212.95	(-)73996.81	(-)21918.67	(-)1260.70	-	1	1009.53	45960
	क्षेत्रवार योग					**(-)1928.54**		**31212.95**	**(-)73996.81**	**(-)21918.67**	**(-)1260.70**	-		**1009.53**	**45960**
	वित्त पोषण														
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	2003-04	2005-06	(-)9273.95	-	17928.46	(-)81784.02	133683.96	5004.95	3.74	1	7531.07	1006
	क्षेत्रवार योग					**(-)9273.95**		**17928.46**	**(-)81784.02**	**133683.96**	**5004.95**	**3.74**		**7531.07**	**1006**
	कृषि एवं समवर्गीय														

** कम्पनी ने वर्ष 1999-2000 के पुनरीक्षित लेखे प्रस्तुत किये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	19.03.1958	2003-04	2004-05	973.49	25.17	1337.20	7556.30	21720.28	2201.68	10.14	1	12436.91	1947
	क्षेत्रवार योग					**973.49**		**1337.20**	**7556.30**	**21720.28**	**2201.68**	**10.14**		**12436.91**	**1947**
	वन														
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998-99	1999-2000	(+)2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	6	16284.00	2858
	क्षेत्रवार योग					**(+)2930.30**	**-**	**-**	**35245.27**	**35756.00**	**2930.00**	**8.19**		**16284.00**	**2858**
	विविध														
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	1998-99	2004-05	1728.17	-	-	6688.74	12073.30	2135.60	17.68	6	7674.75	3724
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	2003-04	2005-06	(-)5597.89			(-)20523.71	387931.13	(-)4002.46		1	15307.60	16623
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	खाद्य एवं रसद	05.05.1965	1998-99*	2004-05	102.81			264.14	(-)807.38	149.30	-	6	7491.22	1562
	क्षेत्रवार योग					**1830.98 (-)5597.89**	**-**	**-**	**6952.88 (-)20523.71**	**400004.43 (-)807.38**	**2284.90 (-)4002.46**			**30473.57**	**21909**
	योग- (ब सभी सांविधिक निगम)					**(-)11065.61**		**50478.61**	**(-)126550.09**	**568438.62**	**7158.37**	**1.26**	**-**	**67735.08**	**73680**
	कुल योग (अ+ब)					**(-)164038.15**		**839604.74**	**(-)947368.62**	**1750856.61**	**(-)38933.28**			**1336030.97**	**122200**
स. अकार्यरत कम्पनियाँ															
	कृषि एवं समवर्गीय														
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुधन	05.03.1975	1999-2000	2005-06	(-)95.10		272.85	(-)705.32	329.94	(-)68.34	-	5	22.28	सूचना अप्राप्त
2.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	27.08.1975	2002-03	2004-05	(-)18.38	-	30.84	(-)54.75	152.67	(-)14.19	-	2	4.53	19
3.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवम् गन्ना विकास	27.08.1975	2001-02	2003-04	(-)64.82	-	71.20	(-)420.73	323.22	(-)64.82	-	3	12.77	21
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	-	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	-	20		330
5.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	पशुपालन	07.12.1974	2000-01	2005-06	(-)23.34		50.00	(-)152.76	81.27	(-)23.19	-	4	6.68	32
	क्षेत्रवार योग					**- (-)268.21**		**615.65**	**- (-)1588.89**	**967.82 -**	**- (-)222.51**			**46.26**	**402**

* वर्ष 1998-99 के लेखों का लेखा परीक्षण प्रगति पर है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	उद्योग														
6.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	नियोजन	21.12.1964	1976-77	1992-93	(-) 0.01	-	5.61	(-) 4.26	1.35	(-) 0.01	-	28		सूचना अप्राप्त
7.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	-	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	-	परिसमपनाधीन 11/2003	0.39	सूचना अप्राप्त
8.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	10.71	-	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26 -	13	631.34	सूचना अप्राप्त
9.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	1.01.1975	2001-02	2005-06	(-)28.57		193.22	(-)3874.89	34.99	(-)26.79	-	3	16.22	259
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1995-96	2004-05	2.69		537.86	(-)761.30	313.31	17.28	5.52	9	70.51	सूचना अप्राप्त
11.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	12.04.1985	1997-98	2002-03	-	-	4623.95	-	8387.22	-	-	परिसमपनाधीन 01.04.2002	निर्माण अवधि मे ही कम्पनी परिसमापनाधीन हो गई।	सूचना अप्राप्त
12.	उत्तर प्रदेश एक्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975-76	-	(-)1.55	-	4.85	-	12.39	(-)0.41	-	परिसमपनाधीन 19.04.1986		सूचना अप्राप्त
13.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	-	(-) 217.08	-	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	-	परिसमपनाधीन 09.01.1996	138.08	-
	क्षेत्रवार योग					**13.40 (-)248.02**		**6299.59**	**- (-)12120.31**	**9870.23 (-)405.96**	**263.13 (-)28.02**			**856.54**	**259**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	इलेक्ट्रानिक्स														
14.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	-	2.55	(-) 3.37	1.86	(-) 0.36	-	परिसमपनाधीन 10.06.1996	0.05	सूचना अप्राप्त
15.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रोद्यौगिकी	31.03.1978	*	–	–	–	5.25	–	–	–	–	परिसमपनाधीन 10.06.1996	निर्माणाधीन	सूचना अप्राप्त
	क्षेत्रवार योग					**(-)0.78**		**7.80**	**(-)3.37**	**1.86**	**(-)0.36**	-		**0.05**	-
	वस्त्र														
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्यौगिक विकास	02.12.1969	2001-02	2005-06	(-)8654.24	-	16079.37	(-)38303.87	(-)1621.21	(-)7767.51	-	3	20.80	
17.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवम् वस्त्र उद्योग	05.12.1975	1990-91	2002-03	(-)17.98		26.00	(-)33.50	53.25	(-)16.13	-	14	475.42	74
18.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	14.06.1976	1994-95	-	(-) 165.77	-	375.54	(-) 1195.91	(-) 49.09	85.35	-	परिसमापनधीन 20.2.1996	26.72	-
	क्षेत्रवार योग					**-(-)8837.99**		**16480.91**	**-(-)39533.28**	**53.25 (-)1670.30**	**85.35 (-)7783.64**			**522.94**	**74**
	खनन														
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	23.03.1974	2003-04	2005-06	(-)2079.88		5640.48	(-)6672.84	884.48	(-)2079.88	-	1	1529.33	3
20.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-) 11.78	-	0.002*	(-)11.30	0.79	(-) 10.86	-	परिसमापनधीन 28.11.2002	0.22	
	क्षेत्रवार योग					**-(-)2091.66**		**5640.48**	**-(-)6684.14**	**885.27 -**	**-(-)2090.74**			**1529.55**	**3**
	क्षेत्र विकास														
21.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	30.03.1971	1991-92	1997-98	(-) 8.72	–	123.30	(-)129.27	(-) 0.98	(-) 8.71	-	13	46.21	सूचना अप्राप्त

* प्रारम्भिक वर्ष से लेखे अनन्तिमकृत नही है

* रूपये 270.00 केवल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
22.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-)13.64	-	114.80	(-)107.90	19.02	(-)13.64	-	17	130.37	सूचना अप्राप्त
23.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	-	2.40	(-) 0.65	4.45	(-) 0.01	-	18	Nil	सूचना अप्राप्त
24.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	-	67.00	(-) 11.42	39.52	(-) 3.97	–	21		सूचना अप्राप्त
25.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.01.1976	1.7.1986 to 30.6.1987	2004-05	7.82	-	125.00	(-)82.26	506.72	7.82	1.54	18	318.57	सूचना अप्राप्त
26.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.01.1976	1981-82	1992-93	0.44	-	50.00	1.49	60.57	0.52	0.86	23	169.69	सूचना अप्राप्त
27	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	1987-88	2004-05	6.34		100.00	(-)26.79	116.85	11.41	9.76	17	788.63	सूचना अप्राप्त
28.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	1985-86	1995-96	2.36	-	122.03	(-) 118.16	61.31	2.36	3.85	19	353.94	सूचना अप्राप्त
29.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	1998-99	2005-06	(-)18.57	-	100.00	(-)112.94	37.16	(-)18.57	-	6	1.08	1
30.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-)2.71	-	70.00	(-)26.38	88.29	(-)2.71	-	17	147.02	सूचना अप्राप्त
31.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	30.03.1978	1988-89	1999-2000	(-)11.23	-	25.00	(-)21.80	68.73	(-)0.57	-	16	146.74	सूचना अप्राप्त
32.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवम् जल संसाधन	15.03.1975	1976-77	-	0.28	-	46.00	-	46.27	0.28	0.61	परिसमापनधीन 07.06.1977	-	सूचना अप्राप्त
	क्षेत्रवार योग					**17.24 (-)66.30**		**945.53**	**1.49 (-)637.57**	**1048.89 (-)0.98**	**22.39 (-)48.18**			**2102.25**	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
33.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	-	45.00	0.45	70.44	(-) 4.00	-	22	3.13	सूचना अप्राप्त
	क्षेत्रवार योग					**(-)4.00**		**45.00**	**0.45**	**70.44**	**(-)4.00**	-		**3.13**	-
	सीमेण्ट														
34.	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-)4775.52	-	6828.00	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33	-	9	11301.85	सूचना अप्राप्त
	क्षेत्रवार योग					**(-)4775.52**		**6828.00**	**(-)42599.38**	**(-)23980.30**	**(-)2291.33**	-		**11301.85**	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ड्रग्स, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल														
35	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	औद्योगिक विकास	22.02.1924	2002-03	2003-04	(-)256.94		22.02	(-)3706.93	(-)3013.41	(-)240.94	-	2	5.64	सूचना अप्राप्त
36.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	-	(-) 617.54	-	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	-	परिसमापनाधीन 19.02.1994	226.21	सूचना अप्राप्त
	क्षेत्रवार योग					**(-)874.48**		**680.75**	**(-)7238.44**	**(-)4858.27**	**(-)291.51**	-		**231.85**	
	वित्त पोषण														
37.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1990-91	2002-03	0.28		133.46	0.66	148.17	0.35	0.24	14	47.90	52
38.	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक))	इलेक्ट्रानिक्स एवम् सूचना प्रौद्योगिकी	05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	-	105.87	(-) 39.53	534.08	14.43	2.70	7	128.63	
	क्षेत्रवार योग					**(+)0.28 (-)39.55**		**239.33**	**(+)0.66 (-)39.53**	**682.25**	**14.78**	**2.17**		**176.53**	**52**
	विविध														
39.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	टैक्स रजिस्ट्रेशन	10.09.1975	2000-01	2005-06	(-)104.75		818.42	(-)1129.43	260.94	(-)54.75	-	4	20.39	सूचना अप्राप्त
	क्षेत्रवार योग					**(-)104.75**		**818.42**	**(-)1129.43**	**260.94**	**(-)54.75**	-	**4**	**20.39**	
	कुल योग-स					**(-)17280.34**		**38601.46**	**(-)111571.74**	**(-)17074.86**	**(-)12429.39**			**16791.34**	**791**
	कुल योग (अ+ब+स)					**(-)181318.49**		**878206.20**	**(-)1058940.36**	**1733781.75**	**(-)51362.67**			**1352822.31**	**122991**

नोट- (अ) वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि वाण्ड्स, जमा तथा ऋणों (वित्त पुनर्पोषण सहित) के आरम्भिक एवम् अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान के रूप में आगणित की जाती है, नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

(ब) क्रम सं0 स-17 की कम्पनी विलय के अन्तर्गत है।

(स) क्रम सं0 स-7,11,12,13,14,15,18,20,32 एवं 36 की कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत है। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ है:

क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि
07	नवम्बर 2003	11	01.04.1978	12	01.09.1973	13	19.04.1986	14	09.01.1996	15	10.06.1996
18	20.02.1996	20	28.11.2002	32	07.06.1977	36	19.02.1994				

परिशिष्ट–3

वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया और ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन एवम् मार्च 2005 की समाप्ति पर प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूतियों को दर्शाती हुई विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.6 व 1.20 में संदर्भित)

(स्तम्भ 3 (अ) से 7 तक के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान* व अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया**					वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्बन अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंको से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयातों के सम्बन्ध में बैंको द्वारा खोले गये साख-पत्र	विदेशी सलाहकारों/ ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड					129.75 (129.75)				129.75 (129.75)						
2.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	500.00 (241.04)	-	-	-	500.00 (241.04)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	-	74.72	-	74.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	-	150.00[3]	-	150.00[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* उपदान में, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य उपदान जिसको कोष्ठकों में दिखाया गया है, सम्मिलित है।

** कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
5.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.00
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड		6.55[3]	-	6.55[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	1000.00[3]	-	1000.00[3]	- (1640.00)	-	-	-	- (1640.00)	-	-	-	-	-	-
8.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	760.00[3] 10477.98	-	760.00[3] 10477.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड						416.00 (378.00)			416.00 (378.00)						
10.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	-	-	-	-	1225.00 (1225.00)	1500.00 (240.00)	-	-	2725.00 (1465.00)	-	-	-	-	-	-
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	37710.00 (-)	-	-	-	37710.00 (-)	-	-	-	-	-	-
12.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	1884.00 (1884.00)	-	-	-	1884.00 (1884.00)	-	-	-	-	-	-
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड						7000.00 (7000.00)			7000.00 (7000.00)						
14.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड		1050.00		1050.00											
15.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड		105566.00 10244.50[3]		105566.00 10244.50[3]		82713.00 (56852.00)	14500.00 (14500.00)		97213.00 (71353.00)						
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1139.71	- 814.33[3]	-	1139.71 814.33[3]	-	- (570.00)	-	-	- (570.00)	-	-	-	-	-	-
17.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लिमिटेड	-	105.00[3]	-	105.00[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-अ	**1139.71**	**117168.70 13080.38[3]**		**118308.41 13080.383[3]**	**41448.75 (5119.79)**	**91629.00 (65041.00)**	**14500.00 (14500.00)**		**147577.75 (84660.79)**						307.00
ब. कार्यरत सांविधिक निगम																
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	-	-	-	-	10200.00 (9497.79)	-	-	10200.00 (9497.79)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	1650.00 (51673.00)	-	-	1650.00 (51673.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	338.12	-	-	338.12	-	4000.00 (12.57)	-	-	4000.00 (12.57)	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश जल निगम		7691.00[3]		7691.00[3]	- (644.14)				- (644.14)					-	-
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट इम्पलॉइज वैलफेयर कार्पोरेशन														-	-
	योग-ब	**338.12**	**7691.00[3]**		**338.13 7691.00[3]**	**- (644.14)**	**15850.00 (61183.36)**			**15850.00 (61827.50)**					-	-
	कुल योग (अ+ब)	**1477.83**	**117168.70 20771.38[3]**		**118646.53 20771.38[3]**	**41448.75 (5763.93)**	**107479.00 (126224.36)**	**14500.00 (14500.00)**		**163427.75 (146488.29)**						307.00

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	(स)	5(द)	(6)	(7)
स. अकार्यरत कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (55.51)	-	-	- (55.51)	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड					- (2200.00)	-	-	-	- (2200.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (537.00)	-	-	- (537.00)	-	-	-	-	-	-
4.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (479.63)	-	-	- (479.68)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड			-		- (335.00)				- (335.00)	-	-	-	-	-	-
	योग-(स)	-	-	-	-	- (2535.00)	- (1072.19)	-	-	- (3607.19)						
	कुल योग (अ+ब+स)	1477.83	117168.70 20771.38[3]		118646.53 20771.38[3]	41448.75 (8298.93)	107479.00 (127296.55)	14500.00 (14500.00)	-	163427.75 (150095.48)						307.00

[3] अनुदान

परिशिष्ट-4

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2001-2002	2002-03	01.04.2003 से 30.10.2003	31.10.2003 से 31.03.2004
अ. देयतायें				
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	321.37	321.37	321.37	312.13
ऋण:				
सरकारी				
केन्द्र	9.00	-	9.40	7.47
राज्य	10.65	9.65		
अन्य	118.03	143.85	166.88	175.37
निधियाँ	0.62	0.69	1.02	1.23
व्यापारिक देयता एवं अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	675.15	776.32	801.59	603.07
उत्तर प्रदेश एवम् उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम पुर्नगठन समायोजन लेखा	-	-	-	26.41
योग अ	**1134.82**	**1251.88**	**1300.26**	**1125.68**
ब. परिसम्पत्तियाँ				
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	645.91	712.89	778.46	698.19
घटाया: ह्रास	466.49	483.04	509.46	437.31
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	179.42	229.85	269.00	260.88
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	5.55	9.94	8.70	9.62
निवेश	1.87	1.74	1.74	1.83
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	116.70	105.96	117.53	113.38
संचित हानियाँ	831.28	904.39	903.29	739.97
योग ब	**1134.82**	**1251.88**	**1300.26**	**1125.68**
स. नियोजित पूँजी*	**(-) 372.48**	**(-) 430.57**	**(-) 406.36**	**(-) 219.19**

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम))
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	179.28	179.28	179.28
अंश आवेदन राशि	-	-	-

* नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

	2001-02	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम)
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.23	20.25	20.12
ऋण			
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	820.76	799.33	755.82
(ii) स्थायी जमा	-	-	7.78
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	375.16	354.18	365.01
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	20.00	-	-
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण		-	-
(अ) राज्य सरकार	-	-	-
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-
(स) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	-	-	-
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	1.50	31.50	1.50
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	377.16	373.85	425.24
योग अ	**1794.09**	**1758.39**	**1754.75**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	22.95	34.66	27.75
निवेश	102.42	68.02	37.03
ऋण एवं अग्रिम	973.78	916.87	847.19
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	16.58	14.65	14.01
अन्य परिसम्पत्तियाँ	36.38	12.03	10.93
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	641.98	712.16	817.84
योग ब	**1794.09**	**1758.39**	**1754.75**
स. नियोजित पूँजी*	**1390.63**	**1380.50**	**1336.84**

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	13.37	13.37	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	86.00	90.68	93.21
उपदान	0.30	-	-
ऋण			-
सरकारी	-	-	-
अन्य	131.07	123.53	110.62
व्यापारिक देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	65.55	60.42	61.05
योग अ	**296.29**	**288.00**	**278.25**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	247.13	274.03	278.96
घटाया: ह्रास	21.49	42.16	49.05
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	225.64	231.87	229.91
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	7.00	1.94	(-) 0.55

* नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (विशिष्ट निधि एवम् बाह्य निवेशों को छोड़कर), बाण्ड्स, जमा एवं ऋण (पुनः वित्त-पोषण सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	63.65	54.19	48.89
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	**296.29**	**288.00**	**278.25**
नियोजित पूँजी*''	**230.74**	**227.58**	**217.20**

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ. देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋण	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग अ	**368.03**	**434.18**	**507.15**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	-
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	**368.03**	**434.18**	**507.15**
स. नियोजित पूँजी*	**292.04**	**327.89**	**357.56**

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98 (पुनरीक्षित लेखा) (अनन्तिम)	1998-99 (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
आधिक्य	35.88	49.61	66.89
ऋण	158.75	130.91	121.63
जमा	46.82	76.59	111.82
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	250.78	274.14	290.26
देयताओं पर परिसम्पत्तियों का आधिक्य	0.03	1.49	0.43
योग अ	**492.26**	**532.74**	**591.03**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
(i) निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.39	1.50	1.73
(ii) निवेश	84.29	103.30	180.04
(iii) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	406.58	427.94	409.26
योग ब	**492.26**	**532.74**	**591.03**
स. नियोजित पूँजी*	**157.19**	**155.30**	**120.73**

** नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

* नियोजित पूँजी निवल परिसम्पत्तियां (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम)
अ- देयतायें			
ऋण	342.93		
लोन फन्ड			
(i) एलआईसी से		14.13	14.52
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार से		285.58	287.97
(iii) बैंक से			7.63
सरकार से अनुदान	4476.30	3886.88	3964.73
जमा	1211.09		
जालू देयताएँ	1565.11		
अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज	31.01	27.77	24.51
अन्य देयताएँ		1784.86	2477.32
(i) जमा (प्रोजेक्ट हेतु प्राप्ति धनराशि)	1211.09	1311.93	1402.01
(ii) ग्रेज्यूटी हेतु प्राविधान		6.85	5.32
पेंशन एवं ग्रेज्यूटी	6.00		
अवगीकृत आरक्षण	19.70		
एलएसजीइडी से जल निगम को स्थानान्तरित प्रोजेक्ट		9.08	9.06
योग - अ	**7652.14**	**7327.08**	**8193.07**
ब- परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	1021.96	23.52	25.93
घटाया -ह्रास	24.73	8.57	8.84
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	997.23	14.95	17.09
निवेश	302.89		
पीएफ में निवेश		206.71	195.60
प्रोजेक्ट			
(i) सामग्री		237.92	219.09
(ii) कार्य प्रगति पर		3305.31	3600.51
(iii) पूर्ण रूरल वाटर प्रोजेक्ट - यूपी जल निगम द्वारा संचालित		917.38	824.27
(iv) एलएसजीईडी से जल निगम को स्थानान्तरित रूरल वाटर वर्क प्रोजेक्ट का मूल्य		9.08	9.08
चालू परिसमपित्तयाँ	6226.67	1984.11	2622.80
ऋण एवं अग्रिम		502.36	499.39
घाटा	125.35	149.26	205.24
योग - ब	**7652.14**	**7327.08**	**8193.07**
स- नियोजित पूँजी*	**5658.79**	**3837.47**	**3879.31**

* नियोजित पूँजी निबल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगति कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट-5

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2001-02	2002-03	1.04.03 से 30.10.03 (अनन्तिम)	31.10.03 से 31.03.04 (अनन्तिम)
परिचालनगत				
(अ) राजस्व	662.70	741.04	489.36	304.96
(ब) व्यय	833.19	847.76	508.58	327.66
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	(-) 170.49	(-) 106.72	(-) 19.22	(-) 22.70
अपरिचालनगत				
(अ) राजस्व	64.31	71.24	12.51	10.09
(ब) व्यय	15.27	19.70	10.73	6.68
(स) आधिक्य(+)/कमी(-)	49.04	51.54	1.78	3.41
योग				
(अ) राजस्व	727.01	812.28	501.87	315.05
(ब) व्यय	848.46	867.46	519.31	334.34
(स) शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-) 121.45	(-) 55.18	(-) 17.44	(-) 19.29
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	15.27	19.70	10.73	6.68
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 106.18	(-) 35.48	(-) 6.71	(-) 12.61
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	-	-	-	-

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2001-02	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	93.73	85.59	65.62
(ब) अन्य आय	10.42	7.40	9.72
(स) एनपीए प्रावधान वापस लाए गए	7.96	4.02	-
(द) ह्रास में निवेश वापस लाये गये			0.08
योग 1	**112.11**	**97.01**	**75.42**
2. व्यय			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	155.94	142.06	142.79
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	--	--	--
(स) अन्य व्यय	28.37	25.13	25.37
योग 2	**184.31**	**167.19**	**168.16**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (1-2)	(-) 72.20	(-) 70.18	(-) 92.74
4. अन्य विनियोजन	--	--	--
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि*	--	--	--

* विशिष्ट आरक्षित निधि एवं कर निर्धारण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

विवरण	2001-02	2002-03 (अनन्तिम)	2003-04 (अनन्तिम)
6 लाभांश दत्त/देय	-	-	-
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	83.74	71.88	50.05
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	6.02	5.21	3.74

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	184.13	167.18	124.08
(ब) अन्य आय	0.28	0.77	0.29
योग 1	**184.41**	**167.95**	**124.37**
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	24.13	24.80	25.92
(ब) ब्याज	3.18	17.65	12.28
(स) अन्य व्यय	126.94	114.37	76.43
योग 2	**154.25**	**156.82**	**114.63**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	30.16	11.13	9.74
4. अन्य विनियोजन	-	-	-
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
6. वर्ष के लिए लाभांश	1.20	1.20	1.20
7. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	33.34	28.78	22.02
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	14.45	12.65	10.14

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	**276.15**	**262.73**	**345.94**
2. व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	**231.51**	**226.93**	**316.64**
शुद्ध लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(रूपये करोड़ में)

विवरण	1996-97	1997-98 (पुनरीक्षित लेखा) (अनन्तिम)	1998-99 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	51.81	52.07	46.61
(ब) अन्य आय	15.89	23.80	30.14
योग 1	**67.70**	**75.87**	**76.75**
2. व्यय			
(अ) स्थापना	25.87	30.39	36.16
(ब) ब्याज	14.63	11.34	4.07
(स) अन्य व्यय	19.70	20.41	19.24
योग 2	**60.20**	**62.14**	**59.47**
3. आय का व्यय पर आधिक्य	7.50	13.73	17.28
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	22.13	25.07	21.35
5. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	14.08	16.14	17.68

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04 (अनन्तिम)
1. आय			
सेन्टेज	87.34	62.61	49.53
सर्वे एवं परियोजना शुल्क	5.87	5.78	6.36
जल निगम द्वारा संचालित योजना पर ग्राहक से प्राप्ति		18.52	26.58
अन्य आय		6.68	5.25
वित्तीय क्रियाकलापों से आय		26.57	37.91
राजस्व अनुदान			
(i) रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से		42.38	15.08
(ii) एचआरडी के लिए सरकार से		0.59	
सी एण्ड डी एस की आय		21.21	26.07
नलकूप विंग की आय		1.32	1.37
ब्याज	59.78		
अनुदान	57.76		
अन्य	37.96		
योग -1	**248.71**	**185.66**	**168.15**
2. व्यय			
स्थापना प्रभार/परिचालन व्यय	150.78	160.02	156.10
रख-रखाव पर व्यय	47.18	29.72	31.42
ब्याज	26.90	19.31	15.95
अन्य व्यय	22.01		
ह्रास	0.95	0.53	0.44
सी एण्ड डीएस का व्यय		15.36	19.19
नलकूप विंग का व्यय		0.96	1.03
योग - 2	**247.82**	**225.90**	**224.13**
कमी(-)/आधिक्य(+)	(+) 0.89	(-) 40.24	(-) 55.98
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	27.79	(-) 20.93	(-) 40.03
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	0.49	-	-

परिशिष्ट-6

सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.13 में संदर्भित)

अ. कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	2001-02	2002-03	1.04 2003 से 31.10.2003	1.11.2003 से 31.03.2004
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या				
(अ) निगम की बसें	6186	6333	6597	5639
(ब) किराये की बसें	1008	902	1220	1166
योग	**7194**	**7235**	**7817**	**6805**
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	5460	5700	6020	5276
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत (निगम)	88	90	91	94
कर्मचारियों की संख्या	45960	44508	38195	37747
कर्मचारी वाहन अनुपात	7.43:1	7.03:1	5.21:1	5.82:1
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की संख्या	2145	2055	2190	1840
मार्ग किलोमीटर	470140	437747	490949	397076
परिचालित किलोमीटर (लाख में)				
(अ) सकल	6975	7126	4734	2962
(ब) प्रभावी				
(i) निगम की बसें	5742	6012	3857	2377
(ii) किराये की बसें	1057	940	735	478
कुल प्रभावी परिचालित किलोमीटर (लाख में)	6799	6952	4592	2855
(स) मृत किलोमीटर	176	174	124	89
सकल किलोमीटर से मृत किलोमीटर का प्रतिशत	2.52	2.44	1.57	2.05
औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	258	262	275	276
औसत परिचालन व्यय प्रति किलोमीटर (पैसे)	1247	1219	1126	1164
प्रति किमी औसत राजस्व व्यय (पैसे)	1068	1066	1089	1097
प्रति किमी परिचालन व्यय में पिछले वर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	2.89	-	*	*
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-) (पैसे)	(-) 179	(-) 153	(-) 37	(-) 67
परिचालित डिपो की संख्या	115	116	116	98
खराब होने की औसत संख्या प्रति लाख किलोमीटर पर	3.77	3.59	2.92	2.27
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.15	0.17		
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	2043	2167	1409	846

* गत वर्ष का तुलन पत्र दो भागों में नही बनाया गया, अतः तदनुरूप समयावधि में आधिक्य/कमी की गणना नही की जा सकती।

विवरण	2001-02	2002-03	1.04.2003 से 31.10.2003	1.11.2003 से 31.03.2004
धारित अनुपात	57	59	59	57
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटर:				
(अ) डीजल	4.82	4.79	4.85	4.94
(ब) ईजन तेल	1093	1058	1214	1611

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(रूपये करोड़ में)

विवरण	2001-02		2002-03		2003-04	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	38	12.09	26	14.82	66	35.34
प्राप्त आवेदन पत्र	766	246.35	890	406.08	360	164.83
योग	**804**	**258.44**	**916**	**420.90**	**426**	**200.17**
स्वीकृत आवेदन पत्र	620	161.73	610	203.77	266	94.42
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/ कम किये गये आवेदन पत्र	158	81.89	240	181.79	121	76.48
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	26	14.82	66	35.34	39	29.27
वितरित ऋण	386	100.19	610	203.77	241	86.55
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	16193	973.78	15602	916.87	14625	847.19
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	-	238.68	-	246.54	--	274.99
(ब) ब्याज	-	1001.07	-	1132.61	--	1735.47
योग (अ+ब)	**-**	**1239.75**	**-**	**1379.15**		**2010.46**
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	-	691.33	-	1227.06	--	865.39
योग	**-**	**691.33**	**-**	**1227.06**		**865.39**
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत		127.31		150.42	--	237.31

3. उत्तर पद्रेश राज्य भण्डारण निगम

विवरण	2001-02	002-03	2003-04
आवरित केन्द्रों की संख्या	185	147	152
वर्ष की समाप्ति तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	19.48	24.13	24.16
(ब) किराये पर	15.00	3.53	3.24
योग (अ+ब)	**34.48**	**27.66**	**27.40**
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	33.81	24.30	25.82
उपयोग का प्रतिशत	98.06	87.85	94.23
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	545.42	574.97	481.68
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	456.21	536.86	443.97
लाभ(+)/हानि(-) प्रति टन (रुपये)	(+) 89.21	(+)38.11	(+) 37.71

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	-
(इ) अन्तिम शेष	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी-बूटी (लाख किग्रा में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष*	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमियाँ	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

* प्रारम्भिक शेष मे वर्ष के दौरान उत्पादन सम्मिलित है।

परिशिष्ट-7

आन्तरिक लेखा परीक्षण/आन्तरिक नियन्त्रण पर टिप्पणियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 1.34 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	निगम मे औपचारिक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का अस्तित्व नही है
2.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	निगम में कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नही है।
3.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र एवम् प्रतिवेदन की समयावधि, अनरूप नही है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आन्तरिक लेखा परीक्षा की जाती है
4.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और उसका अनुपालन न तो संतोषजनक है, और न ही कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।
5.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	कम्पनी के आकार व व्यापार की प्रकृति को देखते हुए आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़कृत किये जाने की आवश्यकता है।
6.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नही है। कम्पनी को आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है एवं इसका नियन्त्रण अर्ह अभ्यर्थी के द्वारा किया जाना चाहिए।
7.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	निगम मे कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नही है।
8.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नही है निगम के कायक्षेत्र की प्रकृति एवं आकार को देखते हुए; आन्तरिक लेखा परीक्षा अनुभाग में स्टाफ की कार्यक्षमता, संख्या एवं उनकी योग्यता, के अनुरूप नही है। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखा परीक्षा, वर्ष की समाप्ति के बाद की जाती है एवं वर्ष 2003-04 के सम्वर्ती नही थी। आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का दायरा निगम के लेखे अनुभाग तक ही सीमित है, एवं कार्य संचालन प्रणाली की जाँच नही की जाती है जैसे कि बिल अनुभाग की वसूली, निवेश अनुभाग आदि। आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कार्यवाही की प्रगति निश्चित समयावधि मे सुनिश्चित नही की जा रही है।
9.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़कृत किये जाने की आवश्यकता है।
10.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली लागू नही है।
11.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र, दायरे एवं प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट-8

कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत पाँच वर्षों के दौरान पाँच करोड़ रूपये से कम थे तथा जिनके लेखे प्रमाणित किये गए, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.35 में संदर्भित)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	व्यवसाय (लाख रूपये में)				
			अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट लैदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2000-2001	360.44	193.35	165.94	193.19	157.90
2.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2004-2005	10.37	26.39	27.10	114.87	142.87
3.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-2004	36.66	43.46	44.68	59.12	90.51
4.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1996-97	321.66	289.92	265.81	270.09	233.44
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	1991-92	29.43	16.50	19.59	15.80	9.86
6.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1992-93	29.90	26.15	36.11	24.57	28.62
7.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	2002-2003	256.41	229.15	178.67	239.67	210.34
8.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1996-97	14.02	14.98	15.08	15.45	16.80
9.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2000-2001	6.72	22.19	19.76	17.25	17.79
10.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1998-99	136.79	124.92	19.31	72.85	14.06

परिशिष्ट-9

कम्पनियाँ, जो लगातार पाँच वर्षो से घाटा दे रही हैं, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.35 में संदर्भित)

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षो की हानि, जिससे निवल मूल्य ऋणात्मक हो गया					
1.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	18.10.1979	**वर्ष**	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**	**1992-93**	**1991-92**
			शुद्ध मूल्य	(-) 14377.84	(-) 11165.41	(-) 8112.91	(-) 5653.09	(-) 4214.43
			वर्ष के दौरान हानि	3212.23	3118.95	3044.82	2638.66	2855.52
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	**वर्ष**	**2003-04**	**2002-2003**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**
			शुद्ध मूल्य	(-) 5309.79	(-) 3455.04	(-) 3937.27	(-) 3384.15	(-) 4589.14
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 1854.66	690.17	571.61	806.23	906.82
3.	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	**वर्ष**	**2001-02**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**
			शुद्ध मूल्य	(-) 9348.20	(-) 8139.17	(-) 6778.46	(-) 5813.21	(-) 4845.62
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 1209.03	(-) 1469.82	959.32	945.25	809.13
4.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	30.05.1986	**वर्ष**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**
			शुद्ध मूल्य	(-) 4660.48	(-) 1248.44	(-)3521.21	(-) 894.86	(-) 2352.37
			वर्ष के दौरान हानि	662.64	476.64	548.52	625.83	404.08
5.	यूपीएसआईसी पौट्रीज लिमिटेड	27.04.1976	**वर्ष**	**1991-92**	**1990-91**	**1989-90**	**1988-89**	**1987-88**
			शुद्ध मूल्य	(-) 249.33	(-) 196.48	(-) 149.43	(-) 129.77	(-) 93.44
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 52.88	47.05	36.67	36.33	26.57
6.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड	10.04.1977	**वर्ष**	**20004-05**	**2003-2004**	**2002-2003**	**2001-2002**	**अक्टूबर 1999 से मार्च 2001**
			शुद्ध मूल्य	(-) 516.19	(-) 604.59	(-) 486.92	(-) 441.06	(-) 148.21
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 61.59	116.04	195.02	282.05	108.63
7.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	29.03.1972	**वर्ष**	**2003-04**	**2002-2003**	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**
			शुद्ध मूल्य	(-) 36468.45	(-) 22633.69	(-) 17939.83	(-) 10547.51	(-) 3665.22
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 13834.76	4693.86	7392.32	6882.29	5968.76

परिशिष्ट–10

अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619–बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 1.37 में संदर्भित)

(5 से 20 तक के स्तम्भों में आँकड़े: लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यरत/ अकार्यरत)	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	अंश पूंजी				ऋण			अनुदान			अंश पूंजी, ऋण एंव अनुदान द्वारा कुल निवेश			लाभ(+) /हानि(-)	संचित लाभ(+) /हानि(-)
					राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	अन्य	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियों	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	कार्यरत	2004-05	200.00	-	82.00 (41.00)	40.00 (20.00)	78.00 (39.00)	-	25.00	-	-	-	-	-	107.00	40.00	(+) 14.15	(-)90.51
.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	अकार्यरत	1994-95	24.25	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-	-	-	25.00	-	-	25.00	-	-	(+)0.003	(-) 7.06
-	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	अकार्यरत**		-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	अकार्यरत	1978-79	90.00	-	55.00 (61.11)	-	35.00 (38.89)	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	(-)45.00	-

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़ें प्रदत्त पूँजी से प्रतिशतता को दर्शाते है।

* कम्पनी के द्वारा सूचना उपलब्ध नही करायी गयी।

** लेखे आरम्भ से ही अन्तिमोकृत नहीं हुए।

परिशिष्ट–11

भूमि अधिग्रहण में हुये विलम्ब को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.10 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	जिला	गाँव	भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई धनराशि (लाख रुपये में)	एक वर्ष के बाद विलम्ब
1.	बुलन्दशहर	जाली	188.410	24.11.01	54.16	28
		मालपुर	175.315	24.11.01	58.35	28
		मेहताबपुर	271.740	3.1.02	79.13	26
		नगलाचिती	263.190	21.3.98	38.32	72
		निजामपुर	306.320	21.3.98 9.1.01	95.57 95.57	72 38
2.	गाजियाबाद	पक्षनिया	284.770	3.9.02	99.88	18
		लुतफुल्लापुर	80.048	13.9.02	148.05	18
		इलायचीपुर	210.00	29.1.01 20.1.01	147.33 115.76	38 38
		मीरपुर	562.750	30.12.02	585.26	15
		मसौरी गुलावटी	404.76	10.8.03 11.12.03	398.89 5.12	7 3
3.	रामपुर	नगलाबाडवा	85.09	13.11.02	42.02	16
4.	एटा	कुरावली	1.110	31.12.03	0.26	3
5.	उन्नाव					
		बन्थर (ग्रीन बेल्ट)	12.859	13.12.02	5.91	15
		लेदर काम्पलेक्स	4.344	25.11.00	1.43	51
		एस.ई.जेड, देवरा कला	14.341	26.5.03	180.08	10
6.	चन्दौली	रामनगर	75.478	31.3.02	39.88	24
7.	मऊ/ओधारा	ओधरा, कटरा	92.182	29.9.02	35.18	16
		तेजोपुर ओधरा बिहारीपुर	1.758 0.187 1.995	31.3.94 31.3.94 31.3.94	0.20	120
8.	बाराबंकी	गज्जौर	12.500	3.2.98	2.40	73
9.	शाहजहाँपुर	जामौर	13.470	28.5.02	6.19	22
10.	मुरादाबाद	पकवाड़ा, सम्मल, हाशिमपुर, माहलकपुर का रोड सौदर्यीकरण कार्य	57.635	15.7.03	17.51	8
		लालपुर गंजवारी	4.751	17.12.03	2.97	3
		बहादुरपुर मालीपुर गंगाधर की बेदी रतनपुर फजलपुर लालपुर गंजवारी	217.960 143.500 75.960 199.440 5.920 32.960	 4.8.03	 468.49	 7
11.	सुल्तानपुर	त्रिशुंडी	0.228	16.8.01	0.54	31
		योग	**3800.971**		**2724.45**	

परिशिष्ट–12

औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण, जहाँ भूखण्डों का आबंटन 50 प्रतिशत से नीचे रहा, दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.28 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र	आबंटन के लिए उपलब्ध भूखण्ड		आबंटित प्लाट			अनाबंटित प्लाट		आबंटन का प्रतिशत	प्रति एकड़ दर	मूल्य (लाख रुपये में)
		संख्या	क्षेत्र	इकाई	भूखण्ड	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र			
	लखनऊ										
1.	छोटे औद्योगिक क्षेत्र	18	5.16	--	--	--	18	185.16	शून्य	2.43	12.54
2.	डीह	4	0.53	1	1	0.20	3	0.33	37.74	2.43	0.80
3.	जामो	4	2.37	--	--	--	4	2.37	शून्य	1.21	2.87
	आगरा										
4.	भौगाँव	190	169.61	11	74	50.61	116	113.00	29.84	4.05	457.65
	कानपुर										
5.	सुमेरपुर	297	320.40	138	149	155.49	148	164.91	48.53	5.06	834.44
6.	जीसी, झांसी	90	45.38	13	21	17.03	69	28.35	37.52	9.31	263.94
7.	जीसी, जैनपुर	462	118.58	292	293	57.55	169	61.03	48.53	8.50	518.76
	इलाहाबाद										
8.	बारगढ़ II औद्योगिक क्षेत्र	127	55.62	2	3	2.69	124	52.93	4.84	3.04	160.91
	योग	**1192**	**717.65**				**651**	**608.08**			**2251.91**

परिशिष्ट-13

आबंटियो द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटियो द्वारा 31 मार्च 2005 तक पाँच वर्षो की अवधि में उपयोग न किये गये भूखण्ड को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.28 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	भूखण्डो की संख्या	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	आबंटन का दिनांक	प्लाट का मूल्य (रुपये लाख में)
1.	बस्ती	1	4	8468	13.10.81 से 3.5.01	12.70
2.	देवरिया	1	6	5871.16	18.1.90 से 28.11.91	8.81
3.	खलीलाबाद	1	20	45930.24	31.3.86 से 15.1.03	114.83
4.	मऊ	1	34	29395.41	10.3.84 से 12.10.03	117.58
5.	सिधवन	1	8	23986.90	4.5.92 से 7.4.95	29.98
6.	बुरेंदी	1	7	5676	19.11.92 से 22.2.97	5.68
7.	नैनी	1	13	2600	**11.12.73** से **6.3.2000**	7.80
8.	अमांसी	1	3	14175	11.12.86 से 20.11.96	113.40
9.	सरोजनीनगर	1	19	28570	25.5.79 से 8.4.96	228.56
10.	फैजाबाद I एवं II	2	7	20137.81	20.6.89 से 28.4.99	50.34
11.	लखीमपुर	1	9	7549.95	20.3.92 से 19.12.98	15.10
12.	रायबरेली I एवं II	2	11	31611.07	18.7.76 से 11.12.95	63.22
13.	जगदीशपुर	5	32	215891	24.3.85 से 24.3.99	431.78
14.	लालगंज औद्योगिक क्षेत्र	1	9	5881	3.12.90 से 19.1.98	3.53
15.	ट्रोनिका सिटी	1	46	78188	21.2.98 से 16.2.98	938.20
	योग	**21**	**228**	**523931.54**		**2141.56**

परिशिष्ट–14

औद्योगिक क्षेत्र जहाँ प्लाट का उपयोग अतितीव्रगामी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत, तीव्रगामी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत तथा मन्दगामी क्षेत्रों में पाँच प्रतिशत से कम कम भूखण्डों का उपयोग कम था, दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.28 में सन्दर्भित)

	आवंटित भूमि			भूमि का उपयोग		उत्पादन में इकाइयों की प्रतिशतता
	इकाइयों की संख्या	भूखण्ड	क्षेत्र	इकाई	क्षेत्र	
अति द्रुतगामी						
मसौरी गुलावटी	949	1690	718.75	18	47.74	1.90
सूरजपुर-साइट IV	333	339	133.47	39	40.91	11.71
सूरजपुर-साइट V	1090	1174	347.48	35	37.09	3.21
ईपीआईपी	275	329	88.44	9	4.78	3.27
ट्रोनिका	1021	1023	229.55	62	17.40	6.07
पनकी साइट टैक्सटाइल काम्पलेक्स	59	62	12.43	शून्य	शून्य	शून्य
तीव्रगामी						
ईपीआईपी आगरा	114	228	50.88	5	4.45	4.38
कोसी- II आईए	245	258	177.34	8	9.05	3.27
आईआई डीसी कोसी	358	370	23.11	1	0.07	0.27
एस.ई.जेड. मुरादाबाद	42	42	80.80	1	30.39	2.38
सिकन्दराबाद, गोपालपुर	163	310	85.65	8	12.54	4.90
बन्थर इण्डस्ट्रियल	105	148	118.40	शून्य	शून्य	शून्य
बन्थर, आईआईडीसी	119	264	16.28	शून्य	शून्य	शून्य
रूमा एक्सटेंशन	56	56	50.57	शून्य	शून्य	शून्य
मन्दगामी						
कोसी आईआईडीसी	358	370	23.11	1	0.07	0.28
फिरोजाबाद औद्योगिक	201	201	325.39	3	18.12	1.49
ताला नगरी- I	630	646	91.61	19	2.55	3.02
ताला नगरी- II	305	318	61.68	11	5.36	3.60
बुरेन्दी	50	62	19.25	2	1.67	4.00
बरगढ़- II	2	3	2.69	शून्य	शून्य	शून्य
बरगढ़- I	1	1	499.00	शून्य	शून्य	शून्य
करखियान	37	39	15.12	शून्य	शून्य	शून्य
रामपुर	1	1	12.94	शून्य	शून्य	शून्य
जीसी झांसी	13	21	17.03	शून्य	शून्य	शून्य
फर्रूखाबाद	4	4	40.07	शून्य	शून्य	शून्य
जीसी जैनपुर	292	293	57.55	शून्य	शून्य	शून्य
कुर्सी रोड, एग्रो पार्क	50	60	17.36	2	5.12	4
सलोन	1	1	92.01	शून्य	शून्य	शून्य
गौरीगंज	3	11	67.37	शून्य	शून्य	शून्य
जगदीशपुर	1	3	702.85	शून्य	शून्य	शून्य
मुसाफिरखाना	6	37	7.77	शून्य	शून्य	शून्य
संग्रामपुर	5	11	1.71	शून्य	शून्य	शून्य
शुक्लबाजार	2	9	1.67	शून्य	शून्य	शून्य
टिकरिया	96	197	144.72	4	82.13	4.16
उतेलवा	2	2	175.00	शून्य	शून्य	शून्य
बागपत	1	104	16.02	शून्य	शून्य	शून्य
उरई- II औद्योगिक	176	179	143.90	19	42.76	10.79
रूमा टेक्सटाइल्स	147	158	34.80	शून्य	शून्य	शून्य

परिशिष्ट–15

पाँच वर्षो से अधिक अवधि से विवाद में/विशेष उद्देश्य/बहाली में रहे भूखण्ड का विवरण

(प्रस्तर 2.1.28 में सन्दर्भित)

क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्डों की संख्या	एरिया (एकड़ में)	प्रति एकड़ दर (लाख रुपये में)	मूल्य (लाख रुपये में)
आगरा				
फाउन्ड्री नगर	25	26.96	40.47	1091.07
सिकन्दरा (अ एवं ब)	5	4.27	40.47	172.81
मथुरा अ	82	91.70	24.28	2226.48
बरेली				
परसा खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र	2	2.19	12.14	26.59
गाजियाबाद				
बुलन्दशहर, खुर्जा	1	0.69	6.07	4.19
सिकन्दराबाद आईए	9	8.71	16.19	141.01
सिकन्दराबाद (गोपालपुर)	26	5.38	16.19	87.10
दासना	18	7.81	80.94	632.14
लोहा मंडी	24	1.67	202.35	337.92
एसएस जीटी रोड	6	9.75	105.22	1025.90
सेक्टर–17 कविनगर	6	2.30	121.41	279.24
बुलन्दशहर रोड	7	5.39	105.22	567.14
साइट- II लोनी रोड	5	7.17	113.32	812.50
साइट- III मेरठ रोड	11	20.40	105.22	2146.49
साइट- IV साहिबाबाद	21	35.35	129.50	4577.83
गोरखपुर				
खलीलाबाद	7	0.87	10.12	8.80
कानपुर				
उरई- I	1	0.44	5.06	2.23
उरई- II	5	3.78	5.06	19.13
बिजौली	6	4.44	12.14	53.90
पनकी साइट- I	1	0.91	56.66	51.56
पनकी साइट- V	2	0.21	68.80	14.45
जैनपुर	11	16.77	10.12	169.71
रनिया- I	4	2.10	12.14	25.49
उन्नाव- II	1	0.49	20.24	9.92
लखनऊ				
अमौसी	2	1.42	32.38	45.98
रायबरेली	1	1.29	2.43	3.13
सलोन इण्डस्ट्रियल इस्टेट	8	1.44	2.43	3.50
मेरठ				
मुजफ्फरनगर बेगराजपुर	40	11.28	12.14	136.94
सूरजपुर				
साइट – II	9	6.25	44.52	278.25
साइट- III	3	4.36	44.52	194.11
साइट- IV	2	1.17	72.85	85.23
साइट-V	3	2.67	64.75	172.88
योग	**354**	**289.63**		**15403.62**

परिशिष्ट-16

भूमि के मूल्य-दरों के लिए पुनर्निधारण को दर्शाती विवरण

(प्रस्तर 2.1.29 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक क्षेत्र के दर रुपये प्रति वर्ग मीटर में					
		1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	4	5	6	7	8	9
	अति द्रुतगामी						
	दो वर्षो से मूल्य-दर का निर्धारण नही						
1.	पनकी साइट-V	**800.00**	800.00	800.00	**850.00**	**950.00**	**1700.00**
2.	सूरजपुर साइट- II	**500.00** **450.00**	500.00 450.00	500.00 450.00	**600.00** **500.00**	**850.00** **700.00**	**1400.00** **1000.00**
3.	सूरजपुर साइट- III	**500.00** **450.00**	500.00 450.00	500.00 450.00	**600.00** **500.00**	**850.00** **700.00**	**1400.00** **1000.00**
4.	दासना	**1000.00**	**1250.00**	1250.00	1250.00	**1500.00**	**2000.00**
5.	लोहामंडी	**1400.00**	**2500.00**	2500.00	2500.00	**2750.00**	**5000.00**
6.	लोनी इन्डस्ट्रियल स्टेट	**1200.00**	**1500.00**	1500.00	1500.00	**1750.00**	**1800.00**
7.	एसएस जीटी रोड	**1200.00**	**1500.00**	1500.00	1500.00	**1750.00**	**2600.00**
8.	सेक्टर-17 कवि नगर	**1200.00**	**1500.00**	1500.00	1500.00	**1750.00**	**3000.00**
9.	सेक्टर-22	**1200.00**	**1500.00**	1500.00	1500.00	**1750.00**	**2600.00**
10.	साइट- I बीएस आर रोड	**1200.00**	**1500.00**	1500.00	1500.00	**1750.00**	**2600.00**
11.	साइट- III लोनी रोड	**1200.00**	**1500.00**	1500.00	1500.00	**1750.00**	**2600.00**
12.	साइट- III मेरठ रोड	**1200.00**	**1500.00**	1500.00	1500.00	**1750.00**	**2600.00**
13.	साइट- IX साहिबाबाद	**1400.00**	**1900.00**	1900.00	1900.00	**2150.00**	**3200.00**
14.	सूरजपुर साइट- IV	**500.00**	**850.00** **600.00**	850.00 600.00	850.00 600.00	**1500.00** **1300.00**	**2700.00** **2200.00**
15.	ट्रोनिका औद्योगिक	**890.00** **820.00**	**1300.00** **1100.00** **950.00**	1300.00 1100.00 950.00	1300.00 1100.00 950.00	**1500.00** **1300.00** **1200.00**	1500.00 1300.00 1200.00
16.	मसौरी गुलावटी	**365.00**	**490.00**	490.00	490.00	**490.00**	**900.00**
17.	सूरजपुर साइट- II	**600.00**	**750.00**	750.00	750.00	**1000.00**	**1700.00**
18	मसौरी गुलावटी आईआईडीसी	-	**450.00**	450.00	450.00	**500.00**	**900.00**
	तीन वर्षो से मूल्य-दर का पुनर्निधारण नही						
1.	पनकी साइट- I	**700.00**	700.00	700.00	700.00	**850.00**	**1400.00**
2.	पनकी साइट- II	**700.00**	700.00	700.00	700.00	**850.00**	**1300.00**
3.	पनकी साइट- III	**700.00**	700.00	700.00	700.00	**850.00**	**1300.00**
4.	सूरजपुर साइट-V	**600.00** **450.00**	600.00 450.00	600.00 450.00	600.00 450.00	**1400.00** **1200.00**	**2500.00** **1900.00**
	चार वर्षो से प्रीमियम का निर्धारण नही						
1.	सूरजपुर साइट- I	**600.00**	600.00	600.00	600.00	600.00	**2800.00**
	द्रुतगामी क्षेत्र						
	दो वर्ष से मूल्य-दर का निर्धारण नही						
1.	गोरखपुर	**125.00**	125.00	125.00	**250.00**	**400.00**	400.00
2.	मऊ	**125.00**	125.00	125.00	**250.00**	**400.00**	400.00
3.	चन्दौली रामनगर	**300.00**	**400.00**	400.00	400.00	**600.00**	**700.00**
4.	बुलन्दशहर, खुर्जा	**उपलब्ध नही**	**65.00**	65.00	65.00	**100.00**	**150.00**
5.	उन्नाव- II	**200.00**	**370.00**	370.00	370.00	**450.00**	**500.00**

1	2	4	5	6	7	8	9
6.	उद्योगपुरम	**415.00**	**500.00**	500.00	500.00	**700.00**	**800.00**
7.	फाउन्ड्री नगर	**300.00**	**500.00**	500.00	500.00	**700.00**	**1000.00**
8.	सिकन्दरा-अ	**300.00**	**500.00**	500.00	500.00	**700.00**	**1000.00**
9.	सिकन्दरा-ब	**300.00**	**500.00**	500.00	500.00	**700.00**	**1000.00**
10.	सिकन्दरा-स	**300.00**	**400.00**	400.00	400.00	**600.00**	**900.00**
11.	बेगराजपुर	**100.00**	**200.00**	200.00	200.00	**300.00**	300.00
12.	बन्थर औद्योगिक क्षेत्र	**450.00** **650.00**	**370.00** **460.00**	370.00 460.00	370.00 460.00	**550.00** **450.00**	**500.00** **600.00**
	तीन वर्षों से मूल्य-दर निर्धारण नही						
1.	कोसी कलॉ	**200.00**	200.00	200.00	200.00	**200.00**	**400.00**
2.	कोसी- II आईए	**225.0**	225.0	225.0	225.0	**275.00**	**400.00**
3.	गजरोला- II	**150.00**	150.00	150.00	150.00	**250.00**	**300.00**
4.	कोसी आईआईडीसी	**200.00**	**330.00**	330.00	330.00	330.00	**400.00**
5.	सिधवन	**90.00**	**100.00**	100.00	100.00	100.00	**125.00**
6.	सिकन्दरा आईए	**350.00**	**400.00**	400.00	400.00	400.00	**450.00**
7.	अमौसी	**500.00**	**525.00**	525.00	525.00	525.00	**800.00**
8.	चिनहट	**500.00**	**525.00**	525.00	525.00	525.00	**800.00**
9.	सरोजनीनगर	**500.00**	**525.00**	525.00	525.00	525.00	**800.00**
10.	परतापुर	**250.00**	**500.00**	500.00	500.00	500.00	**700.00**
11.	एसजी काम्पलेक्स	**250.00**	**500.00**	500.00	500.00	500.00	**700.00**
	चार वर्ष से मूल्य-दर का निर्धारण नही						
1.	बाजपुर- I	**125.00**	125.00	125.00	125.00	125.00	**560.00**
2.	बाजपुर- II	**125.00**	125.00	125.00	125.00	125.00	**560.00**
3.	काशीपुर	**100.00**	100.00	100.00	100.00	100.00	**560.00**
4.	पीपलासना	**100.00**	100.00	100.00	100.00	100.00	**560.00**
5.	चमोली	**112.50**	112.50	112.50	112.50	112.50	**112.50**
6.	जशोधरापुर	**110.00**	110.00	110.00	110.00	110.00	**560.00**
7.	कोटद्वार	**110.00**	110.00	110.00	110.00	110.00	**560.00**
8.	हरद्वार आईडी	**200.00**	200.00	200.00	200.00	200.00	**560.00**
9.	रूढ़की	**73.00**	73.00	73.00	73.00	73.00	**560.00**
10.	हरद्वार- II	**400.00**	400.00	400.00	400.00	400.00	**560.00**
	पॉच वर्षों से मूल्य-दर का निर्धारण नही						
1.	मोहन	**25.00**	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.	नैनीताल भीमताल	**125.00**	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3.	सेलाकुड़ी	**120.00**	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
4.	मुनि की रेती	**175.00**	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00

नोटः मोटे अक्षरों में दिये गये आंकड़े मूल्य-दर पुनर्निधारण को प्रदर्शित करते है।

परिशिष्ट-17

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो में स्थानीय निवासियों द्वारा कब्जा की गई भूमि को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.31 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूमि का अतिक्रमण (वर्ग मी. में)			कुल अतिक्रमित भूमि (वर्ग मी. में)	मूल्य-दर की वर्तमान दर (रुपये में)	अतिक्रमित औद्योगिक भूखण्डों का मूल्य (लाख रुपये में)
		औद्योगिक भूखण्ड	खुली जगह	सड़क के किनारे			
1.	साइट-4 साहिबाबाद	11294	4850	10232	26376	3200	361.41
2.	साइट-3 मेरठ रोड	1000	8000	490	9490	2600	26.00
3.	साइट-2 लोनी रोड	44432	65828	4046	114306	2800	1244.10
4.	लोहामंडी	7072	2700	--	9772	5000	353.60
5.	साउथ साइट जीटी रोड	26501	5050	540	32091	2600	689.03
6.	साइट-I बुलन्दशहर	--	3000	14565	17565	2000	--
7.	औद्योगिक क्षेत्र लोनी स्टेट	--	8092	540	8632	1800	--
8.	सेक्टर-22 मेरठ रोड	--	610	2160	2770	2600	--
9.	सेक्टर-17 कवि नगर	--	--	235	235	3000	--
	योग	**90299**	**98130**	**32808**	**221237**		**2674.14**

परिशिष्ट-18

उपयोग न किये गये भूखण्डों का अनिरस्तीकरण दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.1.34 में सन्दर्भित)

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्डों की संख्या	प्राप्त मूल्य-दर की धनराशि (लाख रुपये में)	वसूल किया गया हस्तातंरण शुल्क	योग (लाख रुपये में) (3+4)	हस्तांतरण के दिनांक को लागू मूल्य-दर से धनराशि (लाख रुपये में)	अन्तर (लाख रुपये में) (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
सुरजपुर वीएफएम	51	197.20	84.63	281.83	642.09	360.26
गाजियाबाद वीएफएम	6	0.93	9.10	10.03	57.39	47.36
कानपुर, पनकी, एफएम	4	24.32	11.45	35.77	87.80	52.03
गोरखपुर, एफएम	2	3.01	3.33	6.34	71.87	65.53
लखनऊ एफएम	1	0.18	1.43	1.61	9.52	7.91
योग	**64**	**225.64**	**109.94**	**335.58**	**868.67**	**533.09**

परिशिष्ट-19

2002-03 से 2004-05 तक तीन वर्षों के दौरान स्वतः रोजगार योजना (बैकेबुल योजना) के अन्तर्गत कुल वित्त पोषित परियोजनाओं तथा अलाभकारी परियोजनाओं की संख्या दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.11 में संदर्भित)

क्रम संख्या	जिला का नाम	2002-03					2003-04					2004-05 (दिसम्बर तक)				
		वित्त- पोषित परियोजनाओं की कुल संख्या	0.20 लाख रूपये तक वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या			कालम 3 का कालम 6 पर प्रतिशत	वित्त पोषित परियोजनाओं की कुल संख्या	0.20 लाख रुपये तक वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या			कालम 8 का कालम 11 पर प्रतिशत	वित्त पोषित परियोजनाओं की कुल संख्या	0.20 लाख रुपये तक वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या			कालम 13 का कालम 16 पर प्रतिशत
			कृषि	अकृषि	कुल			कृषि	अकृषि	कुल			कृषि	अकृषि	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आगरा	2376	639	190	829	35	1993	436	200	636	32	1104	250	150	400	36
2.	अलीगढ़	2252	1388	211	1599	71	1272	897	94	991	78	1092	681	78	759	70
3.	मेरठ	1802	576	212	788	44	1948	626	126	752	38	870	183	76	259	30
4.	बुलन्दशहर	2167	1041	170	1211	56	2601	1191	161	1352	52	1487	675	75	750	50
5.	गाजियाबाद	1011	119	216	335	33	1438	215	292	507	35	751	55	169	224	30
6.	सहारनपुर	1162	263	164	427	36	1049	181	150	331	32	528	45	30	75	14
7.	मुजफ्फरनगर	1453	502	344	846	58	1385	401	249	650	47	683	110	235	345	50
8.	मुराबादाबाद	1603	1171	370	1541	96	2868	1889	811	2700	94	528	370	142	512	97
9.	जे.पी. नगर	1662	1211	125	1336	80	959	582	71	653	68	465	330	20	350	75
10.	रामपुर	1353	649	554	1203	89	1523	1039	421	1460	96	1020	821	83	904	89
11.	बिजनोर	1862	912	223	1135	61	1776	1046	345	1391	78	985	689	50	739	75
12.	बरेली	1418	605	315	920	65	1011	435	256	691	68	888	236	62	298	33
13.	पीलीभीत	990	724	209	933	94	1208	896	231	1127	93	541	362	179	541	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	शाहजहाँपुर	2929	1822	1104	2926	99	3002	1794	1149	2943	98	1663	963	664	1627	98
15.	लखनऊ	860	278	256	534	62	1433	673	197	870	61	922	585	273	858	93
16.	हरदोई	3518	2840	150	2990	85	3481	2482	45	2527	73	1834	1473	73	1546	84
17.	लखीमपुर	5588	4715	206	4921	89	4885	4074	66	4140	85	2855	2388	159	2547	89
18.	सीतापुर	4548	3755	727	4482	99	3501	3144	312	3456	99	1676	1310	249	1559	93
19.	वाराणसी	1344	138	1085	1223	91	1661	558	1012	1570	95	908	328	527	855	94
20.	जौनपुर	3035	1959	990	2949	97	2663	2433	183	2616	98	2310	1773	486	2259	98
21.	आजमगढ़	3089	1712	1353	3065	99	3189	1745	1413	3158	99	1656	902	738	1640	99
22.	बस्ती	1562	642	870	1512	97	1520	763	724	1487	98	1310	351	936	1287	98
23.	बहराइच	987	882	82	964	98	1124	1067	56	1123	99	671	619	41	660	98
24.	गोण्डा	1672	1513	74	1587	95	1971	1667	42	1709	87	2472	2062	36	2098	85
		50243	**30056**	**10200**	**40256**	**80**	**49461**	**30234**	**8606**	**38840**	**79**	**29219**	**17561**	**5531**	**23092**	**79**

परिशिष्ट-20

2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल वित्त-पोषित परियोजनाओं तथा उनके भौतिक सत्यापन की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.13 में संदर्भित)

क्रम संख्या	जिला का नाम	वित्त पोषित परियोजनाओं की कुल संख्या	सत्यापित परियोजनाओं की संख्या	अस्तित्व में नहीं पायी गई परियोजनाओं की संख्या	सत्यापित नहीं की गयी परियोजनाओं की संख्या
1.	मेरठ	8450	2630	89	5820
2.	बुलन्दशहर	11136	1163	--	9973
3.	गाजियाबाद	6118	107	--	6011
4.	सहारनपुर	6082	440	17	5642
5.	रामपुर	6123	79	--	6044
6.	बिजनौर	7274	907	96	6367
7.	बरेली	7183	889	48	6294
8.	पीलीभीत	5103	684	--	4419
9.	शाहजहाँपुर	11185	1378	--	9807
10.	लखनऊ	9433	2393	--	7040
11.	लखीमपुर	22631	319	--	22312
12.	सीतापुर	16703	786	19	15917
13.	वाराणसी	5941	190	--	5751
14.	जौनपुर	13039	474	--	12565
15.	आजमगढ़	12792	341	--	12451
16.	बस्ती	7163	994	--	6169
17.	बहराइच	4753	385	18	4368
18.	गोण्डा	10775	708	--	10067
	योग	**171884**	**14867**	**287**	**157017**
	उपदान की राशि (करोड़ रुपये में)	158.66	14.16	0.29	345.44

परिशिष्ट-21

वर्ष 2002-03 से 2004-05 (दिसम्बर 2004 तक) के दौरान स्वतः रोजगार योजना (बैकेबुल) के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित धनराशि तथा 'लेखा विवरण' की प्राप्ति की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.14 में संदर्भित)

(मूल्यः लाख रुपये में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	परियोजनाएँ जिनके सापेक्ष धनराशि बैंक को प्रेषित		परियोजनाएँ जिनके सापेक्ष धनराशि बैंक द्वारा वापस की गई		परियोजनाएँ जिनके सापेक्ष 'लेखा विवरण' प्राप्त हुए		परियोजनाएँ जिनके सापेक्ष 'लेखा विवरण' प्राप्त नहीं हुए		अप्राप्त 'लेखा विवरण' का शुद्ध प्रेषित धनराशि पर प्रतिशत 9/(3-5)×100
		संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आगरा	5473	1489.52	0	0.00	599	136.12	4874	1353.40	89.06
2	अलीगढ़	4616	1077.74	60	13.00	2030	369.38	2526	695.36	55.44
3	फिरोजाबाद	3696	765.11	29	7.84	2098	424.84	1569	332.43	42.79
4	मेरठ	4297	1223.38	43	12.64	3464	991.70	790	219.04	18.57
5	सहारनपुर	2739	726.24	57	14.58	1791	446.14	891	265.52	33.22
6	मुजफ्फरनगर	3521	874.74	115	29.42	2897	723.24	509	122.08	14.94
7	मुरादाबाद	4408	965.47	150	21.66	903	195.11	3355	748.70	78.79
8	जे.पी. नगर	2987	612.54	0	0.00	298	59.60	2689	552.94	90.02
9	रामपुर	3409	710.82	61	12.20	599	141.75	2749	556.87	82.11
10	बिजनोर	4236	801.84	147	24.80	1329	261.04	2760	516.00	67.50
11	बरेली	3904	1007.26	69	10.14	424	130.74	3411	866.38	88.94
12	पीलीभीत	2287	462.08	84	15.14	745	151.08	1458	295.86	66.18
13	शाहजहाँपुर	6729	1356.78	0	0.00	3678	705.00	3051	651.78	45.34
14	लखनऊ	3215	760.36	64	14.94	2340	549.40	811	196.02	25.74
15	सीतापुर	8119	1777.55	15	3.16	3913	779.89	4191	994.50	51.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	वाराणसी	3913	782.60	0	0.00	1783	356.60	2130	426.00	54.43
17	जौनपुर	8008	1601.60	0	0.00	3426	685.20	4582	916.40	57.22
18	आजमगढ़	7937	1602.21	91	18.20	3808	761.60	4038	822.41	51.47
19	बस्ती	4392	892.54	162	32.44	2811	572.79	1419	287.31	33.55
20	बहराइच	2930	586.00	0	0.00	1294	258.80	1636	327.20	55.84
21	गोण्डा	6121	1223.30	0	0.00	4295	859.00	1826	364.30	29.83
		96937	**21299.68**	**1147**	**230.16**	**44525**	**9559.02**	**51265**	**11510.50**	**53.52**

परिशिष्ट-22

2004-05 तक पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त ऋण निधि, वितरण, लाभार्थियों से की गई वसूली तथा एनएसएफडीसी तथा आरएसकेवीवीएन को किए गये पुनर्भुगतान को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.2.17 में सन्दर्भित)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		योग	
	एनएसए फडीसी	आरएसके वीवीएन	एनएसए फडीसी	आरएसकेवी वीएन	एनएसएफडी सी	आरएसकेवी वीएन	एनएसएफड ीसी	आरएसकेवीव ीएन	एनएसएफ डीसी	आरएसकेवी वीएन	एनएसएफ डीसी	आरएसके वीवीएन
उपयोग न की गई राशि का प्रारम्भिक शेष	--	--	8.32	0.02	22.77	2.08	22.49	7.92	1.78	4.55		--
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण निधि	14.35	1.00	25.16	3.01	25.47	11.54	8.15	5.54	40.58	11.90	**113.71**	**32.99**
एनएसएफडीसी/आरएसकेवीवीएन को वापस की गई राशि (संभावित लाभार्थियों की पहचान न करने के कारण	0.75	--	--	--	8.22	2.51	11.40	4.05	0.05	0.02	**20.42 (18)**	**6.58**
वितरण हेतु उपलब्ध शुद्ध ऋण निधि	13.60	1.00	33.48	3.03	40.02	11.11	19.24	9.41	42.31	16.43		--
उपयोग की गयी निधि	5.28	0.98	10.71	0.95	17.53	3.19	17.46	4.86	25.91	उपलब्ध नहीं	**76.89 (68)**	--
उपयोग न की गयी ऋण निधि का वर्ष के अन्त में अवशेष	8.32	0.02	22.77	2.08	22.49	7.92	1.78	4.55	16.40 (14)	उपलब्ध नहीं		--
एनएसएफडीसी/आरएसकेवीवीएन को पुनर्भुगतान की गई राशि	6.42	0.02	7.61	0.39	10.68	1.00	11.27	1.37	18.01	4.72	**53.99**	**7.50**
लाभार्थियों से की गई वसूली	3.30	--	5.36	0.18	5.70	0.42	8.08	0.63	7.21	0.97	**29.65**	**2.20**
लाभार्थियों से की गई वसूली के सापेक्ष एनएसएफडीसी/आरएसकेवीवीएन को अधिक किया गया पुनर्भुगतान	3.12	0.02	2.25	0.21	4.98	0.58	3.19	0.74	10.80	3.75	**24.34**	**5.30**

नोट: कोष्ठक में दी गई संख्याएं प्रतिशत दर्शाती है।

परिशिष्ट-23

एनएसएफडीसी तथा आरएसकेवीवीएन द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा लेखा परीक्षा प्रेक्षण के विवरण

(प्रस्तर 2.2.18 में संदर्भित)

योजना की विशेषताएँ	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		
1	2	3
एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा वित्त-पोषित योजना		
लघु व्यवसाय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत, लघु व्यवसाय क्षेत्र की एक लाख रुपये तक की परियोजनाएँ लाभार्थियों को उपदान, मार्जिन मनी ऋण तथा एनएसएफडीसी ऋण के रूप में क्रमशः 10:5:85 के अनुपात में वित्त-पोषित करनी थी।	2002-03 तथा 2003-04 के दौरान 22 जिला कार्यालयों द्वारा वित्त-पोषित 216 परियोजनाओं (1.93 करोड़ रुपये की लागत) की नमूना जाँच में निम्न तथ्य पाये गए:	
योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, जिला कार्यालयों के निर्देश पर बैंकों द्वारा बैंक ड्राफ्ट अथवा खाता में देय चेक के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करना था। परिसम्पतियाँ जिला प्रबंधकों (एडीडीओ) की सीधी देख-रेख में सृजित की जानी थी।	16 जिला कार्यालयों में, परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु लाभार्थियों को उनके खते से सीधे धनराशि निकालने दिया गया। तीन जिला कार्यालयों में, लाभार्थियों को नकद आहरण तक करने दिया गया। इस प्रकार, जिला प्रबन्धक (एडीडीओ) परिसम्पत्तियों का क्रय अपने देख-रेख में करवाने में असफल रहे।	प्रबन्धन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि कुछ मामलों में छोटी-छोटी परिसम्पत्तियों के क्रय के लिए लाभार्थियों के द्वारा नकद आहरण रोकने से बचा नहीं जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना के आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/खाता में देय चेक के अलावा आहरण नहीं किया जाना था।
ऋण के उपयोग तथा परसिम्पत्तियों के सृजन के समर्थन में बाउचर्स प्राप्त किये जाने थे। सभी वित्त पोषित परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक द्वारा किया जाना था।	उपरोक्त 16 जिला कार्यालयों में, 177 मामलों में परिसम्पत्तियों के सृजन एवं ऋण के उपयोग के समर्थन में बाउचर्स प्राप्त नहीं किए गए। वित्त-पोषित परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन जिला प्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों द्वारा नहीं किया गया जोकि मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के विपरीत था।	प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि संबंधित बाउचर्स प्राप्त कर परियोजना पत्रावलियों में लगाा दी गई है।
योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, जिला प्रबंधकों द्वारा ऋण से सृजित परिसम्पत्तियों का बीमा सुरक्षा प्राप्त किया जाना था।	योजना मार्गदर्शिका के विपरीत, सभी 22 जिला कार्यालयों में, जिला प्रबंधकों (एडीडीओ) द्वारा ऋण से सृजित अधिकतर परिसम्पत्तियों का बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं किया गया।	प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि संबंधित बाउचर्स प्राप्त कर परियोजना पत्रावलियों में लगाा दी गई है।
परिवहन क्षेत्र		
परिवहन क्षेत्र की परियोजनाएँ वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले लाभार्थियों को वित्त-पोषित की जानी थीं।	14 जिला कार्यालयों में, 46 लाभार्थियों को ऐसी परिवहन परियोजनाएँ वित्त-पोषित की गईं जिनके पास अपेक्षित वर्ग के लाइसेंस नहीं थे।	प्रबन्धन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि निजी लाइसेंस धारकों को वाहन नहीं प्रदान किए गये। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की परियोजना पत्रावलियों में अपेक्षित प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के कागजात उपलब्ध नहीं थे।

1	2	3
कम्पनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि लाभार्थियों द्वारा वाहन का व्यवसायिक रूप से उपयोग के लिए परमिट लिया गया है तथा वित्त-पोषित वाहन लाभार्थी द्वारा स्वयं चलाया जाये।	परिवहन क्षेत्र की परियोजनाओं की योजना, के प्रावधानों के विपरीत, 22 मामलों में लाभार्थियों (8 जिला कार्यालयों में) जिनको रूपये 1.01 करोड़ वितरित किए गए, द्वारा वाहन अपने निजी उपयोग में लायी गई जिससे न सिर्फ योजना का उद्देश्य अपूर्ण रहा बल्कि धनराशि का उस हद तक दुरुपयोग भी हुआ।	
वहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन का व्यवसायिक उपयोग के लिए परमिट तथा बीमा सुरक्षा प्राप्त किया जाना था।	जिला कार्यालयों द्वारा 120 मामलों में वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, 87 मामलों में वाहनों के व्यवसायिक उपयोग के लिए परमिट तथा 20 मामलों में बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार लेखा परीक्षण में वाहनों का आय जनन हेतु वास्तविक उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तीन जिला कार्यालयों से संबंधित तीन मामलों में वाहनों का पंजीकरण हरियाणा राज्य के सड़क परिवहन प्राधिकरण में किया गया था।	प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि अपेक्षित प्रपत्र प्राप्त कर पत्रावली में लगा दिए है। उत्तर से यह स्वत: प्रतीत होता है कि बिना आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया था। प्रबंधन का यह कथन (जुलाई 2005) कि योजना मार्गदर्शिका में ऐसा कोई प्रावधान नही है, मान्य नही है क्योंकि वाहन का पंजीकरण उसी जिले में किया जाना था जहाँ उसे वित्त-पोषित किया गया था।
ऋण प्राप्त की अर्हता सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य के रूप में लाभार्थियों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना था।	आज़मगढ जिला में, दो मामलों में, निर्धारित आय-सीमा से ऊपर के लाभार्थियों को परियोजनाएँ वित्त-पोषित की गईं।	
आरएसकेवीवीएन द्वारा वित्त-पोषित योजना		
योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, लाभार्थियों द्वारा आपूर्तिकर्ता को बैंक ड्राफ्ट अथवा खाता में देय चेक के माध्यम से भुगतान करना था।	70 में से 12 जिला कार्यालयों के नमूना जाँच, जिसमें 2002-2003 और 2003-04 के दौरान व्यवसाय क्षेत्र (1.48 करोड़ रुपये मूल्य के 167 मामलों) तथा परिवहन क्षेत्र (0.33 करोड़ रुपये मूल्य के आठ मामलों) के अन्तर्गत ग 1.81 करोड़ रुपये मूल्य के 175 मामलों में वित्त-पोषण किया गया था, में निम्न तथ्य पाये गए: सभी 12 जिला कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु बैंक से ऋण राशि का आहरण करने दिया गया। फलस्वरूप, जिला प्रबंधकों (एडीडीओ) द्वारा अपने देख रेख में परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं कराया जा सका जो कि योजना में अपेक्षित था।	प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि कुछ मामलों में छोटी-छोटी परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु लाभार्थियों द्वारा नगद आहरण रोकने से बचा नहीं जा सका उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना में नकद आहरण नहीं करने दिया जाना था।
परिसम्पत्तियों के सृजन तथा ऋण के उपभोग के समर्थन में बाउचर्स प्राप्त किए जाने थे।	चार जिला कार्यालयों में, 56 मामलों में परिसम्पत्तियों के सृजन तथा ऋण के उपयोग के समर्थन में बाउचर्स प्राप्त नहीं किए गए।	प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि संबंधित बाउचर्स प्राप्त कर परियोजना पत्रावयिों में लगाा लिए गए हैं। उत्तर से यह स्वत: प्रतीत है कि बिना आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर ऋण का वितरण किया गया।
जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबंधक द्वारा परियोजना का भौतिक सत्यापन किया जाना था। लाभार्थियों से परियोजना का बीमा सुरक्षा भी प्राप्त किया जाना था।	जिला प्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों द्वारा वर्ष 2002-2003 एवं 2003-04के दौरान वित्त पोषित परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। आठ जिलों में लगभग सभी मामलों में, परियोजनाओं का बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं किया गया जिससे परियोजना का स्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।	

1	2	3
परिवहन क्षेत्र की परियोजनाएँ, वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस धारक लाभार्थियों को वित्त-पोषित की जानी थी।	तीन मामलों में, उन लाभार्थियों को परिवहन परियोजनाएँ प्रदान की गई जिनके पास उचित प्रकार के वाहन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे।	प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि वाहन निजी लाइसेंस धारकों को नहीं वित्त-पोषित किये गए। उत्तर मान्य नही है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा उल्लिखित मामलों की पत्रावलियों में निजी लाइसेंस संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं थे।
कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना था कि लाभार्थी द्वारा वाहन का व्यवसायिक रूप से उपयोग के लिए परमिट लिया गया है तथा वित्त-पोषित वाहन लाभार्थी द्वारा स्वयं चलाया जाय।	दो जिला कार्यालयों में 12.66 लाख रुपये मूल्य के तीन वाहन लाभार्थियों द्वारा व्यवसायिक उपयोग के बजाय निजी उपयोग में लिया जा रहा था। उस हद तक ऋण का दुरुपयोग हुआ एवं योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।	
वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन का व्यवसायिक उपयोग के लिए परमिट तथा बीमा सुरक्षा प्राप्त किया जाना था।	वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहनों, के व्यवसायिक उपयोग के लिए परमिट तथा बीमा सुरक्षा क्रमशः पाँच, पाँच तथा तीन मामलों में प्राप्त नही किए गये। इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा वाहनों का आय जनन के लिए वास्तविक उपयोग सुनिश्चित नही किया जा सका। गाजियाबाद जिला कार्यालय में एक वाहन का पंजीकरण हरियाणा राज्य के सड़क परिवहन प्राधिकरण में हुआ था।	प्रबन्धन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि कागजात प्राप्त कर पत्रावलियों में लगा लिए गए है। उत्तर से यह स्वतः प्रतीत होता है कि बिना आवश्यक कागजात प्राप्त किये ही ऋण का वितरण किया गया था। प्रबन्धन का यह कथन (जुलाई 2005) कि योजना मार्गदर्शिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था मान्य नही है क्योंकि वाहन का पंजीकरण उस जिले में किया जाना था जहाँ उसे वित्त पोषित किया गया था।
संभावित लाभार्थियों की पहचान, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण (डूडा), एक सरकारी एजेन्सी, द्वारा वर्ष 2002-03 में पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों की सूची, से की जानी थी।	मार्गदर्शिका के विपरीत, दो जिला कार्यालयों (लखनऊ एवं हरदोई) के 34 मामलों मे 1993-94 तथा 1996-97 की पुरानी सर्वे सूची का उपयोग किया गया।	प्रबंधन/शासन ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि वित्त-पोषण के लिए 1992-93 तथा 1996-97 की सर्वे सूची का उपयोग किया गया। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी की 2003-04 की वार्षिक कार्य योजना में दिशा निर्देश के अनुसार 2002-03 की सर्वे सूची को ही वित्त-पोषण के लिए उपयोग करना था।

परिशिष्ट–24

नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण की योजनायें तथा कौशल वृद्धि योजना - कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(प्रस्तर 2.2.19 में सन्दर्भित)

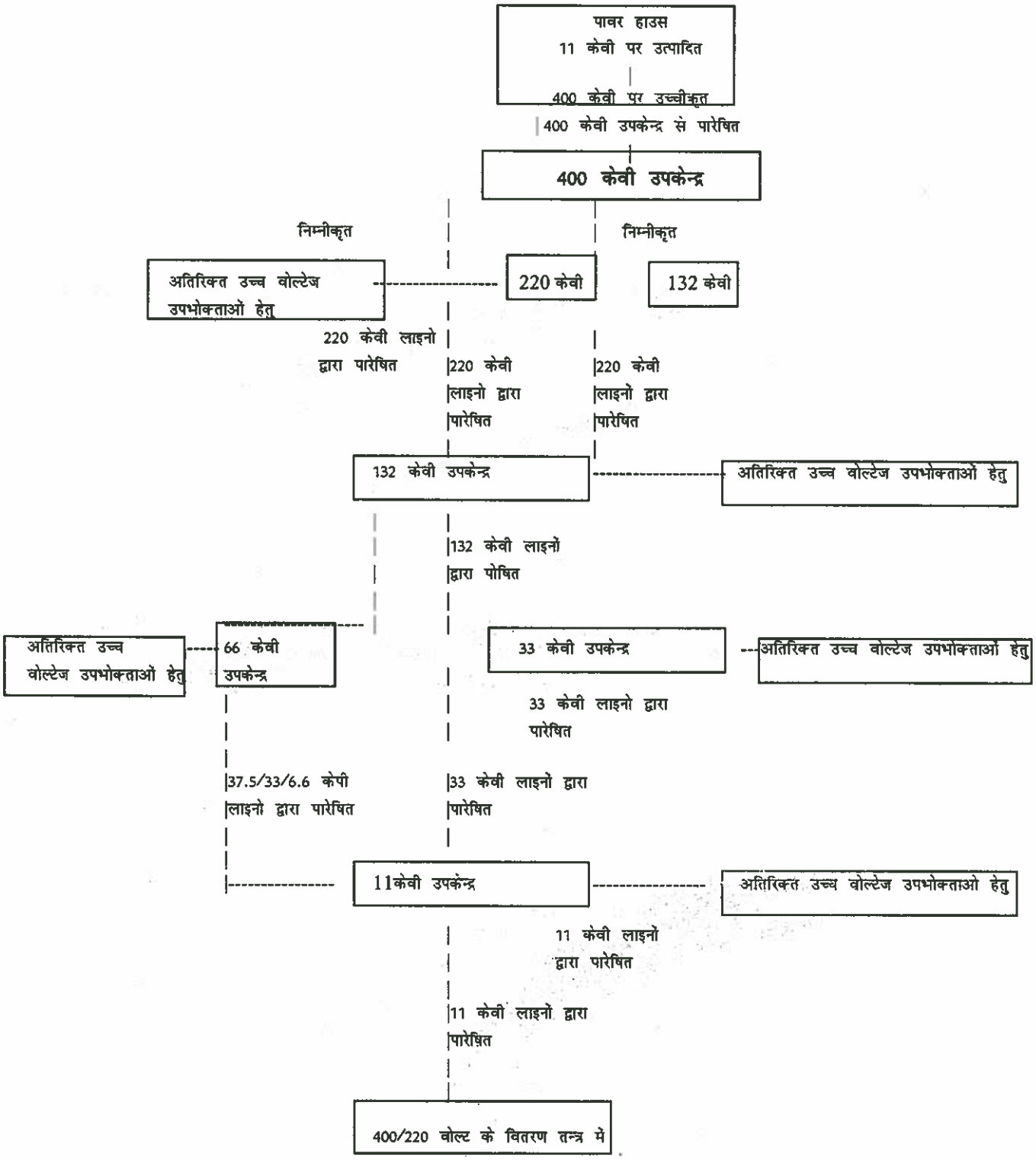
योजना की मुख्य विशेषता	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	प्रबन्धन का उत्तर
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		
1	2	3
नगरीय क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण के लिये गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लाभार्थियों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिये एक योजना आरम्भ की। योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को 38,000 रूपये (6000 रुपये के उपदान को सम्मिलित करके) की आर्थिक सहायता दी जानी थी। मार्गदर्शिका, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान था कि:	कम्पनी ने केवल 4 जिला कार्यालयों (गोण्डा, बस्ती, बहराइच और आगरा) की 200 दुकानों के अभिलेख उपलब्ध कराये। इन चार जिला कार्यालयों के अभिलेखो के परीक्षण ने प्रकट हुआ:	प्रबन्धन/सरकार ने कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि लेखा परीक्षा टिप्पणियों का उत्तर सम्बन्धित जिला कार्यालयों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात दिया जायेगा। उत्तर, यद्यपि, दिनांक (सितम्बर 2005) को प्रतीक्षित थी।
लाभार्थी का चयन जिला स्तर पर किया जाना था	लाभार्थियो के चयन से सम्बन्धित अभिलेख जिला स्तर पर समुचित रूप से नहीं बनाये गये।	
वित्तीय सहायता एक परिवार के केवल एक सदस्य को दी जानी थी।	बस्ती एवं बहराइच जिला कार्यालयों के 14 मामलों में, दुकानो के निर्माण के लिए ऋण परिवार के एक से अधिक सदस्यों को प्रदान किया गया था।	
दुकान (1'X 8') का निर्माण नगरीय क्षेत्रों में व्यवसायिक रूप से विकसित स्थानों पर लाभार्थी की स्वयं की भूमि पर किया जाना था।	200 मामलों में से, 164 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में 62.32 लाख रुपये की लागत से निर्मित की गयी थीं। बढ़ी हुयी लागत को पूरा करने के लिये निधि स्रोत को सुनिश्चित किये बिना, बस्ती और बहराइच जिला कार्यालयों में, अनुमोदित क्षेत्रफल (10'×8') से बड़े आकार की 87 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी। अधिक बड़े आकार की दुकानों के उपयोग की सम्भावना आवासीय उद्देश्य के लिये किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता।	
ऋण, उपयोग प्रमाण पत्र के विरुद्ध तीन किश्तों में दिया जाना था।	किसी भी मामलें में ऋण की तृतीय एंव अन्तिम किश्त के उपयोग के साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। गोण्डा जिला कार्यालय में, दो मामलों में ऋण की तृतीय किश्त, दूसरी किश्त के उपयोग प्रमाण पत्र को प्राप्त किये बिना दे दी गयी थी।	
दुकानों का निर्माण होने के पश्चात कम्पनी को तुरन्त शत्-प्रतिशत मामलों में कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करना था।	कम्पनी ने लेखा परीक्षा में जाँच किये गये 200 मामलों में से किसी को भी कार्यशील पूँजी सहायता प्रदान नही की। इस प्रकार, 200 को व्यापारी (दुकानदार) बनाकर उनके आर्थिक स्तर में सुधार लाने की योजना का उद्देश्य विफल रहा। इस प्रकार सम्पूर्ण खर्च व्यर्थ हो गया।	

1	2	3
कौशल वृद्धि योजना - कम्पयूटर प्रशिक्षण कार्यक्रय		प्रबन्धन/शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई/अगस्त 2005) कि केआईटीपीएल यूपीडेस्को को ओर से अनुबन्ध करने के लिये अधिकृत थी। इसके अतिरिक्त कहा गया कि लाभार्थियों को प्रदान किया गया प्रशिक्षण डोएक-'ओ' लेवल के समकक्ष है तथा भुगतान एडीडीओ से सनतोषजनक निष्पादन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात किया गया है। रोजगार/स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कहा गया कि प्रयास किये जा रहे है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि केआईडीपीएल यूपीडेस्को की अधिकृत हस्ताक्षरी नही थी तथा शासन ने किसी अन्य कोर्स मोड्यूल को डोएक-'ओ' लेवल के समकक्ष अनुमोदित नही किया था। इसके अतिरिक्त, एडीडीओ द्वारा बिना किसी परीक्षा को आयोजित किये हुये सन्तोषजनक निष्पादन का प्रमाणपत्र जमा करना विश्वासोत्पादक नही है।
राज्य सरकार ने कम्पनी के माध्यम से लाभार्थियों को एक वर्ष का कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कौशल वृद्धि योजना प्रारम्भ की (मार्च 1999) ताकि उनके लिये रोजगार अवसर उत्पन्न किये जा सके। योजना मार्गदर्शिका में प्रावधान था कि प्रशिक्षण संस्थानों से अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के पूर्व, प्रशिक्षण संस्थानों का चयन, शुल्क ढाँचा तथा कोर्स माड्यूल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कराये जाने थे।		
प्रशिक्षण के प्रथम चरण में, कम्पनी ने डिपार्टमेण्ट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एक्रेडीटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेस (डीआईएसीसी) के एक वर्षीय 'ओ' स्तर के कोर्स को 13,000 रुपये प्रति लाभार्थी के शुल्क पर, एक सरकारी कम्पनी यूपीडेस्को के माध्यम से 21 जिलों में 525 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये शासन की स्वीकृति (अगस्त 2000) प्राप्त की।	कम्पनी ने, यूपीडेस्को के साथ अनुबन्ध करने के स्थान पर, अनियमिततापूर्वक कमल इन्फोसिस इन्टीग्रेटेड टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड (केआईटीपीएल) के साथ, 13,000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर पर 21 जिलों में कम्पयूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तीन अनुबन्ध (सितम्बर से नवम्बर 2000) किये। केआईटीपीएल ने 21 जिलों में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से 477 लाभार्थियों को बिना मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया और उसे सितम्बर 2000 से जुलाई 2001 के दौरान 60.52 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया। कम्पनी ने इस प्रकार योजना मार्गदर्शिका का उल्लंघन किया तथा एक अगुणात्मक प्रशिक्षण पर 60.52 लाख रुपये का अनाधिकृत व्यय किया।	
प्रशिक्षण के द्वितीय चरण (2001-02) में, कम्पनी ने शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना, 13,000 रुपये प्रति लाभार्थी के शुल्क पर स्वनिर्मित कोर्स मॉड्यूल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये यूपीडेस्को सहित 15 फर्मो के साथ अनुबन्ध किया (सितम्बर से दिसम्बर 2001), यद्यपि राज्य सरकार ने डीओईएसीसी-'ओ' स्तर के कम्पयूटर कोर्स के लिये 9,180 रुपये (स्टडी मैडीरियल किट हेतु 1,180 रुपये सहित) प्रति लाभार्थी शुल्क की स्वीकृति प्रदान की थी।	इस चरण के दौरान सभी फर्मो ने डीओईएसीसी-'ओ' स्तर के कोर्स के बजाय अन्य किसी कोर्स की 8,729 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस प्रकार उच्च दर पर कार्य कराने से न केवल 3.33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ बल्कि एक बिना मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स माड्यूल के प्रशिक्षण पर किया गया 11.35 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण व्यय, व्यर्थ सिद्ध हुआ।	
तृतीय चरण में, कम्पनी ने योजना के तृतीय चरण (20002-03) के दौरान यूपीडेस्को के माध्यम से 11,180 रुपये प्रति लाभार्थी (स्टडी मैटीरियल किट हेतु 1,180 रुपये सहित) के शुल्क पर 600 घण्टों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये शासन की स्वीकृति प्राप्त की (जून 2003)।	कम्पनी ने, डीओईएसीसी-'ओ' स्तर के कोर्स का उल्लेख किये बिना, शासन द्वारा स्वीकृत शुल्क पर राज्य के सभी जिलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य यूपीडेस्को को प्रदान किया (जून 2003)। यूपीडेस्को ने, यद्यपि, 11,350 लाभार्थियों का प्रशिक्षण कोर्स पूरा किया किन्तु लाभार्थियो को डीओईएसीसी-'ओ' स्तर का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने एक बिना मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स मॉड्यूल के लिये 12.69 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय किया।	
योजना मार्गदर्शिका में यह भी प्रावधान था कि एडीडीओ द्वारा रैन्डम गुणात्मक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु के आधार पर लाभार्थियों की परीक्षा आयोजित करना अपेक्षित था, संस्थानों के सन्तोषजनक निष्पादन के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के पश्चात, कम्पनी को उन्हें शेष 50 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना था।	24 जिला कार्यालयों के अभिलेखो की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि फिरोजाबाद जिले को छोड़कर अन्य किसी कार्यालय ने रैन्डम के आधार पर परीक्षा आयोजित नहीं की थी तथा निष्पादन प्रमाणपत्र एडीडीओ द्वारा केवल 50 प्रतिशत शुल्क के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिये दिया गया था। फिरोजाबाद जिले में ली गयी परीक्षा में कोई भी लाभार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नही हुआ था। इसलिये प्रतिकूल निष्पादन कम्पनी तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया।	
योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, कम्पनी को प्रशिक्षित लाभार्थियों को एक वर्ष के भीतर सतत् आयजनित योजनाओं का वित्त-पोषण करना था ताकि उन्हें स्व-रोजगाार उपलब्ध कराया जा सके।	कम्पनी ने प्रशिक्षित लाभार्थियों को कोई परियोजना वित्त-पोषित नहीं की। इस प्रकार योजना के क्रियान्वययन पर 24. 66 करोड़ रुपये का व्यय किये जाने के बावजूद, लाभार्थियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का योजना का उद्देश्य पूर्णत: असफल रहा।	

परिशिष्ट–25

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में विशिष्ट पारेषण एवं वितरण तन्त्र की प्रवाह सारणी

(प्रस्तर 2.3.7 में सन्दर्भित)



परिशिष्ट -26

2004-05 तक के पाँच वर्षो के दौरान उप-केन्द्रों के निर्माण, संम्वर्धन एवं लाइनों के निर्माण के लिये भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.3.8 एवं 2.3.9 में सन्दर्भित)

वर्ष	उपकेन्द्रो की संख्या (नये)	उपकेन्द्रो की संख्या (संवर्धित)	प्रवर्तन क्षमता मे वृद्धि (एमवीए)	पारेषण लाइनो का निर्माण (सर्किट किमी0)
2000-01				
लक्ष्य	12	29	2025	1834.02
उपलब्धियॉ।	2	33	1317.50	1247.19
प्रतिशत में कमी	83	-	34.94	32.00
2001-02				
लक्ष्य	1	46	1527.50	387.56
उपलब्धियॉ।	1	25	1090.00	106.36
प्रतिशत में कमी	-	46	28.64	72.56
2002-03				
लक्ष्य	8	26	1110.00	313.56
उपलब्धियॉ।	6	32	1150.00	192.00
प्रतिशत में कमी	25	-	-	38.77
2003-04				
लक्ष्य	25	50	3255.00	982.27
उपलब्धियॉ।	7	25	1062.50	343.00
प्रतिशत में कमी	72	50	67.36	65.08
2004-05				
लक्ष्य	5	33	1380.00	218.50
उपलब्धियॉ।	9	33	1462.50	379.054
प्रतिशत में कमी	--	--	--	--
योग				
लक्ष्य	51	184	9297.5	3735.91
उपलब्धियॉ।	25	148	6082.5	2267.604
प्रतिशत में कमी	51	20	34.57	39.30

परिशिष्ट–27

उपकेन्द्रो के सम्बन्ध में समय एवं लागत अधिव्यय को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.3.9 में सन्दर्भित)

क्र. स.	उपकेन्द्रो का नाम	योजना	क्षमता (एमवीए)	प्रारम्भ करने की तिथि	संविदाकार	लक्ष्य	परियोजना प्राक्कलन (लाख रूपये में)	पूर्ण करने की तिथि	वास्तविक व्यय (लाख रूपये में)	समय अधिव्यय (माह)	लागत अधिव्यय (लाख रूपये में)
	नये – उपकेन्द्र										
1	400/220 बरेली	VII	2X315	7/96	सीजीएल	1/98	2338.51	12.2.01	6389.17	37	4050.66
2	220/132 बाँदा	VII	1X100	2/98	विभाग	10/99	424.26	18.11.02	752.22	37	327.96
3	220/33 आरपीएच, कानपुर	IX	2X60	1/95	विभाग	7/96	1450.00	18.12.02	823.57	77	
4	220/132 देवरिया	VII	1X100	4/91	एबीबी	12/92	424.26	8.10.04	781.71	142	357.45
5	220/132 शताब्दी नगर	VIII	2 X 100 + 40	3/02	एबीबी	09/03	1768.73	20.11.04	1337.94	14	--
6	220/132 इलाहाबाद कैण्ट	IX	2 X 100	7/99	एबीबी	01/01	1304.00	25.12.04	953.28	47	--
7	132/33 राठ	VII	1X20	3/99	उपलब्ध नही	9/00	173.79	26.3.01	289.07	-	115.28
8	132/33 सिथौली	V	1X12.5	3/99	विभाग	9/00	121.84	31.12.02	210.59	9	88.75
9	132/33 लोनी	VI	40	4/97	विभाग	10/98	137.32	24.2.03	212.60	52	75.28
10	132/33 छपरौली	VIII	20	3/96	विभाग	9/97	382.45	12.6.03	271.37	69	
11	132/33 मोहम्मदी	VII	20	6/99	विभाग	12/00	169.60	25.11.03	185.53	35	15.93
12	132/33 डुमरियागंज	VI	20	7/89	विभाग	1/91	185.05	31.01.04	301.46	156	116.41
13	132/33 कांकटखेड़ा	IX	20	11/02	विभाग	4/04	325.00	25.8.04	424.81	4	99.81
14	132/33 फूलपुर	VI	20	11/96	विभाग	4/98	137.32	26.8.04	174.12	76	36.80
15	132/33 मिल्कीपुर	VI	20	12/83	विभाग	6/85	154.49	3.11.04	223.56	232	69.07
16	132/33 कोइल्सा	V	20	8/96	विभाग	3/98	127.21	30.12.04	185.01	81	57.80
17	132/33 खुर्रमनगर	IX	2 X 20	2/01	एबीबी	9/02	435.23	16.3.05	572.45	29	137.22
										उप–योग	**5548.42**
	सवर्धित										
1	132/33 मिन्टोपार्क		40-20	8/00	विभाग	11/00	252.00	16.11.00	323.09	-	71.09
2	132/33 बागपत	VIII	40-20	4/01	विभाग	7/01	68.00	9.6.01	97.33	-	29.33
3	132/33 बिलारी	VI	II-20	1/02	विभाग	4/02	44.91	10.4.03	102.15	12	57.24
4	132/33 सोरॉव	VII	II20	10/01	विभाग	1/02	51.68	12.5.03	111.50	16	59.82
5	132/33 भूर	VIII	III-20	उपलब्ध नही	विभाग		92.77	26.5.03	114.03	-	21.26
										उप–योग	**238.74**
										योग	**5787.16**

परिशिष्ट-28

ईएचटी लाइनों के सम्बन्ध में समय एवं लागत अधिव्यय को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.3.9 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	लाइन का नाम	योजना	मार्ग की लम्बाई (सर्किट मिमी)	प्रारम्भ करने की तिथि	संविदाकार	लक्ष्य	योजना प्राक्कलन (लाख रूपये में)	पूर्ण करने की तिथि	वास्तविक व्यय (लाख रूपये में)	अधिक समय (माह)	अधिक व्यय (लाख रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
	400 केवी										
1	ओबरा टीपीएस में 400 केवी डीसी लीलो	VIII	2X10.50	4/96	आरएस एण्ड कम्पनी	12/97	1000.00	5/02	1051.28	53	51.28
2	आगरा-मुरादनगर एससी	VII	194.112	9/94	केईसीएल	3/96	2834.31	20.12.2000	4823.48	57	1989.17
3	डीसी उन्नाव-बरेली	VII	2X270.91	8/94	एसएई	2/96	6866.84	4.2.01	14062.41	60	7195.57
4	एससी अनपरा-उन्नाव	VII	409.03	1/96	एचवाईआई एसएई	7/97	13731.64	12.7.00	47264.20	36	33532.56
	220 केवी										
1	एससी बरेली (400 केवी) शाहजहाँपुर	VII	90.050	6/98	पीसीसी	12/99	637.00	22.7.03	828.82	43	191.82
2	एससी फतेहपुर-बाँदा	VII	66.698	12/91	पीसीसी	6/93	432.00	10.5.02	933.67	108	501.67
3	इलाहाबाद कैण्ट में डीसी लीलो	IX	2X4.37	9/99	विभाग	3/01	131.00	18.5.02	111.07	14	-
4	आरपीएच में उन्नाव-पनकी का लीलो	IX	2X7.625	4/94	पीसीसी	10/95	793.00	8.11.02	260.20	85	-
5	400 केवी बरेली में सीबी गंग-हल्द्वानी का लीलो (रेलवे टाई लाइन)	VII	2X5.52	12/99	एससीएएन	6/01	53.34	8.3.03	220.92	21	167.58
6	220 केवी हरदोई रोड में सरोजनीनगर-सीतापुर का लीलो	IX	2X0.791	9/00	केपीटीएल	3/02	23.00	24.3.03	41.04	12	18.04
7	220 केवी चिनहट में सरोजनीनगर-सीतापुर लाइन का 220 केवी लीलो	IX	2X31.678	7/01	केपीटीएल	3/03	429.10	6.6.04	409.61	15	-
8	एससी गोरखपुर-देवरिया	VII	35.50	6/90	केपीटीएल	12/9	370.62	29.8.04	473.00	152	102.38
	132 केवी										
1	220 केवी सीबी गंग में लीलो दोहना-मुरादाबाद	उपलब्ध नही	2X9.112	3/96	एससीएनटीसी	9/97	110.00	24.7.2000	138.37	34	28.37
2	सीतापुर-शाहजहाँपुर का लीलो	उपलब्ध नही	2X3.416	10/95	विभाग	4/97	63.00	11.10.2000	68.02	42	5.02
3	एससीभरूआ सुमेरपुर-रथ	VII	64.62	9/98	एससीएनटीसी	5/00	277.00	10.3.01	891.96	10	614.96

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4	बोडला उपकेन्द्र में आगरा (220 केवी)-शमशाद का लीलो	IX	2X2.5	9/00	विभाग	5/02	45.00	30.04.01	48.25	-	3.25
5	डीसी गाजीपुर-जमनिया	उपलब्ध नहीं	2X25.372	5/96	विभाग	11/97	637.00	28.1.02	567.35	50	-
6	डीसी गोमतीनगर-एसजीपीजीआई	VII	2X15.31	9/99	विभाग	5/01	111.60	18.3.02	322.26	10	210.66
7	पिण्डरा में वाराणसी-जौनपुर का लीलो	VII	2X4.773	8/93	विभाग	2/95	14.08	10.12.02	18.08	94	4.00
8	सिधौली में एनकेएन-सीतापुर का लीलो	V	2X0.75	2/96	उपलब्ध नही	8/97	19.16	31.12.02	25.48	64	6.32
9	एसी बागपत-लोनी (एमएनएल)	VI	19.776	4/97	एससीएएन	10/98	62.10	13.2.03	236.72	52	174.62
10	एससी बरौत-छपरौली	VIII	20.490	6/94	एससीएएन	12/95	112.92	12.6.03	211.56	90	98.64
11	गोकुल में मथुरा-कौशीकलाँ का लीलो	IX	2X25.033	12/00	एससीएएन	6/02	301.00	8.8.03	456.03	14	155.03
12	एससी फतेहपुर-खागा	VII	41.803	6/01	एससीएएन	12/02	170.27	23.11.03	413.17	11	242.90
13	एससी बस्ती-डुमरियागंज	VI	50.686	3/91	विभाग	9/92	150.17	31.1.04	428.56	136	278.39
14	एससी खुर्रमनगर-एनकेएन	IX	7.87	5/01	केपीटीएल	11/02	96.00	12.04.	140.7	25	44.70
15	सुल्तानपुर-मिल्कीपुर एससी	VI	48.55	9/01	विभाग	5/03	158.32	3.11.04	463.81	17	305.49
16	आजमगढ़-कोइल्सा डीसी/एससी	V	37.782	8/02	विभाग	4/03	96.84	30.12.04	130.42	20	33.58
17	220 केवी देवरिया में देवरिया-कसया का लीलो	VII	2 X 2.112	4/02	केपीटीएल	10/03	70.43	17.5.04	30.63	6	--
18	एससी आजमगढ़-फूलपुर	VI	32.156	9/02	एससीएएन	3/04	122.48	23.8.04	269.10	5	146.62
19	डीसी/एससी, आजमगढ़-कोइल्सा	V	2 X 7.44 + 22.902	8/02	ईटीएलईयू	2/04	96.84	30.12.04	130.96	10	34.12
20	एससी, चिनहट-खुर्रमनगर	IX	21.375	5/01	केपीटीएल	11/02	264.00	18.1.05	176.64	25	--
	योग		**2017.824**				**27955.53**		**74092.27**		**46136.74**

परिशिष्ट-29

लाइनों के निर्माण में उच्च दरों पर प्राक्कलनों की तैयारी दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.3.24 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मांग लम्बाई (सर्किट मिमी.)	विश्व बैंक की प्राक्कलित लागत (लाख रूपये में)	यूपीपीसीएल के प्रमाण के अनुसार प्रति किमी0 प्राक्कलित लागत (लाख रूपये में)	यूपीपीसीएल के प्रमाप के अनुसार प्राक्कलित लागत (लाख रूपये में)	अधिक प्राक्कलित लागत (लाख रूपये में)
1	एससी 132 केवी खुर्रमनगर-चिनहट लाइन	21.375	299.75	11.13	237.90	61.85
2	एससी 132 केवी खुर्रमनगर-एनकेएन लाइन	7.870	239.80	11.13	87.59	152.21
3	हरदोई रोड उपकेन्द्र में 132 केवी टीआरटी चिनहट लाइन का लीलो	1.555	32.64	20.47	31.83	0.81
4	हरदोई रोड उपकेन्द्र में 132 केवी टीआरटी एनकेएन लाइन का लीलो	0.850	32.64	20.47	17.40	15.24
5	132 केवी नीबू पार्क लाइन का पुर्नसरेंखन	0.775	40.80	20.47	15.86	24.94
6	220 केवी उपकेन्द्र देवरिया में 132 केवी कसिया-देवरिया लाइन का लीलो	2.112	48.96	20.47	43.23	5.73
7	220 केवी सरोजनीनगर-सीतापुर लाइन का लीलो	32.256	927.50	28.68	925.10	2.40
8	400 केवी मुजफ्फरनगर से 220 केवी मोदीपुरम तक एससी 220 केवी लाइन	45.019	918.90	17.29	778.38	140.52
9	400 केवी मुजफ्फरनगर से 220 केवी मुजफ्फरनगर तक एससी 220 केवी लाइन	11.704	204.20	17.29	202.36	1.84
10	220 केवी एससी शताब्दीनगर-सिम्भोली लाइन	40.153	735.12	17.29	694.25	40.87
11	220 केवी एससी गोरखपुर-देवरिया लाइन (केवल टावर का निर्माण, तार खींचना तथा उसे चालू करना)	35.522	708.00	17.29	614.18	93.82
12	मार्टिनपुरवा में 132 एसजीपीजीआई-चिनहट लाइन लीलो	5.178	163.20	20.47	105.99	57.21
	योग					597.44

परिशिष्ट-30

2000-01 से 2004-05 के दौरान प्रत्येक टीपीएस में कोयले की औसत खपत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.17 मे सन्दर्भित)

तापीय विद्युत गृह का नाम	वर्ष	कुल उत्पादित विद्युत (एमयू)	कोयले की कुल खपत (मी.टन)	प्रति इकाई कोयले की औसत खपत (किग्रा0/किलो वाट घण्टा)*
अनपरा 'अ'	2000-01	4156.310	3212329	0.77
	2001-02	4387.840	3372010	0.77
	2002-03	4261.770	3258490	0.76
	2003-04	4367.410	3362884	0.77
	2004-05	4163.760	3281160	0.79
अनपरा 'ब'	2000-01	7347.210	4749970	0.65
	2001-02	7733.360	4929165	0.64
	2002-03	7407.880	4815200	0.65
	2003-04	7616.040	5030743	0.66
	2004-05	7345.610	5057950	0.69
ओबरा 'अ'	2000-01	993.973	901064	0.91
	2001-02	926.868	834111	0.90
	2002-03	1058.496	1002228	0.95
	2003-04	785.020	742747	0.98
	2004-05	545.110	5458733	1.00
ओबरा 'ब'	2000-01	9717.638	4084665	0.83
	2001-02	4760.980	3838575	0.80
	2002-03	5487.647	4563789	0.83
	2003-04	5459.802	4626345	0.85
	2004-05	5007.762	4212361	0.84
पनकी	2000-01	860.655	723825	0.84
	2001-02	946.705	804697	0.85
	2002-03	1016.307	904744	0.89
	2003-04	1065.560	954603	0.90
	2004-05	1043.149	913170	0.88
पारीछा	2000-01	601.631	537572	0.89
	2001-02	1027.407	913116	0.89
	2002-03	948.705	846682	0.89
	2003-04	654.547	589091	0.90
	2004-05	967.208	873465	0.90
हरदुआगंज	2000-01	705.220	774016	1.10
	2001-02	680.489	732122	1.08
	2002-03	767.699	805825	1.05
	2003-04	732.863	787294	1.07
	2004-05	631.177	668997	1.06
योग		**101379.808**	**78253738**	

* औसत खपत = कोयले की खपत/कुल उत्पादित विद्युत ×1000

परिशिष्ट-31

ओबरा टीपीएस में वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान प्राप्त कोयले की ऊष्मांक एवं प्रतीयापित ताप दर के आधार पर कोयले की खपत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.17 मे सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
	ओबरा 'अ'						
1.	विद्युत उत्पादन (एमयू)	993.973	926.868	1058.496	785.020	545.110	4309.467
2.	प्राप्त कोयले का भारित औसत उष्मांक (किलोकैलोरी/किग्रा.)	3824	3674	3617	3664	3664	
3.	प्रतीयापित गृह तापदर (कि.कैलरी/केडब्ल्यूएच) (अभिकल्पित तापदर)	3060 (2623)	3060 (2623)	3060 (2623)	3060 (2623)	3060 (2623)	
4.	प्रतीयापित गृह ताप दर एवं प्राप्त कोयले के उष्मांक के आधार पर कोयले की आवश्यकता* (किग्रा./किलोवाट घण्टा)	0.800	0.833	0.846	0.835	0.835	
5.	कोयले की कुल आवश्यकता (मी.टन) $(1\times4\times10^3)$	795178	772081	895488	655492	455167	3573406
6.	कोयले की कुल खपत (मी.टन)	901064	834111	1002228	742747	548733	4028883
7.	कोयले की अधिक खपत (मी.टन) (6-5)	105886	62030	106740	87255	93566	455477
8.	कोयले की प्रति मी.टन औसत लागत (रुपये)	896.33	1163.47	1007.66	1125.27	1350.80	
9.	अधिक खपत हुये कोयले का मूल्य (करोड़ रुपये में)	9.49	7.22	10.76	9.82	12.64	49.93
	ओबरा 'ब'						
1.	विद्युत उत्पादन (एमयू)	4917.638	4760.980	5487.647	5459.802	5007.762	25633.829
2.	प्राप्त कोयले का भारित औसत उष्मांक (किलोकैलोरी/किग्रा.)	3824	3674	3617	3664	3664	
3.	प्रतीयापित गृह तापदर (कि.कैलरी/केडब्ल्यूएच) (अभिकल्पित तापदर)	2916 (2324)	2916 (2324)	2916 (2324)	2916 (2324)	2916 (2324)	
4.	प्रतीयापित गृह ताप दर एवं प्राप्त कोयले के उष्मांक के आधार पर कोयले की आवश्यकता* (किग्रा./किलोवाट घण्टा)	0.763	0.794	0.806	0.796	0.796	
5.	कोयले की कुल आवश्यकता (मी.टन) $(1\times4\times10^3)$	3752157	3780218	4423043	4346002	3986179	20287599
6.	कोयले की कुल खपत (मी.टन)	4084665	3838575	4563789	4626345	4212361	21325735
7.	कोयले की अधिक खपत (मी.टन) (6-5)	332508	58357	140746	280343	226182	1038136
8.	कोयले की प्रति मी.टन औसत लागत (रुपये)	896.33	1163.47	1007.66	1125.27	1330.38	
9.	अधिक खपत हुये कोयले का मूल्य (करोड़ रुपये में)	29.80	6.79	14.18	31.55	30.09	112.41

* कोयले की आवश्यकता = प्रतिगामी अवस्थान उष्मादर/प्राप्त कोयले की उष्मादर।

परिशिष्ट-32

2000-01 से 2004-05 के दौरान कोयले की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.17 में सन्दर्भित)

अनपरा ताप विद्युत गृह

इकाई का नाम	वर्ष	कुल उत्पादित विद्युत (एमयू)	कोयले की कुल खपत (मी.टन)	कोयले की आपेक्षित खपत का मानक (किग्रा./किलोवाट घण्टा)	मानक के अनुसार कोयले की कुल खपत (मी.टन)	कोयले की अधिक खपत (मी. टन)	कोयले की लागत (रुपये/मी.टनी)	कुल अधिक लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6 (3 X 5 X 10^3)	7 (4 – 6)	8	9 (7 X 8/10^7)
'अ' टीपीएस	2000-01	4156.310	3212329	0.74	30,75,669	136660	695.73	9.51
	2001-02	4387.840	3372010	0.74	32,47,002	125008	750.56	9.38
	2002-03	4261.770	3258490	0.74	31,53,710	104780	750.88	7.87
	2003-04	4367.410	3362884	0.74	32,31,883	131001	822.66	10.78
	2004-05	4163.760	3281160	0.74	30,81,182	199978	861.27	17.22
योग		**21337.090**	**16486873**			**697427**		**54.76**
'ब' टीपीएस	2000-01	7347.210	4749970	0.64	47,02,214	47756	756.80	3.61
	2001-02	7733.360	4929165	0.64	49,49,350	-	784.51	-
	2002-03	7407.880	4815200	0.64	47,41,043	74157	820.81	6.09
	2003-04	7616.040	5030743	0.64	48,74,266	156477	952.64	14.91
	2004-05	7345.610	5057950	0.64	47,01,190	356760	1064.60	37.98
योग		**37450.010**	**24583028**			**635150**		**62.59**

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह

वर्ष	कुल उत्पादित विद्युत (एमयू)	कोयले की कुल खपत (मी.टन)	कोयले की आपेक्षित खपत का मानक (किग्रा./किलोवाट घण्टा)	मानक के अनुसार कोयले की कुल खपत (मी.टन)	कोयले की अधिक खपत (मी.टन)	कोयले की लागत (रुपये/मी. टनी)	कुल अधिक लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5 (2 X 4 X 10^3)	6 (3 – 5)	7	8 (6 X 7/10^7)
2000-01	705.220	774016	1.04	733429	40587	1483.83	6.02
2001-02	680.489	732122	1.04	707709	24413	1585.28	3.87
2002-03	767.699	805825	1.04	798407	7418	1575.29	1.17
2003-04	732.863	787294	1.04	762177	25117	1796.19	4.51
2004-05	631.177	668997	1.04	656424	12573	1901.17	2.39
योग	**3517.448**	**3768254**			**110108**		**17.96**

परिशिष्ट-33

2000-01 से 2004-05 के दौरान प्रति इकाई ईंधन तेल की औसत खपत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.22 में सन्दर्भित)

तापीय विद्युत गृह का नाम	वर्ष	कुल उत्पादित विद्युत (एमयू)	तेल की खपत (कि.लीटर)	प्रति ईकाई तेल की औसत खपत (मिलीलीटर/किलोवाट घण्टा)
अनपरा 'अ'	2000-01	4156.310	6525	1.57
	2001-02	4387.840	4577	1.04
	2002-03	4261.770	4562	1.07
	2003-04	4367.410	5302	1.21
	2004-05	4163.760	6364	1.53
अनपरा 'ब'	2000-01	7347.210	2712	0.37
	2001-02	7733.360	2123	0.27
	2002-03	7407.880	2293	0.31
	2003-04	7616.040	1819	0.24
	2004-05	7345.610	1900	026
ओबरा 'अ'	2000-01	993.973	8891	9.05
	2001-02	926.868	9715	10.48
	2002-03	1058.496	10079	9.52
	2003-04	785.020	7612	9.70
	2004-05	545.110	7017	12.87
ओबरा 'ब'	2000-01	9717.638	17656	3.59
	2001-02	4760.980	14476	3.04
	2002-03	5487.647	11316	2.06
	2003-04	5459.802	11059	2.03
	2004-05	5007.762	16094	3.21
पनकी	2000-01	860.655	6236	7.25
	2001-02	946.705	4133	4.36
	2002-03	1016.307	3218	3.17
	2003-04	1065.560	3727	3.50
	2004-05	1043.149	3725	3.57
पारीक्षा	2000-01	601.631	5074	8.43
	2001-02	1027.407	7543	7.34
	2002-03	948.705	11253	11.86
	2003-04	654.547	6587	10.06
	2004-05	967.208	3797	3.93
हरदुआगंज	2000-01	705.220	5345	7.58
	2001-02	680.489	4499	6.61
	2002-03	767.699	4288	5.59
	2003-04	732.863	6675	9.11
	2004-05	631.177	7202	11.41
योग		**101379.808**	**235661**	

परिशिष्ट-34

2000-01 से 2004-05 के दौरान ईंधन तेल की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.23 में सन्दर्भित)

ओबरा ताप विद्युत गृह

इकाई का नाम	वर्ष	कुल उत्पादित विद्युत (एमयू)	तेल की कुल खपत (कि.ली)	तेल की खपत का मानक (मि.ली./किलोवाट घण्टा)	मानक के अनुसार तेल की खपत (कि.ली.)	तेल की अधिक खपत (कि.ली.)	एलडीओ की औसत दर (रूपये/कि.ली.)	कुल अधिक लागत (करोड़ रुपये में
1	2	3	4	5	6 (3 X 5)	7 (4–6)	8	9(7X8/10^7)
'अ' टीपीएस	2000-01	993.973	8991	5.52	5487	3504	11497	4.03
	2001-02	926.868	9715	5.52	5116	4599	11196	5.15
	2002-03	1058.496	10079	5.52	5843	4236	12709	5.38
	2003-04	785.020	7612	5.52	4333	3279	12007	3.94
	2004-05	545.110	7017	5.20	2835	4182	14857	6.21
योग		**4309.467**	**43414**			**19800**		**24.71**
'ब' टीपीएस	2000-01	4917.638	17656	2.94	14458	3198	11497	3.68
	2001-02	4760.980	14476	2.94	13997	479	11196	0.54
	2002-03	5487.647	11316	2.94	16134	-	12709	-
	2003-04	5459.802	11059	2.94	16052	-	12007	-
	2004-05	5007.762	16094	2.70	13521	2573	16707	4.30
योग		**25633.829**	**70601**			**6250**		**8.52**

अनपरा ताप विद्युत गृह

इकाई का नाम	वर्ष	कुल उत्पादित विद्युत (एमयू)	तेल की कुल खपत (कि.ली)	तेल की खपत का मानक (मि.ली./किलोवाट घण्टा)	मानक के अनुसार तेल की खपत (कि.ली.)	तेल की अधिक खपत (कि.ली.)	एलडीओ की औसत दर (रूपये/कि.ली.)	कुल अधिक लागत (करोड़ रुपये में
1	2	3	4	5	6 (3 X 5)	7 (4–6)	8	9(7X8/10^7)
'अ' ताप विद्युत गृह	2000-01	4156.310	6525	1.10	4572	1953	14193.98	2.77
	2001-02	4387.840	4577	1.10	4827	-	15050.66	-
	2002-03	4261.770	4562	1.10	4688	-	16101.86	-
	2003-04	4367.410	5302	1.10	4804	498	15891.03	0.79
	2004-05	4163.760	6364	2.00	8328	-	21464.78	-
योग		**21337.090**	**27330**			**2451**		**3.56**
'ब' ताप विद्युत गृह	2000-01	7347.210	2792	0.30	2204	588	14193.98	0.84
	2001-02	7733.360	2123	0.30	2320	-	15050.66	-
	2002-03	7407.880	2293	0.30	2222	71	16101.86	0.11
	2003-04	7616.040	1819	0.30	2285	-	15891.03	-
	2004-05	7345.610	1900	2.00	14691	-	20748.55	-
योग		**37450.010**	**10927**			**659**		**0.95**

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह

वर्ष	कुल उत्पादित विद्युत (एमयू)	तेल की कुल खपत (कि.ली)	तेल की खपत का मानक (मि.ली./किलोवाट घण्टा)	मानक के अनुसार तेल की खपत (कि.ली.)	तेल की अधिक खपत (कि.ली.)	एलडीओ की औसत दर (रूपये/कि.ली.)	कुल अधिक लागत (करोड़ रुपये में
1	2	3	4	5 (3 X 4)	6 (3-5)	7	8(6X7X10^7)
2000-01	705.220	5345	5.73	4041	1304	12505.17	1.63
2001-02	680.489	4499	5.73	3899	600	12106.27	0.73
2002-03	767.699	4288	5.73	439	-	11842.94	-
2003-04	732.863	6675	5.73	4199	2476	14601.87	3.62
2004-05	631.177	7202	5.50	3471	3731	14511.42	5.41
योग	**3517.448**	**28009**			**8111**		**11.39**

परिशिष्ट-35

2000-01 से 2004-05 के दौरान ताप की अधिक खपत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.25 में सन्दर्भित)

ओबरा

क्र. सं?	विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1	ताप दर का लक्ष्य* (किलो कैलोरी/किलोवाट घण्टा)	अ ब	3028 2916	3028 2916	3028 2916	3028 2916	3000 2900	
2	वास्तविक ताप दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घण्टा)	अ ब	2971** 2982**	2971 2982	3081 3019	3234 3147	3212 2978	
3	ताप की अधिक खपत (किलो कैलोरी/किलोवाट घण्टा)(1-2)	अ ब	- 66	- 66	53 103	206 231	212 78	471 544
4	कुल विद्युत उत्पादन (एमयू)	अ ब	993.973 4917.638	926.868 4760.980	1058.496 5487.647	785.02 5459.802	545.110 5007.762	4309.467 25633.829
5	ताप की कुल अधिक खपत (मिलियन किलो कैलोरी)(3×4)	अ ब	- 324564	- 314225	56100 565228	161714 1261214	115563 390605	333377 2855836
6	कोयले की औसत भारित उष्मांक (कि.कैलोरी/किग्रा.)	अ ब	3824 3824	3674 3674	3617 3617	3664 3664	3664 3664	
7	कोयले के रूप मे ताप की अधिक खपत (मी.टन) (10^7×5/6)	अ ब	- 84876	- 85527	15510 156270	44136 344218	31540 106606	91186 777497
8	कोयले की औसत लागत (रुपये प्रति मी.टन)	अ ब	896.33 896.33	1163.47 1163.47	1007.66 1007.66	1125.27 1125.27	1350.80 1330.38	
9	अधिक खपत ताप का कुल मूल्य (करोड़ रुपये में) (7×8/10^4)	अ ब	- 7.61	- 9.95	1.56 15.75	4.97 38.73	4.26 14.18	10.79 86.22

अनपरा

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1.	ताप दर का लक्ष्य (कि.कैलोरी/किलोवाट घण्टा)	अ ब	2549 2549	2549 2549	2549 2549	2549 2549	2500 2500	
2.	ताप की वास्तविक खपत (किलो कैलोरी/किलोवाट घण्टा)	अ ब	2381 2179	2906 2404	2961 2514	3077 2629	3168 2758	
3.	ताप की अधिक खपत (कि.कैलोरी/किलोवाट घण्टा) (1-2)	अ ब	- -	357 -	412 -	528 80	668 258	1965 338
4.	कुल विद्युत उत्पादन (मि. किलोवाट घण्टा)	अ ब	4156.31 7347.21	4387.84 7733.36	4261.77 7407.88	4367.41 7616.04	4163.760 7345.610	21337.09 37450.10
5.	ताप की कुल अधिक खपत (मि.कि.कैलोरी) (3×4)	अ ब	- -	1566458.88 -	1755849.24 -	2305992.48 609283.20	2781392 1895167	8409692.60 2504450.20
6.	कोयले का औसत भारित ऊष्मांक (किलो कैलोरी/किग्रा.)	अ ब	3829 3829	3825 3825	3849 3849	3983 3983	3986 3986	
7.	कोयले के रूप में ताप की अधिक खपत (मी.टन) (10^3×5/6)	अ ब	- -	409532 -	456183 -	578959 152971	697790 475456	2142464 628427
8.	कोयले की औसत लागत (रुपये/मी.टन)	अ ब	695.73 756.80	750.56 784.51	750.88 820.81	822.66 952.64	861.27 1064.60	
9.	अधिक खपत ताप का कुल मूल्य (करोड़ रुपये में) (7×8/10^4)	अ ब	- -	30.74 -	34.25 -	47.53 14.57	60.10 50.62	172.72 65.19

* यूपीईआरसी द्वारा निर्गत दर सूची के अनुसार।

** 2000-01 के आधार पर अनुमानित ताप दर।

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1.	ताप दर का लक्ष्य (कि.कैलोरी/किलोवाट घण्टा)	3480	3480	3480	3480	3450	
2.	ताप की वास्तविक खपत (कि.कैलोरी/किलोवाट घण्टा)	5006	3815	3468	3660	3680	
3.	ताप की अधिक खपत (कि.कैलोरी/किलोवाट घण्टा) (1-2)	1526	335	-	180	230	2271
4.	कुल विद्युत उत्पादन (मि. किलोवाट घण्टा)	705.220	680.489	767.699	732.863	631.177	3517.448
5.	ताप की कुल अधिक खपत (मि.किलो कैलोरी) (3×4)	1076165.72	227963.82	-	131915.34	145171	1581215.88
6	कोयले का औसत भारित ऊष्मांक (कि. कैलोरी/किग्रा.)	4497	3506	3252	3334	4076	
7	कोयले के रूप मे ताप की अधिक खपत (मी. टन) (10^3×5/6)	239307.476	65021	-	39567	35616	379511
8	कोयले की औसत अधिप्राप्ति लागत (रुपये/मी. टन)	1483.83	1585.28	1575.29	1796.19	1901.17	
9	अधिक खपत ताप का कुल मूल्य (करोड़ रूपये में) (7×8/10^4)	35.51	10.31	-	7.11	6.77	59.70

परिशिष्ट-36

तेल और कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन की हानि को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.27 में सन्दर्भित)

ओबरा ताप विद्युत गृह

इकाई संख्या	बन्दीकरण		चालू करने का समय		कुल बन्दी (घन्टो में)	विद्युत उत्पादन की हानि (एमयू)	बन्दीकरण का कारण
	दिनांक	समय	दिनांक	समय			
III	28.05.2001	10.03	08.06.2001	17.30	271.27	10.851	तेल की कमी
IV	24.05.2001	11.52	08.06.2001	16.00	364.08	14.563	तदैव
III	22.06.2001	00.00	05.07.2001	12.15	324.15	12.966	तदैव
IX	22.06.2001	21.59	23.06.2001	14.37	16.35	3.270	कोयला बंकर में कोयले की समाप्ति
XI	23.06.2001	08.52	25.06.2001	17.48	56.56	11.312	तदैव
IV	24.06.2001	14.00	07.07.2001	24.00	322.00	12.880	तदैव
VI	30.06.2001	06.47	04.07.2001	15.30	104.63	9.835	तदैव
XIII	14.08.2002	07.58	17.08.2002	14.04	78.06	15.612	कोयला तन्त्र का काम न करना
III	18.08.2002	00.00	20.08.2002	20.58	68.58	2.743	तदैव
VII	10.12.2002	10.55	11.12.2002	09.55	23.00	2.162	कोयला बंकर में कोयले की समाप्ति
IV	17.06.2004	01.38	21.06.2004	11.54	106.17	4.247	तेल की कमी
V	17.06.2004	01.38	17.06.2004	13.53	12.19	0.488	तदैव
VI	18.06.2004	00.00	22.06.2004	00.35	96.35	9.057	तदैव
IV	24.06.2004	18.45	26.06.2004	14.00	43.16	1.726	तदैव
VI	14.08.2004	07.17	14.08.2004	13.05	5.48	0.515	कोयला बंकर में कोयले का न होना
X	18.08.2004	00.00	02.09.2004	24.00	384.0	76.800	तेल की कमी
XI	25.06.2004	07.08	26.06.2004	04.59	21.51	4.302	कोयले की अनुपलब्धता
XIII	14.08.2004	21.59	15.08.2004	20.37	22.38	4.476	कोयला बंकर में कोयले का न होना
योग						**197.805**	

अनपरा ताप विद्युत गृह

इकाई संख्या	बन्दीकरण		चालू करने का समय		कुल बन्दी (घन्टो में)	विद्युत उत्पादन की हानि (एमयू)	बन्दीकरण का कारण
	दिनांक	समय	दिनांक	समय			
I	30.07.2001	04.58	30.07.2001	09.33	4.35	0.914	कोयले के न होने के कारण कटोर पेषणी का खाली होना
I	11.08.2004	14.56	11.08.2004	16.49	1.53	0.321	तदैव
योग						**1.235**	

हरदुआगंज ताप विद्युत गृह

इकाई संख्या	बन्दीकरण		चालू करने का समय		कुल बन्दी (घन्टो में)	विद्युत उत्पादन की हानि (एमयू)	बन्दीकरण का कारण
	दिनांक	समय	दिनांक	समय			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV	13.06.2000	06.20	13.06.2000	09.26	3.06	0.168	कोयले की धूल का कम स्तर
IV	14.06.2000	12.05	16.06.2000	17.43	53.38	2.936	तदैव
III	22.10.2000	12.14	23.10.2000	13.54	25.40	1.397	कोयले का न होना
IV	08.12.2000	21.05	10.12.2000	13.33	40.28	2.215	कोयले की धूल का कम होना
VII	15.03.2001	00.25	17.03.2001	18.22	65.57	6.885	उपयोगी कोयले की कमी

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
IV	19.03.2001	21.25	23.03.2001	12.32	87.07	4.789	तदैव
VII	22.03.2001	09.25	25.03.2001	07.33	70.08	7.358	तदैव
IV	16.05.2001	09.34	21.05.2001	11.13	121.39	6.676	तदैव
VII	17.05.2001	05.50	24.05.2001	20.20	182.30	19.142	तदैव
III	12.01.2003	06.20	12.01.2003	11.35	5.15	0.283	तेल के मुख्य टैंक में तेल का निम्न स्तर
IV	17.08.2003	09.52	17.08.2003	14.55	2.20	0.121	कोयले की दिक्कत
VII	12.09.2003	12.27	13.09.2003	10.30	22.03	2.313	कोयले की कमी
IV	19.08.2004	02.30	19.08.2004	18.45	16.15	0.888	गीले कोयले का डाला जाना
IV	30.08.2004	18.25	30.08.2004	22.05	3.40	0.187	कोयला बंकर का बन्द होना
IV	27.12.2004	01.05	27.12.2004	18.05	17.00	0.935	कोयले का रूकना
योग						**56.293**	

परिशिष्ट-37

2000-01 से 2004-05 के दौरान कम्पनी की ईंधन लागत एवं उत्पादन लागत को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 2.4.28 में सन्दर्भित)

तापीय विद्युत गृह का नाम	वर्ष	अनपरा		ओबरा		पनकी	हरदुआगंज	पारीछा	कम्पनी की औसत लागत
		अ	ब	अ	ब				
कुल उत्पादन लागत (प्रति इकाई)	2000-01	97	160	188	115	220	335	320	150
	2001-02	108	142	262	146	232	397	251	158
	2002-03	101	121	223	128	246	371	263	144
	2003-04	103	123	270	138	230	389	323	148
	2004-05	114	132	387	164	265	409	282	164
कुल ईंधन लागत (प्रति इकाई)	2000-01	62	54	108	90	144	216	179	80
	2001-02	64	54	154	108	146	224	169	88
	2002-03	63	56	126	96	155	209	187	87
	2003-04	69	65	138	110	161	234	201	95
	2004-05	79	80	203	131	197	265	209	113
ईंधन लागत का कुल लागत से प्रतिशत (प्रति इकाई)	2000-01	64	34	57	78	65	64	56	53
	2001-02	59	38	59	74	63	56	67	56
	2002-03	62	46	57	75	63	56	71	60
	2003-04	67	53	51	80	70	60	62	64
	2004-05	69	61	52	80	74	65	74	69

परिशिष्ट-38

समान उद्देश्यों वाली कम्पनियों का विवरण दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.25 में संदर्भित)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निगमीकरण की तिथि	मुख्य उद्देश्य	अंतिम लेखो पर आधारित अद्यतन तीन वर्षों के व्यय			परिहार्य व्यय	संचित हानि	
				वर्ष	प्रशासनिक व्यय	कर्मचारी लागत	धनराशि	अद्यतन अंतिम लेखों की अवधि	धनराशि
अ.	निर्माण क्षेत्र								
1	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	01.05.1975	भवन एवं सड़को का निर्माण	2001-02 से 2003-04	108.86	74.84	-	2003-04	-
2	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	25.06.1976	भवन एवं सड़को का निर्माण	2001-02 से 2003-04	38.59	28.27	38.59	2003-04	-
3	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	27.03.87	भवन एवं सड़को का निर्माण	2001-02 से 2003-04	8.36	5.55	8.36	2003-04	-
ब.	वस्त्र क्षेत्र								
4	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड	20.08.1976	धागे का उत्पादन	2002-03 से 2004-05	88.39	63.11	--	2004-05	111.22
5	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	धागे का उत्पादन	2001-02 से 2003-04	19.03	14.30	19.03	2003-04	106.76
	योग						**65.98**		

परिशिष्ट-39

राज्य सरकार की कार्यरत कम्पनियों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.27.4 में संदर्भित)

1. यू.पी. स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (यूपीएसवाईसी)	2. यू.पी. स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएसएचसी)	3. यू.पी. स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएसआईसी)
4. यू.पी. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (यूपीएसआईडीसी)	5. यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (यूपीएसएसपीसी)	6. यू.पी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन)
7. यू.पी. स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएसबीसी)	8. यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी)	9. दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप)
10. यू.पी. स्टेट टूरिज्म डेवेलप्मेन्ट कारपोरेशन (यूपीएसटीडीसी)	11. यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएसएसयूसी)	12. यू.पी. एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीईसी)
13. यू.पी. स्टेट लेदर डेवेलप्मेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (लैमको)	14. नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (एनएसएससी)	15. घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (जीएससी)
16. छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (सीएससी)	17. यू.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	18. यू.पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल)
19. यू.पी. जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल)	20.कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (केस्को)	21. मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मध्यान्चल वीवीएनएल)
22. दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल)	23. पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल)	24. पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीएवीवीएनएल)

परिशिष्ट-40

दो बैठकों के मध्य रिक्तता दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.27.6 में संदर्भित)

कम्पनी का नाम	बैठक की तारीख		धारा 285 का कितनी बार उल्लंघन	दो बैठकों के बीच का अन्तर (माह)	कम्पनी का नाम	बैठक की तारीख		धारा 285 का कितनी बार उल्लंघन	दो बैठकों के बीच का अन्तर (माह)
यूपीएसवाईसी	30.11.2000	16.7.2001		8	यूपीएसएसयूसी	30.8.2000	27.12.2000		4
	16.4.2002	13.12.2002		8		19.5.2001	29.9.2001		4
	21.3.2003	24.7.2003	4	4		27.5.202	13.9.2002	5	4
	21.1.2004	29.6.2004		5		13.9.2002	16.1.2003		4
						6.2.2004	22.7.2004		4
यूपीएसएचसी	6.9.2000	23.4.2001		7	यूपीईसी	24.3.2000	29.7.2000		4
	23.7.2001	23.1.2002		6		16.11.2000	29.3.2001		4
	23.1.2002	17.7.2002		6		4.10.2001	26.2.2002		4
	17.7.2002	30.11.2002	6	4		26.2.2002	28.6.2002	7	4
	30.11.2002	4.9.2003		9		30.9.2002	23.1.2003		4
	23.12.2003	9.6.2004		6		23.1.2003	22.5.2003		4
						29.7.2003	7.5.2004		10
यूपीएसआईसी	25.3.2000	11.8.2000		5	लैमको	9.11.2000	20.3.2001		4
	30.11.2000	4.5.2001		6		30.1.2002	17.5.2002		4
	20.9.2001	4.1.2002		4					
	22.3.2002	6.7.2002	7	4				2	
	20.3.2003	30.7.2003		4					
	30.7.2003	23.12.2003		5					
	4.6.2004	19.10.2004		4					
यूपीएसआईडीसी	22.5.2002	26.9.2002		4	एनएससी	30.3.2000	12.7.2000		4
	28.3.2003	16.7.2003	4	4		13.9.2002	14.1.2003	2	4
	18.10.2003	7.2.2004		4					
	7.2.2004	18.9.2004		7					
यूपीएसएसपीसी	24.6.2000	23.10.2000		4	जीएससी	303.2000	12.7.2000		4
	6.12.2000	16.7.2001		7		13.9.2002	16.1.2003		4
	30.10.2001	20.3.2002		5					
	20.3.2002	29.8.2002	6	5				2	
	25.10.2002	20.3.2003		5					
	20.3.2003	27.9.2003		6					
यूपीप्राजेक्ट कारपोरेशन	28.6.2000	9.11.2000		5	सीएससी	30.3.2000	12.7.2000		4
	23.5.2001	29.9.2001	3	4		29.7.2002	16.1.2003	2	6
	28.3.2003	11.8.2003		5					
यूपीएसबीसी	27.9.2000	7.2.2001		4	यूपीजेबीएनएल	23.1.2001	19.10.2001		9
	7.2.2001	26.6.2001		5		13.8.2003	11.3.2004		7
	18.8.2001	7.12.2001		4		27.3.2004	18.10.2004		7
	5.7.2002	30.12.2002	7	6				3	
	24.6.2003	23.12.2003		6					
	23.12.2003	2.4.2004		3					
	27.4.2004	2.11.2004		6					
यूपीएलसी	--.3.2000	7.6.2000		4	केस्को	5.8.1999	28.12.1999		4
	29.12.2000	12.4.2001		4		3.2.2001	3.8.2001		5
	22.5.2001	26.7.2002		14		3.8.2001	6.12.2001		4
	26.7.2002	7.1.2003	6	5		6.12.2001	30.5.2002	5	5
	9.5.2003	25.2.2004		10		30.5.2002	27.9.2002		4
	25.2.2004	27.9.2004		7					
पिकप	8.8.2000	13.12.2000		4	एमवीबीएनएल	23.8.2003	15.1.2004		5
	21.3.2001	22.9.2001		6		15.1.2004	1.5.2004		4
	20.11.2001	16.3.2002		4					
	25.10.2002	26.2.2003	7	4				2	
	26.2.2003	14.8.2003		6					
	27.3.2004	12.8.2004		5					
	12.8.2004	1.12.2004		4					
यूपीएसटीडीसी	10.4.2000	30.9.2000		6	डीबीबीएनएल	20.10.2003	1.5.2004		6
	30.9.2000	30.3.2001		6		31.8.2004	10.1.2005		5
	30.3.2001	28.9.2001		6					
	28.9.2001	17.1.2002	8	4				2	
	27.4.2002	26.9.2002		5					
	24.12.2002	16.7.2003		7					
	16.7.2003	6.2.2004		7					
	6.2.2004	22.7.2004		6					

परिशिष्ट-41

अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशकों/मुख्य अधिशासियों के लगातार परिवर्तन को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.27.9 में संदर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	अध्यक्ष का कार्यकाल			प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अधिशासी का कार्यकाल		
		नाम	अवधि	माह	नाम	अवधि	माह
1	2	3	4	5	6	7	8
1	यूपीएसवाईसी	ए.पी. सिंह	20.04.01 से 09.05.01	19 दिन	डा. अशोक कुमार	16.03.00 से 21.05.00	2
		बी.एम. वोहरा	09.05.01 से 25.11.02	19	जी.सी. पाठक	22.05.00 से 16.07.01	14
		जगदीश राय	25.11.02 से 29.03.03	4	एन.एस. रवि	16.07.01 से 13.12.02	17
		सी.के. तिवारी	29.03.03 से 06.09.03	5	जगदीश राय	13.12.02 से 23.7.03	7
		वी. वेन्कटाचलम	06.09.03 से 23.11.04	3	सी.के. तिवारी	24.7.03 से अब तक	-
		रवीन्द्र सिंह	23.11.04 से अब तक	-			-
2	यूपीएसएचसी	शिव गनेश लोधी	26.02.00 से 12.04.02	1	डी. दिप्तीविलास	01/00 से 07/02	31
		मोहिन्दर सिंह	12.04.02 से 17.07.02	3	सी.के. तिवारी	08/02 से 08/03	13
		भूपेन्दर सिंह	17.07.02 से 30.08.02	1	एस.के. निगम	09/03 से 08/04	12
		जे.एस. दीपक	30.08.02 से 20.08.03	12	पी.के. दीक्षित	09/04 से अब तक	-
		वी. वेन्कटाचलम	20.08.03 से 29.10.03	2			
		श्रीमती जोहरा चटजी	29.10.03 से 11.11.03	13 दिन			
		रवीन्द्र सिंह	11.11.03 से 07.07.04	8			
		श्रीमती उमा किरन	07.07.04से अब तक	-			
3	यूपीएसआईसी	आनन्द प्रकाश	01.01.00 से 05.07.02	30	कुंवर ए.एस. देव	01/00 से 04/01	16
		भूपेन्द्र सिंह	28.09.02 से 29.07.03	10	डी. दिप्तीविलास	05/01 से 09/01	4
		जी. पटनायक	30.07.03 से 22.12.03	5	सी.के. तिवारी	10/01 से 06/02	9
		सी.के. तिवारी	01.01.04 से 05.07.04	6	एस.वी.एस. सक्सेना	07/02 से 12.03	18
		मूलचन्द	06.07.04 से अब तक	-	सी.के. तिवारी	01/04 से 02/05	14
					एस.वी.एस सक्सेना	03/05 से अब तक	-
4	यूपीएसआईडीसी	ए.पी. सिंह	29.12.00 से 29.09.01	9	राजीव कुमार	03/00 से 07/03	41
		एस.एन. शुक्ल	29.09.01 से 22.05.02	8	पी.डी. सुधाकर	08/03 से 09/04	14
		लक्ष्मी चन्द्र	22.05.02 से 22.05.22	1 दिन	शरद प्रसाद	10/04 से 12/04	3
		शंशाक शेखर सिंह	22.05.02 से 06.09.03	15	बलविन्दर कुमार	01/05 से अब तक	-
		सुजीत बनर्जी	06.09.03 से 18.09.04	12			
		रवि माथुर	18.09.04 से 18.09.04	1 दिन			
		सिद्ध गोपाल साहू	18.09.04 से अब तक				
5	यूपीएसएसपीसी	बी.एम. बोहरा	09.05.01 से 25.11.01	7	जगदीश राय	कोई बदलाव नही	-
		हरी कृष्ण	25.11.01 से 20.03.02	4			
		मेहिन्दर सिंह	20.03.02 से 29.08.02	5			
		भूपेन्दर सिंह	29.08.02 से 27.09.03	13			
		वी. वेन्कटाचलम	27.09.03 से 13.01.04	4			
		रवीन्द्र सिंह	13.01.04 से अब तक	-			

1	2	3	4	5	6	7	8
6	यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन	एस.पी. आर्या	01.04.02 से 07.06.02	2	कप्तान सिंह	01/00 से 09/00	9
		एस.के. अग्रवाल	07.06.02 से 01.12.03	18	आर.पी. शर्मा	01/01 से 03/03	27
		अतुल कुमार गुप्ता	01.12.03 से 05.07.04	7	डी.सी. सामन्त	04/03 से अब तक	-
		विजय सिंह	05.07.04 से अब तक	-			
7	यूपीएसबीसी	ए.के. जैन	7.2.01 से 5.7.02	17	विजय कुमार	01/00 से 12.02	36
		आलोक सिन्हा	5.7.02 से 2.4.04	21	जी.के. पाण्डेय	01/03 से 06/03	6
		चन्द्र पाल	2.4.04 से 2.11.04	7	एस. लाल	07/03 से 08/03	2
		एस.के. अग्रवाल	2.11.04 से अब तक	-	पी.जे. एंगल	09/03 से 12/03	4
					के.के. मित्तल	01/04 से अब तक	-
8	यूपीएलसी	पंकज अग्रवाल	06.04.00 से 29.12.00	9	अरूण आर्या	01/00 से 02/01	14
		ओ.एन. वैद्य	29.12.00 से 31.10.01	10	मुकुल सिंघल	03/01	1
		सी.के. शर्मा	21.12.01 से 19.06.02	6	अनुराग श्रीवास्तव	04/01	1
		जी. पटनायक	19.06.02 से 11.07.03	13	अनिल कुमार	05/01 से 02/02	10
		ए.के. विश्नोई	29.07.03 से 16.10.03	3	अविनाश अवस्थी	03/02 से 04/02	2
		राकेश बहादुर	16.10.03 से 28.05.04	7	आर. एन. त्रिपाठी	05/02	1
		वी.के. अग्रवाल	24.08.04 से अब तक	-	अमित मोहन प्रसाद	05/02 से 12/02	7
					दीपक कुमार	01/03 से 04/03	4
					डी.सी. मिश्रा	05/03 से 08/03	4
					ए.के. बिश्नोई	09/03	1
					अजय कुमार	10/03 से 11/03	2
					श्रीमती अर्चना अग्रवाल	12/03 से 01/2004	2
					राकेश बहादुर	02/04 से 06/04	5
					आर.एल.एल. दीक्षित	07/04 से अब तक	-
9	पिकप	बी.एन. तिवारी	18.11.00 से 01.08.01	8	पी.सी. चर्तुवेदी	12/00 से 05/02	19
		ए.पी. वर्मा	01.08.01 से 30.09.03	26	डी.एस. बैन्स	06/02 से 07/02	1
		ए.पी. सिंह	29.11.03 से 31.12.03	1	संजीव नायर	08/02 से 10/03	15
		वी.के. दीवान	31.12.03 से 30.04.04	4	प्रवीण कुमार	11/03 से 05/04	7
		वी.के. मित्तल	03.06.04 से अब तक	-	अनिल स्वरूप	06/04 से अब तक	-
10	यूपीटीडीसी	पी.एल. पुनिया	02.04.02 से 26.09.02	6	भूपेन्दर सिंह	04/00 से 09/01	6
		श्रीमती मंजुलिका गौतम	26.09.02 से 16.07.03	10	श्रीमती लीना नंदन	10/01 से 09/02	12
		नवाब काजिम अली खान	08.12.03 से अब तक	-	ए.के. बिश्नोई	10/02 से 06/03	8
					मुकुल सिंघल	07/03 से ¼	7
					एम.के. गुप्ता	02/04 से 07/04	6
					हरपाल सिंह	08/04 से अब तक	-
11	यूपीएसएसयूसी	डा. आई.पी. ऐरन	01.01.00 से 30.11.01	23	ए.के. जैन	03/00 से 08/00	5
		अरूण कुमार मिश्रा	01.12.01 से 21.03.02	16	डा. इन्दु प्रकाश	08/00 से 12/00	4
		पी.सी. शर्मा	21.03.02 से 06.05.02	2	आर.पी. सिंह	12/00 से 09/01	9
		वी.के. दीवान	06.05.02 से 11.10.02	5	बी.एम. मीना	09/01 से 09/02	12
		पी.सी. शर्मा	11.10.02 से 02.12.02	2	मिस अगधना जौहरी	09/02 से 03/03	6
		आर. चन्द्रा	03.12.02 से 30.04.03	5	हरदेव सिंह	03/03 से 09/04	18
		रवि माथुर	05.05.03 से 23.09.03	5	एस.पी.एस. चौहान	09/04 से अब तक	-
		डी.एस. बैन्स	03.11.03 से अब तक	-			8

1	2	3	4	5	6	7	8
12	यूपीईसी	शंशाक शेखर सिंह	28.06.02 से 22.10.03	16	तुलसी गौर	10/00 से 08/02	22
		सुजीत बनर्जी	22.10.03 से 07.05.04	6	दीपक कुमार	08/02 से 12/02	4
		श्रीमती जोहरा चटर्जी	07.05.04 से 30.06.04	2	जे.एस. दीपक	12/02 से 03/03	3
		डा. मिराजुद्दीन अहमद	30.06.04 से अब तक	-	श्रीमती आराधना शुक्ला	05/03 से 05/04	11
					डा. आर.सी. दुआ	05/04 से अब तक	-
13	लैमको	नीता चौधरी	3/00 से 5/00	3	माजिद अली	01/00 से 10/00	10
		राजीव गुप्ता	6/00 से 3/01	10	तुलसी गौर	11/00 से 10/03	36
		एस.एन. झा	4/01 से 8/01	5	पी.सी. जैन	11/03 से अब तक	-
		वी.के. शर्मा	9/01 से अब तक	-			
14	एनएससी	अरुण कुमार मिश्रा	28.12.01 से 27.03.02	3	आलोक कुमार जैन	01/00 से 10/00	10
		पी.सी. शर्मा	27.03.02 से 30.05.02	2	आर.पी. सिंह	10/00 से 09/01	11
		वी.के. दीवान	30.05.02 से 24.10.02	5	बी.एम. मीना	09/01 से 06/02	9
		पी.सी. शर्मा	24.10.02 से 24.12.02	2	मिस अराधना जौहरी	06/02 से 03/03	9
		आर. चन्द्रा	24.12.02 से 13.05.03	5	हरदेव सिंह	03/003 से 12/04	22
		रवि माथुर	13.05.03 से 11.11.03	6			
		डी.एस. बैन्स	15.11.03 से अब तक	-			
15	जीएससी	ए.के. मिश्रा	28.12.01 से 27.03.02	3	केशराज सिंह	03/00 से 12/01	21
		पी.सी. शर्मा	27.03.02 से 31.05.02	2	जे.सी. बत्रा	12/01 से 01/03	13
		आर. चन्द्रा	01/03 से 12.05.03	5	एस.एन. त्रिपाठी	01/03 से 03/03	2
		रवि माथुर	12.05.03 से 11.10.03	5	आर.डी. शर्मा	03/03 से 06/03	3
		डी.एस. बैन्स	18.11.03 से अब तक	-	डी.एन. सिंह	06/03 से 06/04	12
					एस.पी. पाण्डेय	06/04 से 09/04	3
					डी.एन. सिंह	09/04 से अब तक	-
16	सीएससी	ए.के. मिश्रा	28.12.01 से 27.03.02	3	जे.आर. तिवारी	03/00 से 06/01	16
		पी.सी. शर्मा	27.03.02 से 27.06.02	3	बी.पी. त्रिपाठी	06/01 से 09/01	3
		वी.के दीवान	27.06.02 से 14.11.02	5	जे.सी. बंसल	09/01 से 03/02	6
		श्रीमती आराधना जौहरी	14.11.02 से 10.03.03	4	सन्त कुमार सिंघल	03/02 से 01/03	10
		रवि माथुर	14.05.03 से 28.10.03	6	वी.के. यादव	01/03 से 09/03	8
		डी.एस. बैन्स	12.12.03 से अब तक	-	जय सिंह	09/03	1
					मान सिंह यादव	09/03 से 12/03	3
					जे.आर. तिवारी	12/03 से 09/04	9
					वी.के. कपूर	09/04 से 12/04	3
					एस.के. शर्मा	01/05 से अब तक	-

परिशिष्ट–42

सम्प्रेक्षण समिति के निर्माण में विलम्ब तथा बैठक बुलाने में कमी को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर 3.27.12 और 3.27.15 में संदर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सम्प्रेक्षण समिति गठन में विलम्ब			बैठक हुयी		टीओआर	बैठक में कितनी बार उपस्थित हुये		
		तारीख की सीमा	गठन का दिनांक	विलम्ब (माह)	अवधि (माह)	कितनी बार बैठकें हुई (मार्च 2005 तक)	(हाँ–ह नहीं–न)	वैधानिक सम्प्रेक्षक	आन्तरिक सम्प्रेक्षक	प्रभारी वित्त निदेशक
1-	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	यूपीएसवाईसी	13.12.2000	31.10.01	10	41	3	ह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	यूपीएसएचसी	उपरोक्त	17.07.02	19	32	1	ह	शून्य	शून्य	
3.	यूपीएसआईसी	उपरोक्त	23.03.03	27	24	-	ह	--	--	
4.	यूपीएसआईडीसी	उपरोक्त	26.06.99	-	69	4	न	शून्य	शून्य	2
5.	यूपीएसएसपीसी	उपरोक्त	16.07.01	07	44	4	न	शून्य	शून्य	2
6.	यूपीपीसीएल	उपरोक्त	29.09.01	09	42	6	ह	शून्य	शून्य	6
7.	यूपीएसबीसी	उपरोक्त	07.02.01	02	49	4	ह	शून्य	शून्य	4
8.	यूपीएलसी	उपरोक्त	26.07.02	19	32	2	ह	शून्य	शून्य	2
9.	पिकप	उपरोक्त	21.03.01	03	48	5	ह	2	शून्य	5
10.	यूपीएसटीडीसी	उपरोक्त	27.04.02	16	35	शून्य	ह	बैठक नहीं हुई		
11.	यूपीएसएसयूसी	उपरोक्त	29.09.01	09	42	5	ह			
12.	यूपीईसी	उपरोक्त	26.02.02	14	37	शून्य	न	बैठक नहीं हुई		
13.	लैमको	उपरोक्त	नही	51	समिति नहीं गठित हुई					
14.	एनएससी	उपरोक्त	जून, 2001	06	45	4	न			
15.	जीएससी	उपरोक्त	14.06.02	18	33	2	ह	शून्य	शून्य	
16.	सीएससी	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	4	ह	शून्य	शून्य	
17.	यूपीपीसीएल	उपरोक्त	30.5.01	6	46	7	ह	2	शून्य	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
18.	यूपीआरवीयूएनएल	उपरोक्त	6.8.01	7	43	5	न	शून्य	शून्य	
19.	यूपीजेवीएनएल	उपरोक्त	19.10.01	10	41	6	न	शून्य	शून्य	
20.	केस्को	उपरोक्त	30.5.02	17	34	2	हं	शून्य	शून्य	
21.	एमवीवीएनएल	1.5.2003*	10.1.05	19	8	शून्य	न	बैठक नहीं हुई		
22.	डीवीवीएनएल	1.5.2003*	19.7.04	13	2	शून्य	न	बैठक नहीं हुई		
23.	पीयूवीवीएन	1.5.2003*	19.7.04	13	8	शून्य	न	बैठक नहीं हुई		
24.	पीएवीवीएन	1.5.2003*	19.7.04	13	8	शून्य	न	बैठक नहीं हुई		

* *निगमन की तिथि*

परिशिष्ट–43

प्रस्तर/समीक्षा, जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.28 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04	
		लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तर जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है
1.	ऊर्जा	20	5	18	8	20	13	20	18	14	14
2.	परिवहन	2	0	2	0	3	0	1	0	--	--
3.	सहकारिता	--	--	--	--	--	--	2	0	--	--
4.	हरिजन एवं समाज कल्याण	1	0	2	0	2	1	--	--	4	4
5.	कृषि	--	--	--	--	1	0	2	0	--	--
6.	वस्त्र	2	0	--	--	2	1	--	--	--	--
7.	उद्योग तथा औद्योगिक विकास	9	1	6	0	6	5	9	8	4	4
8.	लोक निर्माण	2	0	2	0	--	--	2	0	1	1
9.	पर्यटन	--	--	--	--	--	--	1	0	--	--
10.	ग्राम्य एवं लघु उद्योग	4	1	--	--	3	1	1	0	--	--
11.	चीनी	2	0	2	0	--	--	3	1	1	1
12.	नगरीय विकास	2	0	2	0	--	--	--	--	--	--
13.	गृह	--	0	1	0	--	--	--	--	--	--
14.	वन	--	--	1	0	--	--	1	0	1	1
15.	आवास	--	--	1	0	--	--	--	--	1	1
16.	सिंचाई	--	--	1	0	1	0	--	--	2	2
17.	मत्स्य	--	--	1	0	--	--	--	--	--	--
18.	सार्वजनिक उपक्रम	1	0	--	--	--	--	--	--	2	2
	योग	**45**	**7**	**39**	**8**	**38**	**21**	**42**	**27**	**30**	**30**

परिशिष्टि-44

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 3.28.2 में सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड					
1998-99	4अ.4	5.60	अपर्याप्त स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन एवं देयों के अल्प अनुश्रवण के कारण हानि	ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य-प्रणाली तथा देयों की वसूली के अनुश्रवण को मजबूत बनाये जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी थी।	कम्पनी जमानतदारों से मात्र 12.09 लाख रुपये वसूल कर सकी। एक मुश्त निपटान प्रस्ताव के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।
1999-2000	2अ.7.1	75.25	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा जिम्मेदारियों के निर्धारण हेतु कृत कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	2अ.7.2	28.09	तदैव	तदैव	तदैव
	2अ.7.3	8.70	तदैव	तदैव	तदैव
	योग	**117.64**			
2. ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ					
1997-98	3स.10.2(अ)	2.37	चेकों के अनादृण के बाद भी चेक द्वारा भुगतान की सुविधा को समाप्त नही किया जाना तथा विद्युत आपूर्ति विसंयोजित नही किये जाने से बकायों में वृद्धि	समुचित कार्यवाही न किये जाने हेतु कर्मचारियों को जिम्मेदारी निर्धारित की जानी थी।	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किये जाने के कारण उपभोक्ता के विरुद्ध बकाये की कुल राशि वसूल नही की जा सकी। उप्रराविप/कम्पनी द्वारा किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध, बकायों की वृद्धि हेतु कोई भी कार्यवाही नही की गई।
1998-99	3अ.6.2.3	8.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.6.2.6	16.66	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.14	11.45	तदैव	तदैव	तदैव
	4अ.17	0.99	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बकाया वसूली हेतु कृत कार्यवाही की सूचना दी। 0.99 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी। उप्रराविप ने किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की।
2001-02	3अ.10	0.55	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	3अ.12	0.18	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.25	0.79	तदैव	तदैव	तदैव
2003-04	2.3.16	16.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने बताया कि कार्यवाही की जाएगी।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1997-98	3स.12.1	61.39	प्रवतको की अतिशय क्षति (2 प्रतिशत के मानक से अधिक वितरण प्रवतकों की क्षति) के कारण मरम्मत पर अतिरिक्त वित्तीय भार	अतिशय क्षति के कारणों की जाँच एवं निरोधात्मक रख-रखाव हेतु समयबद्धता की आवश्यकता थी।	उपचारात्मक उपायों के तौर पर, प्रबन्धन ने समय-समय पर आंचलिक कार्यालयों को प्रवतकों की अतिशय क्षति में कमी लाने हेतु निर्देश निर्गत किया तथा सूचित किया कि उ.प्र.रा.वि.प. वर्तमान प्रवतकों की क्षमता में वृद्धि तथा नये उपगृह की स्थापना कर रहा था। उपचारात्मक उपायों के प्रभाव जिनसे प्रवतकों की क्षति में कमी होती, प्रतीक्षित थी।
1999-2000	3ब.6.2	325.28	तदैव	तदैव	तदैव
1999-2000	4अ.19	1.94	ऊर्जा उपभोग हेतु निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण उपभोक्ताओं से वसूली में विलम्ब हुआ।	देयकों को जारी किये जाने की प्रणाली को सुदृढ किए जाने के अतिरिक्त उन कर्मचारियों, जोकि देयकों को देरी से जारी किये जाने की त्रुटि कर रहे थे, की जिम्मेदारी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2000-01	4अ.8	2.90	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.21	0.43	तदैव	तदैव	तदैव
1998-99	3अ.5.17	3.17	अल्प निर्धारण एवं न्यूनतम उपभोग प्रतिभूति की अनियमित माफी	उन मामलों में, जहाँ पर कम्पनी को हानि हुई तथा कर्मचारियों की घोर लापरवाही परिलक्षित थी, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना था।	तदैव
1999-2000	4अ.13(अ)	0.23	तदैव	तदैव	राज्य सरकार द्वारा यूपीपीसीएल को दिये गये ऋण से अदत्त देयों का समायोजन करने हेतु शासन ने निर्देश दिया। यूपीपीसीएल के बकायों को सरकारी ऋण से समायोजित किये जाने की सूचना प्रतीक्षित थी।
	4अ.26	0.10	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर एवं अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2001-02	3अ.19	0.49	तदैव	तदैव	तदैव
2002-03	2.2.21	0.52	तदैव	तदैव	तदैव
1998-99	3अ.6.2.1	68.95	मासिक देयकों का किश्तों में भुगतान एवं विलम्ब अधिभार की माफी	राजस्व संकलन की प्रक्रिया का अतिक्रमण करने हेतु तत्सम्बन्धी कर्मचारी की जिम्मेदारी विहित की जानी चाहिए थी।	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि सक्षम अधिकारी/समिति की अनुमति के पश्चात ही अद्योग में व्याप्त मंदी एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ता से बकाया धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही थी। कार्यवाही के परिणाम प्रतीक्षित थे।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
2000-01	4अ.22	2.80	तदैव	तदैव	प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि उपभोक्ता, पूर्ववर्ती केसा से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण कम्पनी थी, केसा द्वारा लिये गये निर्णय को निगम द्वारा अंगीकृत किया गया तथा केसा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वसूली की गई।
	योग	**510.18**			
3. उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड					
2000-01	4अ.1	1.41	प्राकल्लन/संशोधित प्राक्कलन से अधिक जिन्हें ग्राहक द्वारा अनुमोदित नही किया गया था। अनुबन्ध में विहित न किये गये एवं ग्राहक द्वारा स्वीकार नही किये गये मदो पर व्यय हानि मे परिणामित हुआ।	व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता थी।	शासन के उत्तर मे यह राय व्यक्त की गई कि व्ययाधिक्य तकनीकी आवश्यकता/अनिवार्यता के कारण थी। तकनीकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी।
2001-02	2द.2.4.4	0.22	तदैव	तदैव	संशोधित प्राक्कलन ग्राहक द्वारा अनुमोदित किया गया।
	योग	**1.63**			
4. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड					
1999-2000	4अ.8	0.51	अनुचित भंडारण के कारण चीनी की क्षति एवं परिणामी हानि।	अनुचित भंडारण के कारण हुई हानि की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता थी।	प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि चीनी अपरिहार्य स्थितियों में गीली हो गयी थी जिसके लिये कोई कर्मचारी जिम्मेदार नहीं था।
2000-01	4अ.5	0.83	तदैव	तदैव	सरकार/प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि चीनी निदेशालय ने रहतिये के अनुसार निर्गमन आदेश नही जारी किया एवं लम्बे समय तथा अत्यधिक राहतिये को रखने के कारण चीनी गीली हो गयी।
2002-03	3.1.6	1.19	तदैव	तदैव	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
	योग	**2.53**			

परिशिष्टि-45

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित सरकारी निगमों से सम्बन्धित निरन्तर अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 3.28.2 में सन्दर्भित)

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
1. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम					
1997-98	3अ.7.2.1	2.39	वह ईकाइयाँ जो प्रारम्भ से ही लाभकारी नही थी के ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव के त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन के कारण हानि अथवा ऋण की वसूली बाधित हुई।	मूल्यांकन प्रक्रिया एवं कार्य प्रणाली की सशक्त बनाये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जिन्होने ऋण स्वीकृति हेतु परियोजना का मूल्यांकन किया था, की जिम्मेदारी निर्धारित की जाने की आवश्यकता थी।	निगम सहय्यित इकाई के निदेशकों से मात्र 36.32 लाख रूपये की वसूल कर सका तथा शेष राशि के लिये व्यक्तिगत प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई।
	3अ.7.2.3	1.66	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतकों से मात्र 28.53 लाख रुपये ही वसूल कर सका। शेष धनराशि की वसूली हेतु व्यक्तिगत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई थी।
1999-2000	4ब.2	1.30	-तदैव-	-तदैव-	निगम ने बकायो की वसूली के लिये वसूली प्रमाण पत्र जारी किया तथा बन्धक सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विज्ञापन जारी किया। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारण नही की गई।
	4ब.7	1.39	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतकों तथा सहय्यित इकाई की सम्पत्तियों की बिक्री से मात्र 50.55 लाख रुपये ही वसूल कर सका। किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।
2002-03	3.2.2 3.2.3 3.2.4	11.68 7.09 4.85	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन के उत्तर प्रतीक्षित थे।
1997-98	3अ.8.2.1	2.82	वितरण पूर्व शर्तो का पालन न किये जाने के कारण ऋणों की वसूली के असंभव होने के कारण हानि हुई।	ऋण वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली को सुदृढ किये जाने के अतिरिक्त, उन कर्मचारियों, जो वितरण पूर्व की शर्तो का पालन करवाने में विफल रहे, की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए थी।	निगम एक मुश्त निपटारा (ओटीएस) निर्णय के अन्तर्गत मात्र 75 लाख रुपये ही वसूल कर सका।
	3अ.8.2.2	1.75	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतकों से कोई राशि नही वसूल कर सका। सहाय्यित इकाई के निदेशकों में विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। निगम जमानतदारों से बकायो की वसूली का प्रयास कर रहा था। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।

लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन	प्रस्तर संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	निरन्तर अनियमितताओं का सारांश	विचारणीय बिन्दु/की जाने वाली कार्यवाही	कृत कार्यवाही का विवरण
	3अ.8.2.3	1.36	-तदैव-	-तदैव-	निगम ने बन्धक सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने हेतु राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी की। किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।
	3अ.8.2.4	2.14	-तदैव-	-तदैव-	निगम बकायों को नही वसूल सका ~~तथा पीआरसी जारी की जानी थी।~~ किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नही की गई।
2003-04	3.21	2.21	-तदैव-	-तदैव-	निगम देयों की वसूली नही कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
1999-2000	4ब.6	0.56	अनियमित विधिक दस्तावेजो/नकली दस्तावेजो पर ऋण वितरण किये जाने से हानि	त्रुटिविहीन सत्यापन हेतु प्रणाली का सुदृढीकरण/दस्तावेजों की स्वतंत्र जाँच की आवश्यकता थी।	निगम ने बताया कि सहायियत इकाई के प्रवर्तकों द्वारा 72.06 लाख रुपये का एक मुश्त प्रस्ताव आदृत नही किया गया था। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
2000-01	4ब.3	4.44	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतकों से नाम मात्र की धनराशि ही वसूल कर सका। ~~सेष राशि की वसूली प्रतीक्षित थी।~~
	4ब.5	0.97	-तदैव-	-तदैव-	निगम मात्र 28.80 लाख रुपये ही वसूल कर सका। ~~सेष धनराशि की वसूली की जानी थी।~~
	4ब.6	0.62	-तदैव-	-तदैव-	निगम प्रर्वतको से कोई धनराशि वसूल नही कर सका। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
~~2001-02~~	~~3ब.5~~	~~0.72~~	~~-तदैव-~~	~~-तदैव-~~	~~निगम द्वारा प्रस्तर का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।~~
2002-03	3.2.6	4.50	-तदैव-	-तदैव-	~~निगम द्वारा इस प्रस्तर का उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।~~ प्रबन्धन द्वारा इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक उपायों को भी नही दर्शाया गया था।
	योग	**50.24**			
2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम					
1997-98	4ब.2	0.32	विलम्ब से जमा किये गये इपीएफ पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान	विलम्बित जमा पर क्षति के आरोपण को बचाने के लिए समयानुसार ईपीएफ का भुगतान आवश्यक था।	प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित था।
1998-99	4ब.1	0.19	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने सूचित किया कि न्यायालय के आदेशों के क्रम में क्षति की धनराशि को समायोजित कर दिया गया था।
2000-01	4ब.2	0.27	-तदैव-	-तदैव-	प्रबन्धन ने सूचित किया कि कर की राशि को जमा करने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गयी थी। अग्रेतर कार्यवाही प्रतीक्षित थी।
	योग	**0.78**			

परिशिष्ट–46

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.29 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित है
1.	कृषि	2	18	98	1985-86
2.	पशुधन	2	9	15	1989-90
3.	चीनी एवं गन्ना विकास	8	85	206	1982-83
4.	सिंचाई	1	9	77	1994-95
5.	मत्स्य उत्पादन	1	6	9	1995-96
6.	लघु उद्योग	2	19	164	1982.83
7.	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2	19	112	1989-90
8.	औद्योगिक विकास	6	52	324	1984-85
9.	निर्यात प्रोत्साहन	2	20	104	1988-89
10.	वस्त्र	2	23	42	1992-93
11.	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना तकनीक	6	34	148	1991-92
12.	लोक निर्माण	2	278	868	1979-80
13.	समाज कल्याण	3	20	87	1993-94
14.	महिला कल्याण	1	8	25	1993-94
15.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1	7	31	1996-97
16.	गृह	1	4	15	1996-97
17.	खाद्य एवं जनापूर्ति	2	67	232	1985-86
18.	पर्यटन	1	3	10	1994-95
19.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	2	8	50	1993-94
20.	परिवहन	1	79	304	1988-89
21.	सहकारिता	1	11	84	1990-91
22.	वन	1	80	346	1997-98
23.	पंचायती राज	1	4	6	1982-83
24.	ऊर्जा	9	1921	6704	1982-83
	योग	**60**	**2784**	**10061**	

परिशिष्ट-47

विभागवार प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाती विवरणी

(प्रस्तर संख्या 3.29 में सन्दर्भित)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रस्तरों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	जारी अवधि
1.	ऊर्जा	12	2	फरवरी 2005 से मई 2005
2.	औद्योगिक विकास	4	1	अप्रैल 2005 से मई 2005
3.	लोक निर्माण	1	-	मई 2005
4.	परिवहन	4	-	जनवरी 2005 से मई 2005
5.	नगरीय विकास	2	--	अगस्त 2004 एंव अप्रैल 2005
6.	इलैक्ट्रानिक एवं सूचना तकनीक	1	--	जून 2005
7.	सार्वजनिक उपक्रम	3	--	मई 2005 से जून 2005
8.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ और समाज कल्याण	-	1	जून 2005
		27	**4**	

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित

2006

मूल्य : रु. 65 डालर 5

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33, नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ–226 002
फोन : 2481164, 2483354